समन्वित प्रादेशिक विकास :
बांसगाँव तहसील (गोरखपुर)
एक विशेष अध्ययन

शोध प्रबन्ध
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की
डी० फिल० (भूगोल)
उपाधि हेतु प्रस्तुत

निर्देशक
डॉ० ब्रह्मानन्द सिंह
रीडर, भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

शोधकर्त्री
प्रभा सिंह

भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2001

विषय—सूची

विषय

तालिका की सूची

मानचित्रों एवं आरेखों की सूची

प्राक्कथन

विश्व के विभिन्न भागो मे विकास प्रतिरूप एव तत्सम्बन्धी अलग—अलग समस्याए है। प्रादेशिक स्तर पर इन समस्याओ का निराकरण करके ही विकास प्रक्रिया को गतिशील बनाया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र मे राष्ट्रीय आय का मुख्य आधार यहा की परम्परागत कृषि है, जिसमे कुल राष्ट्रीय कार्यशील जनसख्या का सर्वाधिक प्रतिशत सलग्न है। जनसख्या का अधिकाश भाग ग्रामीण है, तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन—यापन कर रहा है। यहा विशाल जनसमूह की मुख्य समस्या न्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति से सम्बद्ध है। जन सामान्य की मूलाधार कृषि की निम्न उत्पादकता के परिणामस्वरूप क्रय क्षमता निम्नतम हे। देश के सामाजिक—आर्थिक विकास को त्वरित गति प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वित विविध कार्यक्रमो तथा प्रयासो से अनेक समस्याए स्वभाविक रूप से उत्पन्न हुई है, जिनकी व्याख्या अनेक तथ्यो को प्रकाश मे लाती है। उदाहरणार्थ — समन्वय के अभाव ने विकास—प्रक्रिया मे वैषम्यता को जन्म दिया तथा साथ ही सामाजिक एव क्षेत्रीय विषमताएँ अपेक्षाकृत प्रखर हो गयी। निम्न जीवन स्तर के प्रतिफल जीवन के नैराश्य के परिणाम स्वरूप विकास—कार्यक्रम मे जनसाधारण की क्रियाशीलता का अभाव है। अत यहॉ विकास की सकल्पना प्रादेशिक अर्थतत्र के समन्वित एव सर्वांगीण विकास से सम्बन्धित है। समन्वित विकास प्रदेश विशेष के कृषि, उद्योग, परिवहन, सचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि के विकास पर निर्भर है अर्थात समन्वित प्रादेशिक विकास के लिए सूक्ष्म स्तरीय—आयोजन आवश्यक है।

इसी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत शोध विषय ''समन्वित प्रदेशिक विकास, बासगॉव तहसील एक विशेष अध्ययन'', का चयन किया गया है। वर्तमान तहसील बासगाव का अध्ययन क्षेत्र के रूप मे चयन कई तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। प्रथम— तहसील बासगाव जनपद की पिछडी हुई तहसील है। द्वितीय— यहा पर उद्योगो का पूर्णतया अभाव है, परन्तु लघु एव कुटीर उद्योगो के विकास की पर्याप्त सभावनाये है। तृतीय— परिवहन साधनो

का समुचित विकास नही हुआ है। परिवहन का माध्यम सिर्फ सडक ही है। रेलमार्ग नगण्य है। जनपरिवहन का भी विकास नही हुआ है।

कृषि क्षेत्र पर्याप्त है परन्तु उनका समुचित उपयोग नही हो पा रहा है। फसल गहनता मे वृद्धि तथा फसल प्रतिरूप मे परिवर्तन की पर्याप्त सभावना है। पचम-रोजगार पाने के पर्याप्त सभावनाओ के बावजूद तकनीकी ज्ञान एव अल्पवित्तीय ससाधन के अभाव मे यहा के लोग बेरोजगारी के शिकार है। षष्ठम— अध्ययन क्षेत्र समतल मैदानी क्षेत्र होने के कारण विकास की पर्याप्त सभावना है। सप्तम— शोधकर्त्री अध्ययन क्षेत्र की समस्याओ एव आवश्यकताओ से भली—भाति परिचित है (जनपद की निवासी होने के कारण) उसके पहुच के अन्तर्गत है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, परिवहन, सचार एव अन्य सुविधाओ की पर्याप्त कमी है, जो विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यहा की भौतिक एव सास्कृतिक अर्थव्यवस्था पिछडी हुई है, जिसके तीव्रतर विकास की आवश्यकता है।

अध्यन क्षेत्र के विकास का विश्लेषण सकल्पनात्मक एव विश्लेषणात्मक दोनो ही दृष्टियो से किया गया है। सकल्पनात्मक विश्लेषण मे यथा सभव उपलब्ध पुस्तको के अनुशीलन से प्राप्त विचारो को प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन से सम्बन्धित प्रमुख विद्वानो के विचारो को यथावत् दिय गया है। व्यावहारिक विश्लेषण ऑकडो एव क्षेत्रीय सर्वेक्षण के अनुभवो पर आधारित है। अध्ययन क्षेत्र के सूक्ष्म—स्तरीय स्वरूप होने के कारण प्राथमिक एव द्वितीयक दोनो प्रकार के ऑकडो का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आकडे जिला सूचना केन्द्र गोरखपुर, जिला उद्योग केन्द्र गोरखपुर, लोक निर्माण विभाग गोरखपुर, भू—लेख निरीक्षक विभाग गोरखपुर, जिला कृषि कार्यालय, साख्यिकी विभाग, विकास भवन, गोरखपुर, तहँसील मुख्यालय, सकुल प्रभारी कार्यालय बासगाव, विकास खण्ड मुख्यालय बासगाव, विकास खण्ड मुख्यालय कौडीराम, विकास खण्ड मुख्यालय गगहा, जिला स्वास्थ्य केन्द्र, पशु अस्पताल विकास खण्ड बासगाव एव कौडीराम से प्राप्त किए गये है। द्वितीयक ऑकडो का मुख्य स्रोत जनगणना हस्त पुस्तिका गोरखपुर १९६१—१९७१ तथा १९८१, गजेटियर जनपद गोरखपुर, साख्यिकी पत्रिका वर्ष १९८२, १९९२ एव १९९६ तथा जनपद गोरखपुर

की जिला साख्यिकी पत्रिका वर्ष १६८२ १६६२ एव १६६६ तथा जनपद गोरखपुर की जिला कार्य योजना तथा भारत १६६१ है। उपर्युक्त आकडो के अतिरिक्त यथा स्थान व्यक्तिगत सर्वेक्षण एव अनुभव का भी आश्रय लिया गया है।

आकडो के विश्लेषण मे साख्यिकीय विधियो का प्रयोग किया गया है। जनसख्या का वितरण यथा सामान्य घनत्व, कायिकघनत्त्व तथा कृषि घनत्व को मध्यमान तथा प्रमाणिक विचलन के आधार पर गणना की गयी है। बस्तियो के अन्तरालन, विकास केन्द्रो के सीमाकन, शस्य गहनता, शस्य साहचर्य, सडक सम्बद्धता मे सामान्य साख्यिकीय सूत्रो का प्रयोग किया गया है। विषय की स्पष्ट व्याख्या के लिए कुछ स्थानो पर आकडो की पुनारावृत्ति भी की गयी है। विश्लेषित एव सश्लेषित ाकडो को मानचित्रो एव तालिकाओ से अधिक बोधगम्य बनाया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन मे, समय एव ससाधनो के अभाव मे समन्वित प्रादेशिक विकास से सम्बन्धित केवल कृषि, उद्योग परिवहन, सचार, शिक्षा एव स्वास्थ्य का विकास नियोजन प्रस्तुत किया गया है। उपर्युक्त क्षेत्रो का विकास—नियोजन 'विकास केन्द्र' विधि के अन्तर्गत विवेचित है। विकास केन्द्र निर्धारण की प्रक्रिया सर्वथा व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। इसके लिये उपलब्ध सूचनाओ एव क्षेत्रीय अनुभव के आधार पर उन्ही बस्तियो को विकास केन्द्र/सेवा केन्द्र के रूप मान्यता दी गयी है, जो चयनित ३५ आधारभूत कार्यो मे से जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, मातृशिशु कल्याण उपकेन्द्र एव साप्ताहिक हाट के अतिरिक्त किन्ही दो कार्यो को सम्पादित कर रहे हो। कार्यो के मान तथा सेवा केन्द्रो के केन्द्रीयता के मापन मे एक नवीन विधि को व्यवहृत किया गया है। इस विधि से कार्यो सेवाओ के सापेक्षिक महत्व का स्पष्टीकरण होता है। सम्पूर्ण अध्ययन के भ्वाकृतिक एव कार्यात्मक रिक्तता को देखते हुए ४१ नये विकास केन्द्रो का चयन, आधार भूत कार्यो/सेवाओ की आवश्यकता हेतु किया गया है। निर्धारित विकास/सेवा केन्द्रो के परिप्रेक्ष्य मे ही सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का विकास नियोजन प्रस्तुत है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को अध्ययन क्षेत्र मे समन्वित विकास के लिए आठ

प्रादेशिक एव समन्वित) का रामालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। अध्याय दो मे अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि का विशद विवरण है। अध्याय तीन मे जनसख्या वृद्धि, वितरण के विविध पक्षो (सामान्य घनत्व, कायिक घनत्व कृषि घनत्व) साक्षरता, यौन अनुपात एव जनसख्या की व्यावसायिक सरचना की विवेचना प्रस्तुत की गयी है। अध्याय चार मे बस्तियो के स्थानिक कार्यात्मक सगठन की समीक्षा तथा तहसील के विकास/सेवा केन्द्रो की विवेचना प्रस्तुत है। अध्याय पाच मे वर्तमान कृषि प्रतिरूप के मूल्याकन के उपरात कृषि विकास नीति की व्यख्या की गयी है। अध्याय छ मे वर्तमान लघु उद्योगो की अवस्थिति एव स्थानीय ससाधनो पर आधारित लघु एव कुटीर उद्योगो की स्थापना एव विकास नीति निर्धारित की गयी है। अध्याय सात मे परिवहन एव सचार साधनो की वर्तमान स्थिति एव क्षेत्र के तीव्रतर विकास के लिए आयोजना प्रस्तुत किया गया है। अध्याय आठ मे सामाजिक सुविधाओ से सम्बन्धित शिक्षा एव स्वास्थ्य के वर्तमान स्वरूप का वर्णन कर वाछित विकास हेतु आयोजन तथा पर्यावरण नियोजन एव समन्वित विकास हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओ का विशद् वर्णन है।

विकास, प्रादेशिक विकास एव समन्वित विकास से सम्बन्धित पुस्तक अनेक सामाजिक विज्ञानो मे उपलब्ध है, उन सभी का विवरण देना दुरूह कार्य है। यथा लिखित उल्लेखित सन्दर्भों को प्रत्येक अध्याय के अन्त मे सख्या क्रम मे प्रस्तुत किया गया है। शोध प्रबन्ध के अन्त मे दो परिशिष्ट दिये गये है। प्रथम मे शब्दावली तथा द्वितीय मे प्रस्तुत शोध एव क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रन्थो एव लेखो का उल्लेख किया गया है।

प्रभा सिंह
(प्रभा सिह)

आभारोक्ति

"सदगुरु की महिमा अनत, अनत किया उपकार।
लोचन अनत उघाडिया, अनत दिखावणहार।" (कबीर)

गुरु के लिये अन्त स्थल से निकली इन भावनाओ को शब्दो के जाल मे पिरोना अत्यन्त जटिल है, किन्तु आभार स्वरूप शब्दो मे लिखा जाना मात्र औपचारिकता ही है। पूज्य गुरुप्रवर डॉ ब्रह्मानन्द सिह (रीडर भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) का हृदय से आभारी हूँ, जिन्होने अपने व्यस्ततम क्षणो मे भी असीम स्नेह व धैर्य के साथ मुझे सहयोग एव प्रोत्साहन दिया तथा अपने सुयोग्य निर्देशन मे शोध प्रबन्ध को यथा शीघ्र पूर्ण करने का सुअवसर प्रदान किया। उसके लिये पूज्य गुरु के चरणो मे शीश स्वमेव श्रद्धावनत हो जाता है। शोध कार्य की अवधि मे मातृतुल्य श्रीमती सुमति सिह के योगदान को भूल जाऊँ, तो यह मेरी धृष्टता होगी, जिन्होने हर क्षण मुझे वात्सल्य प्रेम और प्रोत्साहन दिया।

प्रो सविन्द्र सिह (अध्यक्ष, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद), प्रो आर सी तिवारी डॉ बी एन मिश्र सहित भूगोल के उन सभी विद्वजनो के प्रति आभारी हूँ, जिनके अपूर्व स्नेह एव प्रोत्साहन से शोध–कार्य करने का सुअवसर मिला। डॉ सुधाकर त्रिपाठी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होने समय–समय पर अपना सुझाव एव सहयोग प्रदान किया। डॉ जगदम्बा सिह (रीडर, रसायन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद) की विशेष आभारी हूँ, जिनके सहयोग एव प्रोत्साहन से मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शोध कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ।

डॉ धर्मवीर सिह, पुलिस उपाधीक्षक (इलाहाबाद) को सहयोग के लिए आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होने समय–समय पर शोध–प्रबन्ध से सम्बन्धित मार्ग–दर्शन किया। शोध कार्य की पूर्णता मे सतीश कुमार सिह, कु करूणा सिंह एव उमेश कुमार सिह (शोध छात्र, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,

इलाहाबाद) के प्रोत्साहन एव सहयोग के लिए धन्यवाद प्रकट करती हूँ। जिन्होंने शोध लेखन कार्य मे शैक्षिक समस्याओ के निवारण हेतु रचनात्मक सुझाव दिया।

शोध छात्रा अपने स्वर्गीय माता–पिता को आभाररूपी श्रद्धासुमन अर्पित करती है, जिनके स्नेह एव आशीर्वाद से शोध कार्य को पूर्णता प्राप्त हुई। मैं अपने समस्त परिवारजनो तथा पति श्री पीयूष कुमार सिह की प्रेरणा एव सतत् सहयोग के लिए अभारी हूँ।

अन्त मे मै श्री एन.एन.राय (अर्थ एव सख्याधिकारी गोरखपुर) तथा श्री शीत सिह (सहायक अर्थ एव साख्याधिकारी, गोरखपुर) के प्रति आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होने जनपद कार्यालयो से आवश्यक अभिलेख तथा ऑकडो की प्राप्ति मे विशेष सहयोग प्रदान किया। इसके साथ ही डॉ अनवर सिद्दिकी (कार्टोग्राफर), श्री विशाल वाजपेयी एव श्री बिशेश्वर श्रीवास्तव को धन्यवाद देना चाहूगी, जिन्होने शोध–प्रबन्ध का मानचित्र तथा टकण कार्य अति शीघ्र पूर्ण करने मे सहयोग प्रदान किया। मै उन सभी सस्थाओ, पुस्तकालयो, औद्योगिक प्रतिष्ठानो तथा व्यक्तियो के प्रति आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होने विविध प्रकार से प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप मे सहायता करके शोध–प्रबन्ध को पूर्ण करने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।

इलाहाबाद
चैत्र शुद्ध वर्ष प्रतिपदा
नव सवत् 2058
(26 मार्च, 2001)

प्रभा सिंह
(प्रभा सिंह)
शोध छात्रा, भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

संकल्पनात्मक विश्लेषण

1.1 विकास की संकल्पना :

मनुष्य अपने चेतन व गतिशील स्वभाव के कारण सभी प्राणियो से अलग है। वह अपने वर्तमान वस्तु–स्थिति से सतुष्ट न रहकर उसमे मनोवाछित परिवर्तन करके विकसित स्वरूप देखना चाहता है। वस्तुओ एव घटनाओ का स्वरूप परिवर्तन ही विकास होता है। परिवर्तन दो तरह का होता है – धनात्मक एव ऋणात्मक। विकास का सम्बन्ध धनात्मक परिवर्तन से होता है। यह परिवर्तन भूतल पर अवस्थित किसी भी वस्तु स्थिति से हो सकता है। अत तथ्यात्मक सन्दर्भ मे विकास की परिभाषाओ का स्वरूप बदलता रहता है। विकास के अन्तर्गत भूतल पर अवस्थित सम्पूर्ण तथ्यो मे धनात्मक परिवर्तन को ही सम्मिलित किया जाता है। मनुष्य ही सभी अध्ययनो का केन्द्र बिन्दु होता है और मानव कल्याण मे वृद्धि ही भूगोल का मूल उद्देश्य रहा है।[1] अत मानव के सकारात्मक क्रिया कलापो को ही विकास की परिधि मे सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये क्रिया–कलाप सामाजिक, आर्थिक एव सास्कृतिक स्वरूपो से सम्बन्धित हो सकते है। इन समस्त क्रियाओ मे आर्थिक क्रियाओ का स्थान सर्वोपरि है किन्तु विकास का यह सम्बन्ध केवल आर्थिक क्रियाओ से ही नही है, इसमे वातावरण की गुणवत्ता मे वृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक प्रगति के आधारभूत कारक सरचनात्मक एव सस्थागत परिवर्तन को भी विकास के अन्तर्गत समाहित किया जाता है।

वस्तुत विकास एक व्यावहारिक सकल्पना है, जिसका अभिप्राय प्रगति उत्थान एव वाछित परिवर्तन से है। विगत वर्षो मे विकास से तात्पर्य आर्थिक क्षेत्र मे हुई प्रगति और सुधार से समझा जाता था किन्तु आजकल इसका

आशय जीवन के विविध क्षेत्रो मे हुए गुणात्मक एव मात्रात्मक परिवर्तनो से लिया जाता है।[2] इन्ही तथ्यो को ध्यान मे रखकर ब्रह्म प्रकाश एव मुनीस रजा[3] ने विकास को कार्य अथवा कार्यों की एक श्रृखला या प्रक्रम माना है, जो जीवन की दशाओ मे शीघ्र ही सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक, सास्कृतिक तथा वातावरणीय सुधार करता है, अथवा भविष्य मे जीवन की सम्भावना मे वृद्धि करता है या दोनो ही कार्य इसके द्वारा किये जाते है।

गुलतुग[4] ने विकास की नयी परिभाषा देते हुए बताया कि विकास का सिद्धात सामाजिक विषयो का वह क्षेत्र है, जहॉ भूतकाल का अध्ययन इतिहास, वर्तमान का अध्ययन समाजशस्त्र, अर्थशास्त्र व भूगोल आदि तथा भविष्य का अध्ययन भविष्यशास्त्र एक साथ करते है। प्रो मिश्र[5] ने विकास का विश्लेषण करते हुए कहा है कि, विकास समाज एव अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक विस्तार के अतिरिक्त उनमे वाछित गति से वाछित दिशा मे सरचनात्मक परिवर्तन के साथ–साथ मानव के सामाजिक एव मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण से सम्बद्ध है, जिसमे सामयिक क्षेत्रीय तथा स्थानिक पहलुओ के साथ नियोजन का समन्वय देखा जाता है। विकास के विविध पहलुओ को को देखते हुये आर एन सिह[6] ने लिखा है कि विकास एक आदर्शोन्मुखी सकल्पना है, जिसमें सकारात्क, प्रयोजनात्मक एव वाछित सतत् उर्ध्वोन्मुख परिवर्तन समाहित है।

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि विकास एक बहुआयामी शब्द है, जिसकी उपर्युक्त विद्वानो ने देश, काल व परिस्थितियो के अनुसार भिन्न–भिन्न व्याख्या की है। हिलहॉर्स्ट[7] ने माना है कि अर्थशास्त्रियो, भूगोलविदो, समाजशास्त्रियो आदि ने विकास की विशेषता का निर्धारण एव विश्लेषण अपने विषय क्षेत्र की आवश्यकतानुसार किया है, अत इसकी सार्थकता इसकी अनेकार्थकता मे है।

अब तक दीर्घकाल तक आर्थिक वृद्धि को ही विकास का पर्याय माना जाता रहा है, इसलिये विद्वान भी आर्थिक प्रगति या आर्थिक विकास के

पर्यायवाची के रूप मे व्यवहार करते हुये उत्पादन वृद्धि राष्ट्रीय आय मे वृद्धि या प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि को ही इसका सूचक मानते है। परन्तु विकास के इन मापको के फलस्वरूप अनेक सामाजिक एव पर्यावरणीय समस्याये उभरकर सामने आयी, जैसे अधिकाश लोगो के गुणात्मक जीवन स्तर मे ह्रास, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालो मे आनुपातिक वृद्धि, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखण्डो के बीच समन्वय मे कमी, प्राकृतिक ससाधनो का अत्यधिक विदोहन असम्यक उत्पादन एव उपभोग के परिणामस्वरूप उनका समाप्त प्राय होना ही इस सकल्पना के कुपरिणाम माने गये है। फलस्वरूप विकास के इन मानदण्डो का परिवर्तन हुआ, जिसे निर्दिष्ट करते हुए प्रो सिह[9] ने व्यक्त किया है कि अब प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय मे वृद्धि के स्थान पर आय का वितरण प्रतिरूप, रोजगार की उपलब्धता तथा जीवन की मौलिक आवश्यकताओ की सुलभता मे अभिवद्धि आदि को 'विकास' का द्योतक माना जाने लगा है। इससे भी आगे बढकर 'विकास' आर्थिक सामाजिक प्रगति के साथ सरचनात्मक एव सस्थागत परिवर्तन का प्रत्यय है। मात्र आय अथवा जीवन स्तर मे मात्रात्मक वृद्धि विकास नही है। सही अर्थो मे 'विकास' तब होता है जब ऐसी सस्थागत एव सरचानात्मक परिस्थितिया उत्पन्न हो जाय जिससे दीर्घकाल तक उच्चतर जीवन स्तर एव प्रगति के अवसर सुलभ हो सके। इस अर्थ मे विकास'' का तात्पर्य होगा मानव के निवास्य मे भूवैन्यासिक सगठनात्मक प्रत्यावर्तन जिसके द्वारा जनसमान्य के बेहतर गुणात्मक जीवन स्तर प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। दूसरे शब्दो मे विकास का अन्तिम उद्देश्य सभी को अपेक्षाकृत एक अच्छे जीवन हेतु वर्तमान सुअवसरो को उपलब्ध कराना है, इसके लिए सामाजिक न्याय एव उत्पादन की पर्याप्तता दोनो के उन्नयन हेतु आय और धन के अपेक्षाकृत समुचित वितरण को लाना, मूलरूप से रोजगार के अवसर मे वृद्धि करना आय की सुनिश्चितता मे अभिवृद्धि करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन, भरण पोषण, आवास और सामाजिक कल्याणार्थ से सम्बन्धित सुविधाओ की उपलब्धता एव उनका दीर्घकालिक उपयेाग तथा वातावरणीय एव परिस्थैतिकी सुरक्षा आवश्यक है।

विद्वानजन विकास के सदर्भ मे अनेक शब्द प्रयुक्त करते है। प्राय विक.स के पर्याय के रूप मे प्रगति, सवृद्धि एव क्राति आदि का प्रयोग किया जाता है। वास्तव मे ये शब्द अलग अर्थ मे प्रयुक्त होते है, जो विकास से ही सम्बन्धित है, इनकी व्याख्या निम्न शब्दो मे की जा सकती है।

1.2 विकास, प्रगति एव सवृद्धि की सकल्पना :

विकास मे सकल राष्ट्रीय उत्पाद मे वृद्धि सम्मिलित है। अब यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन करने की कठिनाइयो की अनदेखी कर दी जाय तो यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद मे परिवर्तन की दर ही उस देश के आर्थिक वृद्धि का मापदण्ड बन जायेगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने पर त्रुटिया आ सकती है, परन्तु किसी देश के सन्दर्भ मे इस आकलन मे दोष और कमिया निश्चित समय मे एक समान रहेगी। डडले सियर्स[10] ने भी बीस वर्ष पूर्व सभवत लैटिन–अमेरिकी देशो के सन्दर्भ मे लिखा है 'ग्रोथ विदाउट डेवलेपमेण्ड' अर्थात् बिना विकास के वृद्धि। इस प्रकार सैद्धातिक दृष्टि से विकास सकल राष्ट्रीय उत्पाद मे वृद्धि के अतिरिक्त कई तत्वो पर भी आधारित है।

प्रगति का क्षेत्र और भी व्यापक एव विस्तृत है, इसमे वृद्धि के साथ–साथ अन्य सामाजिक पहलू भी समाहित है। वृद्धि का अर्थ है आकलन किये जा सकने वाले तत्वो मे बढोत्तरी। विकास का अर्थ है आर्थिक परिवर्तन और प्रगति से अभिप्राय है सामाजिक परिवर्तन।[10]

1.21 प्रगति और विकास :

यदि सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक परिवर्तन सुनियोजित तरीके से होता है तो उसे प्रगति समझा जाता है। प्रगति से हमारा अभिप्राय केवल दिशा से हीं नहीं है अपितु किसी निश्चित उद्देश्य और किसी आदर्श रूप मे निर्धारित गन्तव्य स्थान की दिशा की ओर होता है। प्रगति का अभिप्राय वाछनीय परिवर्तन से है, जिससे इष्ट मूल्यो की पूर्ति होती है।

प्रगति एक सापेक्षिक अवधारणा है क्योकि इसमे वर्तमान की तुलना भूतकाल की परिस्थितियो से की जाती है। इसके साथ ही एक निश्चित सामान्य पैमाने पर परिवर्तन का मूल्याकन भी किया जाता है। अत प्रासगिक तुलनाओ से ही प्रगति का सही अनुमान हो सकता है। प्रगति के मूल्याकन की करौटिया आर्थिक, तकनीकी प्रगति सास्कृतिक लक्षण, गुण और मानसिक विकास है। तकनीकी प्रगति सरलतम कसौटी है, क्योकि इसमे मुद्रा अर्थव्यवस्था ओर सचार व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। इनका मापदण्ड भी सरल है। परन्तु प्रौद्योगिकी और सास्कृतिक या सामाजिक विकास के बीच निकट का सम्बन्ध है।. ऊर्जा के कुल उत्पादन और समाज के रूपान्तरण को प्रगति के मूल्याकन का एकमात्र आधार नही माना जा सकता है। ऐसे मत के अनुसार सास्कृतिक प्रगति तकनीकी परिवर्तन की तुलना मे गौण मानी जाती है। वास्तव मे किसी एक क्षेत्र मे परिवर्तन या प्रगति दूसरे क्षेत्र से सम्बन्धित है ओर उस पर निर्भर भी है। अत प्रगति एक जटिल प्रघटना है।[11]

वाछनीय दिशा मे नियोजित ढग से गुणात्मक परिवर्तन लाने के उपाय को विकास कहते है इरा प्रकार विकास की सकल्पना मे भी वाछित दिशा मे परिवर्तन की ओर सकेत है। विकारा एक रामिश्र धारणा है। विकास की धारणा सामाजिक, सास्कृतिक पृष्ठभूमि तथा राजनैतिक और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र मे भिन्न–भिन्न पायी जाती है। विकास का अभिप्राय एक प्रघटना के पूर्णतर वृद्धि रूपी उद्विकास से है। मनुष्य का अपने पर्यावरण पर नियत्रण विकास का ही उदाहरण है।

तुलनात्मक रूप से प्रगति और विकास की सकल्पना का अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि विकास की सकल्पना एक नूतन प्रघटना है जबकि प्रगति की सकल्पना प्रबोध और औद्योगिक क्राति से जुडी हुयी है। प्रगति की प्रकृति सामान्य है और औचित्यात्मक कारको पर आधारित है, जबकि विकास की प्रगति सदर्भात्मक और सापेक्षिक है। क्षेत्र के विकास मे कृषि,

उद्योग, शिक्षा स्वास्थ्य, परिवहन एव सचार आदि विभिन्न क्षेत्रो मे प्रगति को गिना जाता है। विकास मे समाज के कमजोर वर्गों, स्त्रियो ओर बच्चो, बेरोजगारो, बीमार और वृद्ध लोग तथा अल्पसख्यको के कल्याण को भी सम्मिलित करते है। विभिन्न नीतियो और कार्यक्रमो का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो, अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो महिलाओ, कृषि मजदूरो और औद्योगिक श्रमिको के कल्याण का है। अत विकास एक मूल्य–भारित अवधारणा है। विकास एक क्षेत्र, समाज और जनता की सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक व भौगोलिक आवश्यकताओ मे सम्बद्ध है।[12]

विकास की सकल्पना मे इन सामान्य मान्यताओ के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट कसौटिया भी है जैसे आदिम कृषि अवस्था से औद्योगिक समाज की ओर, समाज का उद्विकास तथा आर्थिक परिवर्तन। मनुष्य के ज्ञान मे अभिवृद्धि तथा समाहित है। इसी अर्थ मे सामाजिक विकास सामाजिक प्रगति का पर्याय है।

1.2.2 संवृद्धि एवं विकास :

आर्थिक सवृद्धि से प्राय यह अर्थ निकाला जाता है कि उत्पादन मे समय के साथ कितनी वृद्धि हुई। कुछ अर्थशास्त्रियो के अनुसार आर्थिक सवृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था का कुल राष्ट्रीय उत्पाद लगातार दीर्घकाल तक बढता रहता है।[13] इस प्रकार आर्थिक सवृद्धि को हम एक ऐसी वृद्धि दर के रूप मे परिभाषित कर सकते है जो अत्यन्त निम्न जीवन स्तर मे फसी हुई किसी अल्पविकसित अर्थव्यस्था को अल्पावधि मे ही ऊचे जीवन स्तर तक पहुचा सके।[13]

आर्थिक विकास की सकल्पना मे प्रति व्यक्ति उत्पादन मे वृद्धि के साथ–साथ इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक व सामाजिक ढाचे मे क्या परिवर्तन हुए। इस प्रकार आर्थिक विकास एक ऐसी

प्रक्रिया है, जिसमे कुल राष्ट्रीय उत्पादन मे कृषि का हिस्सा क्रमश कम होता जाता है जबकि द्वितीयक एव तृतीयक कार्यो जैसे उद्योगो सेवाओ व्यापार बैकिग व विनिर्माण का हिस्सा बढता जाता है। इस प्रक्रिया मे श्रमशक्ति को व्यावसायिक सरचना मे भी परिवर्तन होता है तथा उसके कार्यकुलशता व उत्पादकता मे भी वृद्धि होती है। अत सवृद्धि विकास के परिमाणात्मक पहलू की ओर सकेत करती है, जबकि विकास मे मात्रात्मक के साथ–साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी प्रश्रय मिलता है।[15]

साधारणतया कम विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र मे आर्थक विकास और आर्थिक सवृद्धि की प्रक्रिया साथ–साथ चलती है। किंडल बर्गर के अनुसार जहा आर्थिक सवृद्धि का अर्थ उत्पादन मे वृद्धि से होता है, वही आर्थिक विकास से तात्पर्य उत्पादन मे वृद्धि के साथ–साथ उत्पादन की तकनीक, सस्थागत व्यवस्था तथा वितरण प्रणाली मे परिवर्तन होता है। परन्तु यह दोनो प्रक्रियाये एक साथ चले यह आवश्यक नही है क्योकि आर्थिक सवृद्धि की तुलना मे आर्थिक विकास प्राप्त करना कही अधिक कठिन है। आर्थिक साधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करके उसकी उत्पादकता व उत्पादन बढाकर सवृद्धि की जा सकती है, किन्तु आर्थिक विकास के लिये उत्पादन के साधनो की सरचना मे परिवर्तन लाना अनिवार्य होता है और साथ ही उसके वितरण मे परिवर्तन लाना होता है, जिससे सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके।

प्राय किसी देश के राष्ट्रीय आय मे वृद्धि तो होता है, किन्तु अर्थव्यवस्था मे कोई विकास नही होता है। कुजनेत्स[16] का मत है कि आर्थिक सवृद्धि की अवस्था मे बढती हुयी जनसख्या के साथ–साथ प्रति व्यक्ति उत्पादन (या आय) मे वृद्धि होनी चाहिए। पिछडी अर्थव्यवस्था या विकासशील देशो मे जहा जनसख्या तेजी से बढ रही है, ससाधन सीमित है और प्रौद्योगिक पर विकसित देशो का वर्चस्व है, वहा उत्पादन वृद्धि के द्वारा न तो बेरोजगारी का निवारण हो सकता है और न ही उत्पादनो का समाज मे समान वितरण हो सकता है।

इस प्रकार जहा आर्थिक सवृद्धि के लिये राष्ट्रीय आय पर ध्यान देना पडता है वही आर्थिक विकास का अनुमान सस्थागत एव सरचनात्मक परिवर्तनो से लगाया जाता है। आर्थिक सवृद्धि से आर्थिक विकास कदापि नही हो सकता तथा बिना आर्थिक सवृद्धि के व्यावसायिक सरचना मे परिवर्तन नही हो सकता। आर्थिक विकास के लिये आर्थिक सवृद्धि भले ही पर्याप्त न हो किन्तु आवश्यक अवश्य है।

1.2.3 क्रांति और विकास :

क्राति का अर्थ परिवर्तन के चरम स्वरूप से है। साधारण विकास मे विकास सतत गतिशील होता है जबकि क्रातिकारी विकास मे विकास अप्रत्याशित होता है। क्रातिया अनेक प्रकार की होती है जैसे औद्योगिक क्राति, कृषि क्राति राजनैतिक क्राति, सामाजिक क्राति व धार्मिक क्राति। यहा पर क्राति शब्द का प्रयोग 'विकास' क्राति के लिये किया गया है। साधारणतया विकास सतत् गतिशील होता है, परन्तु जब क्रातिकारी विकास होता है तब विकास अप्रत्याशित होता है। यदि किसी समाज या क्षेत्र मे इस तीव्र परिवर्तन से सामजस्य करने की क्ष्मता नही है, तो उसके नकारात्मक प्रभाव दृष्टिगत होते है। सोना खोना और पाना दोनो अपशकुन के सूचक है, परन्तु इसका प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि तीव्र परिवर्तन अच्छा नही होता। तीव्र परिवर्तन से अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखण्डो मे समन्वयन का अभाव हो जाता है। वास्तव मे क्राति का अर्थ तीव्र व आमूल परितर्वन होता है। विकास से धीमे व सतत् परिवर्तन का बोध होता है। विकास से सतुलित विकास काभी बोध होता है। किसी क्षेत्र या समाज मे कुछ ऐसे जड–तत्व होते है, जिनमे क्रातिकारी विकास की आवश्यकता होती है, वास्तव मे ये विकास प्रक्रिया की कुजी होते है जिन्हे तीव्र किये बिना अन्य विकास कार्य सम्पादित नही हो सकते। भारत के सदर्भ मे देखा गया है कि 'हरित क्राति' के बाद कृषि आधारित उद्योगो का विकास स्वत स्फूर्त था मानव समाज के विकास मे क्रातियो ने एक आवश्यक भूमिका अदा की है। क्राति

आवश्यक भी है, क्योकि बिना क्राति के एक ही प्रकार की व्यवस्था सदा चलती रहेगी भले ही वह समय की दृष्टि से अनुपयुक्त क्यो न हो। इसके परिणाम स्वरूप प्रगति नही होगी।[17]

विकास की परिधि मे मानवीय क्रियाकलापो के विकास को ही सम्मिलित किया जाता है। मानव के सभी क्रियाकलापो मे आर्थिक क्रियाओ का स्थान सर्वोपरि है। अत यहा पर विकास से सम्बन्धित सभी सकल्पनाओ का वर्णन सक्षिप्त रूप से वर्णित किया गया है। समय के साथ ही विकास की सकल्पना परिवर्तित होती रही है। विकास रो सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण सकल्पनाये निम्नवत् है

1.3 आर्थिक विकास की संकल्पना :

आर्थिक विकास की सकल्पना आर्थिक सवृद्धि की सकल्पना से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास के लिये आर्थिक सवृद्धि की पूर्व दशा का होना अनिवार्य है। बीसवी शताब्दी के मध्य के बाद से आर्थिक विकास की सकल्पनाओ को आर्थिक सवृद्धि की सकल्पना से भिन्न माना जाने लगा। विकास की प्रमुख समस्या गरीबी, सवृद्धि होने के बावजूद बढती गयी। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबब उल–हक[18] का कहना है कि विकास की प्रमुख समस्या गरीबी की सबसे भयानक किस्मो पर सीधा प्रहार करना है। गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानताओ जैसी समस्याओ के उन्मूलन को विकास के मुख्य लक्ष्यो मे शामिल किया जाना चाहिए। हमे यह बताया गया कि यदि राष्ट्रीय उत्पाद बढाया जाय तो उससे गरीबी निवारण होगा। परन्तु अब समय आ गया है कि हम इस पुरानी मान्यता को बदल दे। अब हम मुख्यतया गरीबी पर ध्यान केन्द्रित करे। सिह ने[19] समन्वित प्रादेशीक विकास की सकल्पना मे अपना मत व्यक्त किया है कि अब ऐसी सस्थागत सरचनात्मक परिवर्तन हो जिससे गरीबी कम हो और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगो के जीवन स्तर मे गुणात्मक सुधार हो। इससे राष्ट्रीय उत्पाद को अपने आप महत्व मिल

आर्थिक विकास का शास्त्रीय मॉडल

चित्र ११

जायेगा दूसरे शब्दो मे अब कुल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर पर कम और उसकी सरचना पर अधिक ध्यान देना जरूरी है। आर्थिक विकास से सम्बन्धित दो मुख्य विचारधाराए है –

प्रथम परम्परागत विचारधारा है – जिसमे सकल राष्ट्रीय उत्पाद मे 5–7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो, उत्पादन तथा रोजगार के परिवर्तन का स्वरूप इस प्रकार हो जिसमे कृषि का हिस्सा निरन्तर कम होता जाय और तृतीयक तथा विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा बढता जाय। इस विचारधारा के अन्तर्गत कृषि के स्थान पर उद्योग को प्रश्रय दिया जाता है। कुल राष्ट्रीय या घरेलू उत्पाद मे वृद्धि प्रति व्यक्ति उत्पाद मे वृद्धि होने से शेष उद्देश्यो (गरीबी निवारण, आर्थिक असमानता मे कमी और रोजगार अवसरो मे वृद्धि आदि) को स्वत धीरे–धीरे प्राप्त कर लिया माना जाता है। व्यावहारिक रूप मे देखने से पता चलता है कि अधिसख्य जनसख्या को आर्थिक सवृद्धि का कोई लाभ नही मिला, और न ही उनके जीवन मे कोई गुणात्मक सुधार हुआ है। अनेक विद्वानो ने इस परम्परागत विचारधारा को सशोधित कर 'पुनर्वितरण के साथ सवृद्धि' का नारा दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी, असमानता और बेरोजगारी का निवारण है। चार्ल्स पी किन्डलबर्गर और बूस हैरिक[20] का मत है कि आर्थिक विकास की परिभाषा प्राय लोगो के भौतिक कल्याण मे सुधार के लिये की जाती है। जब किसी देश मे खासकर निम्न आय वाले लोगो के भौतिक कल्याण मे बढोत्तरी होती है, जनसाधारण को अशिक्षा, बीमारी और छोटी उम्र मे मृत्यु के साथ–साथ गरीबी से छुटकारा मिलता है। कृषि लोगो का मुख्य व्यवसाय न होकर औद्योगीकरण होता है जिससे उत्पादन के लिये प्रयोग होने वाले कारको के स्वरूप मे परिवर्तन होता है। कार्यकारी जनसख्या का अनुपात बढता है और आर्थिक तथा दूसरे प्रकार के निर्णयो मे लोगो की साझेदारी बढती है तो अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलता है। इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप हम कह सकते है कि उस क्षेत्र या प्रदेश मे आर्थिक विकास हुआ है।

ब्रोगर[21] ने आर्थिक विकास का अर्थ बताते हुये कहा है कि इसके अन्तर्गत सामाजिक, राजनैतिक सास्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तनो के सयुक्त प्रभाव को सम्मिलित किया जाना चाहिये। माइकल पी टोडेरी[22] विकास के स्वरूप को सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक–सरचना एव विचारो के वाछित परिवर्तन मे बताते है। विकास के अन्तर्गत न केवल आर्थिक पक्ष बल्कि सामाजिक, सास्कृतिक व कल्याणकारी पक्ष भी आते है। इसलिए स्मिथ[23] ने लिखा है कि मानव के कल्याण मे वृद्धि ही विकास है। आर्थिक विकास के उपर्युक्त व्यापक उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यत आर्थिक विकास को निम्न रूपो मे जाना जाता है।

1 आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी क्षेत्र की जनसख्या के लिये अधिक अर्थपूर्ण सिद्ध हो सके।

2 आर्थिक विकास का मुख्य लक्ष्य निर्धनता समाप्त करना है।

3 आर्थिक विकास का तात्पर्य वास्तविक आय मे दीर्घकालीन वृद्धि है, न कि अल्पकालीन वृद्धि जो कि व्यापार चक्रो मे वृद्धि काल मे व्यक्त होता है।

4 आर्थिक विकास का लक्ष्य आर्थिक असमानता मे कमी लाना है।

5 आर्थिक विकास के कुछ अन्य लक्ष्य, विभिन्न क्षेत्रो के विकास एव समृद्धि मे भारी अन्तरो को कम करना तथा अर्थव्यवस्था का विशाखन व आधुनिकीकरण करना है।

यदि हम इनमे से एक या दो अथवा सभी लक्ष्यो को प्राप्त करने मे असफल रहते है, तो आर्थिक विकास कहना अनुपयुक्त होगा चाहे प्रति व्यक्ति आय दो गुनी क्यो न हो।[24]

मानव और प्रकृति के अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धो मे विविधता के कारण विकास विविध रूपो मे समय और क्षेत्र के सन्दर्भ मे घटित हुआ है, तदनुसार विकास का अर्थ भी बदलता रहता है। विकास एक सापेक्ष अर्थवाला शब्द है। इसको समाज, समय और क्षेत्र के सन्दर्भ मे ही परिभाषित किया जा सकता है। यदि सम्पूर्ण विश्व के सन्दर्भ मे मानव और प्राकृतिक ससाधनो की मात्रा व गुणवत्ता के आधार पर वितरण प्रतिरूप देखा जाय तो सर्वत्र विभिन्नता दिखायी देगी। यही कारण है कि जहा प्राकृतिक ससाधन आसानी से प्राप्य है, और मानवीय क्षमता उच्च स्तर की है अर्थात प्राकृतिक ससाधनो की अनुकूलता तथा मानव की सकारात्क अन्तर प्रक्रिया के फलस्वरूप जहा ससाधनो का अधिकतम प्रयोग सम्भव हुआ, वहा विकास भी तेजी से होगा। वहा सामाजिक प्रत्यावर्तन भी तीव्र गति से होगा। सामाजिक, आर्थिक आयामो मे नये–नये तथ्य जुडेगे तब उस क्षेत्र की आवश्यकताये एव प्राथमिकताऐ भी बदलती जायेगी। ऐसी स्थिति मे उस क्षेत्र के लिये विकास का एक विशिष्ट अर्थ होगा। इसके विपरीत ससाधन सम्पन्न क्षेत्र मे मानवीय क्षमता के अभाव के कारण अर्थात् तकनीकी का प्रयोग न कर पाने के कारण वहा मनुष्य की प्राथमिकताये दूसरी होगी और वहा निवासित मनुष्यो के लिये विकास का अलग अर्थ होगा। समय और क्षेत्र के सन्दर्भ मे इन्ही प्रक्रियाओ का विश्लेषण किया जाय तो स्पष्ट होता है कि प्रत्येक क्षेत्र प्रारम्भिक स्थिति से गुजरकर ही विकास की जटिल अवधारणा तक पहुचा है। इस तरह विकास प्रक्रिया के परिवर्तनशील सकल्पनाओ का मानवीय सभ्यता के विकास से लेकर वर्तमान परिस्थितियो का सम्यक विवेचन करके ही समझा जा सकता है। विश्व मे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन ईस्वी पूर्व कालो से लेकर प्रथम महायुद्ध तक और उसके बाद अन्तरविश्वयुद्ध काल तथा द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर कालो मे अधिक स्पष्ट रूप मे देखे जा सकते है। अध्ययन विषय के रूप मे विकास की सकल्पना पुनर्जागरण काल के बाद की ही देन है, जब विभिन्न देशो मे आर्थिक समृद्धि के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय की सकल्पना मे भी द्वितीय महायुद्ध के बाद तीव्र परिवर्तन हुआ। वर्तमान मे

इसकी सकलपना सर्वथा नवीन रूप मे सामने आयी। चूकि विकास की सकल्पना को भिन्न–भिन्न विद्वानो ने समय, देश काल तथा विभिन्न परिस्थितियो मे अलग–अलग व्याख्या की है, अत विकास की सकल्पना को निम्नलिखित कालखण्डो मे बाटकर अध्ययन करना समीचीन होगा।[25]

1.3.1 विकास की प्राचीन संकल्पना :

विकास की सकल्पना का अध्ययन पुनर्जागरण काल के पश्चात् ही करना श्रेयस्कर होगा। इसके पूर्व विकास का क्रमबद्ध अध्ययन नही किया गया है। यद्यपि उसी समय उत्पादन की नई तकनीको और प्राविधियो का आविष्कार हुआ। उस समय तक विश्व की जनसख्या भी कम थी, तथा स्थानीय परिवेश मे वह अपनी न्यूनतम अवश्यकताओ की पूर्ति करती थी। यातायात व सचार साधनो के अभाव मे प्रतिस्पर्धा का अभाव था। पुनर्जागरण काल से ही वैज्ञानिक और तकनीकी विकास विभिन्न देशो मे सम्भव हुआ, और सकल राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि विभिन्न देशो का उद्देश्य बनता गया। इस विचारधारा मे राष्ट्रीय आय मे वृद्धि ही आर्थिक विकास का मापदण्ड था। इसका सर्वप्रथम अध्ययन फ्रासीसी विद्वान क्वेसने ने 1766 मे प्रस्तुत किया। उन्होने बृहद स्तरीय आर्थिक मॉडल के माध्यम से स्पष्ट किया कि पूजी सचय विकास का आधार है। इस सम्बन्ध मे उसने राष्ट्रीय उत्पादन और श्रमिको के सम्बन्धो का विश्लेषण किया, और आर्थिक अतिरेक का प्रतिपादन किया। कालान्तर मे यही विचारधारा फ्रास के भौतिकवादियो के आर्थिक विचारो का आधार बनी। राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि–सम्बन्धी अवधारणा का सभवत वैज्ञानिक विश्लेषण एडम स्मिथ[26] और कालान्तर मे डेविड रिकार्डो (1917) मे किया।

एडम स्मिथ इस प्राचीन विचारधारा के प्रतिपादक माने जाते है। उनका मत था कि राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि ही विकास का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूजी सचय श्रम विभाजन और बाजार आवश्यक है। भौगोलिक रूप मे राष्ट्रीय आय मे वृद्धि की भी एक स्थिर अवस्था है। जब

विभिन्न क्षेत्रो मे स्थित ससाधनो का पूर्ण उपयोग कर विकास की चरमोत्कर्ष पर पहुचा दिया जायेगा तो घरेलू बाजार कम हो जायेगा और विकास प्रक्रिया को उत्कर्ष पर रखने हेतु नये बाजार ढूढना आवश्यक होगा। सभवत यही कारण है कि आर्थिक विकास हेतु मध्य यूरोपिय युग मे इस औपनिवेशीकरण की प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई। विकास की इस सकल्पना का प्रभाव तत्कालीन यूरोपिय समाज मे साधन सम्पन्न एव साधन विहिन वर्ग को जन्म दिया।

1.3.1.1 विकास की मार्क्सवादी विचारधारा :

मार्क्स के अनुसार उत्पादन एव श्रम का वर्तमान अन्र्तसम्बन्ध प्राचीन काल से ही ससाधनो का सचय कुछ लोगो के हाथो मे होने का कारण है। प्रकारान्तर से ही मार्क्स ने ससाधन आधार और तद्जनित आर्थिक विकास को कुछ लोगो के विपरीत समाज के सभी लोगो हेतु माना। इस तरह सर्वप्रथम मार्क्स ने विकास की सकल्पना को सम्पूर्ण मानव समाज से जोडने का प्रयास किया। उनके अनुसार साधन सम्पन्न और साधन विहिन वर्ग के पारस्परिक अन्तर्द्वन्द्व ने ही विकास की विभिन्न अवस्थाओ को विकसित किया। ये अवस्थाये निम्नवत है –

(1) जनजातीय समूह,

(2) दासत्व प्रधान अर्थ तत्र,

(3) सामन्तवादी अर्थतत्र,

(4) पूजीवाद,

(5) साम्यवाद।

हालाकि वर्तमान विश्व मे पूजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व है साम्यवाद दब सा गया है, फिर भी मार्क्स वह प्रथम अर्थशास्त्रीय चिन्तक थे, जिन्होने आर्थिक विकास मे सबके समान अधिकार को स्पष्ट किया।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि एडम स्मिथ से लेकर मार्क्स तक और बीसवी शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक विकास की सकल्पनात्मक प्रवृत्तिया बदलती रही हैं, जो वास्तव मे विकास के क्षेत्रीय और कालिक आयाम की परिचायक है। ये प्रवृत्तिया निम्नलिखित है –

(1) आर्थिक विकास प्रकृति की देन है।

(2) प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि के द्वारा सकल राष्ट्रीय उत्पादन मे वृद्धि ही आर्थिक विकास है।

(3) आर्थिक विकास मे न्यायोचित वितरण की भावना निहित है।

(4) आर्थिक विकास अधिक लाभ और पूजी सचय का प्रतिफल है।

1 4 विश्वयुद्धोत्तर काल मे विकास की सकल्पना :

प्रथम महायुद्ध से पूर्व तक एडम स्मिथ की राष्ट्रीय आय मे वृद्धि की सकल्पना ही आर्थिक विकास की द्योतक थी। उसके बाद मार्क्स की विचारधारा सामने आयी। लेनिन ने सर्वप्रथम मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाते हुए सोवियत अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखण्डो मे समन्वय पर बल देते हुए सर्वांगीण विकास पर बल दिया। विश्व मे पहली बार 1926 मे इसी सर्वांगीण विकास की प्राप्ति के लिये सोवियत सघ मे अन्तर्प्रखण्डीय आर्थिक सतुलन मॉडल लागू किया। इसका मूलभाव था आर्थिक विकास मे उत्पादन और वितरण एकीकृत रूप मे समाहित हो।

द्वितीय महायुद्ध के बाद विश्व के लगभग सभी देश औपनिवेशीकरण से मुक्त होकर स्वतत्र हो चुके थे उनके समक्ष अपनी बढती हुई जनसख्या के जीवनयापन एव अर्थव्यवस्था के द्रुत विकास की समस्याये थी। उस समय विकास की दो मुख्य धाराए प्रचलित थी, जो निम्नलिखित है –

1.4.1 विकास का पूंजीवादी मॉडल :

प्राचीन अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की सकल्पना पर ही यह नवशास्त्रीय सकल्पना यूरोप व अमरीकी देशो मे सफलता से चल रही थी। वैज्ञानिक अविष्कारो से विभिन्न ससाधनो का शोषण, रूपान्तरण आसान था। नयी प्रविधियो के प्रयोग से उत्पादन आधिक्य हुआ। जनवृद्धि अल्प होने के कारण घरेलू माग कम थी। विश्वव्यापी बाजार मे बढती माग नित नये आविष्कार से वहा राष्ट्रीय आय मे तीव्र वृद्धि हुई। 1960–70 के दशक मे इन देशो की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो मे व्यापक प्रगति हुई। परवर्ती सावते आठवे दशक मे ससाधन ह्रास के कारण नये ससाधनो की खोज हुई, नयी वस्तुओ का आविष्कार हुआ, फलस्वरूप विश्वव्यापी बाजार मे पुन इन देशो का अधिकार हो गया। इस तरह इन देशो मे विकास की प्राचीन सकल्पना का नया रूप सफल हुआ है।

1.4.2 विकास का साम्यवादी मॉडल :

यह मॉडल मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित था। प्राचीन विचारधारा की तरह इसमे विकास का अर्थ मात्र राष्ट्रीय आय मे वृद्धि ही नही बल्कि मानव कल्याण निहित था। प्रारम्भिक वर्षो मे यह सकल्पना काफी सफल रही, परन्तु हाल ही के वर्षो मे सोवियत सघ के विघटन बाद इस सकल्पना का महत्व नगण्य हो गया है। गहराई से विश्लेषण कर देखा जाय तो मार्क्स की सकल्पना अप्रासगिक नही हुई, बल्कि उसको लागू करने वाला तत्र असफल हुआ है। इस सकल्पना के असफलता के परिणामस्वरूप पूजीवादी विकास मॉडल सफल हो रही है, परन्तु दीर्घकालिक परिणामो को देखते हुए सभव है कि मार्क्स की भविष्यवाणी कि पूजीवाद का अतिम विकल्प ही समाजवाद है।

ये दोनो सकल्पनाये महायुद्ध की समाप्ति के बाद नव स्वतत्र देशो के सम्मुख थी। अधिकाश देशो ने पूजीवाद अपनाया जबकि कई देशो ने इन दोनो

मॉडलो को अपनाया। इन देशो मे निश्चित रूप से राष्ट्रीय आय मे वृद्धि हुई लेकिन उत्पादन का एकत्रीकरण कुछ विशेष क्षेत्रो और केन्द्रो के सन्दर्भ मे रहा। इन देशो मे विकसित और अविकसित के मध्य असमानता की खाई चौडी होती गई। शीघ्र ही समझा गया कि विकास का तापर्य केवल आर्थिक विकास नही है। आर्थिक विकास सामाजिक–आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण अग है। छठवे और सातवे दशक के मध्य विकास की सकल्पना मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इरा समय आर्थिक विकारा को मानव कलयाण से जोडा गया और यह प्रतिणादित किया गया कि आर्थिक विकास सम्पूर्ण विकास का एक केन्द्र है, परन्तु इरामे मानव समाज को विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए।

1.5 विकास की नवीन संकल्पना :

प्राचीन सकल्पनाओ के दुष्परिणाम स्वरूप ही वर्तमान मे इस सकल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। इस सकल्पना के मतानुसार आर्थिक विकास का एक मात्र उद्देश्य आर्थिक वृद्धि ही नही होना चाहिए, बल्कि इस विकास प्रक्रिया द्वारा आय और पूजी मे असमानता समाप्त करके ससाधनो और अवसरो का समान वितरण भी सम्मिलित होना चाहिए। विकास की नवीन सकल्पना मानव कल्याण परक सकल्पना है। विकास का अतिम उद्देश्य भी मानव कल्याण है। इस नवीन सकल्पना के अनुसार सम्पूर्ण मानव समाज को उनकी मूलभूत आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, समाहित होना चाहिए। मूल सकल्पना क्षेत्रीय और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित है। क्षेत्रीय और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए रोजगार अवसरो मे वृद्धि, अतिरिक्त आय के अवसर, शिक्षा स्वास्थ्य, पोषण, आवास, मानव कल्याण की सुविधाओ मे अभिवृद्धि जैसे घटक भी वर्तमान सकल्पना मे समाहित है। इस प्रकार विकास समाज के गुणात्मक, मात्रात्मक और सरचनात्मक प्रत्यावर्तन से राम्बन्धित है, और प्रत्यावर्तन की यह प्रक्रिया आर्थिक वृद्धि के साथ–साथ चलनी चाहिए। मोरवेत्ज ने मत व्यक्त किया है कि अब विकास का तात्पर्य प्रति

व्यक्ति आय मे वृद्धि ही नही, बल्कि ऐसे उद्देश्य निर्धारित हो जिससे गरीबी मे कमी हो, आय के समान वितरण मे वृद्धि, रोजगार के अवसरो मे वृद्धि तथा आधारभूत सुविधाओ मे वृद्धि हो। ऐसे तत्व एक राष्ट्रीय स्तर पर न होकर छोटे स्तर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर हो तो विकास किया जा सकात है। विकास का अर्थ केवल सड़के, मकान और कृषि उत्पादन मे वृद्धि नही है। ये तत्व विकास प्रतिरूप के सरचनात्मक तथ्य है, और वास्तविक विकास इस सरचनात्मक परिवर्तन से अलग हटकर है। एक तरह से मानवीय निवास्य के सम्पूर्ण प्रत्यावर्तन से है। सिह[27] ने मत व्यक्त किया है कि ग्रामीण निवास्य मे प्रत्यावर्तन किया जाना चहिए जिससे अर्थव्यस्था मे प्रत्यावर्तन होगा, साथ ही ग्रामीण निवास्य के पारिस्थौतिकीय एव पर्यावरणीय परिवर्तन होने से सभी प्रखण्डो मे समन्वयन होगा। नवीन सकल्पना के अनुसार समाज के प्रत्येक वर्ग को ससाधनो और विकास सुविधाओ का समान अवसर दिया जाना चाहिए। इस तरह के विकास मे सामाजिक, सास्कृतिक, राजनैतिक मानवीय और आर्थिक आयाम सभी का महत्व समान है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विकास की नवीन प्रवृत्तिया विकसित हुई है –

1 आर्थिक विकास प्रक्रिया मे उत्पादन के साथ–साथ वितरण को सम्मिलित करके न्यायोचित वितरण पर बल दिया गया है।

2 समन्वित विकास हेतु ससाधनो एव तकनीको के सर्वसुलभता का गुण भी समाहित है।

3 सामाजिक न्याय वर्तमान विकास का केन्द्र बिन्दु है।

4 विकास प्रक्रिया को स्वत प्रवर्तिक न मानकर इसे नियोजन और निर्देशन की प्रक्रिया माना है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि समय, क्षेत्र और मनुष्य के अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्धो के कारण ही विकास की सकल्पना मे परिवर्तन होता रहा है। अविकसित और पिछडे समाज के विपरीत विकसित समाज के सन्दर्भ मे इसकी सकल्पना अलग–अलग है क्योकि दोनो की आवश्यकताओ एव क्षमताओ मे पर्याप्त अन्तर मिलता है। इसलिये सामाजिक प्रत्यावर्तन के साथ ही साथ विकास की सकल्पना भी परिवर्तित होती गयी है और भविष्य मे भी होती रहेगी।

1.6 संविकास की संकल्पना :

किसी भी क्षेत्र का विकास स्तर मनुष्य और उसके वातववरण के सम्बन्ध पर निर्भर करता है। मनुष्य के क्रियाकलाप तथा वातावरण से परस्पर सम्बन्ध के परिणामस्वरूप ही कोई समाज या क्षेत्र विकसित या अविकसित कहलाता है। प्राचीन विचाधारा यह थी कि मानव क्रियाकलाप प्राकृतिक वातावरण द्वारा नियन्त्रित होता है। ससार के विभिन्न भागो मे एक समान प्राकृतिक वातावरण मे एक प्रकार की मानव अनुक्रिया व विकास होने की आशा की जाती थी, किन्तु विज्ञान व प्रौद्योगिकी मे विकास होने से यह ज्ञात होने लगा कि प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रभावित सीमाओ को पार किया जा सकता है। विज्ञान एव प्रौद्योगिकी के हथियार से मानव ने विकास के अनेक द्वार खोल दिये। इस क्रातिकारी विकास से पारिस्थैतिकी तत्र असतुलित नजर आ रही है।

विकास की कोई अन्तिम सीमा नही है। विकास की न्यूनतम सीमा तो आधरभूत सुविधाओ को पूरा करने तक मान सकती है परन्तु ऊपरी सीमा अदृश्य है इसी अदृश्य सीमा को प्राप्त करने के लिये पश्चिमी समाज ससाधनो का अधाधुध शोषण करके पर्यावरण सतुलन को विकृत कर रहा है। इसके प्रतिकार के लिये ही सविकास की सकल्पना का अस्तित्व सामने आया। इस प्रकार सविकास या शाश्वत् विकास विकास की भौगोलिक सकल्पना है जिसमे मानवीय और पारिस्थैतिकीय तत्वो के अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धो को इस प्रकार

व्यवस्थित एव नियोजित करने पर बल दिया जाता है जिससे आर्थिक विकास प्रतिरूप वर्तमान की आवश्यकताओ को पूरा करते हुये आगामी पीढियो की आवश्यकताओ को पूर्ण कर सके।[28] सातवे दशक के अन्त मे और 1992 मे हुए पृथ्वी सम्मेलन से इस सकल्पना को व्यापक आधार मिला है। यह सकल्पना भूगोल विज्ञान के अभिन्न अग के रूप मे परम्परागत रूप से रही है, क्योकि भूगोल पहले से ही मानव प्रकृति के परिवर्तनशील अन्तर्सम्बन्धो का अध्ययन करता रहा है। इसलिये विकास हेतु विभिन्न पर्यावरणीय तत्वो का मानव द्वारा इस प्रकार उपयेाग किया जाय कि पारिस्थैतिकीय सतुलन भी बना रहे और मानव अपना सतत विकास भी करता रहे। यह उत्पादन के कारको और उपभोग तत्वो के बीच सन्तुलन के स्तर की ओर इगित करती है। शाश्वतता के अन्तर्गत दो सकल्पनाये अन्तर्निहित है –

1.6.1 आधारभूत आवश्यकता की संकल्पना :

इसके अन्तर्गत माना जाता है कि मनुष्य की न्यूनतम मौलिक आवश्यकता पूर्ण करना ही विकास है। विभिन्न क्षेत्रो के मानव समाज मे कुछ मूलभूत आवश्यकताए समान रूप से है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि, लेकिन कई समाजो मे उपभोग की परिवर्तनशील प्रवृत्ति और उसको पूरा करने के लिए ससाधनो का अधाधुध शोषण जारी रहने पर ससाधनो मे ह्रास होगा और उनके दीर्घकाल तक बने रहने की सभावना भी कम होगी। इसलिये उपभोग के तत्वो पर नियत्रण अथवा उनका परिमार्जन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि विकास को प्रभावित करने वाला चर समाप्त न हो या उसका कोई दुष्प्रभाव न पडे।

1.6.2 प्राविधिक स्तर :

पश्चिमी यूरोप, अमेरिकी तथा अधिकाश देशो मे तकनीकी स्तर अत्यन्त उच्च स्तरीय है, जिससे वे कम लागत पर विभिन्न साधनो का शोषण

करके अपने उपभोग स्तर मे वृद्धि करते है, तथा अन्य देशो मे भी भेजते है, जबकि अन्य देश अपनी देशी व परम्परागत तकनीक के प्रयोग से धीरे—धीरे यही कार्य करते है। भौगोलिक रूप मे उत्पादन कार्यों के लिए इस प्रकारकी तकनीकी का प्रयोग होना चाहिए जिससे बिकास के अन्य चरो को हानि न पहुचे।

वातावरण का विनाश सिर्फ आर्थिक विकास के कारण ही नही वरन् अत्यधिक निर्धनता का फल है।[29] भारत मे पर्यावरण सरक्षण के क्षेत्र मे आने वाली समस्याये गरीबी व विकास के निम्न स्तर से जुडी हुयी है। हमारी विशाल आबादी और उसमे हो रही निरन्तर वृद्धि तथा विकास गतिविधियो के कारण पर्यावरण को जो क्षति पहुच रही है, वह इतनी अधिक है कि इसके लिये सीधे आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता है। पर्यावरण प्रबन्ध को अब भारत मे राष्ट्रीय विकास के लिये मार्ग निर्देशक तत्व के रूप मे स्वीकार कर लिया गया है। ज्ञातत्व है कि गरीबी व विकास का निम्न स्तर देश की कई पर्यावरण समस्याओ से जुडा हुआ है, यह तय किया गया कि इससे निपटने के लिये विकास दर मे वृद्धि करना ही सबसे अच्छी नीति रहेगी। एक ऐसा विकास जिससे लोगो को विशेष रूप से गरीबो को उनकी मूल आवश्यकताओ और बढती आकाक्षाओ की पूर्ति कर लाभ पहुचाया जा सके। लेकिन पर्यावरण समस्याओ की एक ओर श्रेणी उत्पन्न हो गयी है। वे समस्याये स्वय विकास की दिशा मे किये जा रहे प्रयासो का अनचाहा परिणाम है। पशुचारण और अधिक शस्योत्पादन से अर्थव्यवस्था का स्रोत नष्ट होता जा रहा है। ऊर्जा साधनो का औद्योगीकरण के कारण तेजी से ह्रास हो रहा है। परमाणु ऊर्जा से नि सृत रेडियोधर्मिता से जल व वायु प्रदुषित होकर मानव के लिये हानिकारक सिद्ध हो रहे है। अनियत्रित कृषि और तीव्र औद्योगीकरण से धरातल जल और वायु भी प्रदूषित हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार सन् 2000 तक विश्व की 50 प्रतिशत आबादी नगरो मे निवास करने लगेगी। इससे वर्तमान नगरो की समस्याओ मे वृद्धि तथा मलिन बस्तियो का फैलाव होगा।[30]

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि विकास एव पर्यावरण सरक्षण एक दूसरे के विरोधी है, किन्तु वास्तविक अर्थों मे ऐसा नही है। यू एन ई पी के महासचिव मुस्तफा कमाल तोल्वा के शब्दो मे, विगत 10–15 वर्षों मे वातावरण एव विकास के अन्तर्सम्बन्ध के प्रति हमारी अवधारणा मे क्रातिकारी परिवर्तन हुआ है। 1960 के दशक तक सामान्यतया यह माना जाता था कि वातावरण सरक्षण एव विकास एक दूसरे के प्रतिलोम है। यदि विकास करना है तो वातावरण की गुणवत्ता के ह्रास के रूप मे उसकी कीमत चुकानी पडेगी, अर्थात् बिना वातावरण की क्षति पहुचाये आर्थिक विकास असम्भव है, परतु अब यह महसूस किया जाने लगा है कि ये दोनो तत्व परस्पर प्रतिलोम नही वरन् अन्योन्याश्रित है। बिना वातावरण सरक्षण के विकास नही हो सकता और बिना विकास के वातावरण सरक्षण नही हो सकता विकसित देशो मे पर्यावरण ह्रास का कारण विकास की देन है, जबकि अल्पविकसित देशो मे इसका कारण गरीबी है – विकसित राष्ट्रो मे पर्यावरणीय समस्याओ को हल करने की क्षमता है, जबकि अल्पविकसित देश ऐसा करने मे अक्षम है। अतएव विकास एव पर्यावरण सरक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू है। यही सविकास की अवधारणा है। सविकास का अर्थ है – मानव समाज की विद्यमान मौलिक आवश्यकताओ की पूर्ति को बिना भावी पीढियो की मौलिक आवश्यकताओ की पूर्ति की क्षमता को किसी प्रकार नुकसान पहुचाये, सुनिश्चित करना। सक्षेप मे सविकास ऐसा विकास है, जो सामाजिक दृष्टि से वाछित, आर्थिक दृष्टि से सतोषप्रद एव पारिस्थितकी दृष्टि से पुष्ट हो।[31]

1.7 विकास की गांधीवादी संकल्पना :

20वी शताब्दी के आरम्भ से ही महात्मा गाधी ने दक्षिणी अफ्रीका मे अर्जित अपने अनुभव का व्यावहारिक प्रयोग भारत मे किया। यदि सम्पूर्ण गाधी वाङमय का अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होने भी विकास एव नियोजन की एक सकल्पना प्रस्तुत की। यह एक देशज सकल्पना है जो

भारत एव पडोसी देशो पर तो खरी उतरती ही है, सभी विकासशील देशो पर लागू होती है। आर्थिक विकास की सकल्पना को व्यवहारिक रूप मे लागू करने का प्रयास महात्मा गाधी ने चम्पारण (बिहार) से आरम्भ किया और द्वितीय महायुद्ध तक अपने सम्पूर्ण अनुभव व कार्यों से अब तक विकसित आर्थिक विकास की सरचनाओ को सर्वथा नया मोड दिया। गाधी जी आर्थिक विकास को सम्पूर्ण मानव जीवन के सन्दर्भ मे तथा सबके कल्याण के दृष्टिकोण से देखते थे। गाधी जी ने आर्थिक विकास मे तीन मूलभूत तथ्य स्पष्ट किये –

1 पूर्ण रोजगार,

2 सादा जीवन, उच्च विचार,

3 साधन शुद्धि।

1.7.1 पूर्ण रोजगार :

गाधीजी जी के आर्थिक नियोजन का प्रथम सिद्धात हे कि सभी कार्य कुशल व्यक्तियो को रोजगार प्रदान करना राज्य का दायित्व है। यदि कुछ को अल्पावधि मे रोजगार नही मिलता है तो राज्य को उन्हे बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। इस तरह गाधी जी ने कार्य करने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। विकास का मूलाधार भी यही है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अवसर मिलता है तो वह अपना विकास स्चय कर सकता है। गाधी जी मशीनो के आविष्कारो के विराधी नही थे, परन्तु उनका मानना था कि यदि मशीनीकरण से बेरोजगारी बढती है, तो मशीनीकरण गलत है। वह यह मानते थे कि विकास का केन्द्र बिन्दु मनुष्य है। मशीन मनुष्य की सेवा के लिये होनी चाहिए। उनके अनुसार "मनुष्यात् श्रेष्ठतर हि किच्चित्"[32] अर्थात् मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नही है। उन्होने देश मे निचले स्तर तक विकास हेतु खादी के उत्पादन और उसके विपणन पर बल दिया। गाधीजी ने पूर्ण रोजगार हेतु चरखा एव ग्रामोद्योग पर बल दिया।

गुन्नार मिर्डल भी गाधीवादी नियोजन के पक्षधर थे। उन्होने भारतीय योजना आयोग के साथ कार्य करते हुए यह माना था कि भारतीय परिस्थितियो मे वृहद उद्योगजन्य प्रसार प्रभाव से रोजगार सृजन नही होगा। उसके साथ आने वाला बैकवाश प्रभाव कार्य के प्रसार को शिथिल कर देते है। अत ग्रामोद्योग को औद्योगीकरण के साथ चलने देना चाहिए।

1.7.2 सादा जीवन उच्च विचार :

सन् 1944 मे विकास की गाधीवादी योजना मे इसका उल्लेख हुआ। गाधीजी सम सीमान्त उपयोगिता के सिद्धात को महत्व देते थे। उनके मतानुसार किसी वस्तु का उपयेाग इस तरह करना चाहिए कि उस उपयोग से मिलने वाला सन्तोष बराबर मिलता रहे। उनका मानना था कि मनुष्य धन से कभी सन्तुष्ट नही होता। अत भौतिक और नैतिक समृद्धि का सन्तुलन होना चाहिए। गाधी जी के अनुसार मनुष्य के लिये दो बाते महत्वपूर्ण है –

अ जीवन स्तर,

ब रहन राहन का स्तर।

जीवन विकास का स्तर भौतिक एव आध्यात्मिक मूल्यो पर आधारित है। रहन–सहन का स्तर भौतिक जीवन स्तर का आधार है। आवश्यकताओ पर स्वैच्छिक सयम होना चाहिए। प्रो गालब्रेथ का कथन था कि अमेरिकी विकास पद्धति से अर्थ साम्राज्य पनपा है। राजनीति अर्थ से दब रही है। अत आध्यात्मिक एव नैतिक मूल्यो पर बल देना चाहिए, जो कि भारतीय कृषक समाज की विशेषता है।

1.7.3 साधन शुद्धि :

गाधी जी गरीबी उन्मूलन हेतु स्वच्छ एव पवित्र साधन अपनाने पर बल देते थे। गरीबी उन्मूलन सर्वोदय का नाम है। सर्वोदय एक सम्पूर्ण दर्शन है।

(अ) सत्य अहिसा एवं विकास : गाधीवादी विकास की सकल्पना मे सबको विकास का समान अवसर प्रदान करने की भावना निहित है। गाधी जी के अनुसार यदि कही शोषण विद्यमान है, तो वह मानवता का शत्रु है तथा सत्य और अहिसा की हत्या करता है। सत्यपरायण, अहिसक और शुद्ध हृदय वाले समाज ही विश्व मे समाजवाद की स्थापना कर सकते है। जबकि शोषण हिसा को जन्म देता है। हिसा अन्याय का विकास करती है और अन्याय से समाज मे अराजकता फैलती है। इसलिये अहिसा के माध्यम से लाया गया समाजवाद ही स्थायी हो सकता है।

(ब) अपरिगृह समत्व व विकास · गाधी ने पूजीवाद और मार्क्स के समाजवादी विकास मॉडलो की कमजोरियो का अध्ययन करके ही अपनो ट्रस्टीशिप की नयी अवधारणा विकसित किया। उनकी इस अवधारणा मे गीता के अपरिगृह एव समत्व की भावना, कानून के ट्रस्टीशिप का अनूठा समन्वय मिलता है। यह सिद्धात अमीरो एव गरीबो के बीच असमानता कम करने का अहिसक साधन है। गाधी जी के अनुसार पूजीपति पहले मनुष्य है, पूजीपति बाद मे, इसलिये वे अपना धन जनता की धरोहर समझ कर खर्च करे। उनकी आवश्यकता के बाद जो धन बचता है, उस धन का उपयोग समाज हित और राज्य हित मे करना चाहिए। मार्क्स इसी पूजी अतिरेक को प्राप्त करने के लिये उत्पादन एव श्रम के अन्तर्सम्बन्धो के पुनर्गठन पर बल देते है, जबकि गाधी जी विचार एव हृदय परिवर्तन के द्वारा इरी पूजी अतिरेक की ट्रस्टीशिप के माध्यम से प्राप्त करने को राय देते है।

1.7.4 सर्वोदय एवं विकास :

सर्वोदय का उद्देश्य है एक साथ समान रूप से सबका उदय हो, यही सर्वोदय का उद्देश्य है। सर्वोदयी परिकल्पना के अनुसार सर्वोदयी समाज मे गरीब अमीर सर्वण हरिजन, ऊॅच–नीच का भेदभाव नही होगा। सभी लोग समान होगे। सम्पत्ति का लोभ ही वर्ग सघर्ष का कारण है। मार्क्स ने भी अपने

साम्यवादी घोषणा पत्र मे मानव मुक्ति की परिकल्पना की है। व्यावहारिक रूप मे गाधी ने हिन्द स्वराज्य मे उसकी व्याख्या की है। गाधी जी का यह सर्वोदय विकास मॉडल यद्यपि एक आदर्शवादी समाजवाद था और बिनोबा भावे ने भूदान के रूप मे इसका देशव्यापी प्रयोग भी किया, लेकिन तत्कालीन भारतीय सामाजिक, सास्कृतिक विसगतियो और राजनितिक तत्र के पश्चिमोन्मुख होने के कारण उनका यह प्रयोग सफल नही हो सका। विशेष रूप से स्वतत्र भारत के इतिहास मे साम्यवादी सरकारो ने और कुछ प्रान्तो मे काग्रेस के समाजवादी समूह ने भूमि सुधार को व्यावहारिक रूप दिया।

1.7.5 ग्राम स्वराज्य :

ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत के ग्राम परम्परागत रूप मे आत्मनिर्भर थे। उत्पादन एव श्रम का सामाजिक सास्कृतिक सम्बन्ध था।

गाधी ने इसी व्यवस्था को परिवर्तित रूप मे लाकर वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की कोशिश की जिसे हम सूक्ष्म स्तरीय नियोजन से जानते है, जो कि गाधी जी के स्वाराज्य विकास मॉडल से काफी मिलती जुलती है। गाधी जी के अनुसार श्रम पर आधारित समाज मे विषमता की भावना कम रहती है। ग्राम स्वराज्य मॉडल मे ग्रामीण ससाधनो के आधार पर ही स्थानीय आर्थिक क्रियाओ का विकास करके लोगो को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। इससे कृषि का भी विकास होगा। ग्रामीण कृष्येत्तर उद्योगो का विकास होगा और ग्रामीण जनता का नगरो की ओर पलायन रूक जायेगा। जिसका परिणाम व्यापक स्तर पर आर्थिक विकास के विकेन्द्रिकरण के रूप मे सामने आयेगा। इससे देश का सतुलित विकास होगा।

1.7.6 औद्योगीकरण और नियंत्रण की संकल्पना .

गाधी जी नियत्रित औद्योगीकरण को ही सामाजिक परिवर्तन का मूलाधार मानते है, वे तीव्र औद्योगीकरण को मानव प्रगति के प्रतिकूल मानते है।

उनका मत है कि विगत 200 वर्षों के औद्योगीकरण ने मानव और प्रकृति के अन्तर्सम्बन्धो को असतुलित किया है। औद्योगीकरण ने बहुत सी अवाछित वस्तुओ का निर्माण कर मानवीय आवश्यकताओ को विकृत किया है इसलिये गाधी जी ने यत्रीकरण की भी एक सीमा सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। खादी ग्रामोद्योग की सकल्पना गाधी के इसी चिन्तन का परिणाम है।

निष्कर्षत कहा जा सकता है कि गाधी जी की आर्थिक विकास की अवधारणा वर्तमान शाश्वत् विकास के अधिक निकट है। सभवत उन्होने आर्थिक विकास मे पूजी सचय की प्रवृत्ति और उसके दुष्परिणामो का पहले ही अनुभव कर लिया था, इसलिये वे सत्य, अहिसा व सर्वोदय द्वारा समाजवादी विकल्प का प्रयोग करना चाहते है।

1.8 विकास के निर्धारक तत्व :

प्राकृतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सस्थाये आर्थिक विकास के तीन आधारभूत प्राचल है, जिनके द्वारा विकास की दिशा तथा स्तर निर्धारित होता है। विश्व मे क्षेत्रीय आधार पर वितरित विभिन्न सस्कृति और सभ्यताए विभिन्न ससाधनो के शोषण के प्रति मानव की धारण, दृष्टिकोण राजनीतिक तत्र और ससाधनो के दोहन का उद्देश्य प्राकृतिक तत्वो की अपेक्षा अधिक सशक्त रूप से विकास की असमानता को स्पष्ट करते है। प्राकृतिक तत्व तो निर्जीव रूप से स्थिर है, मानवीय विशेषताए ही इन तत्वो को दोहन कर विकास प्रतिरूप के रूप मे सामने लाती है इसलिये भूगोल मे आर्थिक विकास के निर्धारको मे प्राकृतिक तत्वो से अधिक महत्व मानवीय तत्वो को दिया जाना चाहिए। हार्टशोर्न के अनुसार क्षेत्रीय आधार पर अन्तर इन्ही तत्वो के कारण उत्पन्न होता है। विकास स्तर के निर्धारण से सम्बन्धित एडेलमैन तथा मौरिश[11] ने राजनतिक तथा सामाजिक विषयो से सम्बन्धित 41 सूचको का प्रयोग किया है।

वर्तमान समय मे विकास का मुख्य उद्देश्य सामाजिक परिस्थिति मे निरन्तर वृद्धि करना है। इस वृद्धि को किसी समाज की आवश्यकता वस्तुओ के प्रयोग यथा शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार तथा प्रति व्यक्ति आय के स्वर से ज्ञात किया जा सकता है। इन्ही तथ्यो को ध्यान मे रखकर हैगन[34] ने समाज एव व्यक्ति के कल्याण से सम्बन्धित 11 सूचको का प्रयोग विकास के स्तर को निर्धारित करने मे किया है। सयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास शोध सस्थान ने सोलह सूचको को विकास के स्तर निर्धारण मे उचित बताया है। बेरी[35] ने 1960 मे आर्थिक विकास के विश्लेषण मे परिवहन, ऊर्जा का प्रयोग, कृषि उत्पाद, सचार, व्यापार, जनसख्या तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्रमुख सूचको के रूप मे प्रयुक्त किया है। चूकि मानव की इच्छाओ, आवश्यकताओ और उसकी क्षमताओ मे पर्याप्त वैभिन्नता है इसलिये विकास प्रतिरूप मे भी विभिन्नता मिलना स्वाभाविक है। अत अन्तरर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय अथवा मानवीय समूह यहा तक कि व्यक्तिगत स्तर पर भी विकास का अलग–अलग अर्थ निकलता है। मालकम आदिशेषैया का मत है कि एक पूर्ण विकसित औद्योगिक समाज और पारम्परिक समाज मे विकास का अभिप्राय अलग–अलग होता है क्योकि दोनो समाजो के मनुष्यो की आवश्यकताये, इच्छाये जीवनयापन का ढग प्राविधिक स्तर अलग–अलग प्रकार के है। आवश्यकताओ एव इच्छाओ मे यह अन्तर विकास हेतु भी विभिन्न प्रकार की तकनीक पर आधारित है। यह प्रविधि भी क्षेत्र विशेष की भौतिक सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियो पर आधारित होती है। प्राकृतिक तत्वो के अतिरिक्त भौतिक और अभौतिक तत्व समन्वित रूप मे क्षेत्र के विशिष्ट विकास प्रतिरूप को निर्धारित करते है। भौतिक तत्वो मे परिवहन, वित्त, शक्ति के साथ–साथ, कच्चे माल है, जबकि अभौतिक तत्वो मे श्रम, विपणन आदि है। ये तत्व मिलकर किसी क्षेत्र के विकास प्रतिरूप को निर्धारित करते है।

उपर्युक्त विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलता है कि –

1 विकास की सकल्पना आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सन्दर्भों मे एक देश से दूसरे देश, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक समाज से दूसरे समाज तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सन्दर्भ मे अलग–अलग होती है।

2 क्षेत्र विशेष मे विद्यमान राजनीतिक तत्र विकास को निश्चित दिशा देकर उसे नियोजित करते है।

3 किसी क्षेत्र के ससाधन आधार ही विकास के एकमात्र कारण नही, बल्कि मानवीय तत्वो की प्रकृति एव प्रतिरूप भी अधिक उत्तरदायी है।

4 विकास की सकल्पना गत्यात्मक है। अविकसित और पिछडे समाज के विपरीत विकसित अथवा औद्योगिक समाज के सन्दर्भ मे इसकी सकल्पना अलग–अलग है क्योकि दोनो की क्षमताओ एव आवश्यकताओ मे पर्याप्त अन्तर मिलता है इसलिये सामाजिक प्रत्यावर्तन के साथ ही साथ विकास की सकल्पना भी परिवर्तित होती जाती है।

5 विकास का सर्वप्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण है और यह मानव कल्याण भी सम्पूर्ण मानव समुदाय के सन्दर्भ मे होना चाहिए इसलिए असमानता के न्यनूतम स्तर तक ही विकास की सकल्पना उपयुक्त एव प्रासगिक है।

1.9 विकास के सिद्धांत :

विकास की प्रक्रिया जटिल है। इसलिये विभिन्न समाजशास्त्रियो, मनोवैज्ञानिको, अर्थशस्त्रियो तथा जीवविज्ञानियो ने विकास से सम्बन्धित भिन्न–भिन्न मॉडल और सिद्धात प्रस्तुत किये है। वास्तविक जगत् की परिस्थितिया इतनी जटिल होती है कि उन्हे किसी मॉडल या सिद्धात, विशेष के अन्तर्गत पूर्णतया विवेचित नही किया जा सकता। फिर भी मॉडल विकास प्रक्रिया मे निहित प्रमुख कारको या घटको का महत्वाकन करने के कारण सार्थक होते है। आर्थिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण मॉडलो की सक्षिप्त व्याख्या समीचीन प्रतीत होती है।

1.9.1 विकास के शास्त्रीय मॉडल :

विकास के इन मॉडलो मे प्राय अधिक उत्पादन वृद्धि से अधिक आय और अधिक बचत तथा अधिक निवेश प्रक्रिया का बोध होता है। इसमे अत्यधिक उत्पादन तथा पूजी सचय को ही विकास का लक्ष्य माना गया है। विकास का शास्त्रीय मॉडल रिकार्डो, एडम स्मिथ, हैरोड डोमर आदि विद्वानो के विकास सिद्धात पर आधारित है।

रिकार्डो ने[16] भूमि को विकास प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण ससाधन माना है। भूमि ससाधन विकास प्रक्रिया की निर्दिष्ट और साथ ही परिसीमित भी करती है, क्योकि भोजन सामग्री और उनकी कीमते उनके द्वारा निर्धारित होती है। अन्तत श्रम की आपूर्ति भी इसी कारण निर्धारित होती है। रिकार्डो के सिद्धात मे तकनीकी उन्नत पूजी व श्रम जैसे उत्पादन कारको द्वारा प्रतिस्थापना व्यवस्था का उल्लेख नही है।

हैरोड डोमर सिद्धात मे भी आर्थिक विकास को बचत तथा पूजी उत्पादन के अनुपात का प्रतिफल माना गया है जिसमे पूजी वृद्धि ही विकास की कुजी है। श्रम की आपूर्ति को पूजी की आनुपातिक वृद्धि के सथ ही बाध दिया गया है, लेकिन ऐसा तभी सभव है जब पूजी व श्रम की वृद्धि दर समान हो।

उपर्युक्त शास्त्रीय मॉडलो के अतिरिक्त मीड का केनसोत्तर कालीन नव शास्त्रीय मॉडल, रार्बट सोलो का केनसोत्तर दीर्घकालीनवृद्धि का नवशास्त्रीय मॉडल काल्डर का विकास वितरण का सयुक्त मॉडल, भी उल्लेखनीय है। इन विद्वानो ने ऐसे सिद्धाने की खोज शुरू की, जिनमे पूजी व श्रम दोनो का परिवर्तन सभव हो।

1.9.2 आर्थिक विकास के नये सिद्धांत :

कीबिल[17] के अनुसार अर्थशास्त्रीयो द्वारा निर्मित आर्थिक विकास के मॉडलो का मुख्य दोष रहा है कि इनसे आर्थिक विकास मे व्याप्त क्षेत्रीय

रोस्टव का अवस्थापरक सिद्धांत
1
पाररपरिक समाज
1 1
2
उत्थान की पूर्व दशाय
2 2
3
उत्थान काल
3 3
4
प्रौढावस्था म प्रवेश
4
5
उच्च सामूहिक
उपभोग स्तर
5
दशकीय अवधि

चित्र 1 2

असमानताओ का स्पष्टीकरण नही हो पाता है। आर्थिक विकास के सामान्यीकरण द्वारा अर्थशास्त्रियो ने भले ही भविष्येक्षण प्रतिपादित किया, लेकिन वास्तविक अर्थों मे वे एक ही क्षेत्र या देश मे आर्थिक विकास की असमानताओ को समझाने मे सहायक नही हो पाये है इसलिये 6वे तथा 7वे दशक मे अर्थशास्त्रियो ने स्थानिक सदर्भो वाले मॉडलो का प्रतिपादन किया जिनमे अवस्थापरक सिद्धात, सतुलित विकास मॉडल सचयी कार्योत्पादन सिद्धात तथा विकास ध्रुव मॉडल आदि उल्लेखनीय है। इन सिद्धातो मे तकनीकी प्रगति, शिक्षण–प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एव अन्य रूपो मे मानव सस्कृति के विकास मे पूजी ससाधन विनियोग, प्रशासनिक क्षमता मे वृद्धि, बडे पैमाने के उत्पादन, सरकारी नीति आदि अनेक तथ्यो को ध्यान में रखकर अलग महत्वाकन भी किया गया है। उपर्युक्त सिद्धातो मे भौगोलिक दृष्टिकोण से उपयुक्त कुछ प्रमुख सिद्धातो की व्याख्या निम्नवत् है –

1.9.2 अवस्थापरक सिद्धांत :

19वी शताब्दी के अन्त से ही जर्मन अर्थशास्त्रियो ने ऐसे मॉडलो का प्रतिपादन किया है। इन सिद्धातो मे विनिमय आधारित आर्थिक विकास के विभिन्न चरणो वाला हिल्डर बौन्ड का मॉडल, लिस्ट का दास–पशुचारण–कृषि–उद्योग व्यापार आदि चरणो वाला स्तर मॉडल उल्लेखनीय है। ये मॉडल किसी देश के क्रमिक विकास अवस्थाओ के द्योतक है।

(अ) रोस्टोव का आर्थिक विकास का अवस्थापरक सिद्धात

इस प्रकार के अवस्थापरक सिद्धातो मे रोस्टोव[38] का अवस्थापरक सिद्धात अधिक वैज्ञानिक हे। उनका यह सिद्धात विशेषत तकनीकी नवीनताओ को दृष्टिगत रखते हुये किसी प्रदेश मे सामयिक आर्थिक वृद्धि का विश्लेषण करता है। रोस्टोव ने किसी क्षेत्र के विकास की निम्न पाच अवस्थाओ का निरूपण किया है। (चित्र 1 2)

क रूढिवादी समाज,

ख ऊपर उठने की पूर्व अवस्था,

ग ऊपर उठने की अवस्था,

घ चरमोत्कर्ष प्राप्त करने की अवस्था तथा

ड. अधिकतम उपभोग की अवस्था।

प्रथम अवस्था मे इन्होने परम्परागत समाज की कल्पना किया है जिसका प्रधान व्यवसाय निर्वाहन कृषि है तथा सभावित साधनो की खोज नही हो पायी है। कुछ दशको के बाद ऊपर उठने के पूर्व की अवस्था आती है, जबकि आर्थिक वृद्धि तेजी से होती है और व्यापार विस्तृत होता है। बाह्य प्रभाव के कारण परम्परागत तकनीको के प्रयोग के साथ—साथ नवीन तकनीको का प्रयोग भी प्रारम्भ हो जाता है। तृतीय अवस्था ऊपर उठने की अवस्था आती है, जब प्राचीनता का प्रतिस्थापन नवीनता द्वारा हो जाता है, तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त समाज का जन्म होता है, जिससे अनेक औद्योगिक इकाइयो की स्थापना होती है। राजनीतिक एव सामाजिक सस्थाओ मे परिवर्तन होने लगता है, तथा स्वय पोषी एव स्वय सेवी वृद्धि प्रारम्भ हो जाती है। चतुर्थ अवस्था मे समाज अत्यधिक सुसगठित हो जाता है तथा पूजी बढने लगती है। कुछ पुरानी औद्योगिक इकाइयो का समापन नयी औद्योगिक इकाइयो की स्थापना के कारण होने लगता है। वृहत नगरीय क्षेत्र विकसित होने लगते है तथा यातायात सचार व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो जाता है। चौथी अवस्था का चरमोत्कर्ष पाचवी अवस्था है, उत्पादकता प्रचुर मात्रा मे बढ जाती है, तकनीकी व्यवसाय मे वृद्धि होने लगती है तथा भौतिकता मे वृद्धि के साथ ससाधनो का वितरण सामाजिक कल्याण हेतु होने लगता है।

इस सिद्धात मे पूजी निर्माण विधि की व्याख्या की गयी है, किन्तु पाच अवस्थाओ के अन्तर्सम्बन्ध को स्थापित करने वाले तत्र की व्याख्या नही की गयी

गुन्नार मिरडल का संचयी कार्योत्पादन सिद्धांत

है। रोस्टोव का मॉडल आर्थिक निश्चयवाद का प्रदर्शन करता है। इनका सिद्धात साधारण तथा विकसित देशो के विश्लेषण मे बहुत अधिक उपयोगी है, किन्तु विकाशील देशो के विश्लेषण मे यह प्रक्रिया सदिग्ध है। तृतीय विश्व के कई देश प्रथम तीन अवस्थाओ मे आते है।

(ब) मिरडल का सचयी कार्योत्पादन सिद्धात

मिरडल[10] ने 1956 मे विकास सम्बन्धी सचयी कार्योत्पादन सिद्धात प्रस्तुत किया (चित्र 1 3)। जिसके माध्यम से इन्होने बताया कि प्रादेशिक विभिन्नता आर्थिक विकास का स्वभाविक प्रतिफल होती है, क्योकि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को बिना हानि पहुचाये कभी भी विकास नही कर सकता है। इनके सिद्धांत से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास उन्ही स्थानो पर केन्द्रित होता है, जहा कच्चा माल एव शक्ति के साधनो की उपलब्धि आसानी से होती है। उनके अनुसार किसी स्थान पर एक बार विकास प्रक्रिया आरम्भ हो जाने पर कार्यो के सचयी प्रभाव केन्द्राभिमुखी शक्ति एव गुणक प्रभाव के कारण सतत् बढती जाती है। फलत. बढ़ती हुई औद्योगिक इकाईयो द्वितीयक प्रकार की औद्योगिक अवस्थापना को जन्म देती है, तथा केन्द्रीय प्रदेश का निर्माण होने लगता है। सामाजिक इकाईया इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है, जिससे स्वय पोषी आर्थिक वृद्धि होने लगती है। केन्द्रीय प्रदेशो की ओर अपेक्षतया निर्धन क्षेत्रो से ससाधनो का आकर्षण बढता जाता है, जिसे मिरडल ने 'बैकवाश प्रभाव' (प्रसार प्रभाव) कहा। इसके परिणाम स्वरूप अभिवर्धित केन्द्रित प्रदशे से फैलने वाले सभावित विकास को 'प्रसार प्रभाव' की सज्ञा दी, जिसके माध्यम से अन्तत सम्पूर्ण प्रदेश का विकास होता है।

मिरडल ने प्रसार प्रभाव प्रक्रिया के अर्न्तगत माना कि विकसित क्षेत्रो मे उत्पादित सामानो से पिछडे क्षेत्र के विपणन केन्द्र भर जाते है, और क्रमश इन सेवाओ से सम्बन्धित द्वितीयक एव तृतीयक क्रियाकलाप पिछडे क्षेत्र मे स्थापित होकर विकास प्रक्रिया को गति देते है। भारत जैसे देश मे 'प्रसार

प्रभाव' का प्रभाव मालवा क्षेत्र के सन्दर्भ मे देखा जा सकता है, अन्यत्र आर्थिक कार्यो का कही भी विकेन्द्रीकरण नही हुआ है। यह अवस्थापना तत्वो पूजी और सामाजिक तत्रो मे विषमता के कारण हुआ है।

इस प्रकार मिरडल ने विकास की तीन अवस्थाओ का निरूपण किया। प्रथम अवस्था को प्रारम्भिक औद्योगिक स्थिति कहा, जब प्रादेशिक असमानताये न्यूनतम होती है। द्वितीय अवस्था मे सचयी कारक सर्वाधिक प्रभावित होते है, जिससे प्रदेश विशेष अन्य प्रदेशो की तुलना मे तीव्र गति से विकसित होता है तथासंसाधनो के वितरण मे असन्तुलन बढने लगता है। तृतीय अवस्था मे निस्तारण प्रभाव के कारण स्थानिक विषमताये कम होने लगती है।

मिरडल महोदय के इस मॉडल की आलोचना इसके अत्यधिक गुणवत्ता को लेकर हुयी, जिसके कारण यह मॉडल वास्तविकता से परे हो जाता है। इसके बावजूद विकसित एव विकासशील राष्ट्रो के अन्तर को स्पष्ट करने मे यह मॉडल काफी सक्षम है[40], क्योकि अधिकाश विकसित अर्थतत्रो मे जहॉ परिवहन सचार व पूॅजी आदि की सुविधाये पिछडे क्षेत्रो मे है, वहॉ प्रसार प्रभाव की प्रक्रिया सभव हुयी है।

(स) हर्शमैन का अधोमुखी एव ध्रुवीकरण प्रभाव सिद्धान्त :

1958 मे हशमैन[41] ने अधोमुखी प्रभाव एव ध्रवुीकरण प्रभाव की प्रक्रिया का प्रतिपादन आर्थिक विकास मे क्षेत्रीय असमानता की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिये किया। उनके अनुसार विकास प्रक्रिया क्षेत्रीय रूप मे न होकर केन्द्रीय रूप में होती है। जब किसी केन्द्र पर कोई आर्थिक कार्य केन्द्रित होता है तो कालान्तर मे वहॉ कई आर्थिक कार्य सकेन्द्रित हो जाते है। इस तरह वहॉ आर्थिक विकास के तत्वो का केन्द्रीयकरण हो जाता है, ऐसा वहॉ से उपलब्ध सुविधाओ के कारण घटित होता है। पुन चतुर्दिक क्षेत्र से कच्चे माल, श्रम पूॅजी का वहॉ आगमन होने लगता है। इस तरह वहॉ आर्थिक कार्यो का ध्रुवीकरण हो जाता है।

कालान्तर मे जब वहॉ केन्द्रियकरण के कारण अनेक समस्याये खडी होती है तो बहुत से आर्थिक कार्य चतुर्दिक क्षेत्रो मे फैलने लगते है, यानि केन्द्र से वाह्य क्षेत्रो मे फैलने लगते है। यह प्रक्रिया अधोमुखी प्रभाव कही जाती है। यह प्रक्रिया केन्द्र से आय के अपसरण के प्रभाव के कारण घटित होती है। हर्शमैन का मत है कि जब ध्रुवीकरण के कारण आर्थिक विकास मे असन्तुलन पैदा हो जाता है तो पिछडे क्षेत्रो मे विकास को प्रोत्साहित करने वाली शक्तिया सतुलन स्थापित कर देती है। ये शक्तिया अधोमुखी प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। भारत जैसे विकासशील देश मे जहॉ सामाजिक, आर्थिक असमानताओ के साथ यदि सरकारी अहस्तक्षेप को स्वीकार किया जाय तो अधोमुखी प्रभाव या प्रसार प्रभाव नगण्य ही रहा है।

(द) फ्रीडमैन का केन्द्र–परिधि मॉडल

फ्रीडमैन ने मिरडल के दो प्रदेशो की आर्थिक विषमताओ के स्थान पर स्थानिक रूप से विषमताओ का वर्णन किया है तथा विश्व को गतिशील प्रदेश द्रुतगति से बढने वाले केन्द्रीय प्रदेश तथा अल्पगति से अग्रसर होने वाले या स्थैतिक प्रदेशो मे विभक्त किया है। फ्रीडमैन के अनुसार क्षेत्रीय विस्तार के विकास के स्तर के परिप्रेक्ष्य मे चार सकेन्द्रीय कटिबन्ध देखे जा सकते है[42]।

प्रथम–जिसकी अवस्थिति केन्द्रीय होती है–को इन्होने केन्द्रीय प्रदेश कहा है। यह प्रदेश का वह क्षेत्र होता है जहॉ नगरीय औद्योगीकरण उच्च स्तरीय तकनीक, विविध ससाधन तथा जटिल आर्थिक सरचना के साथ वृद्धि दर उच्च होती है। इस प्रदेश के परिधीय क्षेत्र मे विस्तृत केन्द्रीय प्रदेश से प्रभावित उध र्वोन्मुख मध्यम् प्रदेश होता है जहॉ ससाधनो का अधिकाधिक उपयोग होता है, जन प्रवास वृहत् पैमाने पर होता है तथा आर्थिक वृद्धि स्थिर होती है। तत्पश्चात् परिधीय विस्तार मे ससाधन युक्त सीमान्त प्रदेश होता है, जहॉ नूतन खनिजो की खोज एव विदोहन हेतु नवीन अधिवासो का विकास होता है, तथा उसकी सीमा से सवृद्धि की सभावनाये विद्यमान होती है। केन्द्रीय प्रदेश से सुदुरतम प्रदेश को

उन्होने अधोन्मुख प्रदेश कहा है, जहॉ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ नही होती है तथा कृषि उत्पादन न्यूनतम होता है जो प्राथमिक ससाधनो की समाप्ति तथा औद्योगिक सस्थानो की क्षीणता के कारण सम्पन्न होता है। गुन्नार मिरडल के सिद्धान्त की भॉति इस मॉडल का प्रयोग भी आर्थिक एव क्षेत्रीय विश्लेषण हेतु किया जा सकता है।

(इ) विकास ध्रुव सिद्धान्त

विकास ध्रुव सिद्धान्त का प्रतिपादन 1955 ई मे पेराक्स[13] महोदय ने की। पेराक्स ने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन आर्थिक जगत के सन्दर्भ मे की थी। उनका मत था कि आर्थिक जगत मे ऐसे ध्रुवो के प्रभाव क्षेत्र समाहित है, जिनकी ओर अभिकेन्द्रित शक्तिया आकर्षित होती है तथा जिनसे अपकेन्द्रीय शक्तियो का विसरण होता है। ऐसे ध्रुव ही भौतिक उद्योग है। जो सम्पूर्ण अर्थतत्र को गति प्रदान करते है। ऐसे उद्योग अग्रगामी तथा पश्चगामी औद्योगिक श्रृखला के माध्यम से सम्पूर्ण अर्थतत्र को गतिमान करते है। इस प्रकार इन ध्रुवो का प्रभाव क्षेत्र वहॉ तक विस्तृत होता है जहॉ तक इनसे श्रृखलाबद्ध उद्योगो का विस्तार होता है।

1966 मे बोदविले[14] ने इस सकल्पना को भौगोलिक क्षेत्र से जोडा। उन्होने किसी नगर या केन्द्र मे अवस्थित अग्रणी उद्योग समिश्र का विकास ध्रुव की सज्ञा दी। विकास ध्रुव नीति के अन्तर्गत समस्या वाले क्षेत्र मे एक या कई विकास ध्रुव चुन लिये जाते है और इन्ही केन्द्रो पर नयी—नयी सुविधाये उपलब्ध करायी जाती है। इस सिद्धान्त मे यह तर्क दिया जाता है कि सार्वजनिक व्यय अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होता है। विभिन्न सुविधाओ के पूजीभूत होने से वहॉ स्वत स्फूर्त विकास उत्पन्न हो जाता है। केन्द्रित अर्थव्यवस्था से अवस्थापनात्मक कारक यथा सडके, शक्ति, जल, स्वास्थ्य सुविधाओ आदि का विकास हो जाता है। इस सिद्धान्त मे दो कठिनइया है—प्रथम विकास ध्रुवो का

चयन कठिन है तथा द्वितीय राजनीतिक दबाव है। जिससे चयन प्रक्रिया और कठिन हो जाती है। बोदविले ने इन विकास ध्रुवो की पहचान प्रमुख केन्द्रीय बस्तियो के रूप मे किया है जिनमे दूसरे बस्तियो को प्रभावित करने की क्षमता होती है। उनके अनुसार उपलब्ध सुविधाओ की सख्या तथा क्षेत्रीय आकार मे इन केन्द्रो के विभिन्न स्तर होगे। इनमे सबसे बडा केन्द्र क्रमश अपने छोटे केन्द्र को प्रभावित करेगा तथा अविकरित क्षेत्र इन केन्द्रो से लाभ उठा सकेगे। फलत सम्पूर्ण क्षेत्र विकास परिधि मे आ जायेगा। विकास ध्रुवो से विकास की ऐसी क्रमबद्ध श्रृखला बन जाती है, जिससे सम्पूर्ण प्रदेश मे सतुलित विकास की गति मिलती है। इन्ही विशेषताओ के कारण नियोजको मे विकास ध्रुव सिद्धान्त काफी लोकप्रिय है। विकास ध्रुवो की स्थापना मे स्थान का चयन तथा सुविधाओ को उपलब्ध कराने मे धन की आवश्यकता कभी–कभी इस सिद्धान्त के क्रियान्वयन मे व्यवधान उत्पन्न कर देते है। वास्तव मे विकास ध्रुवो की उत्पत्ति का सहसम्बन्ध उरा क्षेत्र के माग व पूर्ति पर निर्भर करता है।

1.10. प्रादेशिक विकास :

विकारा का भौगोलिक परिप्रेक्ष्य ही प्रादेशिक विकास है। विकास किसी भी क्षेत्र के मानव के कालक्रम मे आर्थिक सामाजिक परिस्थिति की वह अवस्था है, जिसे हम निर्धारित मानको के आधार पर आकलित करते है। इस प्रकार विकास अधर मे नही होता है और विकास को मनुष्य के सन्दर्भ मे ही आका जाता है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानो की अपनी भिन्न सकल्पना, दृष्टिकोण एव उपागम है। इसलिए समाजशास्त्र मनुष्य के सम्बन्धो के श्रेष्ठता को विकास मान सकता है। अर्थशास्त्र आर्थिक प्रगति की अवस्था को विकास कह सकता है, जबकि भूगोल विकास के विभिन्न चरो का भू–विन्यास देखता है। इस तरह विकास के मापको का भू–वैन्यासिक प्रतिरूप ही प्रादेशिक विकास कहा जा सकता है। भौगोलिक रूप मे इसको परिभाषित करते हुये कहा जा सकता है कि 'प्रादेशिक विकास मानवीय क्षमता और प्राकृतिक तथ्यो के गत्यात्मक अन्तरक्रियात्मक

अन्तर्राम्बन्धो के परिणामस्वरूप घटित क्षेत्रीय सरचनात्मक प्रत्यावर्तन से सम्बन्धित है।[45]

महत्वपूर्ण तथ्य है कि सरचनात्मक परिवर्तन सम्पूर्ण विश्व मे समान रूप मे, घटित नही हुआ है, बल्कि मानव और प्रकृति के अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धो मे विविधता के कारण यह विविध रूपो मे समय और क्षेत्र के सन्दर्भ मे घटित हुआ है। जैसे प्राकृतिक ससाधनो की अनुकूलता और मानव की सकारात्मक अन्तरप्रक्रिया के परिणामस्वरूप जहॉ ससाधनो का अधिकतम सभव हुआ है, वहॉ अपेक्षाकृत अधिक सरचनात्मक प्रत्यावर्तन सभव हुआ। इसलिए ऐसे क्षेत्र या रामाज के लिये अधिक विकसित शब्द का प्रयोग हुआ। इसके विपरीत ससाधनो से परिपूर्ण परन्तु न्यूनतम मानवीय अन्तरक्रिया के परिणामस्वरूप भी विकास अत्यल्प होता है, तो वह उसके लिये अल्पविकसित शब्द का प्रयोग होता है। विकास सापेक्ष होता है और उसका मानक होता है, जिसके परिणामस्वरूप कोई क्षेत्र विकसित अथवा अविकसित होता है। यही कारण है कि विकास मे क्षेत्रीय असमानता मिलती है। भूगोल मे इसलिए विकास या आर्थिक विकास को प्रादेशिक विकास कहा जाता है।

1.11 प्रादेशिक विकास की आवश्यकता :

विश्व के विभिन्न भागो मे विकास का स्तर एव उससे सम्बन्धित अलग–अलग समस्याऍ है। अत प्रादेशिक स्तर पर ही इन समस्याओ का निराकरण करके विकास प्रक्रिया को गतिशील बनाया जा सकता है। जैसे पूर्ववर्ती औपनिवेशी देशो के समक्ष इनके स्वतत्रता के बाद इनकी अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ बनाने की समस्या प्रकट हुयी। सदियो तक इनकी अर्थव्यवस्था साम्राज्यवादी तत्र से सचालित होती रही थी। इसके अन्तर्गत इन देशो का अर्थतत्र एव भू–वैन्यासिक सगठन द्विधात्मक बन गया था। इसी प्रकार अत्यधिक विकसित प्रदेशो की समस्या उनके कोण क्षेत्रो की है। जो कि आर्थिक क्रियाकलापो को चुम्बक की तरह खीचते है। औद्योगिक सकुलता के कारण रोजगार की खोज

मे अन्य क्षेत्रो से इन केन्द्रो पर सघन जन–प्रवाह होता है। फलत यहॉ भीड–भाड, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिनका निदान औद्योगिक विकेन्द्रीकरण तथा वातावरण प्रदूषण कम करने की होती है। कुछ अविकसित क्षेत्र भी है जहॉ मानवीय अन्तरप्रक्रिया नगण्य होने के कारण वहॉ के ससाधनो का दोहन नही हो पाया है जैसे–साइबेरिया अलास्का। इस प्रकार विश्व स्तर पर विकास की अपनी अलग–अलग समस्याए है जिनका देश काल, परिस्थिति के अनुसार निदान कर विकास प्रक्रिया को आगे बढाया जाता है।

भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र मे राष्ट्रीय आय का मुख्य आधार कृषि है जिसमे कुल राष्ट्रीय कार्यशील जनसख्या का सर्वाधिक प्रतिशत सलग्न है। अधिकाश ग्रामीण जनसख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। यहॉ की विशाल जनसख्या की मुख्य समस्या न्यूनतम आवश्यकताओ की पूर्ति से सम्बद्ध है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ह्रासोन्मुख तथा अनेक जटिल समस्याओ से घिरी है। नगरीय केन्द्रो का विकास द्विधात्मक प्रादेशिक सरचना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के शोषक केन्द्र के रूप मे हुआ है। कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण जनसाधारण की क्रय क्षमता भी निम्नतम है। औद्यागिक विकास ने मात्र आर्थिक–सामाजिक विषमता को ही जन्म दिया है, क्योकि पूॅजी का केन्द्रीयकरण कुछ ही लोगो के हाथ मे रह गया है। अर्थतत्र के प्रखण्डो का असमन्वित विकास हुआ है। क्रमश तीव्र जनसख्या वृद्धि दर एव भ्रष्टाचार विकास कार्यक्रमो की असफलता के साधन है। अनेक विकासशील देशो मे भी राजनीतिक स्वतत्रता के बाद अविकसित क्षेत्रो की त्वरित विकास जनसमुदाय को गरीबी की दुश्चक्र से मुक्ति तथा आर्थिक विषमता को कम करने के लिए विकास को उद्देश्य स्वरूप अपनाया गया परन्तु ये राष्ट्रीय परियोजनाऍ क्रियान्वित होते हुए भी आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित न होने के कारण तथा असतुलित विकास रहने के कारण अपने लक्ष्य प्राप्ति मे असफल रही है। यद्यपि पूॅजी का विनियोग पर्याप्त मात्रा मे हुआ, फिर भी स्थानीय सहयोग तथा सस्थागत समन्वित प्रयास के अभाव तथा समाज के उच्च वर्गो का ससाधनो के अपने हित मे प्रयोग करने

के कारण योजनाओ को उनके लक्ष्य से दूर कर दिया गया। कुछ समय बाद लघु स्तर पर योजनाओ को लागू किया गया, किन्तु कुछ विशिष्ट क्षेत्रो का ही विकास सभव हो पाया जबकि अधिसख्यक भाग विकास प्रक्रिया से अछूते रहे और अनेक जटिल समस्याओ से अधिक ग्रस्त हो गये। इसका कारण शैक्षणिक, तकनीकी एव वैज्ञानिक शोध, स्वास्थ्य सेवाओ एव सुविधाओ के अभाव के कारण मानवीय दक्षता अत्यल्प है। निम्न जीवन–स्तर के प्रतिफल जीवन के नैराश्य के परिणामस्वरूप विकास कार्यक्रमो मे जनसाधारण की क्रियाशीलता का अभाव है। अत विकास की सकल्पना प्रादेशिक विकास के समन्वित एव सर्वागीण विकास से सम्बन्धित है। प्रादेशिक विकास मे क्षेत्रीय असन्तुलन को देखते हुए योजना आयोग ने ऐसी योजनाओ के इस तथ्य पर बल दिया कि प्रदेश विशेष मे निवसित वह जन सामान्य जो क्रियाशील विकास कार्यक्रमो से लाभ नही ले पाया है, विकास प्रक्रिया मे अवश्य आबद्ध हो सके। अनेक विकासशील देश तथा भारत मे भी इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सम्पूर्ण देश मे सामुदायिक विकास खण्डो के माध्यम से न्याय पचायतो की स्थापना की गई, लेकिन यह योजना भी प्रादेशिक विकास की एक सार्थक एव आधारभूत प्रणाली का निर्माण करने मे प्राय असफल रही है, क्योकि इसको लागू करते हुए भौगोलिक परिवेश विशेष मे क्षेत्रीय कार्यात्मक समन्वयन पर पूर्णत ध्यान नही दिया गया। फलस्वरूप ऐसी योजनाएँ अपने प्रभाव मे निष्फल रही है।

1.12 प्रदेशिक विकास का लक्ष्य :

प्रादेशिक विकास का मुख्य लक्ष्य मानव की मूलभूत आवश्यकताओ भोजन, वस्त्र, मकान शिक्षा एव स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित सेवाओ एव सस्थागत सुविधाओ का प्रावधान, स्थानीय स्तर पर सहयोग और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन तथा समाज के विभिन्न वर्गो को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना है। विकास प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सेवाओ एव सुविधाओ मे परिमाणात्मक एव गुणात्मक अभिवृद्धि करना है, जिससे उस प्रदेश मे निवसित मानव समुदाय

को बेहतर जीवन—स्तर दिया जा सके, तथा उत्पादक कार्य—कलापो के अवसर मे वृद्धि करके प्रादेशिक परिवेश को मानव कल्याण—परक बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार ऐसा परिवेश जो गुणात्मक जीवन स्तर प्राप्त करने तथा उसे बनाये रखने मे सहायक हो।[46] ऐसे गुणात्मक जीवन स्तर का अभीष्ठ है मनुष्य की शारीरिक—मानसिक क्षमता को बनाये रखने तथा उसमे वृद्धि हेतु उपयुक्त एव प्रेरक आर्थिक सामाजिक एव प्राकृतिक वातावरण। ऐसा वातावरण जिसमे जीवन की मौलिक आवश्यकताओ—पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की पूर्ति हो सके, वातावरण प्रदूषण मुक्त रहे तथा आर्थिक विकास के साथ—साथ सामाजिक न्याय का भी सयोग ही। अर्थात् न सिर्फ आर्थिक विकास उच्च स्तर का हो, जिससे रहन—सहन का भौतिक स्तर ऊँचा हो अपितु इस आर्थिक विकास के फलस्वरूप समाज के विभिन्न वर्गो मे बराबर भागीदारी हो। इस प्रकार विभिन्न देशो के भिन्न—भिन्न उद्देश्य हो सकते है। प्रादेशिक विकास का उद्देश्य प्रदेश विशेष की विद्यमान आर्थिक—सामाजिक दशा पर भी निर्भर करता है। जैसे—जहॉ आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाती हो अथवा जहॉ वातावरण प्रदूषण मुक्त रखना सर्वोपरि हो। वर्तमान विकास प्रक्रिया के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखण्डो मे समन्वय के अतिरिक्त कालिक एव क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य मे पर्यावरणीय समस्याओ का निदान सम्मिलित है।[47]

अत प्रादेशिक विकास प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के समन्वय पर आधारित होती है, जिसका परम उद्देश्य जन सामान्य को रोजगार के अवसर सुलभ कराना, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य मे उसे अभीष्ठतम जीवन स्तर हेतु विविध सेवाये एव सुविधाये उपलब्ध कराना, विकास कार्यो मे साधारण को क्रियाशील रखना तथा पर्यावरणीय सतुलन बनाये रखना है।

1.13 प्रादेशिक विकास मे अवस्थापना तत्वो की भूमिका·

किसी भी प्रदेश के विकास मे आधारभूत अवस्थावनात्मक तत्वो की अनिवार्यता के विषय मे सभी विद्वान एकमत है। अवस्थापनात्मक तत्व विकास के

आधारभूत कारक है, जिनके बिना अन्य तत्वो के रहते हुये भी विकास प्रक्रिया सम्भव नही है। जैसा कि प्रादेशिक विकास की परिभाषा से स्पष्ट है कि यह मानवीय क्षमता तथा प्राकृतिक तथ्यो के अन्तरक्रियात्मक सम्बन्धो का प्रतिफल है। किसी भी क्षेत्र विशेष के सन्दर्भ मे प्राकृतिक तत्व ससाधन रूप मे सर्वसुलभ होते है, परन्तु मानवीय क्षमता के फलस्वरूप ही उस प्रदेश विशेष मे गत्यात्मकता आती है। मानव प्रकृति से अन्तरक्रिया इन्ही अवस्थापनात्मक तत्वो के माध्यम से ही करता है, जो विकास के रूप मे क्षेत्र विशेष मे परिलक्षित होती है। अत प्रादेशिक विकास मे इनकी भूमिका निर्विवाद है।

प्रादेशिक विकास मे उल्लेखित अभीष्टतम लक्ष्य तक पहुँचने के लिये इन्ही अवस्थापनात्मक तत्वो के तत्र की आवश्यकता है, जो उत्पादकता मे अभिवृद्धि एव उसके समान वितरण के साथ एक ऐसे भूवैन्यासिक सगठन को मूर्तरूप प्रदान कर सके, जो बहुपक्षीय, आर्थिक, सामाजिक, प्रादेशिक एव पारिस्थैतिकी समन्वय स्थापित करते हुए क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता के आधार पर स्थायी विकास प्रक्रिया द्वारा गरीबी रेखा से नीचेजीवन यापन करने वाले जनसमूह को विकास की ओर उन्मुख कर सके। प्रो ग्रीनवाल्ड[48] का मत है कि किसी राष्ट्र के बेहतर एव अपेक्षाकृत पूर्ण व्यवस्थित अवस्थापनात्मक तत्वो द्वारा उसमे बेहतर एव अपेक्षाकृत प्रभावपूर्ण आर्थिक क्रिया को लाया जा सकता है। अत किसी अर्थव्यवस्था मे जितनी ही श्रेष्ठ आधारिक सरचना होगी, उतनी ही कुशलता–पूर्वक आर्थिक क्रियाओ मे अभिवृद्धि सुसचालन एव राष्ट्रीय विकास सभव होगा।[49]

अवस्थापनात्मक तत्वो के अन्तर्गत परिवहन, सचार, ऊर्जा आपूर्ति पेय जल एव सिचाई, पूजी एव ऋण सुविधा, शिक्षण एव प्रशिक्षण सस्थाओ, स्वास्थ्य सस्थाओ, सामाजिक सस्थाओ को स्वीकारा है। वर्शफील्ड मे अवस्थापनात्मक तत्वो के अन्तर्गत बाधो, शक्ति केन्द्रो, सडको, रेलमार्गो बन्दरगाहो एव सचार सुविधाओ को सम्मिलित किया है। प्रो सिह एव सिह[50] ने अवस्थापनात्मक तत्वो के अन्तर्गत आर्थिक विकास के सामान्य साधनो एव सुविधाओ जैसे पूँजी श्रम,

तकनीकी ज्ञान, शिक्षा, परिवहन एव सचार के साधन, शक्ति स्रोत, सिचाई व्यवस्था आदि को माना है।

इस प्रकार अवस्थापनात्मक तत्व जैसे पूँजी परिवहन एव सचार, प्राविधिकीय परिवर्तन ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन के साधन, विपणन केन्द्र आदि प्रादेशिक विकास मे अपना व्यक्तिगत महत्व रखते हुये समष्टिगत रूप मे अति प्रभावी होते है। अवस्थापना का प्रमुख अग पूँजी, समस्त आर्थिक कार्यकलापो एव अवस्थापनात्मक तत्वो के प्रतिष्ठापन का आधार होती है। विश्व की वर्तमान विनिमय आधारित अर्थव्यवस्था मे सचार साधनो का महत्व अधिक है। आर्थिक विशेषीकरण, वृहद पैमाने पर उत्पादन, उत्पादो का विक्रय व्यापारिक विकास तथा सामाजिक—सास्कृतिक समागम, भाषण, समाचारो योजनाओ, नीतियो आविष्कारो का विसरण, परिवहन एव सचार द्वारा ही सम्भव है। तकनीकी परिवर्तन विकास प्रक्रिया मे गतिशीलता लाते है। यदि प्राविधिक स्तर स्थिर हो जाय तो विकास प्रक्रिया मे स्थिरता आ जायेगी। प्रो शुम्पीटर ने तो 'नवप्रवर्तन' को ही आर्थिक विकास का एकमात्र निर्धारक तत्व माना है। तकनीकी परिवर्तन द्वारा ही उद्योग, कृषि, व्यापार आदि आर्थिक क्रियाओ, सामाजिक सास्कृतिक जीवन स्तर जनसख्या नियत्रण एव पारिस्थितिकी सतुलन आदि मे तीव्रतर परिवर्तन सम्भव होता है। ऊर्जा ससाधनो का विकास एव उपभोग काफी पहले से ही विकास का सूचक माना जाता रहा है, क्योकि ऊर्जा उत्पादन, उपभोग एव आर्थिक सामाजिक विकास मे अन्योन्य सम्बन्ध है। विक्रय केन्द्रो की सख्या, उनका भू—वैन्यासिक एव पदानुक्रमिक वितरण तथा समीपता विभिन्न उत्पादन एव उपभोग की प्रक्रिया एव स्तर को विकसित करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरजन एव पेयजल आदि की व्यवस्था मानव मे गुणात्मक विकास लाती है। अतएव यह सामान्य उक्ति है कि अधिक ससाधनता मानव मे है न कि अवस्थापनात्मक तत्वो मे। मानव ही विभिन्न तत्वो के शोषण एव विकास सम्बन्धी वरीयता को निर्धारित करता है तथा सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओ एव सगठनो का निर्माण करता है। ये सस्थाये मानवीय कल्याण के कार्यक्रमो का क्रियान्वयन

करती है। इसके अतिरिक्त सिचाई उर्वरक उन्नतशील बीज कीटाणुनाशक दवाओ का प्रयोग, जल निकास की व्यवस्था, बाध, भडारण की सुविधा, तथा वैज्ञानिक शोध सरथाओ द्वारा अन्वेषित आधुनिक तकनीक पर विकासशील अर्थतत्र की धुरी कृषि का विकास सम्भव होता है। समुन्नत कृषि ही समुन्नत औद्योगिक विकास हेतु आधार प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक तत्र का भी प्रादेशिक विकास पर प्रभाव पडता है।

विकासशील राष्ट्रो की आधारभूत समस्याये यथा गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक, आर्थिक विषमता आदि का निराकरण अवस्थापना तत्वो की पर्याप्त उपलब्धि, सम्यक वितरण एव अधिकाधिक उपयोग के द्वारा किया जा सकता है। इन राष्ट्रो मे व्यापक निर्धनता को दूर करने मे अवस्थापनात्मक तत्वो का निर्माण सहायक सिद्ध हुआ है। क्योकि इनके निर्माण से न केवल अशिक्षा और अकुशल श्रमिको की भारी सख्या मे आवश्यकता पडती है बल्कि प्रशिक्षित अभियन्ता, प्रशासक, व्यवस्थापक रख–रखाव हेतु अन्य लोगो की आवश्यकता पडती है। ग्रामीण क्षेत्रो मे नहरो, सडको एव अन्य निर्माण कार्य मे बेरोजगार ग्रामीण को वर्षपर्यन्त रोजगार के अवसर सुलभ होते है। प्रादेशिक विकास मे इस प्रकार रोजगार का निरन्तर सुलभ होना आधारभूत पूँजी का निर्माण करते है। निरन्तर आय प्राप्त होने से जनसमुदाय की क्रय क्षमता मे वृद्धि होती है। क्रयशक्ति वृद्धि होने से उपभोक्ता वस्तुओ की माग बढती है, इससे प्रदेश मे विविध विनिर्माण उद्योग आकर्षित होते है। इन उद्योगो की तथा इनके लिये अवस्थापनात्मक सुविधाओ की स्थापना से रोजगार के अवसर मे पुन वृद्धि होती है और विकास का चक्र आरम्भ हो जाता है। द्वितीयक एव तृतीयक सेवाओ का विकास होता है। तकनीकी एव प्रशिक्षण केन्द्रो का विकास होता है जिससे मानवीय क्षमता मे गुणात्मक वृद्धि होती है। छोटे–बडे विकास केन्द्रो का विकास होता है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रदेश का विकास सभव होता है।

1.14 समन्वित प्रादेशिक विकास :

प्रदेश विशेष का विकास करने की चिन्ता मे प्राय यह तथ्य विस्मृत हो जाता है कि प्रदेश विशेष समानान्तर एव उर्ध्वाधर अन्तर्सम्बन्धो द्वारा विभिन्न प्रदेशो से जुडा होता है। प्रदेश के विकास मे सातत्य तभी बना रह सकता है जब प्रदेश के अन्य प्रखण्डो का भी विकास होता रहे तथा उनसे प्रक्रियात्मक सम्बन्ध बना रहे क्योकि कोई भी प्रदेश विलग स्वतत्र इकाई नही होता। एक का विकास दूसरे की उपेक्षा करके नही किया जा सकता। त्वरित आर्थिक प्रगति के उत्साह मे प्राकृतिक ससाधनो का दोहन भी पारिस्थैतिकी सतुलन की अवहेलना करते हुए किया जाता है। अत औद्योगिक प्रगति के साथ वातावरण प्रदूषण तथा पारिस्थैतिकी भग जाने पर अनेक समस्याये उत्पन्न होती है। वातावरण का ह्रास होने से मानव के जीवन स्तर मे गुणात्मक ह्रास होने लगता है। अत प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अन्तर्सम्बन्धो मे समन्वयन की उपेक्षा नही की जा सकती[51]

भारत जैसे विकासशील देशो मे तीव्र आर्थिक विकास के लिये योजनाबद्ध रूप से पचवर्षीय योजनाओ को लागू किया गया। लेकिन स्वतत्रता के 50 वर्षो बाद भी आर्थिक विषमता बढती गयी। ग्रामीण क्षेत्रो मे गरीबी तथा बेरोजगारी बढती गयी है। पचवर्षीय योजनाओ के लागू होने से हुई विकास दर को जानने के लिए योजना आयोग ने 1976 मे 400 जिलो का सर्वेक्षण करवाया जिसमे 25 प्रतिशत जिलो मे वृद्धि दर नगण्य थी, जबकि 13–14 प्रतिशत जिलो मे वृद्धि दर एक से दो प्रतिशत थी। 1950–51 से 1980–1981 के बीच कुल राष्ट्रीय उत्पादन मे 3 5 प्रतिशत वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय मे 1 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।[52] विकासशील राष्ट्रो मे छठवे दशक के प्रारम्भ मे सामुदायिक विकास कार्यक्रमो की आर्थिक असफलता एव सातवे दशक मे उत्पादन मूलक कृषि विकास कार्यक्रमो के क्रियान्वयन से उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक विसगतियो से स्पष्ट हो चुका है कि ग्रामीण जनसख्या के विकास हेतु एक समन्वित प्रयास की आवश्यकता है।[53]

समन्वित विकास प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रदेश विशेष के कृष्येत्तर क्रियाकलापो मे अभिवृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रो एव नगरीय केन्द्रो के मध्य एक सक्षम अन्योन्यक्रिया के प्रवर्तन के साथ ही एक विकासपरक भू–वैन्यासिक सगठन के निर्माण को सम्मिलित किया जाता है।

1.15 समन्वित विकास की अवधारणा :

भारतीय अर्थतत्र अथवा विकासशील देशो की द्विधात्मक प्रादेशिक सरचना जो प्रमुखत औपनिवेशिकाल काल की विरासत है, स्वतत्रता के बाद और प्रखर हुयी है। इसका मुख्य कारण कृषि अर्थव्यवस्था पर समुचित ध्यान न देना है। तीव्र औद्योगीकरण तो हुआ है, परन्तु अब भी कुछ क्षेत्रो मे विकास प्रक्रिया नगण्य है। फलस्वरूप आर्थिक असमानता, गरीबी बेरोजगारी मे तीव्रतर वृद्धि हुई है। आर्थिक विषमता को दूर करने, गरीबी कम करने के लिये गरीबी उन्मूलन की योजनाबद्ध अपनाया गया, परन्तु क्रियाशील योजनाएँ अपने आर्थिक क्षेत्रो से सम्बन्धित तथा स्पष्टतया असतुलित रहने के कारण निर्धारित लक्ष्यो से बहुत दूर रही है, साथ ही अनियमितता पूर्ण रीति से विकास हेतु चयनित क्षेत्रो, वर्गो एव व्यक्तियो की स्थिति भी राष्ट्र या प्रदेश को त्वरित गति प्रदान करने की दिशा मे अक्षम रही है। यद्यपि की पर्याप्त मात्रा मे पूँजी का विनियोजन किया गया तथापि स्थानीय सहयोग एव सस्थागत समन्वित प्रयास का अभाव तथा समाज के प्रभावी व्यक्तियो द्वारा निहित स्वार्थो की पूर्ति हस्तक्षेप लक्ष्य प्राप्ति मे बाधक रहे है।[54]

समन्वित विकास प्रक्रियान्तर्गत नयी सस्थाओ के निर्माण के साथ ही सस्थ गत सुविधाओ के सदुपयोग हेतु जनसख्या विशेषकर गरीब वर्गो के जनकल्याण एव आत्मनिर्भरता हेतु आयोजित गतिविधियो पर आधारित क्षेत्रीय समन्वयन है। यह अपेक्षाकृत अधिक सतुलित विस्तृत सर्वागीण विकास का उपागम है, जिसके माध्यम से भौगोलिक, सस्थागत आर्थिक एव सामाजिक समन्वयन का प्रयास किया जाता है।[55] समुचित क्षेत्रीय विकास की सकल्पना सम्पूर्ण क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एव सास्कृतिक क्रियाओ के समाकलन तथा क्षेत्रीय सन्दर्भ मे उनके

मध्य विद्यमान समक्ष कार्यात्मक अन्योन्यक्रिया के विवेचन से सम्बन्धित है, जिसका प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र के सतुलित विकास हेतु सामाजिक—आर्थिक क्रियाओ का अनुकूलतम स्थान निर्धारण एव आर्थिक प्रगति के माध्यम से एक उर्ध्वोन्मुखी समाज का सृजन करना है।

तत्कालीन वित्तमत्री भारत सरकार श्री एस सुब्रंह्मण्यम् ने 1976 मे ससद मे बजट प्रस्तुत करते समन्वित विकास की प्रकृति तथा उसका विश्लेषण निम्नलिखित शब्दो मे किया। समन्वित विकास का तात्पर्य आवश्यक सस्थागत एव व्यावहारिक परिवर्तन लाकर तथा प्रसार विधियो के द्वारा न केवल आर्थिक विकास हेतु अपितु सामाजिक विकास हेतु आवश्यक अवस्थापनात्मक सेवाएँ प्रदान करके लोगो एव क्षेत्रो का सम्पूर्ण विकास किया जाना है जिसका अतिम लक्ष्य क्षेत्र विशेष मे निवसित मानव के जीवन स्तर मे गुणात्मक सुधार है।''

1.16 अभिप्राय एवं उद्देश्य :

'समन्वित' शब्द को कई विद्वानो ने भिन्न—भिन्न अर्थो मे प्रयोग किए है। कुछ विद्वान समन्वित शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रखण्डो के अन्तर क्रियात्मक सम्बन्धो को मानते है, जबकि कुछ विद्वान विकास प्रक्रिया को गतिशील रखने वाले तत्रो मे समन्वय को मानते है। इसके अलावा समन्वयन का अर्थ प्रदेश विशेष मे निवसित जनसख्या का विकास प्रक्रिया मे क्रियाशील रखना उनमे आत्माविश्वास जगाना ही प्रादेशिक विकास की सफलता के लिए आवश्यक है।

समन्वित क्षेत्रीय विकास की सकल्पना विकास के विविध आयामो को सम्मिलित करती है। ये आयाम कार्यात्मक, प्राविधिक, स्थानिक, सामाजिक एव सामायिक हो सकते है, जो क्षेत्र विशेष के मानक निवास तत्र एव सरचनात्मक प्रतिरूपो के विभिन्न समाहित प्रतिरूपो मे सगठित होते है।

सिह[56] ने समन्वित विकास उपागम के माध्यम से अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानिक सगठन द्वारा निवास्य परिवर्तन प्रक्रिया को आवश्यक मानकर

इस सकल्पना को एक नया आयाम प्रदान किया है। उनका मत है कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत अर्थ तत्र के विभिन्न प्रखण्डो मे आवश्यक सामाजिक मूल्य एव विकास कार्यक्रमो के अनुसार समन्वयन के अतिरिक्त कालिक एव प्रादेशिक परिप्रेक्ष्य मे मानव कल्याण की अभिवृद्धि तथा पारिस्थैतिक एव पर्यावरणीय समस्याओ का निराकरण एव सतुलन भी सम्मिलित होना चाहिए।

वाटरस्टन[17] का मत है कि समन्वित विकास एक बहुप्रयोजनीय प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कृषि उत्पाद मे अपेक्षित वृद्धि के साथ ही ग्रामीण प्रादेशिक जनसख्या के आर्थिक एव सामाजिक उन्नयन हेतु विभिन्न सुविधाओ का प्रावधान भी किय जाना चाहिए। इन्होने चार तत्वो (अ) श्रम आधारित गहन कृषि (ब) श्रम प्रधान पशु विकास कार्य (स) कृषि पर आधारित लघु स्तर के उद्योग (घ) स्थानीय सहयोग एव निर्भरता (य) समुचित सस्थागत एव सगठनात्मक व्यवस्था (र) विकास केन्द्रो के पदानुक्रम को सम्मिलित करके उसे अधिक प्रभावी बनाते हुए विकास प्रतिरूप को निर्धारित किया है।

समन्वित विकास का तात्पर्य क्षेत्र विशेष के विद्यमान प्राकृतिक तथा मानवीय ससाधनो का पूर्णत सभव प्रयोग है जिससे क्षेत्र विशेष मे निवासित निध ना जनसख्या के जीवन स्तर मे गुणात्मक सुधार हो। यह अनुकूलतम सभव प्रयोग ससाधनो के उत्पादन आधिक्य से ही नही है वरन् उन ससाधनो का सम्यक वितरण भी हो जिससे बेरोजगारी कम हो, गरीबी कम हो, जीवनस्तर मे गुणात्मक सुधार तथा क्षेत्र विशेष मे निवास करने वाली जनसख्या पर्यावरण के प्रति भी जागरूक हो। सिह[58] का भी मत है कि समन्वित विकास के अन्तर्गत प्रदेश विशेष की विद्यमान सामाजिक, आर्थिक एव पारिस्थैतिकी दशा के अनुसार कई गौण परन्तु परस्पर उद्देश्य सम्मिलित है इनमे (1) उपलब्ध ससाधनो का सम्यक उपयोग हो (2) प्रादेशिक आर्थिक सश्लिष्ट का निर्माण हो (3) आर्थिक प्रखण्डो (कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि) मे घनिष्ठ समन्वयन हो (4) स्थानिक सगठन के पदानुक्रमिक प्रक्रियात्मक गहनता मे वृद्धि (5) प्राकृतिक

वातावरण का संरक्षण एव परिष्कार सम्मिलित है। रिह[59] ने भी समन्वित विकास के अन्तर्गत निवास्य प्रत्यावर्तन मे अर्थतत्र के विभिन्न प्रखण्डो मे समन्वय के अतिरिक्त कालिक एव क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य मे पारिस्थैतिकी एव पर्यावरणीय समस्याओ का निराकरण भी सम्मिलित है, माना है।

मूर[60] के अनुसार समन्वित क्षेत्रीय विकास मे समाकलन एव विधि तत्र का केन्द्र बिन्दु प्रादेशिक क्षेत्र है तथा विकास उसका परम उद्देश्य है, सस्थापित प्राविधिक सन्दर्श मे समाकलन शब्द विभिन्न प्रकार की व्याख्या एव अभिप्राय से सम्बन्धित है। सामान्यतया किसी योजना का क्रियान्वयन सम्पूर्ण विकास को ध्यान मे रखते हुये किया जाता है परन्तु भौगोलिक समाकलन, चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक हो को एक प्रक्रिया मे निरूपित किया जा सकता है जो एक क्षेत्र विशेष या विभिन्न क्षेत्रीय स्तर की प्रक्रियाओ से अर्न्तसम्बन्धित होता है।

एल के सेन[61] का मत है कि समन्वित क्षेत्रीय विकास के सर्वांगीण उपागम की उत्पत्ति ग्रामीण क्षेत्रो मे विद्यमान विपन्नता एव द्विधात्मक अर्थतत्र के विभिन्न कारणो यथा उच्च जन्म दर, बेरोजगारी कृषि निवेशो एव प्राविधिकी की अनुपलब्धि सक्षम ग्रामीण सस्थाओ, प्राधिकृत जन सहयोग के साथ ही शिक्षा एव स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओ के अभाव जैसी समस्याओ के निराकरण से सम्बन्धित है। परिणामत समन्वित क्षेत्रीय विकास की सकल्पना समाकलन के विधि आयामो (कार्यात्मक, प्राविधिक भू–वैन्यासिक सामाजिक एव सामायिक) को सम्मिलित करती हैं, जो क्षेत्र विशेष के मानव निवास तत्र एव सरचनात्मक प्रतिरूपो के विभिन्न समाविष्ट रूपो मे सगठित होती है। कार्यात्मक समाकलन से अभिप्राय सभी प्रकार के सामाजिक एव आर्थिक क्रियाकलापो के समाकलन से है, इनमें शिक्षा–स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग एव अन्य सेवाये जो मानव के दैनिक जीवन हेतु आवश्यक है परस्पर सम्बन्धित है। उपर्युक्त कार्य कलाप इस तरह अन्तरग्रन्थित होते है कि एक के परिवर्तन से दूसरे मे परिवर्तन स्वभावत हो

जाता है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक कार्यो की अर्न्तसम्बद्धता उनकी स्थिति पर निर्भर करती है, यह सम्बद्धता विकास के स्तर सेवाओ एव सुविधाओ की माग पूर्ति, समय के परिप्रेक्ष्य, मे परिवर्तन, अर्न्तकेन्द्रीय दूरी, स्थानीय जनसख्या के आय स्तर अन्य सेवाओ के सन्दर्भ मे कार्य विशेष की स्थिति इत्यादि तत्वो द्वारा प्रभावित होती है।[62]

भूवैन्यासिक समाकलन अवस्थापना तत्वो के विकास एव अधिवास प्रतिरूप के सन्दर्भ मे विकास परक कार्यो के वितरण प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है। स्थानिक सगठन समाकलन ग्रामीण एव नगरीय केन्द्र के अर्न्तसम्बन्धित एव विकास प्रक्रिया मे परस्पर पूरक होने का आभास देता है। क्षेत्र विशेष के नगर ग्रागर सेवा केन्द्र विपणन केन्द्र एव अन्य अधिवास कर्मौपलक्षी अन्योन्य क्रिया द्वारा परस्पर अर्न्तसम्बन्धित होते है, तथा विकास प्रक्रिया मे इनकी भूमिका इनके पदानुक्रमिक समन्वयन पर आधारित होती है।

सामाजिक समाकलन के अन्तर्गत विविध समुदायो यथा विकास कर दाता कृषिक, लघु एव सीमान्त कृषक, भूमिहीन कृषि मजदूर, ग्रामीण, व्यापारी एव सम्पन्न वर्ग की विकास प्रक्रिया मे सक्रिय सहभूमिका को महत्व दिया जाता है। इस तरह विकास प्रक्रिया से सम्पूर्ण क्षेत्र विकास लाभान्वित होता है। इस तरह समन्वित विकास नगरीय एव ग्रामीण जीवन के बीच की खाई कम करने के साथ ही विभिन्न आय वर्गो मे वर्तमान असमानता कम करने की नीति है।[63] कार्यात्मक सम्बद्धता स्थापित करने वाली अर्न्तप्रक्रिया मे परिवहन, गमनागमन सचार, सूचना आदि मुख्य है। प्रदेश विशेष के समुचित विकास हेतु समयबद्ध नियोजन अपेक्षित है, विभिन्न प्रकार के नियोजन जैसे अल्पअवधि, लम्बी अवधि के परिप्रेक्ष्य मे ससाधन की सम्भाव्यता को बनाये रखते हुये क्षेत्र की बढती जनसख्या के बीच सामन्जस्य स्थापित कर वर्तमान आवश्यकतानुसार कार्य किया जा सकता है। समन्वित क्षेत्रीय विकास क्षेत्र के सन्तुलित विकास से सम्बन्धित है, जिसमे भौतिक परिवेश मे समाजिक एव आर्थिक क्रियाओ के निमित्त उपयुक्त अवस्थिति का निर्धारण विशेष महत्वपूर्ण है।[64]

इस प्रकार समन्वित विकास सभी प्रकार की सामाजिक एव आर्थिक क्रियाओ एव उनके क्षेत्रीय ससाधनो मे समायोजन के समाकालित महत्व को स्पष्ट करता है, जिसके अन्तर्गत बहुस्तरीय, बहुवर्गी एव बहुधधी विकास की आधारस्वरूप स्वीकार किया जाता है। बहुस्तरीय आयाम क्षेत्र के विकास एव नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण से सबधित है, जिसमे विकेन्द्रीकरण प्रमुख है।[65] बहुवर्गी आयाम मे क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था के विविध पक्षो तथा विशेष रूप से कमजोर वर्गो को विकास के मुख्य लक्ष्य स्वरूप स्वीकार किया जाता है जो मुख्यत कृषि विकास एव उससे सम्बन्धित क्रिया कलापो (प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक) के विकास पर आधारित है।

इस प्रकार पूर्ण रोजगार भी समन्वित विकास का मुख्य उद्देश्य है, जिसका विकास से प्रत्यक्ष सम्बन्धहोता है क्योकि विकास मे तीव्रता आने पर बेरोजगार जनो की सख्या मे ह्रास होता है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर समन्वित क्षेत्र विकास के उद्देश्य निम्नलिखित है –

1 प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु क्षेत्रीय ससाधनो का नवीनतम तकनीको एव वैज्ञानिक ढग से सर्वेक्षण, आकलन एव अनुकूलतम उपयोग जैसे– अतिरिक्त उपेक्षित भूमि सुधार, बाढ, सूखा, निय ण, भूमि सरक्षण भूमि का उचित उपयोग इत्यादि।

2 प्रदेश विशेष मे अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एव आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब जनसमुदाय के विकास हेतु क्षेत्रीय ससाधनो पर आधारित उद्योगो का विकास जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके।

3 स्वस्थ्य प्रादेशिक / ग्रामीण जीवन के लिये पर्यावरण सुधार प्रदेश विशेष के जनसमुदाय मे विकास कार्यक्रमो के प्रति जागरूकता पैदा

करने कार्यो मे निपुणता लाने एव जीवन स्तर मे सुधार के लिये शिक्षा, सामाजिक कल्याण एव सास्कृतिक कार्यक्रमो का विकास।

6 प्रदेश के सतुलित विकास के लिये विभिन्न विकास कार्यक्रमो मे अन्तर्सबद्धता को ध्यान मे रखते हुए समाकलन के सिद्धात के अनुसार सामाजिक आर्थिक एव सास्कृतिक सवाओ एव सुविधाओ का यथा सभव विकेन्द्रीकरण जिससे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके।

इस प्रकार समन्वित प्रादेशिक विकास प्रक्रिया विविध प्रकारके समन्वय पर आधारित है।

संदर्भ

1 Qureshi, M H India Resources and Regional Development, N C E R T, New Delhi, 1990, P 81

2 सिह, आर एन एव कुमार ए0 भारतीय नियोजन प्रणाली एव ग्रामीण विकास एक समीक्षा भू–सगम 2(1), इलाहाबाद ज्योग्राफिकल सोसायटी इलाहाबाद, 1984, पृष्ठ 17–24

3 Prakash, B and Raya M Rural Development 'Issues to Ponder, Kurupshetra, 32(4), 1984 p 4-10

4 तिवारी आर सी तथा त्रिपाठी एस समन्वित ग्रामीण विकास 5 राकल्पना, उपागम एव मूल्याकन (स) सिह, पी एव तिवारी ए, पर्यावरण विज्ञान अध्ययन केन्द्र इलाहाबाद 1989, पृष्ठ 48–64

5 Mishra R P, Sundram K P and Prakas Rao, V L S Regional Development Planning in India A New Stretegy, Vikas Publishing House, New Delhi, 1974, P 189

6 Singh, R N and Kumar, A 'Spatial Reorganisation Concept and Approaches', National Geographer, 18(2), 1983 p 215-226

7 Hilhorst J (1969) "Regional development theroy an altempt to synthesize" in Multidisciplinary Aspects of Regional development Published by development Centre of OECD, P 21-36.

8 Singh, L R (1981) Regional Planning and Rural Develop-

ment, Occasional Pap No 4 P 1

9 सिंह, जगदीश, (1982) भौगोलिक चिन्तन के मूलाधार, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर, पृष्ठ सख्या 294।

10 दत्त भवतोष वृद्धि विकास औरप्रगति योजना प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मत्रालय, नई दिल्ली 15 अगस्त 1987, पृष्ठ 6

11 शर्मा के एल भारतीय समाज, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, 1991, पृष्ठ 153

12 वही पृष्ठ 154

13 Meir, G M and Balduin, R E Economic Development Theory, Histroy and Policy, Newyourk, 1857, P 2

14 मिश्र, एस के एव पुरी वी के . भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिग हाऊस बम्बई 1991 पृष्ठ 4

15 Drewnowski, J On Measuring and Planning the Quality of Life, Mounton, the Hague, 1974, P 95

16 Kuznets, S 'Towards a theory of Economic Growth, in R Lekachaman (Ed), National Policy for Economic Welfare at home and Abroaad, P 16

17 देव, अर्जुन सभ्यता की कहानी (2) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, 1987 पृष्ठ 178

18 Haq, Mahbub Ul, "Employment and income Distribution in the 1970s A New Perspective", Pakistan Economic and Social Review, June-December] 1971, P6

19 Singh, J (1985) Concept of Integrated Regional development,

in Rural Development in India (Eds K N Singh & Singh D N , R L Singh Foundation N G S I, Varanasi)

'20 Kindleberger, C P and Herrick, B Economic Development (New Yourk, 1977) P 1

21 Broger, D 'Central Place System, Regional Planning and Development in Developing Countries A Case of India Perspective, Geographical Dimention, (ed) Singh, R L and Rana, P B S. National Geographical Society of India, B H U Varanasi 1978, P 134-164

22 Todaro, M P Economic Development in the Third world, New York, Longman Inc 1983 P 70

23 पूर्वोक्त सदर्भ सख्या 2

24 Seers, Dubley "The meaning of development", Eleventh world Conference of the Society for International Development (New Delhi 1969), P 3

25 श्रीवास्तव, शर्मा, चौहान प्रादेशिक नियोजन और सविकास पेज 29–30, 2000

26 Smith, D M Human Geography A Welfare Approach, Arnold Heine Mann, London, 1984

27 Singh, J (1985) Concept of Integrated Regional development, in Rural Development in India (Eds K N Singh & Singh D N , R.L. Singh Foundation N G S I, Varanasi)

28 सिह जगदीश वातावरण नियोजन एव सविकास, ज्ञानोदय प्रकाशन,

गोरखपुर 1988 पृष्ठ 242

29 पूर्वोक्तसदर्भ सख्या पेज – 41

30 पूर्वोक्त सदर्भ सख्या 27 पृष्ठ 242–46

31 श्रीवास्वत, शर्मा, चौहान, प्रादेशिक नियोजन एव सतुलित विकास पेज – 45

32 पूर्वोक्त सदर्भ सख्या 14 पृष्ठ 81

33 Adelmn, I and Merris, C T Society, Politics and Economic development, Boltimore, the Jhon Hoplins, 1967

34 Hagen, E E 'A Frame work for Analysing Economic and Political development, in Robert Asher, (ed) development of Emerging Countries, Washinggtion D L , Bookings institution, 1962, P 1-38

35 Berry, B J L 'An Inductive Approach to the Regionalization of Economic development', in N Ginsburh (ed), Essays and Geography and Economic development, Research paper 62, Department of Geography University of Chicago, 1960

36 Recordo David The theroy of Economic Growth

37 Keeble, L (1964) Principals and practice of town and country planning, London

38 Rostow W W The stage of Economic growth, London, Cambridge University Press, 1962, P 2

39 Myrdal, G Asian Drama

40 Keeble, D 'Models of Economic development in R J Chrley and P Haggette Models in Geography, London Methuen, 1967

41. Hirschman, A. O (1969) The strategy of Economic development New Haven, Yale University Press

42 Friedman, J The concept of Planning Regions, the evelution of an idea in the united States, Reprinted in J Friedman and W Alonso (ed), Regional development and planning, A Reader the M I t. Press, 1958

43 Perroux, F 'La Nation de Croissance', Economique applique, Nos 1 and 2, 1955

44 Boudeville, T R Problem of Reginla Economic Planning, Edinburgh University Press, 1966

45 पूर्वोक्त सदर्भ सख्या 20

46 Desai, I P and Chaudhary, (1977) History of Rural development in moder India, Vol II, Delhi P 183-189

47 Singh, R L et al , (1980) Rural Habitat Transformation A Critique of Emerging Dimension in Rural habitat transformation in world frontiers, N G S I Varanasi

48 Green Wald, D (1973) Dictionary of Modern Economics me Craw Hill IInd (ed) P 297

49 रूद्र दत्त एव सिह, एस के अर्थशास्त्र पारिभषिक शब्द कोष।

50. सिह, काशीनाथ एव सिह जगदीश, (1980) आर्थिक भूगोल के मूल

तथ्य चतुर्थ रास्करण, तारा पब्लिकेशन्स, वाराणसी, पृ स 480

51. पूर्वोक्त सदर्भ सख्या 9, पेज 294

52. Planning Commission Guidelines for the formulations of District Plans, 1969, PP 1 2 (U P Government edition)

53 Mishra, R P et al "Regional development Planning in India, Vikas New Delhi, P2

54 Fourth five year Plan, Planning Commission, New Delhi (1969-74) P 229-30

55 Lale Uma, (1974) The Designal Rural development An Analysis of Programes and projects in Africa, John Hopkins University Press, Baltimore (1974) P 20

56 Singh, J (1985) Concept of Integrated Regional development, in Rural Development in India (Eds K N Singh & Singh D N , R.L Singh Foundation N G S I, Varanasi)

57 Waterstone, A, (1974) " A Viable Model of Rural development Finance and development, Dec , P 22-25

58 सिह, जगदीश भौगोलिक चिन्तन के मूलाधार (1985), पृष्ठ – 293

59 Singh, R L et al , (1980) Rural Habitat Transformation A Critique of Emerging Dimension in Rural habitat transformation in world frontiers, N G S I Varanasi

60. Moore, L B (1973) The concept of integrated Rural development, Report of International Seminar on Integrated Rural

development, Lahor, P 55

61 Sen, L K et al , (1971) Planning Rural Growth Centeres for integrated area development A study in Miralgusta Tuluka, National Institute of Community development jHyderabad, P 1

62 Rondinalli, D A and Ruddle, K (1976) "Urban Functions in Rural Development An analysis of Integrated spatial development policy, office of Urban development USAID Wastington, P 181

63 Singh, J op cit , Ref 5, P 10

64 Arora, R C (1976) Integrated Rural development S Chand and Company Ltd new Delhi, P 3-4

65 Penalosa, Enrique, (1276) The need of New Development Model, Finance and Development, P 6-7

****

गुन्नार मिरडल का संचयी कार्योत्पादन सिद्धांत

अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि

2.1 भौगोलिक पृष्ठभूमि :

मध्य गगा मैदान के सरयूपार क्षेत्र मे आयताकार मे स्थित बासगॉव तहसील गोरखपुर जनपद की छोटी परन्तु पिछडी तहसील है। इस तहसील का विस्तार 83° 17' 30" पूर्वी देशान्तर से 83°30' 45" पूर्वी देशान्तर के मध्य, 26° 21'30" उत्तरी अक्षाश से 26° 37' उत्तरी अक्षाश तक है।[1] इसके दक्षिण मे गोला तहसील (जनपद गोरखपुर) है, इसके उत्तर मे सदर तहसील (गोरखपुर) पूर्व मे देवरिया जनपद की रूद्रपुर तहसील स्थित है। अध्ययन क्षेत्र की पूर्वी सीमा राप्ती नदी बनाती है। पश्चिमी सीमा पर खजनी तहसील (गोरखपुर) है। इसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 465 वर्ग किमी है।

प्रशासन नियोजन एव ग्राम विकास की सुविधा हेतु सम्पूर्ण तहसील चार विकास खण्डो (जिसमे उरूवा विकास खण्ड की एकमात्र न्याय पचायत महिलवार सम्मिलित है), मे है। इसमे 29 न्यायपचायत तथा 536 ग्राम सम्मिलित है।

2.1 संरचना :

यह भाग मध्य गगा मैदान की घाघरा, राप्ती, कुआनो एव आमी नदियो द्वारा निक्षेपित जलोढ मिट्टी से निर्मित है इस मैदान के निर्माण मे हिमालय पर्वत का बड़ा योगदान है। इस पर्वत का निर्माण टरशियरी युगीन पृथ्वी के हलचलो के कारण हुआ है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के विषय मे सकल्पना है कि उत्तर एव दक्षिण स्थित प्राचीन भू–खण्डो के मध्य एक विशाल अभिनति जिब्राल्टर से

लेकर पूर्वी एशिया तक फैली थी, इस भू–अभिनति को टेथीस सागर के नाम से जाना जाता था। इसी टेथीस सागर मे निक्षेपित मलवा मे सम्पीडन के फलस्वरूप हिमालय पर्वत की वर्तमान श्रेणियो का निर्माण हुआ तथा टेथीस सागर के दक्षिण छोर पर स्थित छिछले सागर मे हिमालय पर्वत श्रेणियो से लाये गये तलछट या जलोढ के निक्षेप से यह मैदान निर्मित हुआ है।

इस मैदान के निक्षेप की गहराई के विषय मे बहुत मत विभेद है। लखनऊ के पास किये गये सबसे गहरे भू–छेदन से सकेत मिलता है कि तलछट की गहराई 1336 फीट है, परन्तु यह भू–छेदन निक्षेप की अन्तिम गहराई तक नही किया जा सका था। ओल्डम का विश्वास है कि उत्तरी किनारे पर निक्षेप की गहराई सर्वाधिक अर्थात् 4570 मीटर है। यहा से निक्षेप तल का ढाल दक्षिण की ओर है। कावी[3] ने इससे भी अधिक मोटाई का अनुमान किया है। ग्लेमी[4] ने अपने नवीनतम अनुसधान मे निक्षेप की गहराई को 6500 फीट अथवा 1980 मीटर तक अनुमानित किया है। कृष्णन[5] के अनुसार इस जलोढ मे जहा तक सरध्रता पायी जाती है, की मोटाई 410 मीटर है।

विशाल गगा मैदान के जलोढ निक्षेप की गहराई के सम्बन्ध मे किये गये वायुवाहिक चुम्बकत्वमापी सर्वेक्षण के आधार पर उत्तरी छोर पर जलोढ की मोटाई 8000 मीटर पायी गयी है तथा गगा मैदान के पश्चिमी भाग मे यह गहराई 6000 मीटर तथा दक्षिण की ओर जहा यह विन्ध्य समूह की चट्टानो से मिलता है, 3000 मीटर से अधिक नही है। अत निक्षेप की मोटाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमश कम होती गयी है। मध्य गगा मैदान के निर्माण मे मुख्यत गोरखपुर एव रक्सौल मोतिहारी दो श्रेणिया जिनकी गहराई उत्तरी क्षोर पर 8000 मीटर तथा दक्षिणी छोर 6000 मीटर पायी जाती है।

Fig 2 2

2.3 भौमिकी :

भौमिकी दृष्टिकोण से बासगॉव तहसील कोई विशेष महत्व नही रखता है। यह क्षेत्र एक समतल मैदान है, जिसकी सरचना राप्ती तथा उनकी सहायक नदियो द्वारा लाये गये जलोढ के निक्षेप से हुई है। जलोढ के अतिरिक्त इस क्षेत्र मे कोई खनिज नही मिलता। कुछ क्षेत्रो मे बालू एव ककड मिलता है। स्थिति एव रचना की दृष्टि से यहा के जलोढ निक्षेप को नवीन निक्षेप या कछार अथवा खादर एव पुरातन निक्षेप अथवा बागर दो भागो मे बाटा जा सकता है।

नवीन निक्षेप कछार की रचना नूतन निक्षेप से हुई है। यह नदियो के किनारे की नीची भूमि है जो वर्षा ऋतु मे नदी जल से प्राय भर जाता है। जिससे कटाव व निक्षेपण होता है। यह निक्षेप नदियो के किनारे उनके बाढ क्षेत्र मे पायी जाती है। बडी नदियो की घाटियॉ प्राय सामान्य धरातल से नीची है, तथा उनकी चौडाई अधिक है। इस प्रकार इस क्षेत्र मे ऐसे निम्न भाग है, जिनमे अत्यधिक वर्षा काल मे कटाव की सभावना रहती है। नवीन निक्षेप का रग हल्का, कैल्शियम की कमी परन्तु उर्वरता का आधिक्य रहता है।

पुरातन निक्षेपित मैदान खादर की उपेक्षा ऊँचा है। यहा वर्षा ऋतु मे बाढ का जल नही पहुचता, यह निक्षेप अपेक्षाकृत गहरे रग का होता है, जिसकी मिट्टी बलुई–दोमट व चूना युक्त होती है। यह निक्षेप मध्य प्लीस्टोसीन से उत्तरवर्ती प्लीस्टोसीन युगो के बीच हुआ है।

2.4 उच्चावच :

सम्पूर्ण तहसील एक समतल मैदानी भाग है। मानचित्र 2 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसका सामान्य ढाल उत्तर–पश्चिम से दक्षिण–पूर्व की ओर है। तहसील मे ग्राम चवरिया बुजुर्ग की ऊँचाई समुद्र से 74 6 मीटर कौडीराम 75 5 मीटर तथा बासगॉव ग्राम 75 9 मीटर है। इस तरह बासगॉव तहसील का सामान्य ढाल 0 015° है।

बासगॉव तहसील के अपवाह का अध्ययन धरातलीय प्रवाह एव अधोभौमिक प्रवाह के परिप्रेक्ष्य मे किया गया है, तथा इसे मानचित्र (2 3) मे प्रदर्शित किया गया है। सिचन कार्य हेतु जितना उपयोग धरातलीय प्रवाह का है, उससे अधिक अधोभौमिक जल का है।

2.5 धरातलीय प्रवाह :

मानचित्र (2 3) के अवलोकन से स्पष्ट है कि क्षेत्र मे ढाल के अनुरूप उत्तर–पश्चिम से दक्षिणपूर्व दिशा मे कई नदियो एव नाले प्रवाहित है। यह प्रवाह इस तहसील के दक्षिण पूर्व दिशा मे प्रवाहित सरयू नदी से सम्बन्धित है जो कि गोरखपुर जनपद की प्रमुख नदी है।

2.5.1 राप्ती नदी :

राप्ती इस तहसील की मुख्य नदी है, जो इस तहसील के पूर्वी भाग मे बहती है, और बासगॉव एव सदर तहसील (गोरखपुर) के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। यह नदी बासगॉव तहसील की महत्वपूर्ण एव सर्वाधिक जल प्रवाहित करने वाली नदी है। राप्ती का मूल नाम इरावादी नदी था, पुन इसका नाम परिवर्तन 'रावती' एव वर्तमान मे राप्ती हो गया। राप्ती का उद्गम स्थल नेपाल की महाभारत लाख श्रेणी है। यह बहराइच, गोण्डा बस्ती जनपदो से प्रवाहित होती हुई गोरखपुर जनपद मे प्रवेश करती है। यह नदी बासगॉव तहसील के धरकी ग्राम के निकट प्रवेश करती है, तथा दक्षिण–पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुयी बड़हलगज के समीप मे घाघरा नदी मे मिल जाती है। राप्ती नदी का मार्ग सर्पीला है तथा पर्याप्त निक्षेपणात्मक पदार्थ लेकर बहती है। अत नदी के प्रवाह क्षेत्र मे मन्द ढाल, मुलायम चट्टान तथा जल मे कीचड की अधिकता के कारण नदी का मार्ग परिवर्तित होता रहता है, जिससे गोखुर झील का निर्माण हुआ है। नदी के किनारे ऊँचे नही है इसलिए वर्षा ऋतु मे पार्श्ववर्ती क्षेत्र जलमग्न हो जाते है, और बाढ क्षेत्र मे मुलायम कीचड की परत जमा हो जाती है। 1971 मे गोढ

ग्राम के निकट नदी का प्रवाह बदल जाने से आधे किमी का एक कुण्ड बन गया था। वर्ष 1998 मे भी राप्ती नदी ने जनपद मे बाढ विभिषिका का ताडव मचाया। तहसील के सोहगौरा ग्राम के निकट राप्ती का प्रवाह बदल जाने से आधे किमी लम्बा चौड एव 6 मीटर गहरा कुण्ड बन गया है। तहसील मे राप्ती नदी के प्रवेश एव सगम स्थल तक नदी की लम्बई 70 किमी तथा चौडाई 0 80 किमी से 1 2 किमी तथा गहराई 1 मीटर से लेकर 16 मीटर तक है।

2.5.2 आमी नदी :

आमी नदी अध्ययन क्षेत्र की महत्वपूर्ण किन्तु मन्द गति से प्रवाहित होने वाली गहरी नदी है, जो अपेक्षाकृत कम चौडी है। यह राप्ती की सहायक नदी है, जो, बस्ती जनपद के विशाल ताल सिकहरा से निकलती है, एव फरसाडाड के समीप क्षेत्र मे प्रवेश करती है। आमी नदी क्षेत्र मे पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होती हुई कौडीराम विकास खण्ड मे सोहगौरा ग्राम के निकट राप्ती नदी मे मिल जाती है। बासगॉव तहसील मे आमी नदी की लम्बाई 36 किमी औसत चौडाई 200 मीटर तथा गहराई 3 से 5 मीटर है। यह नदी सदर तहसील तथा बासगॉव तहसील के मध्य इसके उत्तरी किनारे पर सीमा बनाती है।

2.5.3 तरैना नदी :

तरैना नदी टाण्डा ताल से निकलकर दक्षिणी–पूर्व दिशा मे बहती हुयी बडहलगज विकास खण्ड के विस्तृत मेढी ताल मे प्रवेश करके उसी ताल के प्रवाह के द्वारा सरयू मे मिल जाती है। किन्तु वर्षा ऋतु मे इसका विस्तार बहुत बढ जाता है। इस नदी के बाढ के कारण नदी पर निर्मित गोरखपुर, आजमगढ मार्ग तथा बासगॉव उरूवा–बाजार मार्ग पर के पूल क्रमश 1971 एव 1978 मे नष्ट ही गये जो इस नदी के भयावह बाढ के सूचक है।

तहसील बांसगॉव
अपवाह तंत्र
N
Delhar Tal
Jhura Tal
Ami River
Amiyar Tal
Parmi Tal
Tal
Rapti River
Traina River
Deovanda Tal
2 0 2 4
km

Fig 2 3

2.6 ताल—तलैया :

बासगॉव तहसील का निर्माण मुलायम कॉप द्वारा हुआ है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र मे प्रवाहित होने वाली नदिया अपने विसर्पणाकार मार्ग को परिवर्तित करते हुये प्रवाहित होती है। नदियो के इस प्रवाह प्रक्रिया के कारण गोरखपुर क्षेत्र मे गोखुर झीलो का निर्माण होता रहा है, जिन्हे ताल कहते है अत क्षेत्र मे यत्र तत्र छोटे बडे ताल पाये जाते है। इन तालो मे वर्षा ऋतु मे जल जमाव हो जाता है, जिससे क्षेत्र का एक बडा भाग जल प्लावित रहता है। यह झील वर्षा जलोपरान्त या अववर्षण काल मे जल के प्रमुख स्रोत होते है जिनके जल का उपयोग सिचाई, पशुओ के पेयजल, मछली पालन विविध प्रकार के कन्द प्राप्त करने के लिये होता है। क्षेत्र के प्रमुख ताल निल्नवत् है —

2.6.1 अमियार ताल :

यह एक प्राकृतिक ताल है, जिसका निर्माण आमी नदी के बाढ जल के जमाव से हुआ है। बाढ के समय अमियार झील का विस्तार कसिहार से लेकर बासगॉव के निकट लगभग 6 किमी की लम्बाई मे हो जाता है। जल विस्तार को देखकर वर्षा ऋतु मे रोमाच हो जाता है । इसका विस्तार गोरखपुर—वाराणसी मार्ग तक है। इस ताल के पूर्व मे विजरा दूसरा ताल है जो ग्रीष्म ऋतु मे सूख जाता है। उससे पशुओ को चारागाह एव रबी शस्य मे चारे की सुविधा उपलब्ध होती है।

2.6.2 मेंढ़ी ताल :

सरयू एव राप्ती के मध्य तरैना नदी पर मेढी ताल स्थित है। वर्षा ऋतु मे इसका विस्तार कभी—कभी 8 किमी की लम्बाई मे हो जाता है किन्तु ग्रीष्म ऋतु इसका क्षेत्रफल घट जाता है। निक्षेपण की अधिकता के कारण धीरे—धीरे इरा ताल का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। वर्षा ऋतु मे ताल के पूर्वी सीमा से जल प्रवाहित होकर इसका अतिरिक्त जल राप्ती नदी मे प्रवाहित हो जाता है।

यह ताल मछली पालन पक्षियो के शिकार तथा ग्रीष्म ऋतु मे पशुओ के चारागाह हेतु महत्वपूर्ण है।

2.6.3 झूरी ताल :

यह ताल गोरखपुर बडहलगज राष्ट्रीय मार्ग के पूर्व गोरखपुर से 19 किमी की दूरी पर स्थित है। ताल के पूर्व मे राप्ती नदी विसपर्णाकार प्रवाहित होती है अत इस ताल का निर्माण राप्ती के मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ है। ताल की लम्बाई 6 किमी तथा चौडाई 150 मीटर है।

2.6.4 ढेलहरा ताल :

यह ताल झुरी ताल के ठीक पश्चिम मे राष्ट्रीय मार्ग से पश्चिम एक हुक के आकार मे स्थित है। हुक का मुह पश्चिम की ओर होने से स्पष्ट है कि यह ताल कुरवा नाला का एक छाडन है तथा क्षेत्र मे जल निकास की व्यवस्था न होने के कारण यह एक प्राकृतिक ताल का रूप ले लिया है। यह ताल उत्तर से दक्षिण 3 किमी लम्बा तथा 200 मीटर से 500 मीटर तक चौडा है।

2.6.5 परमी ताल :

यह ताल आमी तथा कुरवा नाला के प्राचीन बहाव क्षेत्र के मध्य वृत्ताकार रूप मे स्थित एक प्राकृतिक अवनमन है। इसके चतुर्दिक उच्च भूमि होने के कारण क्षेत्र मे वर्षा का जल इसमे एकत्र होता है, लेकिन बाद मे कुछ क्षेत्र शुष्क होने के कारण उपलबध भूमि पर रबी की कृषि होती है।

कुसहा, भरची, कारल, कोशो, सोनरा तथा कनैला अन्य ताल है, जो वर्षा ऋतु मे जल से भरे रहते है तथा ग्रीष्म ऋतु आते ही सूख जाते है। तहसील के सभी तालो मे सिचाई, मत्स्य पालन, रबी शस्य की कृषि तथा उपलबध भूमि मे जायद शस्य मे बोरो की कृषि की जाती है।

तहसील बासगॉव
बाढ प्रभावित क्षेत्र

Fig 2 4

2.7 बाढ़ प्रभाव :

बासगॉव तहसील की स्थिति राप्ती, आमी एव तरैना के मध्य इस प्रकार से है कि वर्षा काल मे इस तहसील मे न केवल इस क्षेत्र के जल प्रवाह की समस्या रहती है। अपितु सम्पूर्ण ऊपरी अपवाह क्षेत्र का जल यहा एकत्रित हो जाता है तथा जलाप्लावन का एक विभत्स रूप उपस्थित कर देता है। तहसील की नदियो तालो तथाअन्य अवनमनो के अध्ययन से स्पष्ट है कि इनके तल अत्यन्त उथले होने के कारण जलग्रहण एव जलप्रवाह की क्षमता अत्यन्त अल्प है, फलस्वरूप सम्पूर्ण तहसील प्राय प्रत्येक वर्षा काल मे एक बार नही वरन् अनेक बार बाढ से प्रभावित होती रहती है। विगत वर्ष 1998 की बाढ विभीषिका ने इस तहसील मे प्रलय की स्थित उत्पन्न कर दी थी।

मानचित्र (2 4) मे बासगॉव तहसील के बाढ प्रभावित क्षेत्र प्रदर्शित है, तथा बाढ की तीव्रता के आधार पर इन्हे उच्च, मध्यम एव निम्न प्रभाव क्षेत्र मे विभक्त किया गया है। उच्च प्रभाव क्षेत्र उत्तर पूर्व मे आमी एव राप्ती का कछारी भाग है, मध्यम प्रभावित क्षेत्र राप्ती–तरैना का कछारी भाग है। निम्न प्रभाव क्षेत्र मे राप्ती के उच्च प्रभाव का पश्चिम भाग तथा तरैना नदी के प्रभाव क्षेत्र सम्मिलित है। बाढ के प्रभावित क्षेत्रो मे खरीफ शस्य की कृषि अधिक प्रभावित होती है।

2.8 भूमिगत प्रवाह :

भूमि उपयोग एव सिचन कार्य हेतु इस तहसील मे भूमिगत प्रवाह का महत्व धरातलीय प्रवाह से अधिक है। धरातलयी प्रवाह के कुप्रबन्ध के कारण अपार जलराशि जिसका सिचन के अतिरिक्त अनेक विभिन्न उपयोग किया जा सकता है, न केवल व्यर्थ जाती है अपितु हजारो हेक्टेअर कृषिगत भूमि नष्ट कर देती है।

बासगॉव तहसील मे भूमिगत प्रवाह यहा की तलछटीय चट्टानो के कारण अत्यन्त ऊपर है। भूमिगत जल स्तर सम्पृक्तता का वह स्तर है जिसके

नीचे भू–छिद्र एव दरारे पानी से भरी होती है, यहाँ भूमिगत जल स्तर की गहराई 5 मीटर से 10 मीटर है। भूमिगत जल स्तर मे पूर्व एव उत्तर मानसून काल मे समान्य रूप से 3 मीटर का अन्तर पाया जाता है।

2.9 जलवायु :

प्राकृतिक कारको मे जलवायु महत्वपूर्ण घटक है। यहा की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। अध्ययन क्षेत्र मे उपोष्ण कटिबन्धीय प्रकार की जलवायु मिलती है। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत से मात्र 180 किमी दूर होने के कारण यहा की जलवायु पर इसकी अक्षाशीय स्थिति की अपेक्षा हिमालय पर्वत का प्रभाव अधिक है। समुद्र से 800 किमी दूर होने के कारण इस क्षेत्र पर समुद्र का प्रभाव कम है। अध्ययन क्षेत्र मे नवम्बर से मई तक हवाये प्राय शुष्क रहती है। इन्हे उत्तरी–पूर्वी या शीत ऋतु की मानसून कहते है। जून से अक्टूबर तक यह क्षेत्र समुद्री उत्त्पत्ति वाली हवाओ अर्थात् दक्षिणी–पश्चिमी मानसून जिन्हे ग्रीष्म ऋतु की मानसून कहते है के प्रभाव मे रहता है। वर्ष मे स्थलीय एव समुद्री हवाओ के इस परिवर्तन को ही मानसून कहते है। अत इस क्षेत्र की जलवायु उपोष्ण मानसूनी है। अध्ययन क्षेत्र के जलवायुविक तत्वो की सक्षिप्त कारक निम्नवत् हैं–

2.9.1 तापक्रम :

जलवायु के विभिन्न तत्वो मे तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। वायुदाब, वायुदिशा, आर्द्रता एव वर्षा का यह प्रमुख नियत्रक है। तापक्रम का सम्बन्ध सीधे सौर्यिक उर्जा से है। मानचित्र (2 5) एव तालिका 2 1 मे इस क्षेत्र की मासिक उच्चतम न्यूनतम एव दैनिक निम्नतम उच्चतम तापमान प्रदर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि मई यहा का सबसे उष्ण एव जनवरी सबसे शीत माह है। मई एव जून का औसत तापक्रम क्रमश 30 26^0 से 29 65^0 से है। मई माह का सर्वाधिक उच्चतम तापमान 40 0 से है जो क्षेत्र का सर्वोच्च तापक्रम है। इन महीनो मे सूर्य की किरणे लम्बवत् तथा दिन की अवधि लम्बी होने के कारण सौर्य

ताप अपेक्षाकृत अधिक तथा देर तक प्राप्त होता है इसलिये इन महीनो का तापमान अधिक होता है। जनवरी माह का सर्वाधिक न्यनूतम तापक्रम 6° से है। जनवरी का सर्वाधिक उच्चतम व औसत तापक्रम क्रमश 21 75° से एव 13 8° से है। इस समय सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण क्षेत्र की सौर्य ताप प्राप्त होता है। क्षेत्र का दैनिक औसत तापक्रम कभी 10° से से कम नही होता है। मई से अक्ट्बर का दैनिक न्यूनतम तापमान भी 20° से ग्रे अधिक रहता है। कभी—कभी मार्च एव अप्रैल महीनो मे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण तापमान मे विषमता आ जाती है। तापमान के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र का तापमान वर्ष पर्यन्त सामान्य रहता है।

2.9.2 वायु दाब एवं वायु दिशा :

वायुदाब ताप द्वारा नियत्रित होता है। अत उच्च ताप न्यून वायुदाब तथा न्यून ताप उच्च वायुदाब की स्थित उत्पन्न करके वायुदाब मे प्रवणता तथा गति प्रदान करता है। तालिका 2 से स्पष्ट है कि जुलाई तथा

सारणी 2.1

तापक्रम बांसगाँव (1996)

तापक्रम से गे	ज	फ	मार्च	अ	मई	जून
अति उच्चतम	21 75	25 45	32 05	37 75	40 30	36 15
अति न्यूनतम	6 0	7 95	13 85	19 80	22 06	22 85
दैनिक परिसर	15 75	17 5	18 2	17 85	18 24	13 3
औसत दैनिक उच्चतम	16 35	19 72	26 72	31 56	34 38	32 25
औसत दैनिक न्यूनतम	10 58	13 67	20 39	24 36	26 96	26 87
निरपेक्ष मासिक उच्चतम	20 39	23 07	29 11	36 19	36 19	34 26
निरपेक्ष मासिक न्यूनतम	7 24	9 89	16 15	24 57	24 57	25 02
मासिक औसत	13 81	16 48	22 23	30 27	20 27	29 65
	जु	अगस्त	सि	अक्टू	न	दि

तहसील बासगाँव जलवायु

34 00	32 55	32 65	30 55	28 5	26 35
23 7	23 5	21 6	18 9	12 0	7 50
18 3	9 05	10 95	11 65	16 5	15 85
29 32	29 39	28 36	27 51	23 19	19 80
26 65	25 46	24 85	22 7	16 52	11 24
30 95	31 69	29 67	29 8	26 96	22 05
24 98	24 85	23 63	20 8	14 24	8 42
28 22	27 71	26 66	25 21	20 91	15 80

सारणी 2.2

वायुदाब — बांसगाँव : 1996

वायुदाब मिलीधार	ज	फ	मार्च	अप्रैल	मई	जून
0830 प्रात	1005 3	1000 1	997 6	992 9	990 8	988 2
	1002 1	997 2	995 0	990 3	975 7	983 6
	1003 7	998 6	996 3	990 6	988 3	985 9
	जुलाई	**अगस्त**	**सितम्बर**	**अगस्त**	**नवम्बर**	**दिस**
	987 0	988 1	991 2	997 6	1005 2	1005 3
	984 1	983 7	987 2	995 8	1002 1	1002 3
	985 5	985 9	989 2	969 7	1003 6	1003 8

अगस्त माह मे क्षेत्र का वायुभार न्यूनतम अर्थात 895 5 मिलीबार के आस–पास होता है। दिसम्बर एव जनवरी मे तापक्रम की कमी के कारण वायुदाब 1003 7 मिलीबार हो जाता है। इन महीनो मे स्थलभाग पर एक उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है तथा पूर्वी तट पर अपेक्षाकृत न्यून वायुदाब होने के कारण स्थलीय पश्चिमी हवाओ के साथ एक चक्रवात का रूप ले लेता है जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते है। मौसम मे यह परिवर्तन रबी शस्य के लिये बहुत ही लाभदायी होता है।

सारणी 2 3 मे बासगॉव की वायुदिशा को प्रदर्शित किया गया है, जिससे स्पष्ट कि इस क्षेत्र मे पूर्वी व पश्चिमी हवाये अधिक सक्रिय है। शान्त दिनो की सख्या 184 है। उत्तरी एव दक्षिणी पश्चिमी दिशा से हवाये कम प्रभाहित होती है। वायुदाब एव हवाओ की दशाओ का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र की सामान्य मौसम दशाये अनेक उष्ण कटिबन्धीय एव शीतोष्ण कटिबन्धीय शस्यो के उगने, विकसित होने एव उत्पादन के लिये उपयुक्त है।

सारणी 2.3

वायु की दिशा — बांसगॉव

वायु की दिशा	दिनो की सख्या
उत्तर	17
उत्तर–पूर्व	11
पूर्व	63
दक्षिण पूर्व	3
दक्षिण	4
दक्षिण–पश्चिम	16
पश्चिम	58
उत्तर–पश्चिम	9
शान्त	184

2.9.3 आर्द्रता :

आर्द्रता वर्षा की क्षमता का द्योतक होता है। अत वर्षा की प्रवृत्ति एव उसकी मात्रा के आकलन के लिये आर्द्रता सम्बन्धी अध्ययन आवश्यक हो जाता है। तालिका 2 4 एव मानचित्र (2 5) मे इस क्षेत्र की सापेक्षिक आर्द्रता एव आर्द्र बल्ब तापक्रम प्रदर्शित है। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्र मे जुलाई अगस्त, सितम्बर माह मे सापेक्षिक आर्द्रत एव तापक्रम अधिक है। फलस्वरूप वायुदाब कम रहता है। इसी कारण क्षेत्र की ओर हवाये प्रवाहित होती है। ये हवाये अधिकाधिक वाष्पयुक्त

WIND ROSES
तहसील बासगाँव
जलवायु

1 cm = 10 Days

RAINFALL & TEMPERATURE
Rainfall (mm)
0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
Temperature oC
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Maximum Temperature
Average Temperature
Minimum Temperature
J
F
M
A
M
J
JL
AU
S
O
N
D
Months

Water Surplus
Rainfall & Potential Evaporation (cm)
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
Water Defict
Soil Moisture Utilisation
Soil Moisture Recharge
Water Surplus

होती है, क्योकि रामुद्र की सतह के ऊपर से प्रवाहित होने के पश्चात क्षेत्र तक पहुचती है। मार्च, अप्रैल व मई माह मे सापेक्षिक आर्द्रता कम होने के कारण वायु शुष्क रहती है। मानचित्र से स्पष्ट है कि जुलाई, अगस्त, सितम्बर माह का तापक्रम सापेक्षिक आर्द्रता एव वर्षा अधिक है जबकि अन्य महीने मुख्यत शुष्क है।

सारणी 2.4

आद्रर्ता — बांसगाँव

	ज	फ	मार्च	अप्रैल	मई	जून
सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत	80 11	75 98	68 37	63 33	63 76	74 66
आर्द्र. बल्ब तापमान से	11 90	13 9	18 2	22 8	24 6	25 9
	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अगस्त	नवम्बर	दिस
	86 75	85 30	81 46	83 03	79 01	74 48
	27 5	25 7	24 1	23 2	18 4	13 1

2.9.4 वर्षा :

मौसम के सभी तत्वो मे से वर्षा की मात्रा, मौसमिक वितरण, मासिक एव वार्षिक विषमता शस्योत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते है। जल सभी प्राणियो के लिये प्राथमिक आवश्यकता है, तथा पौधो के उगने, विकसित एव पकने आदि के लिये एक प्रमुख तत्व है। तालिका 2 5 से स्पष्ट है कि क्षेत्र मे दैनिक, ऋतुवत एव वार्षिक वर्षा के वितरण मे बहुत ही विषमता पायी जाती है। क्षेत्र के मासिक वर्षा को मानचित्र (2 4) मे प्रदर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि वार्षिक वर्षा का 90 प्रतिशत वर्ष के चार महीने जून से सितम्बर तक प्राप्त होती है। इस क्षेत्र मे वर्षा के दिनो की औसत सख्या 40 है जिसका 60 प्रतिशत केवल जुलाई एव अगस्त मे पाया जाता है। इसलिये वर्षा के दिन भी विशेष मौसम मे पाये जाते है। वर्षा दिन तथा वर्षा की मात्रा का परिसर भी बहुत अधिक है। कभी–कभी एक ही दिन मे 100 मिमी से भी अधिक वर्षा हो जाती है। वर्ष का एक बहुत बडा भाग अर्थात् अक्टूबर से जून तक बहुत कम वर्षा प्राप्त

होने के कारण बहुत शुष्क प्रतीत होता है। मानचित्र (2 5) से स्पष्ट है कि इस क्षेत्र मे जल की न्यूनता का अभाव नही होता यदि मासिक वर्षा के वितरण मे एक रामानता पायी जाती।

सारणी 2.5
वर्षा का वितरण

	ज	फ	मार्च	अप्रैल	मई	जून
उच्चतम मासिक वर्षा मिमी	46 3	28 0	11 2	118 36	77 04	275 50
निम्नतम मासिक वर्षा मिमी	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
औसत वर्षा मिमी	12 48	10 18	2 56	15 12	21 18	124 66
	जुलाई	अगस्त	सित	अक्टू	नव	दिस
	496 20	929 03	419 20	261 30	20 20	28 5
	31 06	39 3	31 0	17 20	0 0	0 0
	283 83	295 48	253 64	80 36	23 29	3 8

2.9.5 वर्षा की विषमता :

बासगॉव तहसील उपोष्ण जलवायु होने के कारण यहा वर्षा की विषमता वार्षिक एव ऋतुवत दोनो रूपो मे देखी जाती है। सन् 1955 मे तहसील बासगॉव मे 2240 किमी वर्षा हुयी थी जो औसत वार्षिक वर्षा से 104 प्रतिशत अधिक है। सन् 1979 मे सम्पूर्ण वर्षा 641 मिमी हुयी थी जो औसत वार्षिक वर्षा से 42 प्रतिशत कम है।

कृषको की सम्पन्नता, वार्षिक वर्षा के समय वितरण तथा अधिक से अधिक 12 प्रतिशत विषमता तक निर्भर करती है। वर्षा की सबसे अधिक विषमता आकाल का सूचक है।

(अ) ऋतुवत विषमता .

भूमि उपयेाग मे ऋतुवत एव मासिक वर्षा की विषमता वार्षिक वर्षा की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। वार्षिक वर्षा की मात्रा औसत से कम या अधिक होने

के उपरान्त भी यदि वर्षा रामय से समान रूप से होती है तो शस्योत्पादन प्रभावित नही होता है। जुलाई माह के वर्षा की न्यूनता या अधिकता से खरीफ शस्य की बुआई मे विलम्ब होता है, परन्तु यदि वर्षा अधिक अन्तराल के साथ होती है तो क्रमश सूखा एव बाढ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विषमता की यह स्थिति सम्पूर्ण शस्य प्रतिरूप को प्रभावित करती है। सितम्बर एव अक्टूबर माह मे ग्रीष्म मानसून द्वारा कम वर्षा होने पर जहा एक और खरीफ शस्य का पकना प्रभावित होता है, वही दूसरी ओर रबी शस्य को बुआई भी प्रभावित होती है। इसी तरह इन महीनो मे अधिक वर्षा से क्षेत्र मे वर्षा का जल एकत्रित हो जाने पर रबी फसल की बुआई मे विलम्ब होता है।

(ब) मासिक विषमता ·

तालिका 2 5 मे बासगॉव तहसील की मासिक वर्षा की विषमता को प्रदर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि यहा मासिक वर्षा की मात्रा मे भी अत्यधिक विषमता पायी जाती है। सर्वाधिक विषमता अगस्त माह मे पायी जाती है। नवम्बर से मार्च के महीने तक वर्षा की मासिक विषमता अपेक्षाकृत कम है।

2.५.6 जल सन्तुलन एवं आर्द्रता :

बासगॉव तहसील के वार्षिक जल सन्तुलन एव आर्द्रता आरेख से स्पष्ट है कि जुलाई अगस्त एव सितम्बर मे जलाधिक्य तथा जनवरी से जून तक जलाभाव की स्थिति रहती है। अप्रैल, मई एव जून मे जलाभाव के कारण भूमि की सामान्य नमी भी असामान्य हो जाती है, जिससे इस ऋतु मे जायद फसलो की कृषि अत्यन्त नगण्य रहती है (सारणी 2 6)।

सारणी 2.6

जल सन्तुलन तहसील बांसगाँव

	ज	फ	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सित	अगस्त	नवम्बर	दिस
स्थिजिक वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन	310	36	111	171	206	205	186	185	157	133	53	36
वर्षण	250	22	12	13	12	92	304	341	221	60	10	13
वास्तविक वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन	220	31	63	125	212	198	188	175	156	126	41	16
जल कमी	06	14	99	158	194	113	0	0	0	0	22	23
जल बचत	0	0	0	0	0	0	0	62	64	0	0	0
भूमिगत जल उपयोग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	11	–
भूमिगत जल जमाव	–	–	–	–	–	–	118	84	–	–	–	–

2.10 ऋतुएं :

जलवायु के सभी तत्वो के अध्ययन के पश्चात वर्ष को तीन प्रमुख ऋतुओ मे विभाजित किया गया है।

1 वर्षा ऋतु – मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक।

2 शीत ऋतु – मध्य अक्टूबर से फरवरी तक।

3 ग्रीष्म ऋतु – मार्च से मध्य जून तक।

2.10.1 वर्षा ऋतु :

इस ऋतु का प्रारम्भ सामान्यत मध्य जून से होता है तथा मध्य अक्टूबर के अन्त तक चलता है। इस क्षेत्र मे ग्रीष्म मानसून का आगमन 15 से 25 जून तक है जिसके साथ ही यह ऋतु प्रारम्भ हो जाती है। सामान्यत सम्पूर्ण वर्ष की 90 प्रतिशत वर्षा इसी ऋतु मे प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव जून के मध्य से प्रारम्भ होत है, एव मध्य जुलाई तक सम्पूर्ण क्षेत्र मानसून के प्रभाव मे आ जाता है। जुलाई, अगस्त एव सितम्बर मे मानसून का प्रभाव अधिक रहता है। वर्षा ऋतु के पूर्व तापक्रम अधिक रहता है, परन्तु प्रथम वर्षा के पश्चात ही तापक्रम मे कमी आ जती है। इस ऋतु मे औसत तापक्रम 27 7^0 से होता है तथा उच्चतम तापक्रम 31 0^0 से होता है। दैनिक ताप परिसर 3^0 से 5^0 से मिलता है।

बगाल की खाडी से उत्पन्न होने वाले चक्रवातीय झझावात उत्तरी पश्चिमी दिशा की ओर अग्रसर होकर इरा क्षेत्र से होकर गुजरते है। इन चक्रवातो की तीव्रता एव स्थिति इस क्षेत्र की वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है। बगाल की खाडी रो उठने वाले यह चक्रवात इस क्षेत्र मे गगा की घाटी से होकर जाने वाले चक्रवातो की अपेक्षा अधिक वर्षा करते है।

2.10.2 शीत ऋतु :

इस तहसील मे मध्य अक्टूबर तक हवाओ का प्रभाव समाप्त हो जाता है। देश के उत्तर पश्चिमी भाग मे उच्च वायुदाब एव इसके विपरीत हिन्द महासागर मे निम्न वायुदाब स्थापित हो जाने के कारण वायु की दिशा परिवर्तित हो जाती है, तथा यह तहसील उत्तरी–पूर्वी मानसून जिसे शीत ऋतु की मानसून कहते हैं, के प्रभाव मे आ जाती है। नवम्बर से दिसम्बर माह मे दिन गर्म एव राते ठण्डी होती है। नवम्बर माह का औसत तापक्रम 20 9^0 से रहता है, तथा दैनिक ताप परिसर 12 7^0 से रहता है। इस ऋतु मे पश्चिम से आने वाले चक्रवात प्राय

तहसील से होकर जाते है जिससे इस ऋतु मे वर्षा हो जाती है। यह वर्षा रबी शस्य हेतु अत्यन्त उपयोगी होती है।

2.10.3 ग्रीष्म ऋतु :

मार्च माह के प्रारम्भ होते ही तापक्रम मे वृद्धि होने लगती है। तालिका 2 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मार्च का औसत तापक्रम 22 23 से है। इस माह का निम्नतम एव उच्चत तापक्रम क्रमश .16 1^0 से व 29 1^0 से है। अप्रैल व मई माह मे औसत तापक्रम क्रमश 28 3^0 व 30 2^0 से ग्रे है। इन दोनो माह का औसत निम्नतम तापक्रम क्रमश 21 6^0 व 24 5^0 से है, जो बहुत कम नही है। इन महीनो मे दिन और रात बहुत गर्म होते है। दैनिक ताप परिसर भी बहुत अधिक होता है, जो क्रमश 14 5^0 व 15 6^0 से है। इन महीनो मे आकाश मेघरहित होता है तथा आर्द्रता की मात्रा बहुत कम (63 32 प्रतिशत) होती है। उच्च तापक्रम, सापेक्षिक आर्द्रता मे न्यूनता, मेघरहित चमकीली धूप रबी शस्य के पकने, कटाई एव मडाई के लिये उपयुक्त होती है। जब तक मानसून का आगमन नही होता तापक्रम बढता जाता है इस समय तापक्रम कभी कभी 40^0 से तक पहुच जाता है।

तापक्रम मे अधिकता के कारण वायुभार मे कमी हो जाती है, जिससे मानसून का प्रादुर्भाव होता है। मार्च से मध्य सितम्बर तक वायुभार कम रहता है। इस समय प्रवाहित होने वाली वायु की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, जिसमे पछुआ हवा अधिक चलती है। यह हवा बहुत गर्म एव शुष्क होती है, जिसके फलस्वरूप दैनिक ताप परिसर मे विषमता हो जाती है। जो मानसून आने तक बनी रहती है। हवाओ की गति प्रात काल मे कम रहती है परन्तु दोपहर के पश्चात गति मे वृद्धि हो जाती है तथा सायकाल तक बढती ही जाती है। जब हवा मे तीव्रता अधिक एव आर्द्रता की मात्रा बहुत ही कम अर्थात 2 से 3 प्रतिशत होती है तो ऐसी हवाओ को लू' की सज्ञा दी जाती है जिसकी उत्पत्ति वायुमडल की निचली सतह मे तापक्रम की तीव्र गति मे घटने तथा भू सतह पर तीव्र गति

से तापक्रम बढने के फलस्वरूप इनके मध्य सवाहनिक धारा के उत्पन्न होने से होती है। ये हवाये धूल की आधी के रूप मे अपरान्ह के पश्चात सायकाल तक प्रवाहित होती है। कभी कभी इस ऋतु मे वर्षा भी हो जाती है। जो जायद शस्य के लिये बहुत ही उपयुक्त होती है। इसके द्वारा ग्रीष्म ऋतु के तापक्रम मे कुछ गिरावट आ जाता है तथा ऋतु सुहावनी हो जाती है।

2.11 मिट्टी :

मिट्टी भू–पृष्ठ की वह ऊपरी पर्त है जो पौधो को उगने व बढने के लिये जीवाश तथा खनिजाश प्रदान करती है। मिट्टी शैलो के टूटने–फूटने व जीवाशो के सड गल जाने से बनती है। मिट्टी एक आधारभूत प्राकृतिक ससाधन है जिससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप मे मनुष्य का भोजन प्राप्त होता है। पेड पौधे मिट्टी मे ही उगते है। जो पशु तथा मानव भोजन के आधार होते है। अच्छी एव उपजाऊ मिट्टी की सुलभता पर कृषि का प्रकार एव उत्पादन निर्भर होता है। मिट्टी खनिज एव जैव तत्वो का प्राकृतिक समिश्रण है, जिसमे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कॅल्शियम, फास्फोरस तथा पोटैशियम जैसे प्रधान पोषक तत्व एव सल्फर, मैग्नेशियम, मैगनीज, आयोडीन, लोहा, तॉबा, जस्ता, कोबाल्ट जैसे गौण तत्व पाये जाते है। इनकी उपलब्धता पर ही मिट्टी की उर्वरता शक्ति तथा पौधो की उपज निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी मे जैव पदार्थ भी होते है, जो सड गल कर मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढाते है। खनिज एव जैव पदार्थो की उपस्थित मात्र से ही मिट्टी अच्छी नही होती वरन् उसकी बनावट, मिट्टी के कणो का आकार, कणो की परस्पर ग्रन्थन जन्य विशेषताये आदि भी महत्वपूर्ण होती है।

किसी क्षेत्र के मिट्टी के निर्माण मे कई कारको का योगदान होता है, जिनमे मूल चट्टान, जलवायु वनस्पति, धरातल का ढाल तथा कालावाधी महत्वपूर्ण है। इनमे मिट्टी के कणो की विशेषता पर निर्भर होता है, तथा जलवायु, चट्टान के अपक्षय वनस्पतिया एव जीवाणुओ के प्रजनन सभी को प्रभावित करता

Fig No 2.6 A

Fig No 2 6 B

है, जिसमे जलवायु का प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष प्रभाव मिट्टी निर्माण मे सर्वाधिक है। इस क्षेत्र मे ही नही अपितु सम्पूर्ण भारत की अर्थव्यवस्था मे मिट्टी निर्माण अवसादी चट्टानो के अपरदन परिवहन एव निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। इस प्रकार अध्ययन इस क्षेत्र की मिट्टी जलोढ प्रकार की है।

बारागॉव तहसील की मिट्टी को राजस्व विभाग ने उत्पादकता के आधार पर ग्रामीण स्तर पर निम्न वर्गो मे विभक्त किया है।

2.11.1 कछियाना भूमि :

सघन अधिवासो के अत्यन्त निकट या मध्यवर्ती भाग मे पायी जाने वाली अधिक उपजाऊ मिट्टी जिसमे मुख्यत शाक, सब्जी की कृषि की जाती है, कछियाना भूमि कहलाती है।

2.11.2 गोयढ भूमि :

प्रत्येक ग्राम मे बस्ती से सन्निकट भूमि जो अत्यधिक उपजाऊ जोती है, गोयड कहलाती है। बस्ती के निकट होने के कारण इस भूमि मे मलमूत्र एव अन्य सडे गले अश निरन्तर मिलते रहते है जिससे इस भूमि की उत्पादकता सदैव बनी रहती है।

2.11.3 मझार भूमि :

बस्ती से ज्यो ज्यो दूरी बढती जाती है, मिट्टी की उत्पादकता क्रमश कम होती जाती है। गोयढ भूमि का क्षेत्र समाप्त होन पर उर्वरता मे गोयढ के पश्चात आने वाली मिट्टी की मझार भूमि कहते है।

2.11.4 पालो भूमि :

अधिवासो से अत्यन्त दूर अर्थात गावो के छोर पर पडने वाली भूमि को पालो भूमि कहते है। इस भूमि मे मल मूत्र के अभाव के कारण उत्पादन क्षमता न्यूनाधिक होती है।

2.12 मिट्टी का वर्गीकरण :

इस क्षेत्र के मिट्टी के कणो की बनावट तथा उसके पारस्परिक ग्रन्थन के आधार पर तीन वर्गों दोमट, बलुई दोमट एव चीका मे विभक्त किया गया है।

2.12.1 दोमट मिट्टी :

इस प्रकार की मिट्टी मे सामान्यता बालू, सिल्ट एव चीका की मात्रा क्रमश 450, 40 0 एव 15 0 प्रतिशत होती है। इस प्रकार की मिट्टी क्षेत्र के उच्च भाग उत्तर, पश्चिम एव मध्य मैदानी भाग अर्थात बागर क्षेत्र मे स्थित है। दोमट मिट्टी का एक छोटा सा क्षेत्र आमी नदी के पूर्वी भाग मे पायी जाती है। बालू के अनुपात के आधार पर दोमट मिट्टी का रग बदलता रहता है। इस मिट्टी का रग पीला तथा भूरा होता है। मिट्टी के पारस्परिक ग्रन्थन की विशेषता के कारण इसमे जलधारण करने की क्षमता मे विभिन्नता पायी जाती है। यह मिट्टी कृषि कार्य हेतु बहुत ही उपयुक्त होती है जिसमे वर्ष मे दो या तीन शस्ये उगायी जाती है।

2.12.2 बलुई दोमट मिट्टी :

इस प्रकार की मिट्टी सरयू एव राप्ती नदियो के बाढ क्षेत्र मे हे। बालू की अधिकता के कारण इसमे जलधारण की क्षमता अधिक होती है। इसका रग अधिकाशत हल्का भूरा य पीलापन युक्त होता है। इस मिट्टी मे रबी शस्य खाद एव उर्वरक तथा सिचाई की व्यवस्था होने पर अच्छी होती है। खरीफ शस्य मे ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कोटो की कृषि की जाती है। क्षेत्र मे स्थित इस मिट्टी वाला भाग अधिकाशत नदियो का बाढ क्षेत्र है जो एक फसली है। अत इसमे रबी की फसल अधिकाशतया होती है।

2.12.3 चीका मिट्टी :

इस मिट्टी की मुख्य रूप से धान की मिट्टी व मटियार मिट्टी कहते है। इसकी सरचना मे बालू 25 प्रतिशत सिल्ट 30 प्रतिशत तथा क्ले की मात्रा 45 प्रतिशत होती है। इनमे कणो के आकार छोटे एव उनका ग्रथन बहुत ही सघन होता है इसलिए यह मिट्टी नम होने पर दलदल हो जाती है तथा सूखने पर अधिक कठोर हो जाती है। क्षेत्र मे चीका मिट्टी उत्तरी–पूर्वी भाग मे आमी नदी के तटवर्ती सीमित क्षेत्र मे ही पायी जाती है। इस क्षेत्र मे ताल एव गोखुर झीले फैली हुयी हैं, जिससे वर्ष मे केवल रबी शस्य ही उगायी जाती है। जिसकी पैदावर कम लागत पर अधिक होती है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि क्षेत्र मे बागर एव खादर की मिट्टीयॉ पायी जाती है। बागर क्षेत्र मे केवल दोमट मिट्टी ही सर्वत्र पायी जाती है परन्तु खादर मिट्टी नदी के बाढ क्षेत्र मे पायी जाती है। इनमे बालू अथवा चीका का निक्षेपण होता रहता है। फिर भी बालू की मात्रा अधिक होती है।

2.13 मृदा उर्वरता :

शस्य उत्पादन का मुख्य आधार मृदा है। मृदा के अध्ययन एव विश्लेषण का अभिप्राय उसके उत्पादकता के आकलन से हे। मृदा उत्पादकता का सम्बन्ध उसकी उर्वरता से है। इस प्रकार उर्वरता एव उत्पादकता के आधार पर मृदा का वर्गीकरण आवश्यक है। ब्रिटिश शासन काल मे राजस्व निर्धारण हेतु प्रत्येक ग्राम की मृदा का वर्गीकरण गोयढ, मझार एव पालो मे किया गया है, परन्तु उत्पादकता आकलन हेतु यह अपर्याप्त है। इसका उपयोग केवल राजस्व निर्धारण हेतु किया गया था क्योकि गोयढ, मझार और पालो सम्बन्धी वर्गीकरण अधिवास क्षेत्र से दूरी को आधार मानकर किया गया है। मझार एव पालो मिट्टी राजस्व के लिये निम्न कोटि की हो सकती है, परन्तु यदि इनमे नाइट्रोजन, पोटाश की मात्रा अधिक है तो अत्यधिक उर्वर कोटि मे आ सकती है। बासगॉव

तहसील बांसगॉव
मृदा उर्वरता क्षेत्र

Fig No 2.7

तहसील मे मृदा परीक्षण केन्द्र कूडाघाट गोरखपुर से वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा प्राप्त परिणाम को प्रदर्शित किया गया है। इस परिणाम के आधार पर तहसील मे मृदा उर्वरता की तीन श्रेणिया पायी गयी है। मृदा उर्वरता का यह वर्गीकरण नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाश की मात्रा पर आाधारित है जहॉ यह मात्रा 1 8 से कम पायी गयी है, उसके लिये अति न्यून शब्द का प्रयोग किया गया है। 1 8 से 2 6 की मात्रा निम्न कोटि की द्योतक है। 2 6 से 3 4 मध्यम, 3 4 से 4 2 उच्च तथा 4 2 से अधिक की मात्रा को अति उच्च माना गया है मानचित्र (2 7) सारणी (2 7)।

2.13.1 अत्यधिक उपजाऊ मृदा :

बारागॉव तहसील मे गगहा विकास खण्ड की मृदा इस वर्गीकरण के अन्तर्गत आती है। विशेषकर हटवा, राउतपार, तिलसर, बेलकुर, हाटा बुजुर्ग एव कोठा न्याय पचायत क्षेत्र की मृदा की उर्वरा शक्ति सबसे अधिक है। यह क्षेत्र तहसील के दक्षिणी भाग मे पडता है। यहा की मिट्टी मे नाइट्रोजन की मात्रा 1 82 प्रतिशत, फास्फेट 1 84 प्रतिशत तथा पोटाश की मात्रा 2 87 प्रतिशत पायी जाती है। इस प्रकारकी मिट्टी मे गेहूँ, धान, चना, मटर तथा गन्ने की कृषि की जाती है।

2.13.2 मध्यम अधिक उपजाऊ मृदा :

यह मृदा बासगावँ विकास खण्ड के बासगॉव, घनौडा खुर्द, मरवटिया विशुनपुर न्याय पचायत तथा विकास खण्ड कौडीराम के बासूडीहा, जानीपुर, चवरियॉ बुजुर्ग न्याय पचायतो मे पायी जाती है। कौडीराम विकास खण्ड के उँचेर, सोहगौरा मलॉव डॅवरपार न्याय पचायतो की मृदा अधिकाशत राप्ती नदी से प्रभावित होने के कारण खादर है। जिसका विस्तार तहसील के उत्तरी पूर्वी भाग मे है। इस प्रकार की मृदा मे क्रमश नाइट्रोजन 1 80 व 1 81 प्रतिशत फास्फेट 1 81 व 1 86 प्रतिशत तथा पोटाश 3 90, व 3 93 प्रतिशत है। इस मृदा की प्रमुख फसले गेहूँ, धान अरहर, मटर एव चना है।

2.13.3 साधारण उपजाऊ मृदा :

इस प्रकार की मिट्टी बासगॉव विकास खण्ड के फुलहर खुर्द, देवडार बाबू, पाली खास, दुबौली एव लेडुआबारी न्याय पचायत तथा उरूवा विकास खण्ड के महिलवार न्याय पचायत तथा गगहा विकास खण्ड की राउतपार मदुआकोल तथा नर्रे न्याय पचायत मे पायी जाती है। यहा की मिट्टीयॉ मे नाइट्रोजन 1 80, 1 82 व 1 81 प्रतिशत , फास्फेट 1 92, 1 84 व 1 87 प्रतिशत तथा पोटाश 3 52, 2 87 प्रतिशत है। इन क्षेत्रो मे गेहूँ, जौ, धान, अरहर, मटर, तथा गन्ने की कृषि की जाती है।

सारणी 2.7

उर्वरता स्तर : बासगॉंव तहसील

न्याय पचायत	नाइट्रोजन	फास्फेट	पोटाश	उर्वरता क्रम	उर्वर क्षेत्र
1 हाटा बुजुर्ग	2 65	1 85	3 95	मध्यम न्यन उच्च	अत्यधिक
2 बेलकुर	2 65	1 85	3 95	मध्यम न्यन उच्च	उपजाऊ
3 कोठा खास	2 65	1 85	3 95	मध्यम न्यन उच्च	उपजाऊ
4 महिलवार	1 85	2 69	2 81	न्यून मध्यम न्यून	अधिक उपजाऊ
5 कौडीराम	1 80	1 81	3 90	न्यून न्यून उच्च	मध्यम अधिक उपजाऊ
6 बारूडीहा	1 80	1 81	3 90	न्यून न्यून उच्च	मध्यम अधिक उपजाऊ
7 देवडार बाबू	1 81	1 81	2 89	न्यून न्यून मध्यम	साधारण अधिक उपजाऊ
8 फुलहर खुर्द	1 81	1 81	2 89	न्यून न्यून मध्यम	साधारण अधिक उपजाऊ

9 धनौडा खुर्द	1 80	1 81	3 90	न्यून न्यून उच्च	मध्यम अधिक उपजाऊ
10 म॰वटिया	1 80	1 81	3 90	न्यून न्यून उच्च	मध्यम अधिक उपजाऊ
11 विशुनपुर	1 80	1 81	3 90	न्यून न्यून उच्च	मध्यम अधिक उपजाऊ
12 पालीखास	1 82	1 84	2 87	न्यून न्यून मध्यम	साधारण उपजाऊ
13 सहुआकोल	1 80	1 93	3 52	न्यून न्यून उच्च	साधारण उपजाऊ
14 जानीपुर	1 80	2 74	2 94	न्यून न्यून मध्यम	अधिक उपजाऊ

2.14 उर्वरता ह्रास :

भूमि उपयोग प्रक्रिया मे मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है। इस ह्रास या कमी की आपूर्ति उपयुक्त उर्वरको से ही किया जाता है। उर्वरक द्वारा उर्वरा शक्ति बढाना भूमि उपयोग की एक परम आवश्यक तकनीक है। अत इसे भूमि उपयोग तकनीक मे रखा गया है, परन्तु मिट्टी की उर्वरा शक्ति के ह्रास से सम्बन्धित प्राकृतिक तत्वो की व्याख्या भी आवश्यक है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति के ह्रास का सबसे प्रमुख कारण मिट्टी का कटाव है। मिट्टी का कटाव विभिन्न प्रतिकारको के सम्मिलित प्रभाव से होता है जैसे – वर्षा की तीव्रता, मिट्टी के आवश्यक तत्वो का रिस रिस कर नीचे जाना, भौतिक एव रासायनिक कार्बन मे परिवर्तन तथा प्राकृतिक वनस्पति एव शस्य उत्पादन की तीव्रता। इस समस्त प्रतिकारको मे वर्षा की तीव्रता एक ऐसा प्रतिकारक है, जो न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को समाप्त करता है बल्कि इसके आदि स्थान से हटाकर अन्यत्र जमा कर देता है। इन परिस्थितियो मे मिट्टी को उर्वरा शक्ति या तो रिस रिस

कर नीचे चली जाती है, या अनवरत पेड पौधो या शस्योत्पादन के फलस्वरूप समाप्त हो जाती है। उसे कुछ समय के लिये छोड देने या उपयुक्त उर्वरको के माध्यम से पुन उर्वर बनायी जा सकती है।

2.15 मिट्टी का कटाव :
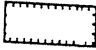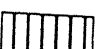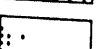
बासगॉव तहसील मे मिट्टी कटाव का सबसे प्रमुख प्रतिकारक वर्षा का जल है। इस तहसील मे प्राकृतिक वनस्पतियो का अभाव है, तथा फसलो के कट जाने के बाद सम्पूर्ण भूमि प्राय नग्न छोड दी जाती है। वर्तमान मे बहुशस्यीय फसलो के कारण एक शस्य के कटने के साथ ही भूमि की जुताई कर देना आवश्यक हो जाता है। यह जोती गई भूमि कटाव को और भी प्रोत्साहन देती है। पचवर्षीय योजनाओ मे भूमि कटाव के रोकथाम के साथ–साथ भूमि की उर्वरता एव उनके तत्वो के सरक्षण पर विशेष बल प्रदान किया गया है। जैसे कि उपयुक्त मात्रा मे उर्वरक आपूर्ति उपयुक्त शस्य चक्र, सिचन प्रणाली एव जल निकास की सुविधा। इन सभी उपायो का एकमात्र उद्देश्य भूमि के उत्पादन क्षमता के सरक्षण से है। सम्पूर्ण देश मे इस विधि द्वारा लाखो हे भूमि कृषि योग्य बनायी गयी है। इस प्रकार यह केवल बासगॉव तहसील की ही नही अपितु पूरे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योकि कटाव के समय उर्वर मिट्टी का बहुत बडा भाग नष्ट हो जाता है, तथा भूमि कृषि के लिये अयोग्य हो जाती है।

इस तहसील मे मिट्टी का कटाव एक बडी समस्या है, विशेषकर राप्ती नदी के बाढ क्षेत्र मे कटाव का विनाशकारी प्रभाव है, जबकि आमी एव तरैना नदी के क्षेत्र मे कटाव अपेक्षाकृत कम होता है। तहसील के भूमि कटाव को चार श्रेणियो मे विभक्त किया गया है, जो कि मानचित्र (2 8) मे प्रदर्शित है।

1 अत्यधिक प्रभावकारी कटान

2 मध्यम कटाव

3 हल्का कटाव

4 निम्न कटाव

तहसील बांसगाँव
मिट्टी अपरदन
अत्यधिक कटाव क्षेत्र
मध्यम कटाव क्षेत्र
निम्न कटाव क्षेत्र
न्यूनतम कटाव क्षेत्र
0
2 km

Fig. No. 2.8

2.15.1 अत्यधिक प्रभावकारी कटाव :

मानचित्र (2 8) अवलोकन से स्पष्ट है कि राप्ती नदी के बाढ क्षेत्र मे भूमि कटाव अत्यन्त प्रभावकारी है। राप्ती नदी तहसील के पूर्वी भाग मे बहने वाली नदी है जो कि तहसील सदर एव बारागाव के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसका उद्गम हिमालय से होने के कारण वर्षा ऋतु मे अपार जलराशि लेकर प्रवाहित होती है, फलस्वरूप नदी मे जल प्रवाह अधिक हो जाता है। इस नदी के किनारे ऊँचे नही है अत बाढ के समय वर्षा जल अधिक भाग पर फैल जाता है, यह नदी विसर्पणाकार प्रवाहित होने के कारण एव मार्ग परिवर्तन के कारण भी समीपवर्ती क्षेत्रो मे अधिक कटान करती है।

हाल के वर्षो मे आयी बाढो मे वर्ष 1998 की बाढ विभीषिका से अभी तक यहा के लोग उबर नही पाये है। राप्ती नदी के प्रलयकारी बाढ ने सोहगौरा गाव के निकट 25 मीटर (40 फीट) गहरे एव 50 मीटर चौडे गड्ढे का निर्माण किया है।

2.15.2 मध्यम कटाव क्षेत्र :

मध्यम कटाव क्षेत्र आमी तथा तरैना के दक्षिणी–पूर्वी भाग मे है। इसका प्रभाव उतना विनाशकारी नही होता, क्योकि ये क्षेत्र नदी घाटियो से कुछ दूर है। इस कटाव मे रिसती हुई मिट्टी का बारीक कण तथा उसे उपजाऊ बनाने वाले तत्व बहकर चले जाते है।

2.15.3 हल्का कटाव क्षेत्र :

ऐसे क्षेत्र तरैना नदी के पश्चिमी भाग तथा आमी नदी घाटी के दूर भाग है। इस कटाव मे एक खेत की मिट्टी दूसरे खेत मे आकर जम जाती है।

2.15.4 निम्न कटाव क्षेत्र :

इस कटाव क्षेत्र मे तहसील के सभी भाग आ जाते है। जहा मिट्टी कटाव द्वारा बहकर दूसरे स्थान पर नही जाती, अपितु मिट्टी के पोषण, उर्वरा तत्व वर्षा के प्रभाव के कारण रिसकर नीचे चले जाते है तथा मिटटी की उर्वरता मे ह्रास हो जाता है। तहसील मे मिट्टी कटाव मे सहायक तत्व निम्नलिखित है।

सम्पूर्ण तहसील मे मनमाने ढग से हरे वृक्षो को काटा जाना प्रमुख सहायक तत्व है। प्राय देखा जाता है कि वृक्षो को काटते समय कृषक यह नही जानते कि इन वृक्षो की उपयोगिता भूमि कटाव से सम्बन्धित है। पुशओ के नियमित पशुचारण के कारण भी भूमि कटाव को प्रोत्साहन मिलता है, क्योकि पशुचारण एक ऐसी दुर्व्यव्यवस्था है कि पशुओ को चराने के निमित्त घास तो नही मिलती, फिर भी उन्हे दिन भर घूमना पडता है, फलस्वरूप उनके खुर से मिट्टी की ऊपरी तह ढीली हो जाती है एव प्रथम वर्षा काल के साथ ही बह जाती है। तहसील बासगॉव मे कृषको को भूमि सरक्षण की वैज्ञानिक विधियो से अनिभिज्ञता होने के कारण ढाल के विपरीत खेतो की जुताई नही कर पाते जिससे तेज वर्षा के साथ भूमि कटाव मे सहायता मिलती है।

2.16 भूमि संरक्षण :

भूमि के सरक्षण के लिए आवश्यक है कि हरे भरे वृक्षो का काटना प्रतिबन्धित किया जाय। जो भूमि कृषि के अनुपयुक्त है। उन भू–भागो पर वृक्षारोपण किया जाय। ढाल के विपरीत खेतो की जुताई की जाय।

सम्पूर्ण तहसील मे बाढ नियत्रण के लिये कोई सुनियोजित आयोजना नही की गई है। राप्ती एव आमी के क्षेत्रो मे बाध बनाये गये है। यदि इन बाधो को उचित सर्वेक्षण द्वारा बाध क्षेत्रो मे बनाया जाय तो बाढ की विभीषिका से क्षेत्र को राहत मिल सकता है।

2.17 प्राकृतिक वनस्पति :

प्राकृतिक वनस्पतियो के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले पेड पौधे उनकी राघनता लम्बाई, आकार–प्रकार क्षेत्र के धरातल तापक्रम वर्षा एव मिट्टी के रामजरय से उत्पन्न होती है। प्राकृतिक वातावरण मे विभिन्नता के साथ ही प्राकृतिक वनस्पतियो मे विभिन्नता पायी जाती है। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण एव प्रकार ने मानव की शस्योत्पादन की प्रक्रिया से परिचित कराया है। बासगॉव तहसील समतल मैदानी एव उपोष्ण कटिबधीय जलवायु वाला क्षेत्र है जहा उपोष्ण कटिबधीय वनस्पतिया जिरामे पतझड वाले मानरानी वृक्ष के साथ साथ बडी एव छोटी घारो तथा बिखरे हुये ताड एव बबूल के वृक्ष भरपूर पाये जाते है। इस तहसील को प्राकृतिक वनस्पति की निम्न भागो मे विभक्त किया गया है जो निम्नलिखित है –
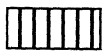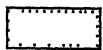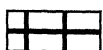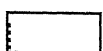
1 विखरे मानसूनी पतझड वाली वनस्पतिया।

2 अर्द्ध शुष्क वनस्पतिया।

3 खुले छोटे वृक्षो वाली वनस्पतिया।

4 बडी घासे।

5 छोटी घासे।

2.17.1 बिखरे मानसूनी पतझड़ वाली वनस्पतियॉ :

मानचित्र (2 9) अवलोकन से स्पष्ट है कि पतझड वाले वृक्ष सम्पूर्ण तहसील मे पाये जाते है। ऐसी वनस्पतिया बासगॉव तहसील मे ही नही अपितु समीपवर्ती उन सभी क्षेत्रो मे जहा वर्षा 100 से 200 सेमी तक तथा आर्द्र एव शुष्क दो ऋतुये पायी जाती है, उगती है। ये वनस्पतिया ग्रीष्म ऋतु आने के पूर्व अपनी पत्तिया झाड देती है, इसलिये इन्हे पतझड वाले वृक्ष की सज्ञा दी जाती है। ऐसी वनस्पतिया सम्पूर्ण क्षेत्र मे लगाये गये बागो के रूप मे पायी जाती है इनमे आम, जामुन, कटहल, महुआ, इमली, अमरूद आदि फलो के वृक्ष पाये जाते है जिनके लगाने का उद्देश्य लकडी प्राप्त करने की अपेक्षा फल प्राप्ति अधिक

तहसील बांसगाॅव
वनस्पतियाँ
अर्द्ध शुष्क वनस्पतियाँ
खुले वृक्षों वाली वनस्पतियाँ
बड़ी घासें
छोटी घासें
मानसूनी पतझड वाली वनस्पतियाँ
0
2 km

Fig. No. 29

होता है। इन प्रमुख वृक्षो के अतिरिक्त नीम शीशम सागौन आदि लकडी के लिये लगाये जाते है। 1976 के वनमहोत्सव के अन्तर्गत केन्द्रीय एव प्रान्तीय सरकार की योजनानुसार वन विभाग द्वारा सडको के किनारे यूकेलिप्टस, शीशम, सागौन, जामुन एव आम के वृक्ष लगाये गये है। ऐसे वृक्ष एव बाग तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्र मे सडको के किनारे पाये जाते है।

2.17.2 अर्द्ध शुष्क वनस्पति :

इस क्षेत्र मे अर्द्धशुष्क वनस्पतिया भी पायी जाती है, जिनमे बास ताड, खजूर, बेर, बबूल, अकोल आदि प्रमुख वृक्ष है। ऐसी वनस्पतियो अधवासो से दूर पुरानी परती तथा ऊँची भूमि मे अपेक्षाकृत अधिक पायी जाती है। ये वनस्पतिया ऊँचे टीलो, आर्द्रता की कमी वाले ककरीले, पथरीले भूमि पर भी पायी जाती है। इनमे बास का उपयोग झोपडी एव गृह निर्माण मे, बबूल से लकडी व उसके छाल से चमडा तैयार करने, ताड व खजूर से नीरा (ताडी) प्राप्त किया जाता है। बबूल के वृक्ष प्रमुख रूप से राप्ती के कछारी भाग मे पाये जाते है।

2.17.3 छोटे वृक्षों वाली वनस्पतियां :

इस प्रकार की वनस्पतिया नदियो के किनारे उच्च भूमि पर पायी जाती है। इनमे झउआ नामक वृक्ष प्रमुख है। ऐसी वनस्पतिया सभी नदियो यथा सरयू, राप्ती, कुआनो के कछारी भूमि पर पायी जाती है। यह वनस्पति वर्षा ऋतु एव बाढ के समय समाप्त हो जाती है लेकिन पुन शीत ऋतु मे इनका प्रादुर्भाव होने लगता है एव ग्रीष्म ऋतु आते ही सम्पूर्ण क्षेत्र इससे आच्छादित हो जाता है। स्थानीय लोग इसे काटकर टोकरी आदि बनाने के काम मे लाते है।

2.17.4 बड़ी घासें :

इस प्रकार की वनस्पतिया नदियो के कछारी क्षेत्रो मे स्थित ऐसे परती भाग मे जो बालू प्रधन एव नमी युक्त होते है पायी जाती है। ऐसी घासो मे कास,

मूज, कतरा आदि प्रमुख है। इन लम्बी घासो का उपयोग छप्पर छाने, रस्सी बुनने के काम आता है। ये घासे राप्ती नदी के तटवर्ती भागो मे पायी जाती है।

2.17.5 छोटी घासें :

इस प्रकार की वनस्पति राप्ती, आमी एव तरैना नदियो के आस–पास के क्षेत्रो मे पायी जाती है। इनमे प्रमुख वनस्पतिया खाढा, आजवाहन, कतरा आदि है ये वनस्पतिया बाढ समाप्त हो जाने के पश्यात उगती है तथा पुन मई जून माह से धीरे–धीरे समाप्त होने लगती है। इन वनस्पतियो मे आजवाहन का उपयोग औषधि के रूप मे उदर रोग मे किया जाता है। खाढा एव कतरा क्रमश पशुओ को खिलाने तथा विवाह मडप बनाने के लिये प्रयुक्त होता है।

2.18 प्राकृतिक खण्ड :

सम्पूर्ण तहसील के उच्चावच, जलप्रवाह, जल स्तर, प्राकृतिक वनस्पति को ध्यान मे रखते हुए खादर एव बागर के दो वृहद प्राकृतिक खण्डो मे विभक्त किया गया है।

2.18.1 खादर अर्थात् नूतन निक्षेप क्षेत्र :

खादर अपने समीपवर्ती क्षेत्रो की तुलना मे नीचे एव नूतन निक्षेप युक्त भूमि होती है। प्रतिवर्ष यहा की मृदा बालू एव कीचड की एक परत से ढक जाती है। यह क्षेत्र आज भी अपनी निर्माण प्रक्रिया मे है। राप्ती, आमी एव कुआनो तथा अन्य नदियो के पास की नीची भूमि के पुरातन अवशिष्ट नदी प्रवाह गोखुर झील, रेतीले टीलो की उपस्थिति खादर क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण भू–दृश्य है। खादर क्षेत्र मे राप्ती के किनारे कीचड के निक्षेप जमा होते रहते है। राप्ती एव आमी के खादर क्षेत्र मे झाऊ एव खस की झाडिया पायी जाती है। यहा मानव अधिवास कम मिलते है। नदी जल के पार्श्ववर्ती क्षेत्र मे जल की अधिकता के कारण लम्बी घासो वाली झाडिया विकसित होती है। छिद्र युक्त बलुई मिट्टी के कारणइस

Fig No. 2.10

क्षेत्र का भूमिगत जलस्तर ऊँचा है। खादर क्षेत्र मे पर्याप्त नमी के कारण ग्रीष्म कालीन जायद शस्ये अच्छी होती है। जल प्रवाह के आधार पर खादर क्षेत्र की निम्न उपखण्डो मे विभक्त किया गया है (मानचित्र 2.10) ।

2.18.2 राप्ती खादर क्षेत्र :

इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण–पूर्व को है। यह क्षेत्र आमी राप्ती सगम पर चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल 115 किमी है। यहा उपजाऊ जलोढ निक्षेप तथा गोखुर झील की प्रमुखता है।

2.18.3 तरैना खादर क्षेत्र :

राप्ती की सहायक तरैनानदी के दोनो और उरूवा विकास खण्ड के उत्तर पश्चिम से एक पतली पट्टी से लेकर राप्ती के सगम तक है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र मे वर्ष मे केवल रबी शस्य की कृषि होती है।

2.18.4 आमी खादर क्षेत्र :

यह क्षेत्र आमी नदी के दोनो ओर आस पास के क्षेत्रो मे फैला हुआ है। इस खादर क्षेत्र मे सभी क्षेत्रो की तुलना मे नूतन जलोढ मिट्टी की अधिकता है। यह क्षेत्र अमियार ताल के पास अधिक चौडा है। यहा वर्षा ऋतु मे जल का विस्तार अधिक हो जाता है। यहा वर्ष मे केवल रबी शस्य ही उगायी जाती है। इसका ढाल उत्तर–पश्चिम से क्रमश दक्षिण पूर्व मे राप्ती के समीप तक है।

2.18.5 बांगर क्षेत्र अथवा पुरानत निक्षेप :

तहसील का अधिकाश भाग बागर अथवा पुरातन निक्षेप से निर्मित है। इस क्षेत्र का अधिकाश भाग बाढ के जल से अप्रभावित रहता है। सम्पूर्ण बागर क्षेत्र को निम्न उपखण्डो मे विभक्त किया गया है।

2.18.6 तरैना पार बांगर क्षेत्र :

यह तहसील बासगॉव का सबसे बडा बागर क्षेत्र है। इसके दक्षिण मे तरैना खादर क्षेत्र उत्तर मे आमी पार खादर क्षेत्र पूर्व मे राप्ती खादर क्षेत्र है। यह क्षेत्र तहसील का सबसे ऊँचा भाग है, जिसकी समुद्र सतह से ऊँचाई 81 5 मीटर है। मानसून के पहले और बाद के महीनो के भूमिगत जलस्तर मे 4 मीटर का अन्तर देखने को मिलता है। इस क्षेत्र की मिट्टी दोमट है, जिसमे खरीफ एव रबी शस्ये उगायी जाती है।

2.18.7 आमीपार बांगर क्षेत्र :

यह तहसील का सबसे छोटा बागर क्षेत्र है, जो आमी नदी के उत्तर स्थित है। इस क्षेत्र का जल प्रवाह अव्यवस्थित है, क्योकि धरातल का ढाल अत्यन्त मन्द है। इस भाग की मिट्टी दोमट है जिसमे गेहूँ, धान की कृषि प्रमुख रूप से होती है तथा सिचाई की समुचित व्यवस्था है।

संदर्भ

1. $63\frac{N}{2} + 63\frac{N}{6} + 63\frac{N}{7}$ 1" Mile Topographical Sheets of Survey of India

2. OLDHam, R D The deep NBoring at Lucknow, Record of the Geological Survey of India, Vol XXIII, P 263

3. Cowie, H M Memories of the Geological Suvey of India Professional paper No 18 (Dehradun, 1921) P 6

4. Glennie, E A Memories of the Geological Survey of India, Professional Paper no 27, (Dehradun 1932) P22

5. Krishnan M S · Geologiy of India and Barma (Madras 1949), P 523

जनसंख्या

प्रादेशिक अध्ययन के विषय—वस्तु का केन्द्र बिन्दु मानव है। मानव एक उत्पादक, सेवाओ का सृजनकर्ता, उपभोक्ता तथा स्वय एक ससाधन है। इसमे प्रकृति को प्रभावित करने एव उससे अनुकूलन की अपार क्षमता होने के बावजूद अनेक भौतिक तथा सास्कृतिक कारको ने जनसख्या वितरण को प्रभावित किया है। मानव के सामाजिक आर्थिक एव बौद्धिक विकास स्तर के अनुसार ही उस क्षेत्र का भूमि उपयोग एव विकास होता है। विगत दशाब्दियो मे जनसख्या की तीव्र वृद्धि के कारण भूमि पर दबाव निरन्तर बढता ही जा रहा है। अत आवश्यक है कि एक ओर तो उस क्षेत्र की जनसख्या के विभिनन पक्षो का अध्ययन किया जाय, तथा दूसरी ओर भूमि के उपयोग, अनुपयोग, उनकी वहन क्षमता तथा सरक्षण तथाप्राकृतिक एव सास्कृतिक वातावरण का व्याहारिक अध्ययन किया जाये जिससे उस क्षेत्र की भावी विकास हेतु आयोजना बनाई जा सके। किसी भी क्षेत्र की जनसख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारको मे अभिगम्यता, धरातलीय स्वरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी तथा जल की उपलब्धि प्रमुख कारक है। सास्कृतिक कारको मे सास्कृतिक समूहो का विस्थापन, उत्प्रवास तथा राजनैतिक कारणो द्वारा विस्थापन आदि सम्मिलित है। अध्ययन क्षेत्र की जनसख्या को उपर्युक्त कारको ने अधिक प्रभावित किया है। अध्ययन क्षेत्र एक समतल मैदानी कृषि क्षेत्र होने के कारण सघन आबादी वाला क्षेत्र है। प्रस्तुत अध्ययन मे जनसख्या वृद्धि, जनसख्या वितरण से लेकर जनसख्या के विभिन्न पक्षो का अध्ययन किया गया है।

3.1 जनसंख्या वृद्धि :

जनसख्या की दृष्टि से तहसील बासगॉव सघन आबादी का क्षेत्र है। वर्ष 1987 मे तहसील विभाजन के पश्चात् भी जनवृद्धि मे कमी नही आयी है। सारणी 3 1 मे अध्ययन क्षेत्र के पिछले तीन दशको की जनसख्या वृद्धि को दर्शाया गया है। सारणी से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे 1961–1971 की अवधि मे 18 01 प्रतिशत जनसख्या की वृद्धि हुई है। वर्ष 1971–81 की अवधि मे यह वृद्धि 22 5 प्रतिशत हो गयी तथा वर्ष 1981–96 की अवधि मे यह अभिवृद्धि 25 4 प्रतिशत की है। सारणी (3 1) से स्पष्ट है कि दशकीय जनवृद्धि अधिक हुई है (मानचित्र 3 1 एव 3 1 ब)।

सारणी 3.1

तहसील बासगॉव जनसख्या मे दशकीय वृद्धि (1961–1998)

जनगणना वर्ष	सम्पूर्ण जनसख्या	जनसख्या वृद्धि (प्रतिशत मे)	घनत्व / वर्ग कि मी
1961	182340		
1971	215197	18 01	486
1981	263735	22 5	646
1998	330834	25 4	909

स्रोत जिला सख्याधिकारी द्वारा प्राप्त साख्यिकी पत्रिका के आधार पर।

अध्ययन क्षेत्र की जनसख्या वृद्धि को न्याय पचायत स्तर पर चार श्रेणियो मे विभजित किया जा सकता है।

उच्च श्रेणी :

इस श्रेणी के अन्तर्गत 96 64 प्रतिशत से अधिक वृद्धि वाली न्याय पचायते सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत विकास खण्ड कौडीराम की दो न्याय पचायत ऊँचेर तथा कोडीराम एव दररी न्याय पचायत सम्मिलित है। इन न्याय

तहसील बासगॉव
जनसख्या वृद्धि
(1971-98)

> 96 64
58 97 - 96 64
22 3 - 58 97
< 22 3

M = 58 97
SD = 37 67

0 2 km

Fig No 3 1 A

Fig 3 1 B

पचायतो मे उच्च जनवृद्धि होने का प्रमुख कारण सामाजिक एव नागरिक सुविधाओ मे वृद्धि है। वर्तमान मे विकास खण्ड कौडीराम मुख्यालय के साथ–साथ सेवा केन्द्र के रूप मे विकसित हुआ है। सामाजिक, स्वास्थ्य सुविधाओ मे वृद्धि होने के कारण यहा जनवृद्धि दर अधिक रही है। न्याय पचायत उँचेर मे अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी भाग मे राप्ती नदी के किनारे स्थित है। पिछले दशको मे जन वृद्धि कम रही है। बाढ आदि के कारण जन बसाव कम रहा है परन्तु बाध बन जाने तथा नागरिक सुविधाओ मे वृद्धि से यहा जनवृद्धि दर तीव्र रही है। गगहा विकास खण्ड के दरसी न्याय पचायत मे जन वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। इसका प्रमुख कारण प्राकृतिक दशाओ के अनुकूल होने के साथ सामाजिक सुविधाओ मे वृद्धि है दरसी न्याय पचायत के बीच से राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 29 गुजरती है। परिवहन एव सचार की सुविधाये है। इस न्याय पचायत मे अनुसूचित जातियो की सख्या अधिक है तथा शिक्षा का प्रतिशत कम है। यहा जनवृद्धि दर मे उपुर्युक्त कारण सहायक सिद्ध हुए है।

सारणी 3.2

तहसील बासगॉव न्याय पचायत स्तर पर जनसख्या वृद्धि (1971–98)

क्रम स	न्याय पचायत का नाम	जनसख्या 1971	1998	वृद्धि	वृद्धि दर (%)
1	देवडार बाबू	8093	12482	4389	54 23
2	फुलहर खुर्द	5930	8087	2157	36 37
3	मरवटिया	6108	10055	3947	64 62
4	बास गॉव	12281	19645	7364	59 90
5	धनौडा खुर्द	9504	14306	4802	50 52
6	विशुनपुर	6466	9581	3115	48 17
7	पाली खास	7191	9826	2635	36 64
8	लेडुआबारी	4325	6292	1967	45 47
9	दुबौली	5407	7642	2235	41 33

10	डॅवरपार	6552	10062	3510	53 57
11	भीटी	5481	7758	2277	41 54
12	बिस्टौली	6655	10143	3488	52 41
13	मलॉव	9233	13378	4145	44 89
14	कौडीराम	7984	16968	8984	112 52
15	चवरिया बुजुर्ग	5500	8647	3147	57 21
16	ऊँचेर	5586	13490	7904	141 49
17	सोहगौरा	6598	8462	1864	28 25
18	बारूडीहा	9812	14780	4968	50 63
19	जानीपुर	10317	14966	4649	45 06
20	हटवा	19178	25407	6229	32 47
21	नर्रे बुजुर्ग	6185	9977	3792	61 30
22	दररी	2552	7799	5247	205 6
23	कोठा	10512	14954	4442	42 25
24	बेलकूर	6863	8137	1247	18 16
25	राउतपार	6893	12437	5544	80 42
26	तिलसर	2456	4126	1670	67 99
27	हाटा बुजुर्ग	6199	8758	2559	41 28
28	सहुआकोल	8186	11927	3741	45 69
29	महिलवार	7150	10742	3592	50 23
	योग	215197	330834	115609	1710 21

सारणी 3.3

तहसील बासगॉव मे जनसख्या वृद्धि (1971-1998)

क्रम स	वर्ग अन्तराल	व्यक्ति वर्ग कि मी	न्याय पचायत की सख्या	प्रतिशत
1	> 96 64	> Mean + ISD	3	10 35
2	58 97-96 64	Mean - mean + ISD	5	17 44
3	22 3-58 97	Mean - ISD - mean	20	68 8
4	< 22 3	< Mean - ISD	1	3 41
	योग		**29**	**100.00**

मध्यम श्रेणी :

इस श्रेणी के अन्तर्गत 58 97 से 96 64 प्रतिशत के मध्य जनसख्या वृद्धि वाले न्याय पचायत सम्मिलित है। इस श्रेणी मे विकास खण्ड बासगॉव, मरवटिया तथा गगहा की नर्रे एव राउतपार न्याय पचायते सम्मिलित है। इन न्याय पचायतो मे उच्च जनवृद्धि दर से कम वृद्धि होने का कारण इनमे शिक्षित लोगो का प्रतिशत अधिक है, अत यहा जनवृद्धि दर भी औसत रही है।

निम्न श्रेणी :

इस श्रेणी के अन्तर्गत 68 8 प्रतिशत न्याय पचायते सम्मिलित है। इन न्यायपचायतो की जनसख्या वृद्धि दर 22 3 से 58 97 के मध्य है। इस श्रेणी मे न्याय पचायत जानीपुर, हटवा, बासूडीहा पाली, दुबौली, महिलवार इत्यादि सम्मिलित है।

निम्नतम श्रेणी :

इस श्रेणी के अन्तर्गत 22 3 प्रतिशत से कम वृद्धि वाला एकमात्र न्याय पचायत बेलकुर है, जो अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी—पूर्वी भाग मे राप्ती नदी के

किनारे स्थित है। इन न्याय पचायत की पूर्वी सीमा राप्ती नदी द्वारा बनती है। यह अन्य न्याय पचायतो की अपेक्षा पिछडा हुआ है तथा बाढ ग्रस्त क्षेत्र है। राप्ती के खादर क्षेत्र मे स्थित है। यह वृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण प्रति वर्ष बाढ का प्रकोप तथा नागरिक सुविधाओ का अभाव है।

3.2 जनसंख्या वितरण :

जनसख्या वितरण के अध्ययन से किसी भी क्षेत्र की जनसकुलता का बोध होता है। अध्ययन मे तहसील बासगॉव की जनसख्या की न्याय पचायत स्तर प्रति वर्ग कि मी वितरण को प्रदर्शित किया गया है। जनसख्या वितरण को भली–भाति प्रस्तुत करने हेतु निम्न प्रकार जैसे – (सामान्य घनत्व, कायिक घनत्व एव कृषि घनत्व) के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।

3.2.1 सामान्य घनत्व ·

किसी क्षेत्र की कुल जनसख्या मे कुल क्षेत्रफल के अनुपात को सामान्य घनत्व कहा जाता है। अध्ययन क्षेत्र मे न्याय पचायत स्तर पर सामान्य घनत्व मे पर्याप्त असमानता देखने को मिलता है जिसका उल्लेख निम्न प्रकार है –

न्याय पचायत स्तर पर जनसख्या के घनत्व को व्यक्ति वर्ग कि मी सारणी 3 6 मे स्पष्ट किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है।

तहसील बासगॉव मे जनसख्या का सर्वाधिक घनत्व न्याय पचायत बासगॉव मे है। यहा सामान्य घनत्व 2732 व्यक्ति प्रति वर्ग कि मी पाया जाता है। यहा उच्च जनसकुलता होने का मुख्य कारण तहसील मुख्यालय तथा गैर कृषि क्रियाकलापो का मुख्य केन्द्र है। द्वितीय स्थान पर न्याय पचायत कौडीराम जिसका घनत्व 1437 व्यक्ति प्रति वर्ग कि मी है। वर्तमान मे कौडीराम सेवा केन्द्र के रूप मे विकसित हो रहा है जहॉ स्थानीय तथा अन्य क्षेत्रो से भी जनसख्या का प्रवाह हो रहा है। तृतीय श्रेणी मे इस तहसील की छ न्याय पचायते सम्मिलित

है, जिनमे नर्रे, दरसी, कोठा एव चवरिया बुजुर्ग आदि प्रमुख है। इन न्याय पचायतो मे घनत्व अधिक होने का मुख्य कारण भौगोलिक दशाओ की अनुकूलता है। मिट्टी उपजाऊ प्रकार की हे यहा सामाजिक सुविधाये भी उन्नत स्तर की है। तहसील मे सबसे कम जन घनत्व न्याय पचायत मलॉव मे है, जो अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी–पूर्वी भाग मे स्थित है। यहा सामान्य घनत्व 499 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है।

अध्ययन क्षेत्र का औसत घनत्व 905 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। तुलनात्मक दृष्टि से 1991 मे सम्पूर्ण भारत (267 व्यक्ति / वर्ग किमी), उत्तर प्रदेश (471 व्यक्ति / किमी) एव गोरखपुर जनपद (880 व्यक्ति / वर्ग किमी) से अध्ययन क्षेत्र का घनत्व अधिक है जिसका विवरण सारणी (3 6 एव मानचित्र 3 2 अ, ब) मे स्पष्ट है।

(अ) न्याय पचायत पर जनसख्या का सामान्य घनत्व

अध्ययन क्षेत्र मे वर्ष 1971 एव वर्ष 1998 की जनसख्या को तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर पता चलता है कि वर्ष 1971 से 1998 के

सारणी 3.4

तहसील बासगॉव न्याय पचायत स्तर पर समान्य घनत्व (1971)

क्रम स	न्याय पचायत	कुल क्षेत्र	कुल जनसख्या	घनत्व	श्रेणीयन
1	देवडार बाबू	1691	8093	478	16
2	फुलहर खुर्द	983	5930	603	4
3	मरवटिया	1446	6108	422	20
4	बास गॉव	1432	12281	857	1
5.	धनौडा खुर्द	1905	9504	487	14
6	विशुनपुर	1447	6466	446	18
7	पाली खास	1337	7191	537	9

8	लेड्डुआबारी	1051	4325	411	22
9.	दुबौली	975	5407	544	7
10	डॅवरपार	1240	6552	528	11
11	भीटी	1122	5481	483	15
12	बिरटौली	1823	6655	365	26
13	मलॉव	2342	9233	394	24
14	कौडीराम	1317	7984	606	3
15	चवरिया बुजुर्ग	1421	5500	416	21
16	ऊॅचेर	1643	5586	339	27
17	सोहगौरा	1455	6598	453	17
18	बासूडीहा	1786	7812	437	19
19	जानीपुर	1908	10617	570	6
20	हटवा	3236	19178	592	5
21	नर्रे बुजुर्ग	1233	6185	501	12
22	दरसी	1195	2552	213	29
23	कोठा	1327	10512	792	2
24	बेलकूर	1212	6863	566	7
25	राउतपार	1285	6893	536	10
26	तिलसर	851	2456	288	281
27	हाटा बुजुर्ग	1628	6199	380	25
28	सहुआकोल	1651	8186	495	13
29	महिलवार	1789	7150	399	23
	योग	43629	215197	486	

मध्य जनसख्या मे तीव्र वृद्धि हुई है। वर्ष 1971 के सर्वाधिक घनत्व की सीमा भी वर्ष 1998 के औसत घनत्व से कम है। सामान्य घनत्व के आधार पर मध्यमान एव प्रामाणिक विचलन की गणना की गयी। इस गणना के आधार पर

Fig No 3 2 A

Fig No 3 2 B

घनत्व का चार श्रेणियो मे बाटा गया है, जिसका विवरण निम्न (मानचित्र 3 2 A,B एव सारणी 3 5 A,B) से स्पष्ट है।

सारणी 3.5 A

न्याय पचायत स्तर पर सामान्य घनत्व (1971)

क्रम स.	वर्ग अन्तराल	व्यक्ति वर्ग कि मी	न्याय पचायत की सख्या
1	> 616	> Mean + ISD	3
2	486 - 616	Mean - meant + ISD	11
3	356 - 486	Mean - ISD - M - ISD	12
4	< 356	< Mean - ISD	3
	योग		**29**

उच्च श्रेणी

इस श्रेणी के अन्तर्गत बासगॉव तथा न्याय पचायत कौडीराम आते है न्याय पचायत बासगॉव का सामान्य घनत्व क्रमश 1971 मे 857 व्यक्ति प्रति वर्ग कि मी एव 1998 मे 2732 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। न्याय पचायत बासगॉव मे तहसील मुख्यालय स्थित है साथ ही यह अध्ययन क्षेत्र का क्रोण क्षेत्र है। यहा सामाजिक–नागरिक सुविधाये उन्नत स्तर की है, यह अध्ययन क्षेत्र के विकास केन्द्र के रूप मे है। सामाजिक सुविधाओ मे विस्तार के साथ ही यहा जनसकुलता मे 'वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त यहा जन घनत्व अधिक होने का कारण इस न्याय पचायत का क्षेत्रफल भी कम है। न्याय पचायत कौडीराम का घनत्व क्रमश 1971 मे 606 तथा 1998 मे 1437 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। वर्ष 1971 मे न्याय पचायत कोठा का घनत्व कौडीराम से अधिक था। परन्तु 1971 के पश्चात कौडीराम का विकास तीव्र गति से हो रहा है। यह अध्ययन क्षेत्र के सेवा केन्द्र के रूप विकसित है। वर्तमान मे यह अध्ययन क्षेत्र परिवहन, सचार का केन्द्र बिन्दु के रूप मे विकसित है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अतिरिक्त यहा से गोला, गजपुर एव

बासगॉव को सडके जाती है। यहा सामाजिक सुविधाओ का काफी विस्तार हुआ है। इसके अतिरिक्त यहा उपजाऊ मृदा का होना, खाद्यान फसलो के उत्पादन मे वृद्धि, मृत्युदर मे कमी, स्वास्थ्य सेवाओ मे विस्तार आदि है।

सारणी 36

तहसील बासगॉव न्याय पचायत स्तर पर सामान्य घनत्व (1997-98)

क्रम स	न्याय पचायत का नाम	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	कुल जनसख्या	सामान्य घनत्व व्यक्ति/वर्ग किमी	
1	देवडार बाबू	14 26	12485	475	12
2	फुलहर खुर्द	9 32	80874	867	15
3	मरवटिया	11 23	10055	895	10
4	बास गॉव	7 19	19645	2732	1
5	धनौडा खुर्द	19 69	14306	726	21
6	बिशुनपुर	14 65	9581	653	24
7	पाली खास	13 33	9826	737	20
8	लेडुआबारी	11 04	6292	572	28
9	दुबौली	9 74	7626	782	19
10	ङॅवरपार	12 43	10062	809	18
11	भीटी	9 19	7758	844	16
12	बिस्टोली	17 7	10143	573	27
13	मलॉव	26 8	13378	499	29
14	कौडीराम	13 89	16968	1437	2
15	चवरिया बुजुर्ग	8 15	8647	1060	5
16	ऊँचेर	15 5	13490	870	13
17	सोहगौरा	14 71	8462	575	26
18	बासूडीहा	16 99	14780	869	14
19	जानीपुर	18 13	14966	825	17

20	हटवा	28 17	25407	901	9
21	नर्रे बुजुर्ग	10 42	9977	957	6
22	दरसी	8 15	7799	956	7
23	कोठा	11 99	14954	1247	3
24	बेलकूर	12 20	8137	666	22
25	राउतपार	14 04	12437	888	11
26	तिलसर	3 44	4126	1199	4
27	हाटा बुजुर्ग	9 3	8758	941	8
28	सहुआकोल	18 57	11927	642	25
29	महिलवार	16 20	10742	653	23
	योग		330834	26258	905

सारणी 3.5 B

न्याय पचायत स्तर पर सामान्य घनत्व (1998) B

क्रम स	वर्ग अन्तराल	व्यक्ति वर्ग कि मी	न्याय पचायत की सख्या
1	> 1307	> Mean + ISD	2
2	905-1307	Mean - meant + ISD	6
3	503-905	Mean - ISD - mean	20
4	<503	< Mean - ISD	1
	योग		**29**

मध्यम श्रेणी :

इस श्रेणी के अन्तर्गत 1971 मे 11 न्याय पचायते सम्मिलित थी, जिनका घनत्व 486–616 के मध्य था। वर्ष 1998 मे इस श्रेणी मे 6 न्याय पचायते सम्मिलित है, जिनका घनत्व 905–1307 के मध्य है। अत वर्ष 1971 की अपेक्षा 1998 के न्याय पचायतो की सख्या मे कमी आयी है, किन्तु जनघनत्व मे बढोत्तरी हुई है। उपर्युक्त उच्च श्रेणी से इस श्रेणी मे जनघनत्व होने का कारण

उपर्युक्त न्याय पचायते अध्ययन क्षेत्र के क्रोड के रूप मे हे। इन न्याय पचायतो मे वृद्धि का कारण गहन कृषि का होना है, जिससे प्रति हेक्टेअर उत्पादन मे वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त इनमे रहन–सहन का स्तर उच्च, शिक्षा के स्तर मे सुधार, नागरिक, सामाजिक सुविधाओ मे वृद्धि के फलस्वरूप जन्म दर मे कमी आयी है। इन न्याय पचायतो का घनत्व गोरखपुर जनपद के औसत घनत्व से ज्यादा है।

निम्न श्रेणी :

इस श्रेणी मे वर्ष 1971 मे 12 न्याय पचायते सम्मिलित थी, जिनका घनत्व 356–486 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था जबकि वर्ष 1998 मे इस श्रेणी के अन्तर्गत 20 न्याय पचायते है, जिनका घनत्व 905 से 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी के मध्य है। वर्ष 1971 की अपेक्षा 1998 मे न्याय पचायतो की सख्या तथा जनघनत्व दोनो मे वृद्धि हुई है। इस श्रेणी मे उपर्युक्त से जनघनत्व कम होने का कारण इनमे अधिकाश न्याय पचायते राप्ती तथा आमी नदियो के किनारे स्थित है, इनमे बाढ आदि का खतरा बना रहता है। मिट्टी भी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, क्योकि यह भू–भाग निम्न धरातल वाला है। इनमे ताल–पोखरे भारी सख्या मे है जिनमे क्षेत्रफल ज्यादा है, पर कृषि योग्य क्षेत्रफल कम है। नागरिक सुविधाओ की भी कमी है।

निम्नतम श्रेणी :

इस श्रेणी के अन्तर्गत वर्ष 1971 मे 3 न्याय पचायते सम्मिलित थी, जिनका घनत्व 356 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम था जबकि वर्ष 1998 मे तहसील की एकमात्र न्याय पचायत मलॉव जो अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी–पूर्वी भाग मे स्थित है, सम्मिलित है। इस न्याय पचायत का घनत्व 499 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। इस न्याय पचायत को तीन तरफ से राप्ती तथा आमी नदियो ने आवृत कर रखा है। इस न्याय पचायत का पूर्वी, उत्तरी–पूर्वी तथा दक्षिणी–पूर्वी भाग बाढ

ग्रस्त क्षेत्र है, तथा गैर आबाद गॉव भी है। इस न्याय पचायत मे जनघनत्व कम होने का एक कारण इसका क्षेत्रफल अधिक है। मृदा उर्वरता निम्न स्तर की है। आवागमन की असुविधा तथा बाढ एव नदी द्वारा आबादी क्षेत्र को अपरदित करने के कारण भी जनसख्या घनत्व मे कमी है।

3.2.2 कायिक घनत्व :

किसी क्षेत्र की कुल कृषित भूमि एव उस क्षेत्र की कुल जनसख्या के अनुपात को कायिक घनत्व कहा जाता है। अध्ययन क्षेत्र का ग्राम स्तर एव न्याय पचायत स्तर पर कायिक घनत्व को मध्यमान एव प्रामाणिक विचलन के आधार पर परिगणित किया गया है।

न्याय पचायत स्तर पर जनसख्या के कायिक घनत्व को व्यक्ति/वर्ग किमी मे सारणी 3 9 से स्पष्ट किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है –

अध्ययन क्षेत्र मे न्याय पचायत स्तर पर औसत कायिक घनत्व 696 व्यक्ति/वर्ग किमी है। न्याय पचायत स्तर पर कायिक घनत्व मे पर्याप्त भिन्नता मिलती है। सर्वाधिक कायिक घनत्व बासगॉव न्याय पचायत (2067 व्यक्ति/वर्ग किमी) है जबकि द्वितीय स्थान पर न्यायपचायत कौडीराम (1052 व्यक्ति/वर्ग किमी) है। इस प्रकार क्रमश न्याय पचायत कोठा, हटवा, ऊँचरे, जानीपुर बासूडीहा मे क्रमश 856, 831, 792, 774, एव 762 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। सबसे कम घनत्व न्याय पचायत लेडुआबारी (395 व्यक्ति/वर्ग किमी) है। (सारणी 3 7)

(अ) न्याय पंचायत स्तर पर कायिक–घनत्व :

अध्ययन क्षेत्र के वर्ष 1971 एव 196 की कायिक घनत्व को मध्यमान एव प्रामाणिक विचलन के आधार पर ज्ञात किया गया है। इस गणना के आधार पर कायिक–घनत्व को चार श्रेणियो मे विभक्त किया गया है जिसका विवरण निम्नावत है (मानचित्र 3 3 A तथा B तथा सारणी 3 7 A एव B)।

सारणी 7.7

तहसील बासगॉव न्याय पचायत स्तर पर कायिक घनत्व (1971)

क्रम स	न्याय पचायत	कृषि क्षेत्रफल	जनसख्या	घनत्व व्यक्ति / वर्ग किमी	श्रेणीयन
1	देवडार बाबू	1750	8093	462	15
2	फुलहर खुर्द	1107	5930	535	9
3	मरवटिया	1548	6108	394	22
4	बास गॉव	1232	12281	996	1
5	धनौडा खुर्द	1953	9504	486	13
6	विशुनपुर	1571	6466	411	20
7	पाली खास	1493	7191	481	14
8	लेडुआबारी	1235	4325	350	27
9	दुबौली	1044	5407	517	12
10	डॅवरपार	1251	6552	523	11
11	भीटी	1470	5481	372	24
12	बिस्टौली	1876	6655	355	26
13	मलॉव	2229	9233	414	19
14	कौडीराम	935	7984	853	2
15	चवरिया बुजुर्ग	1429	5500	384	23
16	ऊॅचेर	1395	5586	400	21
17	सोहगौरा	1455	6598	453	16
18	बासूडीहा	1856	7812	420	18
19	जानीपुर	1908	10317	540	7
20	हटवा	2608	19178	736	4
21	गर्रे बुजुर्ग	1071	6185	578	6
22	दरसी	1051	2552	242	29

23	कोठा	1267	10512	829	3
24	बेलकूर	1308	6863	524	10
25	राउतपार	1258	6893	536	8
26	तिलसर	1195	2456	25 8	28
27	हाटा बुजुर्ग	1681	6199	368	25
28	सहुआकोल	1906	8186	429	17
29	महिलवार	1080	7150	662	5
	योग	42918	207611	481	

स्रोत जिला जनगणना हस्त पुस्तिका 1971

उच्च श्रेणी :

इस श्रेणी मे वर्ष 1971 मे 5 न्याय पचायते सम्मिलित थी जिनका कायिक घनत्व 652 व्यक्ति/किमी से अधिक था जबकि वर्ष 1998 मे दो न्याय पचायत कौडीराम एव बासगॉव है जिनका कायिक घनत्व 986 व्यक्ति/किमी से अधिक है। वर्ष 1971 की अपेक्षा वर्ष 1998 मे न्याय पचायतो की सख्या मे कमी आयी है, परन्तु कायिक घनत्व मे वृद्धि हुई है। ये न्याय पचायत अध्ययन क्षेत्र के मध्य भाग मे स्थित हैं। इन न्याय पचायतो मे घनत्व अधिक होने का कारण कृषि सम्बन्धित नवीन कृषि उपकरणो की बहुलता होना, तथा उपजाऊ मृदा का होना है। आवगमन की सुविधा, स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाओ मे वृद्धि के साथ ही इनके क्षेत्रफल कम है, जबकि क्रोड क्षेत्र होने के कारण जनसख्या बसाव ज्यादा है (मानचित्र 3 3 A एव B)।

तहसील बासगॉंव
कायिक घनत्व
(1971)
> 653
481 - 653
310 - 481
< 310
M = 481
SD = 170
0
2 km
Fig No 3 3(A)
तहसील बासगॉंव
कायिक घनत्व
(1998)
> 986
696 - 986
406 - 696
< 406
M = 696
SD = 290
0
2 km
Fig No 3 3(B)

सारणी 3.8 A

तहसील बास गाव न्याय पचायत स्तर पर कायिक घनत्व (1971)

क्रम स	वर्ग अन्तराल	व्यक्ति वर्ग कि मी	न्याय पचायत की सख्या
1	> 652	> Mean + ISD	5
2.	481-652	Mean - M + ISD	8
3	310-481	M - ISD - Mean	14
4	< 310	< Mean - ISD	2
	योग		29

मध्यम श्रेणी :

इस श्रेणी मे वर्ष 1971 मे 8 न्याय पचायत सम्मिलित थे जिनका कायिक घनत्व 481—653 व्यक्ति/वर्ग किमी था जबकि वर्ष 1998 मे इस श्रेणी मे 9 न्याय पचायते सम्मिलित है, जिनका घनत्व 696 से 986 व्यक्ति/वर्ग किमी है। वर्ष 1971 की अपेक्षा न्याय पचायतो की सख्या तथा घनत्व मे भी वृद्धि हई है। वर्तमान मे इन न्याय पचायतो मे कृषि सम्बन्धी नवीन उपकरणो का प्रयोग होना है। इनमे कुछ न्याय पचायतो जैसे डॅवरपार, बासूडीहा, कोठा जानीपुर मे शिक्षा का स्तर समुन्नत है। उन्नत किस्म के बीजो का प्रयोग, उपकरणो का प्रयोग, सिचाई साधनो मे वृद्धि तथा नागरिक सुविधाओ के कारण जनसख्या बसाव भी ज्यादा है। ये न्याय पचायते अध्ययन क्षेत्र के चारो तरफ उत्तरी, पूर्वी तथा दक्षिणी भाग मे स्थित है।

निम्न श्रेणी :

इस श्रेणी मे वर्ष 1971 मे 14 न्याय पचायते सम्मिलित थी जिनका घनत्व 310 से 481 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था जबकि वर्ष 1998 मे इस श्रेणी के अन्तर्गत 17 न्याय पचायते है जिनका घनत्व 406 से 696 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है। अत वर्ष 1971 की अपेक्षा न्याय पचायतो की सख्या तथा घनत्व मे

वृद्धि हुई है। इनमे निम्न घनत्व का कारण राप्ती, तरैना तथा आमी नदियो के बाढ प्रभावित क्षेत्रो मे स्थिति है। इनमे से कुछ न्याय पचायतो मे निम्न भूमि होने के कारण वर्षा ऋतु मे निम्न भूमि पर जल जमाव तथा जल एकत्रित होकर वृहद जलाशयो का रूप धारण कर लेता है। अध्ययन क्षेत्र के जो न्याय पचायते बागर क्षेत्र मे है, उनमे नवीन कृषि उपकरणो की कमी तथा जनसख्या कम होने कारण कृषि पर दबाव कम है। ऐसे क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र के चारो तरफ पाये जाते है।

सारणी 3.9

तहसील बासगॉव न्याय पचायत स्तर पर कायिक घनत्व (1998)

क्रम स	न्याय पचायत का नाम	जनसख्या	कृषि क्षेत्रफल (हे)	कायिक घनत्व व्यक्ति/वर्ग किमी	श्रेणीयन
1	देवडार बाबू	12482	1913	652	13
2	फुलहर खुर्द	8087	1423	568	23
3	मरवटिया	10055	1911	528	26
4	बारा गॉव	19645	950	2067	1
5	धनौडा खुर्द	14306	2460	581	19
6	विशुनपुर	9581	1861	515	27
7	पाली खास	9826	1529	642	14
8	लेडुआबारी	6292	1592	395	29
9	दुबौली	7626	1292	590	18
10	डॅवरपार	10062	1441	698	11
11	भीटी	7758	1467	529	25
12	बिस्टौली	10143	1779	570	22
13	मलॉव	13378	1910	700	10
14	कौडीराम	16968	1612	1052	2
15	चवरिया बुजुर्ग	8647	1091	792	5
16	ऊॅचेर	13490	1886	715	9

17	सोहगौरा	8462	1501	560	24
18	बारडीहा	14780	1938	762	7
19	जानीपुर	14966	1932	774	6
20	हटवा	25407	3054	831	4
21	नर्रे बुजुर्ग	9977	1604	622	15
22	दरसी	7799	1156	674	12
23	कोठा	14954	1746	856	3
24	बेलकूर	8137	1699	478	28
25	राउतपार	12437	2078	598	17
26	तिलसर	4126	544	758	8
27	हाटा बुजुर्ग	8758	1439	608	16
28	सहुआकोल	11927	2079	573	21
29	महिलवार	10742	1865	575	20
	योग	330834	48952	696	

सारणी 3.8 B

तहसील बास गाव   न्याय पचायत स्तर पर कायिक घनत्व (1998)

क्रम स	वर्ग अन्तराल	व्यक्ति वर्ग कि मी	न्याय पचायत की सख्या
1	> 986	> Mean + ISD	2
2	696-986	Mean - M + ISD	9
3	406-696	Mean - ISD - Mean	14
4	< 406	< Mean - ISD	2
	योग		29

निम्नतम श्रेणी :

इस श्रेणी वर्ष 1971 मे दो न्याय पचायते (दरसी, तिलसर) थी जिनका घनत्व 310 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम था जबकि 1998 मे एकमात्र न्याय पंचायत लेडुआबारी सम्मिलित है जिसका घनत्व 406 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम है। वर्ष 1971 की जो न्याय पचायते निम्न श्रेणी मे सम्मिलित है इसका प्रमुख कारण तिलसर न्याय पचायत का तहसील विभाजन के पश्चात क्षेत्रफल कम हो जाना है जबकि जनसख्या बसाव अधिक है इसके अतिरिक्त कृषि साधनो का उन्नत प्रयोग भी है लेडुआबारी पिछडी हुई न्याय पचायत है। यहा निम्नगति से विकास हुआ है। कृषि क्षेत्र का गहन उपयोग नही हुआ है। इस न्यारा पचायत मे शिक्षा का स्तर निम्न है। सामान्य घनत्व भी कम है। यह अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी–पश्चिमी भाग मे स्थित है। यहा कम उपजाऊ मृदा है। इस श्रेणी के गाव तरैना नदी बाढ क्षेत्र के अन्तर्गत आते है। इस न्याय पचायत के अधिकाश भू–भाग प्रति वर्ष तरैना नदी के बाढ से प्रभावित होते है। अत यहा जनसख्या निवास कम है।

3.2.3 कृषि घनत्व :

किसी क्षेत्र मे कृषित भूमि एव कृषि कार्य मे लगी हुई जनसख्या के अनुपात को कृषि घनत्व कहा जाता है। इससे कृषि भूमि पर जनसख्या दबाव का आभास मिलता है, जिससे ग्रामीण विकास अथवा न्यियेजन मे सहायता मिलती है। अध्ययन क्षेत्र का औसत कृषि घनत्व 128 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है (सारणी 3 12)।

अध्ययन क्षेत्र मे सर्वाधिक कृषि घनत्व न्याय पचायत दरसी मे (178 व्यक्ति / किमी) है, तथा न्यूनतम घनत्व लेडुआबारी मे (83 व्यक्ति / किमी) पाया जाता है। उच्च कृषि घनत्व वाले क्षेत्रो मे उपजाऊ भूमि, सिचाई की सुविधा, नवीन कृषि उपकराणो का प्रयोग, उन्नम बीज एव आवगमन की सुविधा है। ऐसे क्षेत्र

तहसील बासगॉव
कृषि घनत्व
(1971)
> 177
137 - 177
97 - 137
< 97
M = 137
SD = 40
0
2 km
Fig No 3 4 A
तहसील बासगॉव
कृषि घनत्व
(1998)
> 152
128 - 152
104 - 128
< 104
M = 126
SD = 27 3
0
2 km
Fig No 3.4 B

नदियो के प्रभाव क्षेत्र से दूर, उपयुक्त कृषि दशाओ वाले भागो मे स्थित है। ऐसे क्षेत्र ग्रामीण सेवा–केन्द्रो के आस–पास स्थित है। इनमे जनसख्या अधिक है, तथा कृषि के लिये आवश्यक सुविधाये (उपजाऊ मृदा, कृषि के नवीन तकनीको का प्रयोग) उपलब्ध है। निम्न कृषि घनत्व वाले क्षेत्र नदियो के तटवर्ती भाग मे स्थित है। ऐसे क्षेत्रो मे बाढ प्रभाव के कारण जनसख्या भी कम तथा कृषि क्षेत्र भी कम है। तुलनात्मक रूप से वर्ष 1971 की अपेक्षा वर्ष 1998 मे कृषक जनसख्या मे कमी आयी है। वर्ष 1971 मे औसत कृषि घनत्व 137 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। वर्ष 1971 मे कुल जनसख्या मे कृषक जनसख्या का प्रतिशत 27 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 1998 मे कुल जनसख्या मे कृषक जनसख्या 18 7 प्रतिशत है। इसका प्रमुख कारण अध्ययन क्षेत्र के बाहर पुरूषो का प्रवजन है। इस क्षेत्र के अधिकाश पुरूष वर्ग दक्षिणी–पूर्वी एशिया के दशो (थाइलैण्ड, वर्मा, सिगापुर, मलाय आदि) धनोपार्जन हेतु जाते है। जबकि वर्तमान मे अधिकाश जनसख्या खाड़ी देशो की तरफ भी प्रवजन की है। प्रति हेक्टअर भूमि कम तथा उद्यम के अभाव मे पिछडी तथा अन्य अनुसूचित जातियो के पुरूष देश के विभिन्न औद्योगिक नगरो मे कृष्येत्तर कार्यों हेतु प्रवास करते है।

सारणी 3.10

तहसील बासगॉव न्याय पचायत स्तर पर कृषि घनत्व (1971)

क्रम स	न्याय पचायत	कुल कृषि क्षेत्रफल हे	कुल कृषक जनसख्या	घनत्व प्रति व्यक्ति / वर्ग किमी	श्रेणीयन
1	देवडार बाबू	1750	2533	145	10
2	फुलहर खुर्द	1107	1928	174	7
3	मरवटिया	1548	2196	141	13
4	बास गॉव	1232	2507	203	2
5	धनौडा खुर्द	1953	2530	129	16
6	विशुनपुर	1571	2228	142	12
7	पाली खास	1493	1985	132	15

8	लेड्डुआबारी	1235	1422	115	21
9	दुबौली	1044	1874	179	6
10	डॅवरपार	1251	1679	134	14
11	भीटी	1470	1235	84	26
12	घिरटौली	1876	1518	81	27
13	मलॉव	2229	2284	102	25
14	कौडीराम	935	2081	222	3
15	चवरिया बुजुर्ग	1429	1590	111	23
16	ऊँचेर	1395	1438	103	24
17	सोहगौरा	1455	1824	125	17
18	बासूडीहा	1856	2239	120	20
19	जानीपुर	1908	2823	147	9
20	हटवा	2608	4953	189	4
21	नर्रे बुजुर्ग	1070	1546	144	11
22	दरसी	1051	1280	121	18
23	कोठा	1267	2289	180	5
24	बेलकूर	1308	1355	104	22
25	राउतपार	1258	1940	154	8
26	तिलसर	951	768	80	28
27	हाटा बुजुर्ग	1681	1192	70	29
28	सहुआकोल	1906	2311	121	19
29	महिलवार	1080	2465	228	1
	योग	42918	58012	137	

(अ) न्याय पंचायत स्तर पर कृषि घनत्व :

अध्ययन क्षेत्र मे वर्ष 1971 एव 1998 की जनसख्या का कृषि घनत्व के आधार पर मध्यमान एव प्रमाणिक विचलन की गणना की गई। इस गणना के आधार पर कृषि घनत्व को चार श्रेणियो मे विभक्त किया गया (सारणी 3 11 A, B तथा मानचित्र 3 4 A, B)।

सारणी 3.11 A

(A) (1971)

क्रम स.	वर्ग अन्तराल	व्यक्ति वर्ग कि मी	न्याय पचायत की सख्या
1	> 177	(> Mean + ISD)	6
2	137 - 177	(Mean - Meant + ISD)	7
3	97 - 137	(Mean - ISD - Mean)	12
4	< 97	(< M - ISD)	4
	योग		29

सारणी 3.7 (B) (1998)

क्रम स	वर्ग अन्तराल	व्यक्ति वर्ग कि मी	न्याय पचायत की सख्या
1	> 152	> Mean + ISD	4
2	128 - 152	Mean + ISD - Mean	15
3	128 - 104	Mean - Mean - ISD	5
4	< 104	< Mean - ISD	5
	योग		29

उच्च श्रेणी :

इस श्रेणी मे 1971 मे 6 न्याय पचायते सम्मिलित थी, जिनका घनत्व 177 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक था, जबकि वर्ष 1998 मे मात्र चार न्याय पचायत बासूडीहा, मलॉव, हटवा एव दरसी सम्मिलित है। जिनका घनत्व 125 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है। अत स्पष्ट है कि वर्ष 1971 की अपेक्षा वर्ष 1998 मे न्याय पचायतो की सख्या मे कमी आयी है। इनमे उच्च कृषि घनत्व होने का कारण उपजाऊ भूमि, उन्नत कृषि उपकरणो की सुलभता, आवागमन की सुविधा तथा सिचाई की उपलब्धता है। ये क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र पूर्वी एव दक्षिणी भाग मे स्थित है।

मध्यम श्रेणी :

इस श्रेणी के अन्तर्गत वर्ष 1971 मे 7 न्याय पचायते (24 13 प्रतिशत) सम्मिलित थी जिनका घनत्व 137–177 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था, जबकि 1998 मे इस श्रेणी के अन्तर्गत 51 73 प्रतिशत न्याय पचायते (15) है, जिनका घनत्व 128 से 152 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। अत स्पष्ट हे कि वर्ष 1971 की अपेक्षा 1998 मे न्याय पचायतो की सख्या मे तो वृद्धि हुई है, परन्तु कृषि घनत्व कम रहा है। इनमे बढोत्तरी का कारण उपजाऊ मृदा सिचाई के साधनो की सुविधा, उन्नत कृषि उपकरणो की सुलभता आदि है। ये क्षेत्र ग्रामीण सेवा केन्द्रो के पास स्थित है, इसलिये उन्नत किस्म के बीज आदि उपलब्ध हो जाते हैं। यहा जनसख्या बसाव अधिक है। ये क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र के चारो तरफ स्थित है। इस श्रेणी के अन्तर्गत बारागॉव, कौडीराम तथा कोठा न्याय पचायत सम्मिलित है।

निम्न श्रेणी :

इस श्रेणी के अन्तर्गत वर्ष 1971 मे 41 39 प्रतिशत न्याय पचायते (12) सम्मिलित थी, जिनका घनत्व 97 से 137 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था जबकि वर्ष 1998 मे इस श्रेणी के अन्तर्गत 17 24 प्रतिशत (5) न्याय पचायत है, जिनका

घनत्व 128—104 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। इनमे विशुनपुर, पाली हाटा, फुलहर खुर्द, डॅवरपार न्याय पचायते है। अत स्पष्ट है कि इस श्रेणी मे न्याय पचायतो की सख्या मे भी कमी आयी है तथा कृषि घनत्व भी कम रहा है। उपर्युक्त से कम कृषि घनत्व होने का कारण इन गावो मे कृषक जनसख्या का कम होना है तथा कृषि क्षेत्रफल अधिक है। इनमे नवीन कृषि तकनीक का कम प्रभाव पडा है। ये क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र के चारो तरफ छिट—पुट रूप मे पाये जाते है।

सारणी 3.10 (B)

तहसील बासगॉव न्याय पचायत स्तर पर कृषि घनत्व (1998)

क्रम स	न्याय पचायत	कृषक जनसख्या	कृषि क्षेत्रफल (हे)	घनत्व व्यक्ति / वर्ग किमी	श्रेणीयन
1	देवडार बाबू	2760	1913	144	5
2	फुलहर खुर्द	1586	1423	111	23
3	मरवटिया	1670	1911	87	27
4	बास गॉव	1240	950	131	14
5	धनौडा खुर्द	3170	2460	129	17
6	विशुनपुर	2295	1861	123	20
7	पाली खास	1597	1529	104	24
8	लेड्डुआबारी	1318	1592	83	29
9	दुबौली	1780	1292	138	10
10	डॅवरपार	1748	1441	121	21
11	भीटी	1446	1467	99	25
12	बिस्टौली	1576	1779	88	26
13	मलॉव	3064	1910	160	4
14	कौडीराम	2043	1612	127	19
15	चवरिया बुजुर्ग	1550	1091	142	7
16	ऊॅचेर	1617	1886	85	28

17	सोहगौरा	2013	1501	135	12
18	बासूडीहा	3241	1938	167	2
19	जानीपुर	2627	1932	136	11
20	हटवा	5098	3054	166	3
21	नर्रे बुजुर्ग	2083	1604	130	15
22	दररी	2067	1156	178	1
23	कोठा	2351	1746	134	13
24	बेलकूर	2188	1699	128	18
25	राउतपार	2684	2078	129	16
26	तिलसर	755	544	139	8
27	हाटा बुजुर्ग	1678	1439	116	22
28	सहुआकोल	2966	2079	143	6
29	महिलवार	2601	1865	139	9
	योग	61886	48952	128	

स्रोत जिला सूचना केन्द्र से प्राप्त आकडो के आधार पर ।

निम्नतम श्रेणी :

इस श्रेणी के अन्तर्गत वर्ष 1971 मे 4 न्याय पचायत सम्मिलित थे, जिनका घनत्व 97 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम था, जबकि वर्ष 1998 मे 5 न्याय पचायते सम्मिलित है जिनका घनत्व 104 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से कम है। स्पष्ट है कि वर्ष 1971 की अपेक्षा वर्ष 1998 मे न्याय पचायतो की सख्या तथा कृषि घनत्व दोनो मे बढोत्तरी हुई है। इनमे भीटी, बिस्टौली, उँचेर तथा लेड्डुआबारी न्याय पचायते सम्मिलित है। इन न्याय पचायतो मे न्यूनतम कृषि घनत्व होने के कारण कृषक जनसख्या का कम होना है।.उद्यम के अभाव मे पिछडी तथा अनुसूचित जातियो के पुरूष वर्ग देश/प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक नगरो मे धनोपार्जन हेतु चले जाते है। ये न्याय पचायते राप्ती, आमी तथा तरैना के तटीय

भागो पर बसी है। इन न्याय पचायतो मे मृदा मे उत्पादन क्षमता कम है। निम्न भू–भागो पर वर्ष ऋतु मे जल एकत्रित होकर जलाशयो का रूप धारण कर लेता है। कृषि योग्य क्षेत्रफल होने के बावजूद उनका उचित उपयोग नही हो पाता है। कृषि के नवीन तकनीकी का कम प्रयोग हुआ है। ये क्षेत्र के पश्चिमी तथा उत्तरी भाग मे स्थित है।

3.4 जनसंख्या विहिन गांव :

तहसील बासगॉव मे जनसख्या विहिन गावो की सख्या अधिक है। जनसख्या विहीन गाव से तात्पर्य उन गावो से है, जिनमे कोई जनसख्या निवास नही करती, परन्तु उन गावो पर पडोस के गावो का अधिकार है, जिन पर खेती आदि की जाती है। इन्हे गैर चिरागी गाव भी कहते है जिनका विवरण सारणी 3 13 मे स्पष्ट है।

सारणी 3 13

गैर आबाद ग्रामो का वितरण प्रतिरूप

क्रम स	न्याय पचायत का नाम	गैर आबाद गाबो की सख्या	गैर आबाद गाबो का क्षे (हे मे)
1	देवडार बाबू	2	576
2	फुलहर खुर्द	-	-
3	मरवटिया	4	75
4	बास गॉव	2	111
5	धनौडा खुर्द	7	955
6	विशुनपुर	5	633
7	पाली खास	1	9 3
8	लेडुआबारी	1	22
9	दुबौली		

10	डॅवरपार	5	673
11	भीटी	3	150
12.	बिस्टौली	3	1099
13	मलॉव	6	319
14	कौडीराम	2	14
15	चवरिया बुजुर्ग	1	57
16	ऊँचेर	5	268
17	सोहगौरा	9	143
18	बासूडीहा	2	52
19	जानीपुर	3	73
20	हटवा	10	73
21	नर्रे बुजुर्ग	2	95
22	दरसी	1	22
23	कोठा	9	324
24	बेलकूर	4	136
25	राउतपार	-	-
26	तिलसर	-	-
27	हाटा बुजुर्ग	4	311
28	सहुआकोल	1	38
29	महिलवार	-	-
	योग	92	

स्रोत . जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के आधार पर।

अध्ययन क्षेत्र के 29 न्याय पचायतो मे से चार न्याय पचायतो (फुलहर खुर्द, दुबौली, तिलसर, महिलवार) मे कोई भी गैर आबाद ग्राम नही है, जबकि अन्य न्याय पचायतो मे जन विहिन गाव है तहसील बासगॉव के इन जनविहिन

गावो का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि ये जन विहिन गाव अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी एव पूर्वी भाग मे स्थित है। अध्ययन क्षेत्र की पूर्वी सीमा एक प्राकृतिक सीमा है, जो राप्ती नदी द्वारा निर्मित है। इन न्याय पचायतो मे जैसे मलॉव, सोहगौरा, उॅचेर, कोठा एव बेलकुर न्याय पचायतो मे भारी सख्या मे ताल–पोखरे पाये जाते है जो कि राप्ती तथा आमी नदियो के छाडन झील के रूप मे स्थित है। ये न्याय पचायते राप्ती नदी के तटवर्ती भागो मे स्थित है। राप्ती तथा आमी नदियो के किनारे जो तटवर्ती निम्न भू–भाग है, जिन्हे बोल–चाल की भाषा मे कछार कहा जाता है, ये भू–भाग जन–विहिन होते है, तथा तटवर्ती भागो से दूर बसे गावो के लोग यहा कृषि करते है। वर्षा ऋतु मे इन भू–भागो पर बाढ का प्रभाव रहता है, जबकि शीतकालीन रबी की कुछ फसले उगा ली जाती है। अत स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के कछारी अथवा जल–जमाव क्षेत्रो मे गैर–आबाद गावो की सख्या अधिक है, जबकि बागर क्षेत्र मे सघन जनसख्या मिलती है। इस सन्दर्भ मे यह भी कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र के बाढ ग्रस्त एव जल–जमाव वाले क्षेत्र मे गैर–आबाद ग्रामो की सख्या अधिक है, क्योकि भौगोलिक दृष्टि से ये क्षेत्र मानव बसाव के लिये उपयुक्त नही है।

3.5 यौन अनुपात :

किसी भी देश के सामाजिक **एव** आर्थिक ढाचे तथा उससे सम्बन्धित कारको को प्रभावित करने मे यौन अनुपात एक आधारभूत कारक है। यौन अनुपात से कृषि एव अन्य कार्य हेतु उपलब्ध श्रमिको की सख्या का पता चलता है, जिसका उस क्षेत्र के आर्थिक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान होता है। अध्ययन क्षेत्र मे भी भारत के अन्य भागो की भाति उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाए कृषि कार्यो मे योगदान नही देती जबकि निम्न वर्गीय परिवार की महिलाएं कृषि कार्य से सम्बन्धित अधिकाश कार्यो जैसे (बुआई, ओसाई, निराई, गुडाई, सिचाई मडाई तथा कटाई आदि) कार्यो मे सक्रिय रूप से भाग लेती है इसके अतिरिक्त घर मे पुरूष के न रहने से अतिरिक्त कार्य भी करती

है। यहा तक कि अपने तथा अपने परिवार के भरण—पपेषण के लिए घर से बाहर जाकर दैनिक—मजदूरी पर कार्य करती है। इस प्रकार निम्न वर्ग की अधिकाश महिलाए कृषि मे अपना पूरा योगदान देती है। अध्ययन क्षेत्र मे वर्ष 1961 से लेकर 1998 तक यौन अनुपात मे जो भी परिवर्तन हुए है, वह सारणी 3 14 से स्पष्ट हो जाता है।

सारणी 3.14

तहसील बासगाँव यौन अनुपात मे परिवर्तन (1961-98)

वर्ष	कुल जनसख्या	पुरुष	स्त्री	अनुपात स्त्री का
		महिलाओ की सख्या (प्रति हजार पुरुष)		
1961	182340	91170	99192	1088
1971	215197	106715	108482	1016
1981	263735	133186	130549	980
1998	330834	167384	163450	976

स्रोत . जनगणना हस्तपुस्तिका एव जिला सूचना केन्द्र से प्राप्त आकडो के आधार पर।

विगत वर्षो मे जनसख्या के गणनानुसार पुरुषो की तुलना मे महिलाओ की सख्या वर्ष 1981 से कम हुई है। फिर भी यह अनुपात वर्ष 1981 के जनपद के अनुपात (940 प्रति हजार पुरुष) से अधिक है। वर्ष 1998 मे महिलाओ की सख्या 976 प्रति हजार पुरुष रही है, जो जनपद मे (924 प्रति हजार पुरुष) उत्तर प्रदेश मे (882 प्रति हजार पुरुष) एव राष्ट्रीय स्तर पर देश मे (929 प्रति हजार पुरुष) से अधिक है।

सारणी 3 15

तहसील बासगॉव यौन अनुपात (1998)

क्रम स	न्याय पचायत	कुल जनसख्या	पुरुषो की सख्या	स्त्रियो की सख्या	महिलाओ की सख्या प्रति हजार पु	श्रेणीयन
1	देवडार बाबू	12482	6632	5850	882	27
2	फुलहर खुर्द	8087	3985	4182	1070	2
3	मरवटिया	10055	5017	5038	993	14
4	बास गॉव	19645	9860	9785	992	15
5	धनौडा खुर्द	14306	7240	7066	975	21
6	विशुनपुर	9581	4816	4765	989	18
7	पाली खास	9826	4946	4880	986	19
8	लेडुआबारी	6292	3160	3132	991	16
9	दुबौली	7626	3853	3773	779	20
10	डॅवरपार	10062	4852	5200	1073	1
11	भीटी	7758	4519	3239	716	28
12	बिस्टौली	10143	5025	5118	1018	8
13	मलॉव	13378	6637	6741	1015	9
14	कौडीराम	16968	8681	8287	954	23
15	चवरिया बुजुर्ग	8647	4186	4461	1065	3
16	ऊॅचेर	13490	6966	6524	936	26
17	सोहगौरा	8462	4241	4221	996	11
18	बासूडीहा	14780	7306	7474	1022	7
19	जानीपुर	14966	7251	7715	1063	4
20	हटवा	25407	12379	13028	1052	5
21	नर्रे बुजुर्ग	9977	5004	4973	994	13
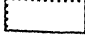
22	दरसी	7799	3959	3840	969	22
23	कोठा	14954	7450	7504	1007	10
24	बेलकूर	8137	4212	3925	931	25
25	राउतपार	12437	6249	6188	990	17
26	तिलसर	3326	1707	1619	948	24
27	हाटा बुजुर्ग	8758	5253	3505	667	29
28	रहुआकोल	11927	5978	5949	995	11
29	महिलवार	10742	5247	5468	1036	6
	योग	330834	167384	163450	975	

स्रोत जनगणना हस्त पुस्तिका एव जिला सूचना केन्द्र से प्राप्त आकडो के आधार पर ।

अध्ययन क्षेत्र मे जाति सरचना, कृषि भूमि की उपलब्धता, साक्षरता एव विभिन्न सेवाओ की उपलब्धता आदि जैसे — स्थानीय कारको से यौन अनुपात विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। तहसील बासगॉव के 35 प्रतिशत (10) न्याय पचायतो जैसे (डवरपार 1073, फुलहर खुर्द 1070, चवरिया बुजुर्ग 1065, महिलवार 1036, बासूडीहा 1022) मे स्त्रीयो की सख्या पुरुषो की सख्या से अधिक है जबकि कुछ न्याय पचायतो जैसे उॅचेर (936 प्रति हजार) देवडार बाबू (882 प्रति हजार) हाटा बुजुर्ग (667 प्रति हजार) बेलकुर (931 प्रति हजार) भीटी (716 प्रति हजार) मे कम है। अध्ययन क्षेत्र मे सबसे अधिक महिलाओ की सख्या डॅवरपार (1037) मे एव सबसे कम सख्या हाटा बुजुर्ग (667 प्रति हजार) मे है (सारणी 3 15 एव मानचित्र 3 5)

तहसील बांसगॉव
यौन अनुपात
(1998)
> 1063
975 - 1063
887 -975
< 887
M = 975
SD = 88
0
2 km
Fig No 35

सारणी 3.16

तहसील बास गाव न्याय पचायत स्तर पर यौन अनुपात (1998)

क्रम स.	वर्ग अन्तराल	यौन अनुपात	न्याय पचायत की सख्या
1	> 1063	M + ISD	3
2	975 - 1063	Mean - M + ISD	17
3	887 - 975	Mean - ISD - Mean	6
4	< 887	< Mean - ISD	3
	योग		**29**

स्रोत जनगणना हस्त पुस्तिका एव जिला सूचना केन्द्र से प्राप्त आकडो के आधार पर।

अध्ययन क्षेत्र मे प्रदेश एव जनपद से अधिक यौन अनुपात होने का प्रमुख कारण क्षेत्र से बाहर पुरुषो का प्रवजन है। तहसील बासगॉव मे पुरूष वर्ग मुख्यत सिगापुर, मलाया, वर्मा एव थाईलैण्ड आदि दक्षिणी—पूर्वी एशिया के देशो मे धनोपार्जन हेतु जाते है, तथा दो चार वर्ष के पश्चात् लौटते है। यहा कुछ दिन प्रवास करने के पश्चात पुन अपने कार्य स्थल पर चले जाते है। बहुत लोग उन देशो के नागरिक भी बन चुके है, परन्तु इस देश मे उनका परिवार होने के कारण देश से सम्बन्ध यथावत बना हुआ है। ये लोग उन देशो मे अधिक आय होने के कारण समयानुकूल भाई एव पुत्रो को भी अपने पास बुलाकर धनोपार्जन करवाते है। यहा यह स्पष्ट कर देना उपयुक्त होगा कि इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रवजन से क्षेत्र को बहुत बडी मात्रा मे विदशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक विकास तथा ग्राम का बाह्य स्वरूप विकसित हुआ है।

बासगॉव तहसील की आर्थिक स्थित दुर्बल होने तथा प्रति हेक्टेअर भूमि एव उद्योगो की कमी के कारण उद्यम के अभाव होने मे भी पिछडी एव अन्य अनुसूचति जातियो के पुरूष प्रदेश एव देश के विभिन्न औद्योगिक नगरो जैसे – मुम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर, लुधियाना तथा अन्य क्षेत्रो जैसे असम एव उत्तर प्रदेश के तराई भागो मे कृषि एव अन्य कार्यों हेतु प्रवास करते रहते हैं, उससे भी क्षेत्र मे पुरुषो की सख्या स्त्रियो की अपेक्षा कम हो जाती है।

3.6 साक्षरता :

साक्षरता का क्षेत्र के आर्थिक एव सामाजिक विकास मे प्रमुख स्थान है। किसी भी क्षेत्र विशेष की साक्षरता दर से उस प्रदेश विशेष के विकास स्तर का पता चलता है। प्रादेशिक विकास मे साक्षरता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरे शब्दो मे हम कह सकते है कि साक्षरता प्रादेशिक विकास का प्रथम पायदान होता है। वर्ष 1998 की गणना के अनुसार तहसील बासगॉव की साक्षरता दर 33 24 प्रतिशत है। इस तहसील मे महिलाओ की साक्षरता पुरुषो की अपेक्षा बहुत कम है। महिलाओ की साक्षरता दर 10 29 प्रतिशत है, जबकि पुरुषो की साक्षरता दर 23 59 प्रतिशत है।

अध्ययन क्षेत्र मे वर्ष 1998 के अनुसार साक्षरता दर 33 24 प्रतिशत है, जो जनपद की साक्षरता 43 प्रतिशत राज्य की साक्षरता 41 6 प्रतिशत तथा देश की साक्षरता 52 21 प्रतिशत से बहुत कम है। अध्ययन क्षेत्र मे पचायत स्तर पर वर्ष 1998 की साक्षरता का विवरण (सारणी 3 18) से स्पष्ट है।

अध्ययन क्षेत्र मे सर्वाधिक साक्षरता कौडीराम विकास खण्ड के मलॉव न्याय पचायत (41 4 प्रतिशत) मे है, तथा न्यूनतम साक्षरता कौडीराम विकास खण्ड के ही उँचेर न्याय पचायत (18 82) जो अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी भाग मे राप्ती नदी के तटवर्ती भाग मे बसा है, पायी जाती हे। द्वितीय स्थान पर डॅवरपार न्याय पचायत (40 6 प्रतिशत) सम्मिलित है। अध्ययन क्षेत्र की कुल साक्षरता का 23

59 प्रतिशत पुरुष साक्षर है, जो जनपद के (60 7 प्रतिशत) साक्षर पुरुष प्रतिशत से बहुत कम है। न्याय पचायत स्तर पर पुरुषो की अधिक साक्षरता न्याय पचायत मलॉव (28 9 प्रतिशत) मे ही पायी जाती है, जबकि दूसरे स्थान पर न्याय पचायत भीटी (28.34 प्रतिश्ता) तथा न्याय पचायत डॅवरपार (27 77 प्रतिशत) सम्मिलित है, शेष न्याय पचायतो मे पुरुषो की साक्षरता 29 8 प्रतिशत (अधिकतम) से 15 3 प्रतिशत (न्यूनतम) के मध्य पायी जाती है। इसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र की कुल साक्षरता का 10 29 प्रतिशत महिला साक्षरता है जो जनपद के (24 5 प्रतिशत) साक्षरता प्रतिशत से बहुत कम है। न्याय पचायत स्तर पर महिलाओ की साक्षरता दर सबसे अधिक न्याय पचायत लेडुआबारी (28 8 प्रतिशत) मे है, तथा दूसरे स्थान पर न्याय पचायत बासगॉव (14 7 प्रतिशत) है। महिलाओ मे सबसे कम साक्षरता दर न्याय पचायत उॅचेर (3 52 प्रतिशत) मे पायी जाती है शेष न्याय पचायतो की साक्षरता दर इन दोनो न्याय पचायतो की साक्षरता प्रतिशतो के मध्य पायी जाती है (सारणी 3 18)

अध्ययन क्षेत्र मे साक्षरता दर मे कमी का प्रमुख कारण सर्वाधिक जनसख्या का कृषि जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप मे रहना तथा शिक्षा हेतु उपयुक्त वातावरण की कमी है।

सारणी 3.17

शैक्षिक विवरण

क्रम स.	शिक्षण सस्थाये	कुल सख्या	कुल विद्यार्थियो की सख्या
1	जूनियर बेसिक स्कूल	188	33639
2	सीनियर बेसिक स्कूल	56	20920
3	हाईस्कूल एव इण्टरमीडिएट कालेज	13	9311
4	महाविद्यालय	1	632

स्रोत जिला विद्यालय निरीक्षक एव बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा जिला प्राथमिक कार्यालय से प्राप्त आकडो के आधार पर।

अध्ययन क्षेत्र मे जूनियर बेसिक स्कूल (188) एव सीनियर बेसिक स्कूलो (56) की कुल सख्या 244 है। इन शिक्षण सस्थाओ मे शिक्षको एव विद्यार्थियो का अभाव है। इन शिक्षण सस्थाओ मे छात्र एव छात्राओ की कुल सख्या 73550 है जो कि कुल शिक्षित जनसख्या का 67 18 प्रतिशत एव कुल जनसख्या का 22 23 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र मे हाईस्कूल एव इण्टरमीडिएट कालेजो की कुल सख्या मात्र 14 है, तथा इन कालेजो मे विद्यार्थियो की कुल सख्या 12218 है जो कि अध्ययन क्षेत्र की कुल शिक्षित जनसख्या का 11 16 प्रतिशत एव कुल जनसख्या का 3 6 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र मे एकमात्र महाविद्यालय कौडीराम मे है, जिनमे विद्यार्थियो की सख्या 632 है। इसका प्रमुख कारण इस महाविद्यालय मे शिक्षको की कमी तथा प्रयोगात्मक विषयो का अभाव है। इस अध्ययन क्षेत्र के छात्र–छात्राये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गोरखपुर जनपद मुख्यालय मुख्यालय (दूरी 40 किमी) जाते है। (सारणी 3 17)

अध्ययन क्षेत्र मे शिक्षा के निम्न स्तर होने का मुख्य कारण लोगो का शिक्षा की प्रति झुकाव का अभाव, अरूचि, गरीबी एव अधिक जनसख्या का होना है। अध्ययन क्षेत्र एक समस्या ग्रस्त क्षेत्र है। इस क्षेत्र मे कृषि मजदूर तथा सीमान्तिक एव काम न करने वालो की सख्या अधिक है। यहा की जनसख्या अपने भरण–पोषण के लिए बच्चो को भी मजदूरी करने को बाध्य करती है। अत प्रारम्भिक दौर मे ही बच्चे के मन मे शिक्षा के प्रति अरूचि हो जाती है। अध्ययन क्षेत्र के उन न्याय पचायतो मे जहा शिक्षा का स्तर निम्नतम है, ये न्याय पचायते बाढ ग्रस्त क्षेत्रो मे स्थित है, जहा प्राथमिक विद्यालयो का अभाव सा है, जो विद्यालय स्थित है वहा आवागमन की असुविधा के कारण विद्यार्थियो की सख्या कम है। जिन न्याय पचायतो मे शिक्षा का स्तर उच्च है, वह ग्रामीण सेवा केन्द्रो के आस–पास स्थित है, तथा वहा आवगमन एव शिक्षा की सुविधाये उपलब्ध है।

वर्तमान समय मे महगी शिक्षा भी एक हद तक उत्तरदायी है किन्तु इन सभी के बावजूद सरकार विद्यालयो मे मुफ्त शिक्षा की योजना को पारित कर तथा साक्षरता के प्रति नये–नये विज्ञापनो का प्रचार प्रसार कर पिछडे क्षेत्रो मे शिक्षा के प्रति लोगो मे जागरूकता पैदा कर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

सारणी 3 18

तहसील बासगॉव साक्षरता (1995) शिक्षित जनसख्या मे पुरुष एव स्त्री

क्रम स	न्याय पचायत	कुल जनसख्या	शिक्षित जनसख्या	शिक्षित प्रतिशत	श्रेणीयन	पुरुष जनुसख्या	प्रतिशत	श्रेणीयन	स्त्री जनसख्या	प्रतिशत	श्रेणीयन
1	देवडार बाबू	12482	4113	3295	19	3108	24 89	12	1005	8 05	23
2	फुलहर खुर्द	8087	2737	33 84	16	2064	25 52	8	673	8 32	22
3	मरवटिया	10055	2150	21 38	28	1676	16 66	28	474	4 7	28
4	बास गॉव	19645	7553	35 78	9	4140	21 4	23	2890	14 78	2
5	धनौडा खुर्द	14306	4249	29 7	24	2920	20 41	25	1327	9 28	16
6	विशुनपुर	9581	3020	31 5	21	2135	22 28	21	885	9 32	17
7	पाली खास	9826	3476	35 37	12	2593	26 38	5	883	8 98	19
8	लेडुआबारी	6292	2143	34	15	1524	24 22	15	619	28 8	1
9	दुबौली	7626	2227	29 2	25	1664	21 82	22	563	7 38	26
10	डॅवरपार	10062	4095	40 6	2	2795	27 77	3	1300	12 91	4
11	भीटी	7758	3010	38 8	4	2199	28 34	2	811	10 45	11
12	बिस्टौली	10143	3020	29 7	26	2246	22 40	20	744	7 33	27
13	मलॉव	13378	5545	41 4	1	3856	2839	1	1689	12 62	5

14	कौडीराम	16968	5956	35 2	13	4186	24 66	14	1770	10 42	12
15	चवरिया बुजुर्ग	8647	3103	35 82	7	2190	25 3	10	913	10 5	10
16	ऊँचेर	13490	2539	18 82	29	2064	15 3	29	475	3 52	29
17	सोहगौरा	8462	3035	35 8	8	2009	23 70	16	1026	12 1	6
18	बासूडीहा	14780	5189	35 1	14	3116	21	24	2093	15 1	3
19	जानीपुर	14966	4958	33 12	18	3413	22 8	19	1545	10 3	14
20	हटवा	25407	9060	35 65	11	6355	25	11	2705	10 6	9
21	नर्रे बुजुर्ग	9977	3219	32 26	20	• 2320	23 25	17	899	9 00	18
22	दरसी	7799	2856	36 62	5	2034	26 1	6	822	10 61	8
23	कोठा	14954	5350	35-77	10	3849	25 7	9	1501	10	15
24	बेलकूर	8137	2732	33 57	17	2013	24 7	13	719	8 81	20
25	राउतपार	12437	3546	28 5	26	2451	19 7	27	1095	8 8	21
26	तिलसर	3326	1297	38 99	3	917	275	4	380	11 4	7
27	हाटा बुजुर्ग	8758	3193	35 41	6	2276	26	7	917	10 4	13
28	सहुआकोल	11927	3657	30 6	22	2737	23	18	920	7 7	24
29	महिलवार	10742	2975	27 6	27	2162	20	26	813	7 6	25
	योग	330834	109480	32 34		77010	23 59		32 459	10 29	

3.6 व्यावसायिक संरचना

किसी क्षेत्र की कुल जनसख्या का कितना भाग विभिन्न प्रकार के व्यवसायो मे और किन अनुपातो मे लगा हुआ है इस विवरण को व्यावसायिक सरचना से परिभाषित करते है। व्यावसायिक सरचना के द्वारा उस क्षेत्र के प्रारूप एव स्तर का ज्ञान होता है। इससे मृदा एव अन्य ससाधनो पर जनसख्या के दबाव का भी अनुमान लगाया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र खनिज ससाधनो से पूर्णतया विहीन है। यह क्षेत्र सघन जनसख्या युक्त कृषि प्रधान क्षेत्र है, जिससे इस क्षेत्र की जनसख्या का भरण–पोषण होता है। यही कारण है कि व्यवसायपरक जनसख्या का 77 3 प्रतिशत भाग प्राथमिक वर्ग के उत्पादनो मे लगा हुआ है। जिसमे कृषक जनसख्या 42 83 प्रतिशत तथा खेतिहर मजदूर 37 96 प्रतिशत सम्मिलित है। शेष व्यावसायपरक जनसख्या द्वितीय वर्ग (5 17 प्रतिशत) तथा तृतीय वर्ग मे (64 प्रतिशत) है। सीमान्त काम करने वालो का प्रतिशत 5 69 है। जबकि 6 53 प्रतिशत जनसख्या अन्यान्य कार्यो मे लगी हुई है। अध्ययन क्षेत्र के वर्ष 1998 मे व्यावसायिक सरचना का विवरण सारणी 3 19 मे स्पष्ट है।

न्यायपचायत स्तर पर व्यावसायिक सरचना सारणी 3 19 मे स्पष्ट है।

न्यायपंचायत स्तर पर व्यावसायिक संरचना

सारणी 3 19 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसख्या का 23 77 प्रतिशत कार्यरत् है। किन्तु न्याय पचायत स्तर इसमे पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। अध्ययन क्षेत्र मे व्यावसायिक सरचना के अन्तर्गत न्यायपचायत स्तर पर सर्वाधिक कृषको की सख्या (57 3 प्रतिशत) न्यायपचायत माहिलवार मे है तथा न्यूनतम न्यायपचायत बासगॉव (14 16 प्रतिशत) मे है। न्याय पचायत महिलवार मे कृषको की सख्या (57 3 प्रतिशत) का प्रतिशत अधिक होने का कारण कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता है। उपजाऊ बागर भूमि, सिचाई के साधन तथा कृषि योग्य अन्य सुविधाओ के अतिरिक्त इस न्यायपचायत मे साक्षरता प्रतिशत अन्य न्यायपचायतो की अपेक्षाकृत कम है। साथ ही यहॉ पिछडी तथा अनुसूचित जातियो की सख्या सवर्णो की अपेक्षा अधिक है।

तहसील बासगांव सारणी 3.19

न्याय पचायत स्तर पर व्यावसायिक सरचना (1998)

क्र स	न्यायपचायत	कृषक जनसख्या प्रतिशत	खेतिहर मजदूर	पशु आखेट	पारिवारिक उद्योग	निर्माण	व्यापार वाणिज्य	यातायात सचार	अन्यायन्य	सीमान्त कर्मकर	कुल जनसख्या मे कार्यशील जन का प्रतिशत
1	देवडार बाबू	39.82	45.44	.21	2.18	.21	.77	.72	8.27	2.98	100.00
2	फुलहर खुर्द	39.4	28.45	.25	1.88	.34	3.19	.12	15.89	10.48	100.00
3	भरवटिया	38.76	35.14	.34	1.53	.38	4.83	.26	14.52	14.14	100.00
4	बागॉव	14.16	18.36	2.04	5.06	4.72	15.01	3.14	22	15.51	100.00
5	धनौडा खुर्द	28.15	58.	.21	.78	.16	.67	.50	6.81	4.71	100.00
6	विशुनपुर	25.52	60.36	.29	1.12	.26	1.45	.22	9.95	1.97	100.00
7	पाली	36.48	39 09	.80	1.13	.52	1.70	.18	14.10	5.90	100.00
8	लेडुआबारी	49.08	35.33	.77	.77	.32	1.22	.25	10.20	1.44	100.00
9	दुबौली	50.47	37.86	.44	1.09	.19	1.38	.25	7.1	1.22	100.00
10	डॅवरपार	41.33	36.1	.57	3.81	0.7	5.09	.84	7.7	4.46	100.00
11	भीटी	44.9	33.4	.65	2.5	.65	3.15	.55	8 2	6	100.00
12	बिस्टौली	39.5	30.0	2.5	2.64	.44	5.5	.79	7.94	10.69	100.00

13	मलॉव	55.88	29.60	.55	1.8	.69	2.5	.55	5.2	2.6	100.00
14	कौडीराम	34.68	40.00	.53	2.26	1.17	5.36	.70	8 6	7.8	100 00
15	चवरिया बुजुर्ग	38.54	41.00	.71	.20	.66	3.08	.71	6.1	8.2	100.00
16	ऊँचेर	48.8	32.81	1 5	3.1	.30	2.09	.70	4.7	6.1	100.00
17	सोहगौरा	46.0	43.8	.80	1 9	.17	1.70	.98	1.2	3.45	100.00
18	बासूडीहा	51.4	35.93	.39	1.1	.30	2.76	.31	4.5	3.22	100.00
19	आनीपुर	55.29	25.36	1 67	2.2	.61	3.99	.36	4.8	5.7	100.00
20	हटवा	36	45.9	.21	1.3	.31	1.96	.16	4.56	9.6	100.00
21	नर्रे	50.5	38.5	.17	1.79	.25	2.3	.25	3.24	3.1	100.00
22	दरसी	41.84	54.4	.01	.25	.20	.75	.25	1.5	.80	100.00
23	कोठा	50.7	32.6	.02	1.3	.42	4.7	.21	6.5	3.5	100.00
24	बेलकुर	52.59	29.7	.03	1 09	.12	1.28	.25	5.2	9.57	100.00
25	राउतपार	49.9	36	.32	1.56	.36	2.0	.29	3.5	6.07	100.00
26	तिलसर	40.4	50.7	.25	1.97	.25	1.7	.50	2.5	3.2	100.00
27	हाटा बुजुर्ग	37.94	38.98	.49	.98	.29	5.2	.98	4.6	4.16	100.00
28	सहुआकोल	46.9	44.7	.02	.22	.21	1.23	.30	2.1	2.86	100.00
29	महिलवार	57.3	34.4	.02	.03	.14	1.8	.35	2.69	3	100.00
	योग	42.83	37.96	.68	1.63	0.50	3.04	0.64	6.53	5.69	100.00

अत भूमि का स्वामित्व साधारण वर्गो मे वितरित है। न्यूनतम कृषको की सख्या न्यायपचायत बासगॉव मे होने का कारण तहसील मुख्यालय होने के कारण यह अधिकाश जनसख्या कृष्येत्तर कार्यो मे लगी हुई है। न्यायपचायत बासगॉव मे सवर्ण जातियो का बहुल्य होने के कारण भूमि का स्वामित्व कुछ लोगो के ही हाथ मे है।

अध्ययन क्षेत्रो मे खेतिहर मजदूरो का प्रतिशत सर्वाधिक (60 26 प्रतिशत) न्यायपचायत विशुनपुर मे है। द्वितीय स्तर पर न्यायपचायत धनौडा खुर्द (58 0 प्रतिशत) का है। न्यूनतम खेतिहर मजदूरो की सख्या (18 36 प्रतिशत) न्यायपचायत बासगाव मे है। न्यायपचायत विशुनपुर मे खेतिहर मजदूर अधिक होने का कारण भूमि स्वामित्व कुछ ही लोगो के हाथ मे है, फलस्वरूप पिछडी जातियो के लोग सवर्ण जातियो के खेतो मे मजदूरी का काम करते है। न्यायपचायत बासगाव मे खेतिहर मजदूर की सख्या कम होने का कारण उपर्युक्त है। यहॉ की अधिकाश जनसख्या तहसील मुख्यालय होने के कारण व्यापार–वाणिज्य तथा पारिवारिक उद्योगो मे लगी हुई है। व्यापार–वाणिज्य मे सर्वाधिक जनसख्या का प्रतिशत न्यायपचायत बासगाव (15 01) मे ही है। अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण अधिकाश न्यायपचायतो की कुल कार्यशील जनसख्या का 85 प्रतिशत से भी अधिक जनसख्या कृषि कामो मे सलग्न है।

3.8 बस्तियों का प्रतिरूप

बस्तियो का प्रतिरूप कोई आकस्मिक कारको अथवा घटना का परिणाम नही होता। उसका सीधा सम्बन्ध जिस स्थान पर बस्ती की उत्पत्ति हुई है, उससे तथा उसके नाभि के विन्यास से होता है। हैगेट (1979) के अनुसार धरातल पर बस्तियॉ मानव व्यवसाय की अभिव्यक्ति है तथा सास्कृतिक भू–दृश्य के रूप मे विकसित मानव की प्रथम रचनाये है। प्रत्येक बस्ती की अपनी मौलिक विशेषता होती है कुछ सामान्य विशेषताओ जैसे आकार, अन्तरालन, बसाव प्रतिरूप तथा गहनता आदि के परिप्रेक्ष्य मे बस्तियो का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता

है। आकारकीय तथा कार्यात्मकता के आधार पर बस्तियो को ग्रामीण एव नगरीय दो वर्गो मे विभक्त किया जाता है।

तहसील बासगॉव की अर्थव्यवस्था पूर्णरूपेण कृषि पर आधारित है। अत यहॉ केवल एक नगरीय अधिवास बासगॉव के अतिरिक्त सम्पूर्ण क्षेत्र मे ग्रामीण अधिवास ही पाये जाते है। ग्रामीण अधिवास क्षेत्र मे विभिन्न प्रकार के पाये जाते है। अधिवासो के आकार सम्बन्धी विशेषता के अध्ययन के लिये जनसख्या का आकार बहुत महत्वपूर्ण है।

तहसील बासगॉव मे एक नगरीय बस्ती बासगॉव एव 535 ग्रामीण बस्तियॉ है। सम्पूर्ण अध्ययन प्रदेश मे 200 से कम जनसख्या वाले गॉवो की सख्या 101, (18 84%), 200 से 499 जनसख्या वाले गावो की सख्या 125 (23 32%), 500–999 जनसख्या वाले गावो की सख्या 120 (22 38%), 1000–1999 जनराख्या वाले गॉवो की सख्या 65 (12 12%) 2000–4999 जनसख्या वाले गॉवो की सख्या 33(6 15%) है। तहसील मे 92 गॉव (17 16%) गैर आबाद है। इन गॉवो मे जनसख्या निवास नही करती है, परन्तु इन गॉवो की भूमि पर पडोसी गॉवो के लोग कृषि करते है। (सारणी 3 20)

सारणी 3.20

जनसख्या के अनुसार गॉवो का वर्गीकरण जनसख्या आकार

क्र स	न्याय–पचायत	200 से कम	200–499	500–999	1000–1999	5000 से अधिक	योग
1	दवडार बाबू	2	2	1	2	1	8
2	फुलहर खुर्द	5	8	5	1	–	19
3	मरवटिया	8	5	5	2	–	20
4	बासगॉव	4	5	3	–	1	13
5	धनौडा खुर्द	2	3	3	4	2	14
6	विशुनपुर	3	3	4	–	2	12
7	पाली खास	2	6	3	3	1	15
8	लेडु आबारी	2	6	4	1	–	13
9	दुबौली	1	1	7	2	–	11
10	डॅवरपार	4	4	–	4	1	13
11	भीटी	2	5	5	–	1	13
12	बिस्टौली	4	4	2	4	–	14
13	मलॉव	1	1	3	3	2	10
14	कौड़ीराम	4	4	6	–	3	17
15	चवरियॉ बुजुर्ग	1	–	4	3	1	9
16	उॅचेर	5	5	6	2	–	18
17	सोहगौरा	1	4	6	2	–	13
18	बासूडीहा	5	3	4	3	2	17
19	जानीपुर	4	11	6	4	1	26
20	हटवा	16	15	14	7	3	55
21	नर्रे बुजुर्ग	1	3	3	1	1	10
22	दरसी	4	5	5	1	1	16

23	कोठा		3	2	4	–	2	11
24	बेलकुर		5	3	3	3	2	16
25	राउतपार		4	4	3	5	1	17
26	तिलसर		1	1	1	–	1	4
27	हाटा बुजुर्ग		2	–	1	2	2	7
28	सहुआकोल		–	1	2	4	1	8
29	महिलवार		5	11	7	2	–	25
योग	जनवाहिनगाव–92		101	125	120	65	33	444
कुल गॉवो का योग			536					
प्रतिशत मे		17 16	18 84	23 32	22 38	12 12	6 15	82 83

बस्तियो के वितरण का प्रतिरूप उस क्षेत्र के प्राकृतिक एव सास्कृतिक परिवेश के जटिल प्रभावो द्वारा होता है। प्राकृतिक वातावरण के तत्वो मे भौगोलिक रचना अपवाह जल, वायु, मिट्टी आदि सम्मिलित है। सास्कृतिक तत्वो मे मार्ग एव परिवहन के साधन, भूमि उपयोग बाजारो एव सेवा केन्द्रो की स्थिति, वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान का विकास आदि अधिवास विकास के कारण है। तहसील मे कुछ स्थलो पर प्राकृतिक व्यवधान उपस्थिति होने से बस्तियो का वितरण सर्वत्र समान नही है। अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी मध्य पूर्व भाग मे अधिवासो का वितरण बहुत सघन है, परन्तु उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व तथा आमी नदी के बाढ क्षेत्र, आमी एव राप्ती के मध्य स्थित झाडन झील, नाला ताल आदि के कारण अधिवास विरल है। बस्तियो का अवस्थापनात्मक वितरण, बस्तियो की सघनता और अन्तरालन के द्वारा समझा जा सकता है। बस्तियो की सघनता से तात्पर्य प्रति वर्ग किमी क्षेत्र मे बस्तियो की सख्या से है। तहसील मे बस्तियो की सघनता 105 बस्ती प्रति वर्ग किमी है। अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रो मे इसका क्षेत्रीय वितरण असमान है। प्रति वर्ग किमी मे सबसे अधिक बस्तियो की सख्या क्रमश बासगॉव कौडीराम तथा गगहा विकास खण्ड के पश्चिमी भागो मे है।

बस्तियो की सघनता तथा अन्तराल मे विलोम सम्बन्ध है। सघनता कम होने पर अन्तरालन बढता है तथा सघनता बढने अन्तरालन कम होने लगता है। उपर्युक्त तथ्य तालिका से स्पष्ट है। बस्तियो के अन्तरालन की गणना माथेर (1944) द्वारा प्रयुक्त सूत्र द्वारा की गयी है जो निम्नलिखित है—

तालिका

क्र स	न्यायपचायत	सघनता प्रति 100 वर्ग किमी	अन्तरालन किमी मे
1	देवडार बाबू	96	0 10
2	फुलहर खुर्द	121	09
3	मरवटिया	100	09
4	बारागॉव	155	08
5	धनौडा खुर्द	84	10
6	विशुनपुर	80	11
7	पाली	78	11
8	लेड्डआबारी	83	12
9	दुबौली	96	10
10	डॅवरपार	109	09
11	भीटी	161	07
12	बिरटौली	105	09
13	भलॉव	46	14
14	कौडीराम	131	08
15	चवरियॉ बुजुर्ग	140	08
16	उॅचेर	72	11
17	सोहगौरा	76	12
18	बासूडीहा	93	10
19	जानीपुर	89	10

20	हटवा	106	09
21	नर्रे	116	092
22	दरसी	120	091
23	कोठा	164	07
24	बेलकुर	125	08
25	राउतपार	110	09
26	तिलरार	118	09
27	हाटा बुजुर्ग	112	094
28	सहुआकोल	80	11
29	महिलवार	82	11
	योग – 29		

अन्तरालन = 1 0746 क्षेत्रफल / बस्तियो की सख्या

अध्ययन प्रदेश के बस्तियो की सघनता और अन्तरालन के विश्लेषणोपरान्त कहा जा सकता है कि बस्तियो का वितरण प्रतिरूप असमान है। बस्तियो का असमान वितरण प्रतिरूप भ्वाकृतिक विशेषताओ तथा कृषि से प्रभावित है। भौतिक तथ्यो का बस्तियो के वितरण प्रतिरूप पर सबसे अधिक प्रभाव है। (सारणी 3 21)

अधिवासो के प्रकार

अध्ययन क्षेत्र के अधिवास प्राय कृषित क्षेत्रो के मध्य पाये जाते है जिन्हे पुरवा या टोला की सज्ञा दी जाती है। इसमे केन्द्रिय अधिवास को साय कहते है। अध्ययन क्षेत्र मे अधिवासो की सघनता के आधार पर इन्हे चार वर्गो सघन अधिवास, अर्द्ध सघन अधिवास, अपखण्डित और प्रकीर्ण अधिवास मे विभाजित करते है।

सघन अधिवास अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग मे बासगाव और उरूवा विकास खण्डो मे पाये जाते है। तरैना के दक्षिणी भाग तथा आमी पार

बागर क्षेत्र मे भी सघन अधिवास पाये जाते है। तरैना के दक्षिणी भाग तथा आमी पार बागर क्षेत्र मे भी सघन अधिवास कृषि के कारण अधिक श्रमिको की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिवासो के विकास मे सहायक होते है। अर्धसघन अधिवास मे एक प्रमुख अधिवास उससे सम्बन्धित दो या तीन अन्य अधिवास होते है। इस प्रकार के अधिवासो का विकास मुख्य ग्राम की जनसख्या मे वृद्धि अथवा जनसख्या आव्रजन जिसमे अधिकाश कृषि कार्यरत श्रमिक होने के फलस्वरूप होता है। अध्ययन क्षेत्र के मध्य पूर्व एव दक्षिणी भाग मे इस प्रकार के अधिवास पाये जाते है। उच्चावच मे असमानता, जलप्राप्ति साधनो की अल्प उपलब्धि के फलस्वरूप ही अपखण्डित अधिवासो का विकास होता है अध्ययन क्षेत्र के खादर क्षेत्रो मे जहॉ पर कटाव अधिक होता है, इनकी प्रधानता है। प्रकीर्ण अधिवास अस्थायी रूप से बाढ ग्रस्त क्षेत्रो मे वितरित है। बाढ ग्रस्त क्षेत्रो मे बाढ की बारम्बारता प्रकीर्ण अधिवासो के लिये उत्तरदायी है। प्रकीर्ण अधिवास राप्ती तथा आमी नदियो के बाढ ग्रस्त क्षेत्रो मे पाये जाते है।

अध्याय—4

बस्तियों का स्थानिक—कार्यात्मक संगठन एवं नियोजन

नगरो का विकास गॉवो से होता है और नगरवासी निरन्तर ग्रामवासियो के परिश्रम पर ही पनपते है।[1] सामाजिक—आर्थिक अध सरचना की दृष्टि से ये ग्रामीण बस्तियॉ नगरीय बस्तियो की अपेक्षा पर्याप्त रूप से पिछडी है। इनके पिछडेपन के कारण ही बडे पैमाने पर कार्यशील जनसख्या का स्थानान्तरण गॉवो से नगरो की ओर ही रहा है, जो भारतीय जनसख्या की प्रमुख समस्या है। गॉवो से नगरोन्मुखी स्थानान्तरण की समस्या का समाधान, ग्रामीण बस्तियो की सामाजिक—आर्थिक अध सरचना के विकास मे निहित है।[2] इस समस्या का समाधान क्षेत्र के विकास द्वारा सम्भव है और उस क्षेत्र का विकास ऐसे अनेक बस्तियो के माध्यम से किया जा सकता है, जहॉ लगभग सभी आधारभूत सामाजिक—आर्थिक सुविधाओ का केन्द्रीकरण हो। प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक विशिष्ट व्यक्तित्व होता है जिसका निर्माण न केवल वहॉ प्राप्त ससाधनो द्वारा अपितु वहॉ निवास करने वाले लोगो के द्वारा भी होता है।[3] ससाधनो तथा आर्थिक क्रियाओ के असमानता के कारण ही किसी विशिष्ट क्षेत्र मे विभिन्न स्तरीय सेवा केन्द्रो का अभ्युदय तथा विकास होता है। इन सेवा—केन्द्रो का अधिवास प्रतिरूपो से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। अन्य देशो की भॉति भारत मे भी विभिन्न भौतिक, आर्थिक एव सास्कृतिक पृष्ठभूमि मे सुसहत एव व्यासृत दोनो ही प्रकार के अधिवास प्रतिरूपो का विकास हुआ है। इन दो—प्रतिरूपो के अतिरिक्त दोनो के मध्य अनेक प्रतिरूपो जैसे विसरित पल्लियो आदि का भी विकारा स्थान विशेष की विशिष्ट सामाजिक एव आर्थिक परिस्थितियो के परिणामस्वरूप मिलता है।[4] कृषि आधारित बडे पैमाने पर सहत बस्तियॉ भारतीय बस्ती प्रतिरूप की मुख्य विशेषता

है।[5] माइत्सेन[6] ने सुसहत ग्रामीण अधिवास को सामुदायिक कृषि व्यवस्था से और व्यासृत आवासगृहो को व्यक्तिगत कृषि व्यवस्था से सम्बन्धित बताया है। अध्ययन क्षेत्र मे आधारभूत बस्तियो को पहचानने का प्रयास किया गया है जो सख्या मे अल्प है। साथ ही सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के सतुलित विकास के लिए, विकेन्द्रीकरण के माध्यम से ऐसे नवीन केन्द्रो का चयन तथा विकास केन्द्रो के रूप मे सवर्धन के लिये नियोजन प्रस्तुत किया गया है।

4.1 विकास–केन्द्र की संकल्पना

जिन बस्तियो मे किसी भी मात्रा या गुण के सामाजिक एव आर्थिक क्रियाओ का सकेन्द्रण हो जाता है, विकास–केन्द्र के रूप मे अभिहित किया जाता है। विकास केन्द्रो को अनेक नामो से जाना जाता है जैसे सेवा–केन्द्र, विकास–ध्रुव, केन्द्र–स्थल व विकास–बिन्दु आदि। कार्यो की तीव्रता के आधार पर विकास केन्द्रो को तीन वर्गो– (1) विकास–ध्रुव (2) विकास–केन्द्र और (3) विकास–बिन्दु मे रखा गया है। प्रो आर पी मिश्र[7] (1975) ने विभिन्न प्रकार के कार्यो की सरचना के आधार विकास केन्द्रो को निम्न 6 वर्गो मे विभक्त किया है–

1 विकास–ध्रुव
2 विकास–केन्द्र
3 विकास–बिन्दु
4 सेवा–केन्द्र
5 बाजार–केन्द्र
6 गॉव–केन्द्र

प्रस्तुत अध्ययन मे इन सभी प्रकार के विकास जनक केन्द्रो को विकास केन्द्र कहा गया है। कुछ बस्तियो की विशिष्ट स्थिति एव कार्यो के केन्द्रीकरण के परिणाम स्वरूप विकास केन्द्रो के रूप मे निर्धारण हो जाता है। ऐसी बस्तियॉ ही सम्बन्धित कार्यो द्वारा अपने समीपवर्ती क्षेत्रो को सेवा प्रदान करती है, जिससे

पहचान सर्वप्रथम मार्क जेफरसन[9] ने 'केन्द्रस्थल' (सेट्रल प्लेस) के रूप मे किया था। इसी आधार पर क्रिस्टालर[10] ने केन्द्र स्थल सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया। सेवा केन्द्रो के आधार छोटे–गॉव से लेकर वृहद नगरो तक होता है। ये केन्द्र विकास तथा नवाचार के जनक होते है। इन सेवा–केन्द्रो के आधार पर पेराडक्स[11] महोदय ने जो एक अर्थशास्त्री थे 'विकास ध्रुव सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। बोदविले[12] ने इस सिद्धान्त को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य मे नया आयाम दिया।

4.2 विकास केन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य

कोई भी विकास केन्द्र चाहे जिस आकार–प्रकार का हो वह सामाजिक–आर्थिक कार्यो का केन्द्र होता है, तथा समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करता है। बडे विकास केन्द्रो मे विकास कार्यो की सख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। किसी भी विकास–केन्द्र की स्थापना एव स्थायित्व उन सामाजिक आर्थिक कार्यो पर निर्भर करता है, जिसके द्वारा समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा प्रदान करता है। अत ये केन्द्र परिधीय क्षेत्र से इष्टतम रूप मे जुडे होते है। इन केन्द्रो के सेवाओ का लाभ प्रत्येक जन तक पहुँचे, इसके लिये सम्पूर्ण क्षेत्र मे विभिन्न प्रकार के सेवा केन्द्रो का जाल हाना चाहिए। वास्तव मे ये केन्द्र सामाजिक आर्थिक कार्यो के क्रीडा–स्थल के रूप मे होते हे। इन सेवा–केन्द्रो का स्वरूप स्थानीय इकाई के समान होता है, जिनके द्वारा अधिकाश सुविधाऍ एव सेवाऍ प्रमुखत निश्चित क्षेत्र के लोगो को दिए जाते है।

सेवा केन्द्रो या केन्द्र स्थलो पर अनेक कार्यो का सकेन्द्रण होता है किन्तु इसमे से कुछ कार्य केन्द्रस्थल की जनसख्या तथा कुछ कार्य समीपवर्ती क्षेत्र की (सेवित क्षेत्र) की जनसख्या के लिए होते है। स्वय केन्द्र स्थल की जनसख्या की सेवा प्रदान करने वाले कार्यो को सामान्य कार्य (नान बेसिक फक्सन) तथा समीपवर्ती क्षेत्रो को सेवा प्रदान करने वाले कार्यो को आधारभूत कार्य (बेसिक फक्सन) कहा जाता हे, जिस पर ही उनकी अवस्थिति होती है। सामान्यत सामान्य कार्य सभी बस्तियो द्वारा किये जाते है किन्तु आधारभूत कार्य कुछ

विशिष्ट बस्तियो द्वारा ही सम्पादित होते है। क्रिस्टालर[13] ने इन आधारभूत कार्यो को केन्द्रीय कार्य (रोट्रल फक्सन) कहा है। भट्ट[14] ने तकनीकी आर्थिक एव सस्थागत कारणो से असर्वगत (नानयूबीक्यूट्स) तथा कुछ निश्चित क्षेत्रो की सेवा के लिये निश्चित स्थानो पर अवस्थित सेवाओ को 'केन्द्रीय कार्य' के रूप मे माना है। राजकुमार पाठक[15] के अनुसार जिन कार्यो से लोगो का स्थानान्तरण सभव होता है उसे 'केन्द्रीय कार्य' कहते है। यह स्थानान्तरण दैनिक मासिक, वार्षिक, स्थायी, अस्थायी आदि अनेक रूपो मे हो सकता है। किन्तु किसी भी कार्य का केन्द्रीय कार्य होना इस बात पर निर्भर है कि उसका उस क्षेत्र मे क्या महत्व है ? किसी विकास केन्द्र के केन्द्रीय कार्यो का महत्व, स्वय उस केन्द्र एव सम्बन्धित क्षेत्र के विकास मे योगदान से है। सम्बन्धित केन्द्र एव क्षेत्र का विकास केन्द्रीय कार्यो का प्रतिफल होता है। इन विकास केन्द्रो का विकास, परिधीय क्षेत्रो के योगदान का भी परिणाम है। वास्तव मे केन्द्रीय कर्यो का सम्बन्ध सम्बन्धित विकास केन्द्र एव क्षेत्र का विकास करने से है। अत ऐसे कार्यो का क्षेत्रिय–विकास कार्य' (सेन्ट्रल ग्रोथ फक्सन) कहना अधिक उपयुक्त है। प्रस्तुत अध्ययन मे प्रशासनिक कृषि एव पशुपालन, प्रशासनिक शिक्षा एव मनोरजन, परिवहन एव सचार चिकित्सा, वित्तीय तथा व्यापार एव वाणिज्य से सम्बन्धित 30 कार्यो को केन्द्रीय विकास कार्य के रूप मे प्रयुक्त किया गया है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र मे व्याप्त इन कार्यो को प्रवेशी जनसख्या, (इन्ट्री प्वाइट पापुलेशन), सतृप्त जनसख्या (सेचुरेशन प्वाइट पॉपुलेशन) और कार्याधार जनसख्या (थ्रीशोल्ड पॉपुलेशन) के साथ प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 4.1

केन्द्रीय विकास कार्य

क्र स	कार्य	अध्ययन क्षेत्र मे कुल सख्या	प्रवेशी जनसख्या	सपृक्त जनसख्या	कार्याधार जनसख्या
प्रशासनिक कार्य					
1	तहसील मुख्यालय	1	13489	13489	13489
2	विकास खण्ड केन्द्र	4	13489	13489	13489
3	न्याय पचायत केन्द्र	29	4126	25407	14766 5
4	थाना	4	1857	25407	13632
5	पुलिस चौकी	4	7192	16968	12080
कृषि एव पशुपालन					
6	शीत भण्डार	1	25407	25407	25407
7	बीज एव कीटनाशक उर्वरक केन्द्र	4	16968	19645	18306 5
8	पशु चिकित्सालय	6	10742	16968	13855
9	पशु सेवा केन्द्र	17	2646	13378	8012
शिक्षा एव मनोरजन					
10	महाविद्यालय	1	16968	16968	16968
11	हायर सेकेण्ड्री विद्यालय	14	992	14954	7973
12	सीनियर बेसिक विद्यालय	56	423	14780	7601 5
13	जूनियर बेसिक विद्यालय	188	376	4126	2251
14	छविगृह	1	16968	16968	16968
परिवहन एव सचार					
15	बस स्टेशन	8	2426	16968	9697
16	बस स्टाप	42	634	7192	3913

17	डाकघर	52	622	8462	4512
18	दूरभाष एव तारघर	52	1186	7192	4189
चिकित्सा					
19	अस्पताल	2	13489	16968	15228 5
20	प्रा स्वा केन्द्र	8	2206	14954	8580
21	आयु एव युनानी चिकि	6	1683	25407	13545
22	होम्योपैथिक चिकित्सा	4	3496	14780	9138
23	मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र	63	992	9977	5484 5
वित्तीय कार्य					
24	भारतीय स्टेट बैक	3	1141	13489	7315
25	क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	9	1857	14966	8411 5
26	भूमि विकास बैक	1	13489	13489	13489
27	उ प्र कोआ बैक	1	25407	25407	25407
28	पजाब नेशनल बैक	1	14306	14306	14306
व्यापार एव वाणिज्य					
29	फुटकर बाजार	22	166	535	350
30	साप्ताहिक बाजार	19	1089	8758	4923 5

स्रोत – जिला सूचना केन्द्र गोरखपुर, जिला साख्यिकी पत्रिका, गोरखपुर, **1998**

4.3 केन्द्रीय कार्यों का पदानुक्रम

जो कार्य जितना महत्वपूर्ण होता है उसका स्तर उतना ही ऊँचा होता है। कार्यो के महत्व से केन्द्र की केन्द्रीयता प्रभावित होती है। अत किसी निश्चित स्तर के कार्यो से युक्त केन्द्र का महत्व और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जब वह केन्द्र अधिक जनराख्या की सेवा करता है, परन्तु उतनी ही मात्रा मे उससे उच्च स्तर के कार्यों को सम्पादित करने वाले केन्द्र का महत्व अपेक्षाकृत अधिक

होता है, क्योकि वह और अधिक जनसख्या की सेवा करता है, इसलिये केन्द्रीय कार्यो का पदानुक्रम निर्धारण नितान्त आवश्यक है। प्रत्येक केन्द्रीय कार्यो के निर्धारण मे उनका तुलनात्मक महत्व निर्धारित होता है। 'कार्यो की प्रवेशी जनसख्या के आधार पर मिरयालगुडा तालुका के अध्ययन मे एल के सेन[16] ने कार्यो का पदानुक्रम निर्धारित किया है किन्तु ऐतिहासिक एव राजनीतिक कारणो से प्रवेशी जनसख्या प्रभावित होती रहती है, प्रस्तुत अध्याय मे कार्याधार जनसख्या सूचकाक को जो कार्यों के पदानुक्रम के निर्धारण मे सर्वथा सक्षम नही हो होता है। पदानुक्रम के निर्धारण मे आधार बनाया गया है। 'कार्याधार जनराख्या' किसी भी प्रदेश मे किसी भी कार्य को उपयुक्त ढग से सेवा प्रदान करने के लिये आवश्यक होता है जो प्रदेश रो सम्बन्धित कार्य की प्रवेशी और रापृक्त जनसख्या के बीच की स्थिति होती है।

प्रवेशी जनसख्या से तात्पर्य किसी कार्य को सम्पादित करने से सम्बन्धित उस निम्नतम जनसख्या से है, जिरा पर किरी बरती मे किसी कार्य की अवरथापना हो। प्रस्तुत अध्ययन मे प्रवेशी जनराख्या की गणना सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के बरितयो मे से की गयी है। सपृक्त जनसख्या वह आकार है जिसके ऊपर किसी प्रदेश मे कोई कार्य (यूबीक्वीटस) हो जाता है।[17] किन्तु, प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र मे इस नियम का दृढता से पालन करना सभव नही है। उदाहरण स्वरूप तहसील मुख्यालय की जनसख्या 13489 है। इसे सपृक्त जनसख्या मानने मे कठिनाई यह है कि इससे अधिक जनसख्या वाले कई न्याय पचायत सेवा केन्द्र है, जैसे कि कौडीराम न्यायपचायत (16968) हटवा न्यायपचायत (25407) है किन्तु तहसील मुख्यालय तो एक ही हो सकता है। ऐसे कई कार्यो के सपृक्त जनसख्या निर्धारण मे, सम्बन्धित कार्य को करने वाले सबसे बडे केन्द्र की जनसख्या को सपृक्त जनसख्या मान लिया गया है। कार्याधार जनसख्या की गणना रीड मुच्च[19] विधि द्वारा की गयी। इसके बाद सबसे कम कार्याधार जनसख्या वाले कार्य की जनसख्या से सभी कार्यो की कार्याधार जनसख्या मे भाग देकर कार्याधार जनराख्या सूचकाक की गणना की गयी है। पुन कार्याधार

जनसख्या सूचकाक के निरीक्षण के बाद कार्यो के 4 पदानुक्रम निर्धारित किए गए है। तालिका 4 2 मे कार्य, उनकी कार्याधार जनसख्या तथा उनका सूचकाक तथा तालिका 4 3 मे कार्यो का पदानुक्रम का विवरण दिया गया है।

तालिका 4.2

कार्य एव कार्याधार जनसख्या सूचकाक

क्र स	केन्द्रीय कार्य	कार्याधार जनसख्या	कार्याधार जनसख्या सूचकाक
1	2	3	4
1	शीतभण्डार	25407	72 69
2	उ प्र कोआपरेटिव बेक	25407	72 69
3	बीज एव कीटनाशक	18306	52 3
4	महाविद्यालय	16968	48 48
5	छविगृह	16698	48 48
6	अस्पताल	15228	43 50
7	न्यायपचायत केन्द्र	14767	42 19
8	पजाब नेशनल बैक	14306	40 87
9	पशु चिकित्सालय	13855	39 68
10	थाना	13632	38 94
11	आयुर्वेदिक एव युनानी चिकित्सा	13545	38 7
12	तहसील मुख्यालय	13489	38 54
13	विकास खण्ड केन्द्र	13489	38 54
14	भूमि विकास बैक	13489	38 54
15.	पुलिस चौकी	1208	34 51
16.	बस स्टेशन	9697	27 7
17'	होम्योपैथिक चिकित्सालय	9138	26 1

18	प्रा स्वा केन्द्र	8580	25 5
19	क्षेत्रीय ग्रामीण बैक	8412	24 01
20	पशु सेवा केन्द्र	8012	22 89
21	हायर सेकेण्ड्री विद्यालय	7993	22 78
22	सीनियर बेसिक विद्यालय	7602	21 72
23	भा स्टेट बैक	7315	20 9
24	मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र	5485	15 67
25	साप्ताहिक बाजार	4924	14 06
26	डाकघर	4552	12 97
27	दूरभाष एव तारघर	4189	11 96
28	बस स्टॉप	3913	11 18
29	जूनियर बेसिक विद्यालय	2251	6 43
30	फुटकर बाजार	350	1 00

तालिका 4.3

कार्यों के चार पदानुक्रम

पदानुक्रम	कार्याधार जनसख्या सूचकाक	कार्यों की सख्या
1	52 3 से अधिक	2
2	52 3 से 34 51	13
3	34 51 से 20 9	8
4	20 9 से 1 00	7

4.4 विकास केन्द्रों का निर्धारण

भारत मे वर्तमान विकास केन्द्रो का प्रतिरूप ऐतिहासिक—सास्कृतिक शक्तियो तथा आर्थिक एव राजनैतिक आवश्यकताओ का परिणाम है।[19] विकास—केन्द्रो के निर्धारण से तात्पर्य अध्ययन क्षेत्र मे अवस्थित बस्तियो मे से उन बस्तियो का चयन करना जो वितरित बस्तियो का सेवा—केन्द्र के रूप मे सेवा कर

तहसील बांसगाँव
निर्धारित सेवा केन्द्र
तहसील मुख्यालय
विकास खण्ड केन्द्र
न्याय पचायत केन्द्र एव
विकास केन्द्र
निर्धारित सेवा केन्द्र
0
2 km

Fig No 41

रहा हो। सेवा–केन्द्रो के निर्धारण की प्रक्रिया सिद्धान्तरूप मे जितनी आसान लगती है, व्यावहारिक रूप मे उतनी ही जटिल प्रक्रिया है। अध्ययन क्षेत्र के विपुल बस्तियो मे से किन–किन बस्तियो को किस मात्रा मे तथा किस आधार पर सेवा–केन्द्रो का निर्धारण किया जाय ? वाछित आकडो की अनुपलब्धता के कारण परिमाणात्मक मानदण्डो का उपयोग करना सभव नही हो पाता है। फलत वास्तविक केन्द्रो का सुनिश्चियन नही हो पाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजित एव परिभाषित बस्तियाँ कभी–कभी समस्या खडी कर देती है। कुछ गॉवो मे कई पुरवे अनेक केन्द्रक के रूप मे कार्य करते है, तथा कभी–कभी राजस्व गाव वास्तविक बस्ती का इकाइयो से मेल नही खाते। कभी–कभी एक ही बस्ती कई राजस्व गॉवो मे बॅटी होती है कि मात्र एक या दो कार्यों के सम्पादन के बावजूद व्यावहारिक रूप मे कई बडे सवो–केन्द्रो से महत्वपूर्ण होते है। प्राय यह भी देखने को मिलता है कि केन्द्रीय कार्यो•की अवस्थिति सरकारी आकडो मे वस्तुत प्रदर्शित नही होता है। अत सेवा–केन्द्र के केन्द्रीय कार्यो की गणना मे प्राय कठिनाई होती है जैसे कि बासगॉव विकासखण्ड मे एक–दो बैक मुख्यालय पर स्थित न होकर दोनखर मे स्थित है। दरसी न्यायपचायत केन्द्र होते हुए भी दरसी न्यायपचायत के अधिकाश केन्द्रीय कार्य मझगॉवा मे है। कोठा न्यायपचायत के मे अधिकाश केन्द्रीय कार्य गजपुर मे है। ऐसे कई और उदाहरण है जो विकास–केन्द्रो के निर्धारण मे समस्या उत्पन्न करती है।

सामान्यत सेवा–केन्द्रो का निर्धारण केन्द्रीय सेवाओ की उपस्थिति, केन्द्रीयता तथा केन्द्रीयता सूचकाक जनसख्या आकार, कार्यशील व कुल जनसख्या के अनुपात केन्द्रीय कार्यो के कार्याधार जनसख्या तथा बस्तियो के सेवा क्षेत्र के आधार पर या उपर्युक्त आधारो मे से एकाधिक आधारो पर किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों मे भारत मे सेवा केन्द्रो के निर्धारण मे महत्वपूर्ण कार्य हुए है। सुधीर वनमाली[20], सेन[21], नित्यानन्द[22], कुमार एव शर्मा[23] एस बी सिह[24] तथा खान[25] आदि विद्वानो ने कार्यो के सकेन्द्रण के आधार पर सेवा–केन्द्रो का निर्धारण

किया है जिसमे कार्यो के औसत कार्याधार जनसख्या को भी स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त दत्ता[26] ने परिवहन सूचकाक के आधार पर आलम[27] ने जनसख्या के आधार पर, जी के मिश्र[28] ने प्राथमिक कार्याधार जनसख्या के आधार पर जगदीश सिह[29] ने जनसख्या के आकार और कार्यो को उपस्थिति के आधार पर, तथा भट्ट[30] एव पाठक[31] आदि विद्वानो ने बस्तियो की केन्द्रीयता को सेवा केन्द्रो के निर्धारण का आधार माना है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सेवा–केन्द्रो के निर्धारण की अनेक प्रक्रियाए है। सभी–प्रक्रियाएँ व्यक्तिनिष्ठ है, क्योकि सेवा–केन्द्रो का चयन, केन्द्रीय कार्यो का चयन तथा सतृप्त जनसख्या बिन्दु का चयन जिसके ऊपर ही सम्पूर्ण विश्लेषण सभव है, अध्ययनकर्ता के विवेक पर निर्भर करता है। प्रस्तुत अध्ययन मे कार्यो की औसत कार्याधार जनसख्या, परिवहन द्वारा बस्तियो की सम्बद्धता तथा केन्द्रीय कार्यो की अवस्थिति के माध्यम से सेवा–केन्द्रो का निर्धारण किया गया है। सर्वप्रथम केन्द्रीय कार्यो को सम्पादित करने वाली बस्तियो मे उन्ही का चयन करने का प्रयास किया गया है जिनकी जनसख्या सम्बन्धित कार्यो की कार्याधार जनसख्या के ऊपर है। तत्पश्चात् किन्ही दो केन्द्रीय विकास कार्यो को सम्पादित करने वाली बस्तियो का चयन किया गया है जिनका मान 12 97 से अधिक है। चयनित सेवाकेन्द्रो मे से सभी केन्द्रो पर जूनियर बेसिक विद्यालय, मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र, सीनियर बेसिक विद्यालय एव डाकघर पाये जाते है। अत सेवा-केन्द्रो के कार्यात्मक अक की गणना मे उपर्युक्त कार्यो के मान को नही जोडा गया है। यद्यपि कि मातृ एव शिशुकल्याण केन्द्र के मान (15 67) से बस स्टॉप (11 18), फुटकर बाजार (1 00) का मान कम है, किन्तु इन विकास–कार्यों की कुछ सेवा–केन्द्रो पर उपस्थिति के कारण इनके मान को जोडा गया है। अध्ययन क्षेत्र मे उक्त मानदण्डो के आधार पर न्यायपचायत स्तर पर सेवाकेन्द्रो को मान्यता प्रदान की गयी है। जितने सेवा–केन्द्र न्याय पचायत स्तर पर मान्य है उन्हे श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है जबकि कुछ

सेवा–केन्द्र ऐसे है, जो उपर्युक्त मानदण्ड के अन्तर्गत नही आते है फिर भी सेवा–केन्द्र के रूप मे कार्य कर रहे है, ऐसे सेवा–केन्द्रो को बी श्रेणी के अन्तर्गत रखा गया है। उपर्युक्त मानदण्डो के आधार पर 'ए' श्रेणी मे 29 सेवा केन्द्रो तथा 'बी' श्रेणी मे 6 रोवा केन्द्रो को मान्यता प्रदान की गयी है। इन सेवा–केन्द्रो की जनसख्या तथा सम्पादित होने वाले कार्यो की सख्या सारणी 44 मे प्रदर्शित है।

सारणी – 44

तहसील बासगॉ निर्धारित सेवा–केन्द्र

क्र स	सेवा केन्द्रो के नाम	जनसख्या	सम्पादित होने वाले केन्द्रीय कार्यों की सख्या
1	बासगॉव	19645	25
2	कौडीराम	16968	21
3	गगहा (हटवा)	25407	18
4	कोठा	14954	11
5	जानीपुर	14966	9
6	हाटा बुजुर्ग	8758	9
7	बासूडीहा	14780	8
8	बिस्टौली	10143	8
9	दरसी	7799	8
10	डॅवरपार	10062	7
11	मलॉव	13378	7
12	नर्रे बुजुर्ग	9977	6
13	पाली खास	9826	5
14.	भीटी	7758	4
15.	सोहगौरा	8462	4
16	चवरियॉ बुजुर्ग	8647	4
17	धनौडा खुर्द	14306	4

18	दुबौली	7626	4
19	ऊँचेर	13490	3
20	राउतपार	12437	3
21	बेलकुर	8137	3
22	महिलवार	10742	3
23	सहुआकोल	11927	2
24	देवडार बाबू	12485	2
25	फुलहर खुर्द	8087	2
26	भरवटिया	10055	2
27	लेडुआबारी	6292	2
28	विशुनपुर	9581	2
29	तिलसर	4126	1

सारणी — 4.4 'B'

1	भलुआन	1141	10
2	गजपुर	7192	10
3	दोनखर	4510	9
4	पाण्डेपुर	2615	9
5	मझगॉवा	2498	9
6	बेलीपार	1857	8

4.5 केन्द्रीयता का निर्धारण

केन्द्रीयता सेवा—केन्द्रो के निर्धारण का अभिन्न अग है। केन्द्रीयता से सेवा—केन्द्रो के महत्व का आकलन तथा सापेक्षिक महत्व का पता चलता है। सेवा—केन्द्रो का पदानुक्रम निर्धारण भी केन्द्रीयता के आधार पर किया जा सकता है। किसी केन्द्र की केन्द्रीयता उसके द्वारा सम्पादित कार्यो के गुण और उनकी मात्रा का द्योतक है।[32] भट्ट[33] ने कार्यो की मात्रा एव गुण के साथ—साथ कार्यो

की सभाव्यता को केन्द्रीयता कहा है। किसी भी केन्द्र की केन्द्रीयता का उसके जनसख्या आकार से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है परन्तु यह अनिवार्य नही है। कभी–कभी जनसख्या आकार तथा केन्द्रीयता मे ऋणात्मक सम्बन्ध दृष्टिगत होता है।

केन्द्रीयता का निर्धारण एक जटिल एव व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया है। इसका निर्धारण एक या एक से अधिक आधारो पर किया जा सकता है। क्रिस्टालर (1933)[34] ने दक्षिणी जर्मनी मे टेलीफोन कनेक्शन के आधार पर केन्द्रीयता का निर्धारण किया। डकन[35], ब्रश[36] स्मैल्स[37] कार्टर[38], उल्मैन[39] हार्टले एव स्मैल्स[40] तथा कार[41] आदि विद्वानो ने किसी केन्द्र पर पाये जाने वाले सभी चयनित कार्यो के आधार पर केन्द्रीयता का निर्धारण किया। ब्रेसी[42] ने केन्द्रो के आकर्षण शक्ति के आधार पर तथा ग्रीन[43] कैरूधर्स[44] ने आकर्षण शक्ति के साथ–साथ केन्द्रो की विभिन्न केन्द्रो से परिवहन सम्बद्धता को भी ध्यान मे रखा है। सिद्दाल[45] फुटकर और थोक व्यापार अनुपात तथा एबियोदन[46] ने 1967 'बहु विचर विश्लेषण' (मल्टी वेरीएट एनालिसिस) के द्वारा केन्द्रीयता का निर्धारण किया। 1971 मे प्रेस्टन[48] ने फुटकर व्यापार तथा औसत पारिवारिक आय के आधार पर केन्द्रीयता मॉडल प्रस्तुत किया, किन्तु आकडो पर अत्यधिक निर्भरता, इसके व्यावहारिक प्रयोग को सीमित कर देती है। वाशिगटन के स्नोहिमश काउन्टी के अध्ययन मे बेरी और गैरिशन[48] ने 1958 के केन्द्रो मे केन्द्रीयता निर्धारण मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यो व उसकी कार्याधार जनसख्या और पदानुक्रम का उपयोग किया।

भारतीय विद्वानो ने भी केन्द्रीय–स्थलो की केन्द्रीयता का निर्धारण अधिकाशत केन्द्रीय कार्यो की सख्या के आधार पर किया है। कार्यो के आधार पर विश्वनाथ (1967)[49] ओ पी सिह (1971)[50] प्रकाशाराव (1974)[51], जगदीश सिह (1976)[52] आदि विद्वानो ने सराहनीय कार्य किया है। कार्यो की परस्पर यातायात सम्बद्धता के आधार पर बहुत कम कार्य हुआ है, फिर भी जैन (1971)[53] तथा ओ पी सिह[54] ने उल्लेखनीय कार्य किया है। केन्द्रीयता का निध

ारण सर्वाधिक प्रचलित केन्द्रीय कार्यो के आधार पर किया जाता है। विभिन्न कार्यो को महत्व प्रदान किया जाना स्वविवेक पर आधारित है। जगदीश सिह (1977)[55] ने शैक्षिक सेवाओ के लिये निम्न प्रकार के मान निर्धारित किया।

प्राइमरी स्कूल	1
जूनियर हाईस्कूल	2
हायर सेकेन्ड्री स्कूल	3
डिग्री कालेज	4
विश्वविद्यालय / उच्च तकनीकी सस्थान	5

इस विधि से विभिन्न कार्यो के महत्व को आकना सर्वथा उपयुक्त नही होता है। उपर्युक्त विवरण मे विश्वविद्यालय के महत्व को प्राइमरी स्कूल से मात्र 5 गुना अधिक बताया गया है जो उचित नही है। प्रस्तुत अध्ययन मे उक्त दोषो से बचने के लिए कार्यो के महत्व के अनुसार मान निर्धारण की एक नवीन प्रक्रिया अपनायी गयी है। इस विधि मे सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र मे चुने गये 30 केन्द्रीय कार्यो मे से सभी कार्य को बराबर महत्व प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य को 100 मान दिया गया है। इन कार्यो के प्रति इकाई महत्व को प्रदर्शित करने के लिए अध्ययन क्षेत्र मे पाए जाने वाले प्रत्येक केन्द्रीय कार्य की कुल सख्या से 100 को विभाजित किया गया है। इससे कार्यो के सापेक्षिक महत्व का निर्धारण होता है। विभिन्न कार्यो का मान निर्धारण तालिका 4 5 मे प्रदर्शित है।

तालिका 4.5

विभिन्न कार्यों का महत्वानुसार मान

क्र स	केन्द्रीय कार्य	क्षेत्र मे उनकी सख्या	क्षेत्र मे उनका कुल महत्व	प्रति महत्व इकाई
(अ) कृषि एव पशुपालन				
1	शीतभण्डार	1	100	100 00
2	बीज एव कीटनाशक उर्वरक केन्द्र	4	100	25 00
3	पशु चिकित्सालय	6	100	16 66
4	पशु सेवा केन्द्र	17	100	5 88
(ब) प्रशासनिक कार्य				
5	तहसील मुख्यालय	1	100	100 00
6	विकासखण्ड केन्द्र	4	100	25 00
7	न्याय पचायत केन्द्र	29	100	3 44
8	थाना	4	100	25 00
9	पुलिस चौकी	4	100	25 00
(स) शिक्षा एव मनोरजन				
10	महाविद्यालय	1	100	100 00
11	हायर सेकेन्ड्री विद्यालय	14	100	7 14
12	सीनियर बेसिक	56	100	1 78
13	जूनियर बेसिक विद्यालय	188	100	53
14	छविगृह	1	100	100 00
(द) परिवहन एव सचार				
15	बस स्टेशन	8	100	12 50
16	बस स्टॉप	42	100	2 38
17	डाकघर	45	100	2 22

18	दूरभाष एव तारघर	52	100	1 92
(य) चिकित्सा				
19	अस्पताल	2	100	50 00
20	प्रा स्वा केन्द्र	8	100	12 50
21 '	आयु एव युनानी चि	6	100	16 66
22	होम्योपैथिक चिकि	4	100	25 00
23	मातृ, शिशु कल्याण केन्द्र उपकेन्द्र	63	100	1 58
(र) वित्तीय कार्य				
24	भारतीय स्टेट बैक	3	100	33 3
25	क्षेत्रीय ग्रामीण बेक	9	100	11 11
26	भूमि विकास बैक	1	100	100 00
27	उ0प्र0 कोआ0 बैक	1	100	100 00
28	पजाब नेशनल बेक	1	100	100 00
(ल) व्यापार एव वाणिज्य				
29	फुटकर बाजार	22	100	4 54
30	साप्ताहिक बाजार	19	100	5 26

पूर्व के अध्ययनो मे कार्यो के महत्व के अनुसार ही केन्द्रो के सापेक्षिक महत्व को आकने का प्रयास किया जाता रहा है किन्तु उनके द्वारा सेवित जनराख्या से भी केन्द्रो के सापेक्षिक महत्व का ज्ञान होता है। सामान्यतया उच्च स्तरीय कार्यो और केन्द्रो द्वारा सेवित क्षेत्र एव जनसख्या का आकार बडा होता है, किन्तु यह आवश्यक नही है।[56] छोटे—छोटे प्रशासनिक सेवा—केन्द्रो का सेवा—क्षेत्र एव सेवित जनसख्या का आकार बहुत बडा होता है, क्योकि सम्बन्धित प्रशासनिक सेवा—केन्द्र के सम्पूर्ण जनसख्या को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस सेवा—केन्द्र का ही आश्रय लेना पडता है, भले अन्य सेवा—केन्द्र की अपेक्षा वह दूर ही अवस्थित हो। कार्यो के महत्व की तीव्रता का अनुमान किसी

केन्द्र द्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यो के महत्व को जोडकर किया गया ह तथा इस कार्यात्मक अक की सज्ञा (फक्शनल स्कोर) प्रदान की गयी ह। कार्यो के महत्व की तीव्रता क्षेत्र मे व्याप्त उनकी सख्या पर निर्भर है जिसका मान तालिका 4 5 मे प्रदर्शित है।

अध्ययन क्षेत्र मे निर्धारित केन्द्र स्थलो मे से सबसे कम कार्यात्मक अक से सभी केन्द्र स्थलो के कार्यात्मक अको को भाग देकर कार्यात्मक सूचकाक (फक्शनल इडेक्स) प्राप्त किया गया है। प्रत्येक अक का कार्यात्मक अक एव कार्यात्मक सूचकाक तालिका 4 6 मे प्रदर्शित है।

तालिका 4.6

सेवा केन्द्रो का केन्द्रीयता सूचकाक

क्र	विकास केन्द्र	कार्यात्मक अक	कार्यात्मक सूचकाक	सेवित जनसख्या	सेवित जनसख्या सूचकाक	केन्द्रीयता अक	केन्द्रीयता अक सूचकाक
1	बासगॉव	1006 37	292 52	19645	4 76	296 76	148 38
2	कोडीराम	506 1	147 12	16968	4 11	151 23	75 61
3	गगहा (हटवा)	455 96	132 54	25407	6 15	138 69	69 34
4	कोठा	133 69	38 86	14945	3 62	42 48	21 24
5	जानीपुर	68 88	20 02	14966	3 63	23 65	11 82
6	हाटा बुजुर्ग	75 5	21 94	8758	2 12	24 06	12 03
7	बासूडीहा	97 06	28 21	14780	3 58	31 79	15 89
8	बिस्टौली	92 83	26 98	10143	2 46	29 44	14 72
9	दरसी	52 15	15 15	7799	1 89	17 04	8 52
10	डॅवरपार	51 92	15 09	10062	2 44	17 53	8 76
11	मलॉव	54 36	15 80	13378	3 24	19 04	9 52
12	नर्रे बुजुर्ग	49 54	14 40	9977	2 42	16 82	8 41

13	पाली खास	32 88	9 55	9826	2 38	11 93	5 96
14	भीटी	17 5	5 08	7758	1 88	6 96	3 48
15	सोहगौरा	17 5	5 08	8462	2 05	7 13	3 56
16	पवरियाँ बुजुर्ग	15 62	4 54	8647	2 09	6 63	3 31
17	धनौडा खुर्द	110 36	32 08	14306	3 47	35 55	17 77
18	दुबौली	27 62	8 02	7626	1 85	9 87	4 9
19	ऊँचेर	10 36	3 01	13490	3 67	6 68	3 34
20	राउतपार	13 24	3 84	12437	3 01	6 85	3 42
21	बेलकुर	10 36	3 01	8137	1 97	4 98	2 49
22	महिलवार	15 84	4 60	10742	2 60	7 20	3 6
23	सहुआकोल	8 7	2 52	11927	2 89	5 41	2 7
24	देवडारबाबू	10 58	3 07	12485	3 03	6 1	3 05
25	फुलहर खुर्द	8 7	2 52	8087	1 96	4 48	2 24
26	भरवटिया	8 7	2 52	10055	2 44	4 96	2 48
27	नेडुआबारी	10 58	3 07	6292	1 54	4 61	2 3
28	विशुनपुर	8 7	2 52	9581	2 32	4 84	2 42
29	तिलसर	3 44	1 00	4126	1 00	2 00	1 00

4.6 विकास—केन्द्रों का पदानुक्रम

केन्द्रस्थलो का पदानुक्रमीय व्यवस्था केन्द्रस्थल सिद्धान्त का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण केन्द्रस्थलो मे परस्पर सम्बद्धता तथा कार्यात्मक सश्लिष्टता पायी जाती है। कार्यात्मक सश्लिष्टता के परिणामस्वरूप केन्द्रस्थलो मे कार्यात्मक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, फलत उनमे पदानुक्रमीय भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। क्रिस्टालर के अनुसार वस्तुओ एव सेवाओ का प्रवाह उच्च स्तरीय केन्द्र से निम्न स्तरीय केन्द्र की ओर होता है। इसके साथ ही उच्च स्तरीय केन्द्र निम्न स्तरीय केन्द्रो के कार्यो के सम्पादन के साथ कुछ विशिष्ट

तहसील बासगॉव
विकास केन्द्रो का पदानुक्रम स्तर
बासगॉव
केन्द्रीयता सूचकाक
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
कौडीराम
गगहा (हटवा)
II
III
कोठा
घनौडा खुर्द
बिस्टौली
बासूडीहा
हाटा बुजुर्ग
जानीपुर
IV
5000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
जनसख्या आकार

चित्र 4 2

कार्यो को भी सम्पादित करते है, जो निम्न स्तरीय मे नही पाय जाते है। व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्येक केन्द्रस्थल मे कुछ कार्यात्मक विशिष्टीकरण पाया जाता है। अत निम्नस्तरीय केन्द्र भी उच्च स्तरीय केन्द्र की सेवा प्रदान करते है। केन्द्र स्थल सिद्धान्त के अनुसार कि पदानुक्रम के किसी भी स्तर से सम्बन्धित विभिन्न केन्द्रो की केन्द्रीयता समान होगी, एक आदर्शवादी परिकल्पना है। व्यावहारिक रूप मे ऐसा सभव नही है। प्रस्तुत अध्ययन मे केन्द्रीयता की असमानता को ध्यान मे रखकर केन्द्रो का पदानुक्रम निर्धारित किया गया है। केन्द्रस्थलो के पदानुक्रम के विभिन्न स्तरो के निर्धारण के लिए उनके केन्द्रीयता सूचकाक के सातत्य को भग करने वाले अलगाव बिन्दुओ को सीमा माना गया है। तालिका 4 6 तथा चित्र 4 2 से स्पष्टत तीन अलगाव बिन्दु दृष्टिगत होते है जिनके आधार पर अध्ययन क्षेत्र के केन्द्र स्थलो के चार पदानुक्रमीय व्यवस्था बनायी गयी है। चारो स्तरो से सम्बन्धित केन्द्रीयता सूचकाक वर्ग तथा उनके अन्तर्गत सम्मिलित केन्द्रो की सख्या तालिका 4 7 मे प्रदर्शित है।

तालिका 4.7

केन्द्र स्थलो की पदानुक्रमीय व्यवस्था

पदानुक्रमीय स्तर	केन्द्रीयता सूचकाक वर्ग	केन्द्रो की सख्या
I	75 61 से अधिक	1
II	69 34 से 75 61	2
III	11 82 से 21 24	6
IV	1 00 से 9 52	20

अध्ययन क्षेत्र मे प्रथम स्तर के एक मात्र केन्द्र तहसील मुख्यालय बासगॉव है। द्वितीय स्तर के दो केन्द्र, तृतीय स्तर के 6 केन्द्र तथा चतुर्थ स्तर के 20 केन्द्र विद्यमान है जिनका प्रदर्शन मानचित्र 3 2 मे किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन मे कार्यो तथा स्थलो के पदानुक्रमीय व्यवस्था मे साम्यता है, दोनो का निर्धारण अलगाव बिन्दु से किया गया है तथा दोनो के पदानुक्रमो के चार स्तर निर्धारित हुए है।

4.7 विकास केन्द्रों का स्थानिक वितरण

प्रो आर सी शर्मा के अनुसार विकास केन्द्रो के वितरण पर जनसख्या और बस्तियो के घनत्व का प्रभाव पडता है। अध्ययन क्षेत्र मे विकास केन्द्रो का स्थानिक वितरण असमान है। विकास केन्द्रो का चयन न्याय पचायत केन्द्र स्तर पर किया गया है। विकास कार्यों की अधिक सख्या अध्ययन क क्षेत्र के मध्यवर्ती विकास केन्द्रो पर अधिक है जो विकास केन्द्र प्रशासनिक दृष्टि से मध्हत्वपूर्ण है उन केन्द्रो पर विकास कार्यों की सख्या अधिक है। पूर्वी–दक्षिण पूर्वी केन्द्रो पर कार्यों की सख्या निम्न है। बी श्रेणी के अन्तर्गत जो निवास केन्द्र निर्धारित किए गए है, वह भी मध्यवर्ती भागो मे स्थित है। आमी, राप्ती तथा तरैना नदी के बाढ ग्रस्त क्षेत्रो मे विकास केन्द्र कम है। कुछ विकास केन्द्र जैसे – हाटा बुजुर्ग, दरसी विकास केन्द्र आदि परिवहन मार्गों से प्रभावित है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्रा के विकास–केन्द्रो के अन्तरालन को नियत्रित करने वाले प्रमुख कारक निम्न है –

1 धरातलीय स्वरूप
2 कृषि योग्य भूमि तथा जल की उपलब्धता
3 परिवहन एव सचार
4 औद्योगीकरण।

4.8 प्रस्तावित विकास–केन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य

किसी भी क्षेत्र का विकास सामाजिक, आर्थिक सुविधाओ के त्वरित उपलब्धता पर निर्भर करता है। उक्त सुविधाओ के त्वरित उपलब्धता का सुनिश्चयन विकसित सेवा केन्द्रो, विकास केन्द्रो की मात्रा एव सुविधाजनक अवस्थिति पर निर्भर करता है। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे विकास केन्द्रो का वितरण उचित एव पर्याप्त नही है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा मे कार्यात्मक रिक्तता विद्यमान है। जूनियर बेसिक विद्यालय, सीनियर बेसिक विद्यालय मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र, डाकघर जैसी सुविधा प्रत्येक न्याय

पचायत मे तो है, परन्तु प्रत्येक ग्राम सभा को नही है। अत तहसील म शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन एव सचार कृषि, उद्योग एव व्यापार आदि सुविधाओ की सुलभता के लिए कुछ नये सेवा केन्द्रो, विकास केन्द्रो को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही वर्तमान सेवा केन्द्रो को और अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। वर्तमान सेवा केन्द्रो एव प्रस्तावित सेवा केन्द्रो पर प्रस्तावित कार्यों को तालिका 4 8 मे दर्शाया गया है। प्रस्तावित विकास केन्द्रो की अवस्थित निर्धारित करने मे निम्न तथ्यो को ध्यान मे रखा गया है।

1 धरातलीय स्थिति

2 बस्तियो की जनसख्या

3 कार्यात्मक रिक्तता

4 विकास केन्द्रो की गम्यता सीमा

5 सडको की स्थिति एव स्तर

6 परिवहन साधन तथा

7 विकास केन्द्र होने की सभाव्यता।

तालिका 4.8

प्रस्तावित विकास केन्द्र

क्र स	विकास केन्द्र	जनसख्या
1	भुसवल बुजुर्ग	3828
2	बैदौली बाबू	1958
3	जिगिना भियाव	1998
4	गुआर	1898
5	लाहीडाडी	683
6	जयन्तीपुर	1930
7	अतरौली	1313

8	बघराई	2338
9	कनइचा	1482
10	कनइल	825
11	सहदोडाड	165
12	तीयर	1555
13	भरस्मा	1918
14	चन्दौली बुजुर्ग	1128
15	नगवा	1137
16	कतरारी	1254
17	बेला	1123
18	धरस्का	2816
19	जगरनाथपुर	1177
20	अहिरौली	770
21	तिघरा खुर्द	941
22	टीकर	1644
23	सालारपुर	874
24	जगदीशपुर	4939
25	खजुरी	1493
26	बासगगहा	855
27	देवकली	1085
28	आशापार	618
29	बनकटी	915
30	राजगढ	1929
31	पाण्डेपुर	925
32	नैवादा	835
33	गडही	2385

34	रकहट	1258
35	टीकरी	988
36	कहला	1538
37	सरदहा	579
38	जमीन लौहरपुर	1685
39	मिश्रौली	1468
40	गरयाकोल	1783
41	भैसारानी	1280
42	डेडुही कमाल चक	1128

तालिका 38, 39 से स्पष्ट है कि अधिकाश प्रस्तावित केन्द्रो पर निम्न स्तरीय केन्द्रीय कार्यो का ही सम्पादन होता है। जूनियर बेसिक विद्यालय, डाकघर मातृ एव शिशु कल्याण केन्द्र, सीनियर बेसिक विद्यालय, फुटकर बाजार की उपस्थिति अधिकाश प्रस्तावित सेवा केन्द्र पर है। इन सेवा केन्द्रो को और प्रभावी बनाने के लिये कुछ मध्यम स्तर के कार्यो को सम्पादित करने का प्रस्ताव है। शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि एव पशुपालन आदि सुविधाओ की वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है। प्रस्तावित विकास केन्द्रो की अवस्थितियॉ मानचित्र 43 मे तथा इन पर प्रस्तावित कार्य तालिका 49 मे देखा जा सकता है।

वर्तमान एव प्रस्ताविक सेवा/विकास केन्द्रो पर वर्तमान एव प्रस्तावित सुविधाएं/कार्य

क्रम स	विकास/सेवा केन्द्र	वर्तमान सेवाए /कार्य	प्रस्तावित सुविधाए /कार्य
1	2	3	4
1	वर्तमान सेवा केन्द्र बासगाव	त मु वि मु, न्याय प के था पु चौ, प अ प स के ब स्टा प्रा स्वा के आ यु चि हो चि मा, शि के सु वि के, जू बे वि, सी बे वि उ के हा	पु चो, शीत भ उ के, बी के त शि स औ शि स र स्टे हो चि प्रा स्वा क म वि क भे वि के।

		से रा बे भू वि बे •सू वि क ता घ डा घ दू भा सा स्वा के अस्प।	
2	कौडी राम	वि मु, न्याय प के पु चो प अ, प से के, ब स्टा प्रा स्वा के आ यु चि हो चि मा शि के जू बे वि सी बे वि, म वि सिने प नि के रा बै, ग्रा बै सा बा थोक बा फु बाजार दू भा डा, ता घ बस स्टे हा से अरच।	था, प्रा स्वा के अस्प त शि स कृ गभी फु वि के, रा वे उ वि क जि रा वे फु वाल हा से।
3	गगहा (हटवा)	न्याय प के वि मु, था पु चा शी भ, था प रो के प अ, सी बे वि जू बे वि ब स्टे, ब स्टा, हा से, ता घ डा घ दू भा प्रा स्वा के, मा शि क के फु बा, सा बा ग्रा बै रा बै प नि के हो वि आ यु चि	अस्प म वि, ओ प्र स भा शि के उ स्वा
4	कोठा	न्याय प के, पु चो, ब स्टे, सा बा, फु बा रो बै हो चि प से के ब स्टा प्रा स्वा के जु बे वि सीनियन बेसिक वि, डा घ, ता घ मा शि के।	अस्प म शि के भू वि बै, ग्रा बे प के के प्रा स्वा के हा से फु बा, उ वि के कृ गर्मा सू वि के।
5	जानीपुर	ग्रा बै प चि प से के, प्रा स्वा के हा से, जू बे वि, सी बी वि, न्याय प के मा शि के फु बा, सा बा, डा घ ता घ ब स्टा।	प्रा स्वा के, हा चि, हा से रा ब मा शि के डा घ, ब स्टा उ वि क, बी के।
6	हाटा बुजुर्ग	गा बे प रो के न्याय प के प्रा स्वा के मा शि के जू बे वि सी बी वि हा से डा घ ता घ ब स्टा फु बा सा बा।	रा बे, मा शि क डा घ पु चो सू वि क ओ प्र स, प नि क भू वि बे जि स बे कु वि क।

7	बासूडीहा	राबै, होचि, न्या,पके, पसेके, प्रास्वाके, साबा फुबा सीनिबेवि, जूबेवि हासे माशिके, डाघ ताघ दूमा।	फुचौ, बीके उविके, औप्रसा आयूचि बस्टे, पनिके भूविबै।
8	दरसी	ग्राबै, न्यापके पसेके बस्टे, प्रास्वाके साबा,फुबा माशिके, जूबेवि, सीबेवि डाघ, ताघ, दूमा, बस्टा, फुबा, साबा।	भूविबै पुचौ, कृ गर्भा आपुचि, उस्वाके मविके जूनिबेवि।
9	बिस्टौली	ग्राबै, था, बस्टे,बस्टा, बीउके, हासे, सीबेवि, जुबेवि, माशिके, डाघ, ताघ दूभा, साबा, फुटबा, न्यापके।	भूविके, उविके, कृगर्भा प्रास्वाके पसेके जुबेवि
10	डवरपार	न्यापके, प्रास्वाके आयुचि, बस्टे, हासे, सीबेवि, जूबेवि, डाघ, ताघर, माशिके, साबा, फुटबा।	पसेके, बाविके, ओप्रस, होचि, ग्राबै, पनिके उस्वाके, मविके, सुविके।
11	मलॉव	पचि, न्यापके, पसेके, प्रास्वाके, माशिके सीबेवि, जूवेवि, हासे, डाघ, ताघ दूभा, बस्टे, फुबा।	पुचौ, बीविके, अस्प, माशिके डाघ उविके, भूविबै, पनिके।
12	नर्रे	न्यापके, प्रास्वाके, पचि, साबा, फुबा, सीबे, हासे, जूबेवि, डाघ, ताघ।	माशिके डाघ बीविके, होचि, पनिके, भूविबै, उस्वाके।
13	पाली	न्यापके, प्रास्वाके फुबा, साबा, हासे, जूनिबेवि, सीबेवि, माशिके, डाघ, ताघर।	ग्राबै, उविके पसेके, बस्टा, उस्वाके, पनिके, कुविके।
14	भीटी	न्यापके बस्टे, बस्टॉ हासे, फुबा, माशिके, सीबेवि, जुबेवि, डाघ, ताघ।	प्रा स्वाके, जुबेवि पनिके, ग्राबै।

15	सोहगोरा	न्यापके बस्टा फुबा हासे, सीबेवि जूबेवि डाघ ताघ, माशिके।	प्रास्वाके ग्राबे साबा, हासे बीविके।
16	चवरिया बुजुर्ग	न्यापके साबा फुबा बस्टॉ सीबेवि जुबेवि माशिके डाघ ताघ।	प्रास्वाके हास दूभा हाचि ग्राबे उक।
17	दुबौली	न्यापके,प्रास्वा,हासे, सीबेवि,जुबेवि डाघ,ताघ, माशिके।	दूभा साबा फुबा पनिके, होचि, बस्टे ग्राबे बीविके।
18	घनौडा खुर्द	पनेबै, न्यापके, बस्टे, फुबा जुबेवि, सीबेवि माशिके, डाघ ताघ।	प्रास्वाके, दूभा हासे उविके, पसेके, कृग्रर्भा कुपाके।
19	उँचरे	न्यापके बस्टे, फुबा सीबेवि जुबेवि, माशिके, डाघ, ताघ।	प्रास्वाके दुमाहासे, उविके पनिके पसेके, फुचो।
20	राउतपार	न्यापके, साबा, फुबा, सीबेवि, जुबेवि, माशिके डाघ, ताघ।	हासे प्रास्वाके, ग्राबै उविके, पनिके, पसके, फुचौ।
21	बेलकुर	न्यापके, बस्टे, फुबा, सीबेवि, जुबेवि, डाघ, ताघ, माशिके।	प्रास्वाके, पसेके उविके दूभा हासे ग्राबै।
22	महिलावार	न्यापके, साबा, हासे सीबेवि, जुबेवि, माशिके, डाघ, ताघ।	प्रास्वाकेप, सेके उविके, दूभा हासे, ग्राबै होचि फचो कृग्रर्भा।
23	सहुआकोल	न्यापके,साबा, सीबेवि, जुबेवि, माशिके, डाघ, ताघ।	प्रास्वाके पनिके उविके दूमा, हासे, ग्राबै, पुचौ पनिके।
24	देवडार बाबू	न्यापके हासे सीबेवि जुबेवि माशिके, डाघ, ताघ।	प्रास्वाके होचि हासे पसेके, दूभा फुबा साबा, मविके उविक।
25	फुलहर खुर्द	न्यापके साबा, सीबेवि जुबेवि, माशिके, डाघ, ताघ।	प्रास्वाके, पसके, हासे, दूमा फुबाउ विके।

26	भरवटिया	न्या प के, सा बा, सी बे वि जु बे वि, मा शि के, डा घ ता घ ।	प्रा स्वा के, प से के, हा से, दू भा डा घ, ग्रा ब उ वि के, ब स्टॉ प नि के ।
27	लेड्डुआबारी	न्या प के, सा बा सी बे वि, जु बे वि, मा शि के डा घ, ता घ ।	प्रा स्वा के, प से के, डा घ ग्रा बै, दू भा, उ वि के, बी वि के ।
28	विशुनपुर	न्या प के, सा बा, सी बे वि, जु बे वि, डा घ, ता घ मा शि के ।	हा से वि, दू भा, डा घ प्रा स्वा क प अ उ वि के, ग्रा बै ।
29.	तिलसर	सी बे वि, जु बे वि, डा घा, ता घा, मा शि के न्या प के ।	प्रा स्वा के, दू भा हा से वि, ग्रा बै ।
30	भलुआन	रा बै ग्रा बै, ब स्टे, ब स्टॉ, हा से, हो चि, आ यु चि, मा शि के सी बे वि,जु बे वि,डा घ, ता घ, पु चौ ।	भू वि बै जि स बै, अस्प, प नि के, उ वि के, बी वि के, मा वि के, दू भा के ।
31	गजपुर	पु चौ, ग्रा बै हो चि, आ यु चि, ब स्टा ब स्टे प्रा स्वा के, मा शि के, डा घ, ता घ, दू भा जु बे वि,सि बे वि, सा बा, प औ ।	रा बै, भू वि बै, अस्प, प नि के, म वि के, उ वि के हा से वि, सिने, सा स्वा के, बी वि के ओ प्र से ।
32	दोनखर	फ चौ, ग्रा बै, मा शि के, प्रा स्वा के, जु बे वि, सी बे वि, डा घ दू भा, ता घ ।	हौ चि, प से के, मा वि के, कु वि के, हा से, सिने, प नि के, प औ, पव्य क्लि ।
33	पाण्डेपुर	पु चौ, ग्रा बै, रा बै, मा शि के,प्रा स्वा के सी बे वि डा घ दू भा, ता घ, ब स्टॉ ।	हो चि भू वि बै, मा वि के, सु वि के, प नि के, प औ, प व्य क्लि, हा से, डा घ ब स्टे ।
34	मझगाव	ग्रा बै, ब स्टॉ, ब स्टे, फु बा, सा बा, मा शि क, प ऑ डा घ, ता घ, प्रा स्वा के ।	प से के, हा से कृ गर्भा, भू वि के, प नि के, प औ, प व्य क्लि ।
35	बेलीपार	पु चौ, ग्रा बै, उ वि के, फु बा सा बा मा शि के, जु	बी वे के सा स्वा के, हा से, डा घ, प से के, ब स्टे कु

		बेवि सीबेवि, डाघ दू भा, ताघ बस्टे।	विके कृगर्भा, होचि, आ युचि।

प्रस्तावित केन्द्र

1	भुसवल बुजुर्ग	जुबेवि, सीबेवि, डाघ माशिके।	हासेवि प्रास्वाकेन्द्र, फुबा पसके दूभा।
2	बैदोली बाबू	जुबेवि सीबेवि बस स्टे। माशिकके, साबा।	प्रास्वाके उविके, हासे,
3	जिगिना भियॉव	जुबेवि डॉघ, साबा, सीबेवि।	ताघ, दूभाष, प्रा स्वाके, भाशि के बीविके, हासे।
4	गुआर	जुबेवि, साबा ताघ, माशिके दूभा।	सीबीवि प्रास्वाके डाघ
5	लाही डाडी	जुनियर बेवि ताघ माशिके दूभा।	सीबवि प्रास्वाके डाघ
6	जयन्तीपुर	जुबेस्कूल डाघ	सीबेवि ताघ प्रा स्वाके, माशिके, फुबा।
7	अतरौली	सीबेवि प्राखा के।	जुबेवि, साबा, माशिके
8	बघराई	जुबेवि, ताघ माशिके। पसेके, साबा फुबा, ग्रा	सीबेवि, डाघ प्रास्वाके बै।
9	कनइचा	जुबेवि, सीबेवि, डाघ, साबा।	न्यापके हासे ताघ प्रास्वाके माशिके उविकं।
10	कनइल	जुबेवि बाण माशिके।	सीबेवि डाघ, दुभा सा
11	सहदोडाड	जुबेवि बा बस्टॉ माशिके।	सीबेवि डाघ दूभा, सा
12	तीयर खास	जुवेवि, सीबेवि माशिके भा साबा, बस्टा।	प्रास्वाके हासे डाघ, दू
13	भरमा	जुबेवि के पसके, बस्टॉ दूभा।	सीबेवि प्रास्वाके, माशि
14	चन्दौली बुजुर्ग	सीबेवि दूभा, माशिके।	जुबेवि, प्रास्वाके, डाघ
15	नगवा	सीबेवि, बस्टा माशिके पसेके, दूभा।	प्रास्वाके, जुबेवि डाघ,

16	कतरारी	जु बे वि दू भा के, हा से।	सी बे वि डा घ, प्रा स्वा के
17	बेला	जु बे वि ग्रा बे प्रा स्वा के डा घ।	सी ब वि, सा बा, उ वि के
18	धरका	दू भा री बे वि डा घ, मा शि के उ वि के,	जु बे वि ब स्टॉ प्रा स्वा के ग्रा ब पो ऑ।
19	जगरनाथपुर	जु बे वि स्वा क मा शि के।	सी बे वि, डा घ ता घ प्रा
20	अहिरौली	जु बे वि ब स्टॉ	सी बे वि डा घ उ वि के, प्रा स्वा के, मा शि के।
21	तिघरा खुर्द	जु बे वि, सी बे वि, ब स्टॉ	हा से प्रा स्वा के डा घ, बी वि के पा ऑ, मा शि के सा बा।
22	टीकर	जु बे वि शि के ब स्टा, दू भा।	सी बे वि, सा बा डा घ मा
23	सालारपुर	जु बे वि, डा घ, ता घ, प्रा स्वा के, सा बा, फु बा।	दू भा, सी बे वि, मा शि के,
24	जगदीशपुर	जु बे वि सी बे वि, हा से डा घ, सा बा, मा शि के।	फु बा, प ओ प से के, प्रा स्वा के दू भा के।
25	खजुरी	जु बे वि, सी बे वि, हा से, डा घ मा शि के।	ब स्टा, ग्रा बे, प नि के, प व्य न्या के।
26	बास गगहा	जु बे वि, सी बे वि मा शि के। के, हा से, प से के न्या के।	डा घ ता घ दू भा, प्रा स्वा
27	देवकली	जु बे वि, सी बे वि स्वा के, मा शि के, हा से।	डा घ ब स्टॉ सा बा प्रा
28	आशापार	जु बे वि दू भा के, ब स्टॉ।	सी बी वि, डा घ, मा शि के,
29	राजगढ	जु बे वि, डा घ, ब स्टा। बा, फु बा मा शि के, प्रा	ब स्टे, सी बे वि हा से, सा

स्वा के।

30.	पाण्डेपुर	जु बे वि, ब स्टॉ मा शि के। के डा घ, दू भा, ब स्टे।	सी बे वि प्रा स्वा के, उ वि
31	नेवादा	जु बे वि सी बे वि, डा घ।	प्रा स्वा के, ब स्टॉ दू भा, हा

			से उविक माशिके।
32	बनकटी	प्रास्वाके डाघ, ताघ बस्ट पनि	जुबवि सीबवि, माशिके, कें साबा।
33	गडही	जुबेवि शिके, दूभा	सीबेवि डाघ ताघ मा साबा फुबा प्रास्वाके प सेके न्याक।
34	रकहट	जुबेवि, डाघ डि, बस्टॉ प्रास्वाके।	सीवेवि, माशिक पऑ, ताघ, दूभा उविके, ब स्टे, सास्वाके।
35	कहला	जुबेवि सीबेवि	प्रास्वाक डाघ बस्टा, साबा ग्राब माशिके।
36	सरदहा	जुबेवि	सीबीवि माशिके फुबा बस्टा डाघर।
37	जमीन लौहरपुर	जुबेवि, सीबेवि, माशिके	बस्टा, साबा, ग्राबे हा से, उविके, ताघ डाघ, प्रास्वाके।
38	मिश्राली	जुबेवि सीबेवि, हासे, माशिके।	डाघ फुबा, ग्राबे, प्रास्वा के, बस्टा उविके
39	गरयाकोल	जुबेवि, माशिप ताघ साबा सीबेवि	बस्टा फुबा डाघ, दूभा, बस्टा, फुबा डाघ दूभा सास्वाक पओ पसेके।
40	भैसा रानी	जुबेवि	सीबेवि प्रास्वाके, माशि के, डाघ, ताघ, दूभा, फु बा, साबा उविके।
41	डेदुही कमालचक	जुबेवि, माशिके	पऑ, प्रास्वाके, सीबेवि, डाघ, ताघ दूरभाष के बीविके फुबा साबा।

शब्द संक्षेप

त मु	तहसील मुख्यालय	मा शि के	मातृ एव शिशु
वि मु	विकास खण्ड मुख्यालय	प व्य क्लि	पजीकृत व्यक्तिगत क्लिनिक
न्याय प के	न्याय पचायत केन्द्र	प ऑ	पजीकृत ओषाधालय
था	थाना	सा स्वा के	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
पु चौ	पुलिस चौकी	उ स्वा के	उप स्वास्थ्य केन्द्र

शी भ	**शीत भण्डार**	प नि के	परिवार नियोजन केन्द्र
बी वि के	बीज वितरण केन्द्र	रा बै	राष्ट्रीय बैक
उ वि के	उर्वरक वितरण केन्द्र	भू वि बै	भूमि विकास बैक
प अ	पशु अस्पताल	जि स बै	जिला सहकारी बैक
प से के	पशु सेवा केन्द्र	स ग्रा बैक	सयुक्त ग्रामीण बैक
कृ गर्भा	**कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र**	थो बा	थोक बाजार
म वि	महा विद्यालय	फु बा	फुटकर बाजार
हा से	हायर सेकेन्ड्री विद्यालय	सा बा	साप्ताहिक बाजार
औ प्र स	औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान	कु वि के	कुक्कुट पालन विकास केन्द्र
सिन	छविगृह	सू वि के	सुअर पालन विकास केन्द्र
रे स्टे	रेलवे स्टेशन	भे वि के	भेड पाल विकास केन्द्र
ब स्टे	बस स्टेशन	म वि फे	मत्स्य पालन विकास केन्द्र
ब स्टॉ	बस स्टाप	जू बे वि	जूनियर बेसिक विद्यालय
दू भा	दूरभाष	अस्प	अस्पताल
प्रा स्वा के	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	आ यू चिकि	आयुर्वेदिक एव यूनानी चिकित्सालय
हो चि	होम्योपैथिक चिकित्सालय		

संदर्भ

1. सिह इकबाल भारत मे ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान एव प्रशिक्षण परिषद्, 1986 पृष्ठ 1
2. Pathak, R K Environmental Planning Resources and development, Chugh Publication, Allahabad, 1990, P 54
3. पद्मनाभन अन्नत 'मनुष्य व वातावरण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान एव प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, पृष्ठ 79।
4. शर्मा लक्ष्मी नारायण 'अधिवास भूगोल', राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1983 पृष्ठ 70।
5. Thana, A 'Indentification of Hierarchical Growth Centres and Delieneating of their Hinterlands', 10th Cources of IRD, NICD, Hyderabad, Sept -Oct 1977, P-1 (cyclostyled paper)
6. Meitzen, R Siedling and Agrawesender westgermanen and abstgermanen, derkalten, Romer Finner and slavan (3 Vals and Atlas) (Berlin W Herty, 1895)
7. Mishra, R P, Sundram, K P and Prakasa Rao, V L S Regional Development Planning in India New strategy Vikas Publishing House, New Delhi, 1974
8. Babu, R Micro-Level Planning A case study of Chhibramau Tahsil (Farrukhabad District, U P) Unpublished Thesis Geography department, Allahabad University, 1981
9. Jefferson, M 'The Distribution of World's City Folks', Geographical Review Vol XXI P 453

10 Chirstaller, W Die Zentralen orte in suddent-schland Jana, G Fisher, 1933 Tramspated by C W Basikin Engewood Cliffes, N J , 1966

11 Perroux, F 'La nation de Crssance', Economique Applique, Nos 1 and 3, 1955

12 Boudeville, T R Problem of Regional Economic Planning Edinburgh University Press, 1966

13 Op Cit , Fn 11

14 Bhat, L S Micro-Level Planning - A case study of Karnal Area, Haryana, India, Vikas, New Delhi, 1976 P 45

15 Op Cit Fn 7, P 55

16 Sen, L K Planning of Rural Growth Centres for Integrated Area development - A study in Miryalguda Taluka, NICD Hyderabad, 1971, P 92

17 Op Cit Fn 7, P 55

18. Haggett, P etal Determination of Population threshold for settlement Functions Read Muench Method, Professional Geographer, Vol 16, 1964, PP 6-9

19 Roy, P and Patil, B R (eds) manual for Blocklelevel Planning, Mackmillan, New Delhi 1977, P 25

20 Wanmali, S Regional Planning For Social Facilities - A case study of Eastern Maharastra, NICD Hyderabad, 1970, P 45

21 Op Cit , Fn 17, P 92

22 Nityanand, P and Bose S An Integrated Tribal development Plan for keonjhar District Orissa, NICD, Hyderabad, 1976

23 Kumar, A and Sharma, N Rural Centres of services Geographical Review of India, Vol 39 No 1, 1977 PP 19-29

24 Singh, S B 'Spatial Orgnisation of Settlement Sysem', Nationla Geographer, Vol XI No 2, 1976 P 1930-140

25 Khan, W etal Pl,an For Integrated development in Pauri Garhwal, NICD Hyderabad 1976, P 15-21

26 Dutta, A K 'Transporation Index in West Bengal - A Means to Determinc Central Place Hiearchy', National Geographical Journal of India, Vo 16 No 3 and 4 1970, P 199-207

27 Alam, S M , Gopi, K N and Khan, W A Planning for Metropolitan Region of Hyderabad - A case Study in S P Chatterjee, etal (ed), Proceedings of Symposium on Regional Planning, National Committee of Geography, Galcutta, 1971

28 Mishra, G K 'A Methodology for Indentifying service Centres in Rural Area', Behavioural sciences and Community Development, Vo 6 No 1, 1972 P 48-63

29 Singh, J Central Place and Spatial Organisation in Backward Economy - Gorakpur Region - A case study Integrated Regional development, Uttar Bharat Bhoogal Parishad, Gorakhpur, 1979

30 Op Cit Fn 14

31 Op. Cit Fn 2

32 Prakasha Rao, V L S Problems of micro level planning nbehavioural sciences and community development Vol 6, No. 1 1972, P 151

33. Op Cit Fn 7, P 45

34 Op Cit Fn 11

35 Duncun, J S "New Zealand Twon as services Centres, N Z G Vol 11, 1955 P 119-38

36 Brush, J E The Hierarchy of central place in South-Western Wiscoosin, Geographical Review, Vol XLIII, No 3 1953, P 380-402

37 Smailes, A E the Urban Hierarchy in England and wales Geography, 1944, Vol 29

38 Carter, H Urban Grades and spheres of influence in South-West Wales, Scot Geography Mag , Vol 71, 1955, P 43-58

39 Ullman, E L Trade centres and Tributary areas of Phillippines Geographical Reivew, Vol 50, 1960, P 203-218

40 Hartley, G and A E Smailes Shopping centres in Greater London Areas, Trans Inst Br Geog 29, 1961, P 201-213

41 In L Norgery (ed) proceedings of the I G II symposium in Urban Geography, Lund 1962

42 Bracey, H E Town as Rural Services Centres, Trans, Inst Br. Geog , 19, 1962 P 95-105

43 Green F H W Motor Bus Centres in South-West England Considred in Relation to population and shopping Facilities, Trans, Inst Br Geo Vo 14, 1948, P 57-69

44 Carruthers, W I "A Classification of services Vo 123 1957 P 371-85

45 Indices of Urban Centrality, Economic Geography, Vol, 37 1961

46 Abioden, J O Urban Hierarchy in a developing Country, Economic geography, Vol 43(4) 1967, P 347-367

47 Preston, R E Thje structure of central place systems economic geography, Vol 47 (2) 1971, P 136-55

48 Berry, B J L and Garrison, W L The functional Bases of the central places Hierarchy Economic geography Vo 34 (2) 158 P 145-54

49 Rural markets and Urabn centres in Mysore Ph D Thesis, B H U Varanasi

50 Singh, O P Towards Determining Hierarchy of services centres - A, methodology for central place studies, N G J I Vol XVII (4) 1971 P 165-177

51 Rao, V L S P Planning for an Agricutural region, in New strategy, Vikas, New delhi (1974)

52 Singh, J Nodal Accessibility and central place Hierarchy - A case study of Gorkhpur Region, P 101-112

53 Jain, N G Urban Hierarchy and telephone services in Vadiarbh (Maharashtra), N G J I , Vo XVII (2 and 3), 1971, P 134-37

54. Op cit, fn 51

55 Op cit, fn 30

56 Op cit, fn 11

* * * * * * * * * *

अध्याय—5

कृषि के विकास की पृष्ठभूमि एवं कृषि का समन्वित विकास—नियोजन

कृषि सम्पूर्ण आर्थिक व्यवस्था की रीढ है। कृषि की विफलता से सम्पूर्ण आर्थिक तत्र अव्यवस्थित हो जाती है। अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहा कुल कार्यशील जनसख्या का 79 36 % भाग कृषि तथा उससे सम्बद्ध कार्यों मे लगा हुआ है। सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र के 77 12 % भाग पर कृषि होती है जबकि देश के लगभग 51 % भाग पर ही कृषि होती है। कृषित क्षेत्र तथा कृषि कार्य मे लगी कार्यशील जनसख्या के आधार पर नि सदेह अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। वास्तविक रूप मे अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक क्रियाकलापो एव सस्कृतिक आधार कृषि है। का आधार कृषि ही है। कृषि यहा के लोगो के लिये जीविकोपार्जन का साधन ही नही वरन् जीवन शैली है।

5.1 कृषि सम्प्रत्यय :

कृषि का प्रारम्भ नव पाषाण युग मे हुआ। वेदो तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थो मे भी कृषि का भरपूर उल्लेख है। वास्तव मे यह एक ऐसा कार्य है जिसका विकास लेखन काल से पूर्व हुआ था। अनेक प्राद्यौगिकी तथा औद्योगिक विकास के बावजूद कृषि का महत्व अक्षुण्ण है। मिट्टी को जोतने—गोडने तथा फसल उगाने एव पशुपालन करने की कार्य—प्रणाली, कला एव विज्ञान को कृषि कहते है।[1] मनुष्य अपने सतत परिश्रम से भूमि का उपयोग ही नही अपितु उसके उपयोगिता मे वृद्धि करता आया है। बैनजैटी[2] के अनुसार भूमि—उपयोग प्राकृतिक एव सास्कृतिक उपादानो के सयोग का प्रतिफल है। वुड[3] ने भूमि—उपयोग को प्राकृतिक अथवा वनस्पति आच्छादित भू—दृश्यो के सन्दर्भ मे ही नही वरन्

मानवीय क्रियाओ से उत्पन्न उपयोगी सुधारो का प्रतिफल बताया है। फाक्स[4] ने भूमि–उपयोग के अन्तर्गत उसी भू-भाग को लिया है, जिस पर मानवीय छाप अकित है अर्थात् मानव अपनी आवश्यकता के अनुरूप भूमि का उपयोग कर रहा है। इसी प्रक्रिया मे मानव भूमि को कृषि योग्य बनाना है। बकानन[5] (1959) ने कृषि शब्द को मिश्र शब्द कहा हे जिसका बडा व्यापक अर्थ है और इसके अन्तर्गत मानव प्रयोग के लिये खाद्य पदार्थ अथवा कच्चे माल उत्पन्न करने के लिये मिट्टी का उपयेाग करने वाली अत्यन्त साधारण से लेकर विषम विधिया आती हे। इसी तथ्य को मैकार्टी (1966)[6] ने सोदेश्य फसलोत्पादन एव पशुपालन कहा है। कृषि के इस व्यापक अर्थ को अग्रेजी का 'एग्रीकल्चर' शब्द आशिक रूप मे ही व्यक्त करता है जिसका अर्थ भूमि को जोतकर फसल पैदा करना है। परन्तु कृषि के अन्तर्गत फसल उत्पन्न करने के साथ साथ पशुपालन तथा सिचाई आदि क्रियाए भी सम्मिलित की जाती है। कृषि ने मानव के घुमक्कड प्रवृत्ति को स्थायित्व प्रदान किया। मानव बस्तियो के प्रतिरूप एव कृषि मे घनिष्ठ सहसम्बन्ध है। जिम्मरमैन के अनुसार कृषि मानव के उन उत्पादक प्रयासो को कहते है जिनके द्वारा वह भूमि पर निवास कर उसके उपयोग की कोशिश करता है और यथा सभव पौघो एव पशुओ के प्राकृतिक प्रजनन एव वृद्धि की प्रक्रिया को तीव्र एव विकसित करता है। इन सभी कार्यो का उद्देश्य मानव के लिए आवश्यक या उसके द्वारा वाछित वानस्पतिक एव पशु उपजे उत्पन्न करना है। जसवीर सिह[8] ने कृषि की सविस्तार व्याख्या की है, उनके अनुसार कृषि फसलोत्पादन से अधिक व्यापक है। यह मानव द्वारा ग्रामीण पर्यावरण का रूपान्तरण है जिससे कतिपय उपयोगी फसलो एव पशुओ के लिए सभव अनुकूल दशाए सुनिश्चित की जा सके। इनकी (फसलो एव पशुओ की) उपयोगिता सतर्क चयन से बढायी जाती है। उनमे इन सभी पद्धतियो को सम्मिलित किया जाता है जिनका प्रयोग कृषक कृषि के विभिन्न तत्वो को विवेकपूर्ण ढग से सगठित करने और अनुकूलतम उपयोग से करता है। मानवीय आर्थिक क्रियाओ मे कृषि सबसे अधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण है।[9] मैक मास्टर[10] द्वारा प्रतिपादित कृषि के भोगोलिक अध्ययन के

तीन उपागमो पारिस्थितिकी भूमि उपयोग तथा साख्यिकीय मे भूमि उपयाग उपागम को उपनाया गया है। आकडो एव सूचनाओ के अनुपलब्धता के कारण अन्य दो उपागमो पर ध्यान नही दिया गया।

5.2 कृषि योग्य भूमि :

अध्ययन क्षेत्र की 95 48 % जनसख्या गावो मे रहती है जहा उत्पादन का मुख्य स्रोत भूमि है। भूमि पर अधिकार आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर को व्यक्त करता है। स्वतत्रता के बाद भूमि सुधार के लिए किए गये पुनवितरण ने सार्वजनिक पद्धति मे विशेष स्थान ले लिया है जैसे ग्रामीण उत्पादन पद्धति कृषि पर ही केन्द्रित थी, भूमि सुधार भी कृषि से ही सम्बन्धित था। फाक्स[11] ने भूमि उपयोग के प्रारम्भिक अवस्था को 'भूमि प्रयोग (लैण्डयूज) तथा द्वितीय सोदेश्य उपयोग को 'भूमि उपयोग' (लैण्ड यूटीलाजेशन) बताया।
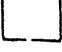
भूमि का अपना कोई महत्व नही है इसका मूल्याकन मानवीय प्रयासो से आका जाता है। भूमि का उपजाऊ और बजर रूप मे वर्गीकरण उसके सम्भावित सामाजिक उपयोग से है। पारम्परिक रूप मे कृषि ही भूमि का सर्वोत्तम उपयोग है, इसलिये कृषि उत्पादकता ही भूमि वर्गीकरण का आधार रहा है। भूमि की उपयोगिता की धारणा स्थिर न होकर आर्थिक, राजनीतिक, सास्कृतिक और पर्यावरणीय परिवर्तन के साथ बदलती रहती है।

कृषि योग्य भूमि के अन्तर्गत शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के अतिरिक्त कृषि योग्य बजर भूमि चारागाह वर्तमान परती भूमि को सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 88 81 % भाग समाहित है। 9 17 % भूमि उसर एव कृषि के लिये अनुपलब्ध है।

(अ) शुद्ध बोया गया क्षेत्र

शुद्ध बोए गऐ क्षेत्र के अन्तर्गत केवल वास्तविक कृषि को सम्मिलित किया जाता है। वास्तविक कृक्षि क्षेत्र से तात्पर्य सिचित एव असिचित भूमि से है।

N
तहसील बासगॉव
भूमि उपयोग
शुद्ध बोया गया क्षेत्र
चारागाह बजर
कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि
2 0 2
km

Fig 51

अध्ययन क्षेत्र मे सर्वाधिक भू–भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र 32464 7 हे है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफलका 81 65 % है। अध्ययन क्षेत्र मे शुद्ध बोया गया क्षेत्र का क्षेत्रीय वितरण सबसे अधिक न्यायपचयत जानीपुर (89 01 %) मे है, जो अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी–पश्चिमी भाग मे स्थित है। बागर भूमि होने के कारण तथा कृषि साधनो की उपलब्धता के कारण यहा शुद्ध कृषित क्षेत्र सर्वाधिक है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र मे न्यूनतम % न्याय–पचायत मलॉव (64 47 %) का है। यह न्यूनतम % का क्षेत्र उत्तरी पूर्वी भाग मे राप्ती तथा आमी नदियो के बीच स्थित है। इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बहुत ही जटिल है।

5.2.1 न्यायपचायत स्तर पर शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र :

अध्ययन क्षेत्र मे न्याय पचायत स्तर पर शुद्ध बोए कृषि क्षेत्र के वितरण मे पर्याप्त असमानता मिलती है। न्याय पचायत जानीपुर मे शुद्ध बोया गया कृषि क्षेत्र सर्वाधिक (89 1 %) है जो कौडीराम विकास खण्ड मे स्थित है, तथा न्याय पचायत मलॉव मे न्यूनतम (64 47 %) है। द्वितीय, तृतीय स्तर पर क्रमश न्याया पचायते डॅवरपार (88 08 %), दुबौली (88 08 %) है। अध्ययन क्षेत्र के अधिकाश न्याय पचायतो मे शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र का सान्द्रण 84 % से अधिक है। अध्ययन क्षेत्र मे ये भू–भाग क्रमश पश्चिमी, दक्षिणी–पश्चिमी एव दक्षिणी भागो मे स्थित है, यहा बागर भूमि के अतिरिक्त कृषि की अन्य सुविधाए यथा सिचाई के साधन, सहकारी समितिया, परिवहन के साधन तथा श्रम आदि पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है (सारणी 5 1)।

सारणी 5.1 (अ)

तहसील बासगॉव भूमि उपयोग (1998–99)

क्रम स	न्याय पचायत	कुल भौगो क्षेत्र (हे मे)	शुद्ध कृषि क्षे (हे)	कुल भौगो क्षे मे कृषि क्षे का प्रति	कृषि योग्य चारागाह बजर परती भूमि	कुल भौगो क्षे मे चारा प्रति
1	देवडार बाबू	1426	1209 09	84 84	13 36	93
2.	फुलहर खुर्द	932	718 53	77 09	76 04	8 15
3	मरवटिया	1123	978 77	87 1	76 36	6 79
4	बासगॉव	719	614 37	85 44	78 51	10 91
5	धनौडा खुर्द	1969	1669 35	84 78	90 89	4 61
6	विशुनपुर	1465	1227 91	83 81	95 87	6 54
7	पाली खास	1333	1126 39	84 85	96 31	7 22
8	लेडुआबारी	1104	902 1	81 71	48	4 34
9	दुबौली	974	857 91	88 08	82 15	8 43
10	डेंवरपार	1243	1098 35	88 36	50 86	4 09
11	भीटी	919	734 52	79 92	44 53	4 84
12	बिस्टौली	1770	1491 36	84 25	57 56	3 25
13	मलॉव	2680	1728 04	64 47	534 17	19 93
14	कौडीराम	1389	1119 76	80 61	88 12	6 34
15	चवरिया बुजुर्ग	815	685 53	84 11	61 12	7 49
16	ऊॅचेर	1550	1298 8	83 79	137 36	8 86
17	सोहगौरा	1471	1248 58	84 87	113 05	7 68
18	बासूडीहा	1699	1431 62	84 26	120 13	7 07
19	जानीपुर	1813	1613 87	89 01	52 36	2 88
20	हटवा	2817	2408 4	85 49	108 89	3 86

21	नर्रे बुजुर्ग	1042	889 87	85 4	35 59	3 41
22	दरसी	815	628 33	82 0	64 24	7 88
23	कोठा	1199	854 69	72 95	155 41	12 96
24	बलकुर	1220	859 17	70 42	105 63	8 65
25	राउतपार	1404	1188 34	84 63	82 57	5 88
26	तिलसर	344	289 2	84 06	11 45	3 32
27	हाटा बुजुर्ग	930	764 46	86 46	72 01	7 74
28	सहुआकोल	1857	1497 32	80 63	118 69	6 39
29	महिलवार	1620	1330 16	82 10	149 99	9 25
	योग	39642	32464 7		2840 22	

सारणी 5.1 (ब)

तहसील बासगॉव भूमि उपयोग (1998–99)

क्रम स.	न्याय पचायत	कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि (हे)	कुल भौगो क्षेत्र मे %	वन क्षेत्र	%
1	देवडार बाबू	180 51	12 65	23 34	1 63
2	फुलहर खुर्द	101 85	10 92	35 58	3 81
3	मरवटिया	68 22	6 07	–	–
4	बारागॉव	26 12	3 63	–	–
5	धनौडा खुर्द	149 58	7 59	59 18	5 26
6	विशुनपुर	108 06	7 37	33 16	2 26
7	पाली खास	104 42	7 83	5 88	0 44
8	लेड्डुआबारी	106 04	9 60	47 86	4 33
9	दुबौली	30 94	3 17	3	0 30
10	डॅवरपार	81 34	6 54	13	1 04
11	भीटी	123 79	13 47	16 16	1 75

12	बिस्टौली	169 14	9 55	52 14	2 94
13	मलांव	410 79	15 32	107	3 99
14	कौडीराम	129 52	9 32	51 6	3 71
15	चवरिया बुजुर्ग	69 09	8 47	–	–
16	ऊँचेर	98 48	6 35	15 36	0 99
17	सोहगौरा	193 47	13 15	15 9	1 08
18	बासूडीहा	127 26	7 49	19 99	1 17
19	जानीपुर	146 77	8 09	–	–
20	हटवा	248 09	8 80	51 62	1 83
21	नर्रे बुजुर्ग	85	8 15	12	1 15
22	दरसी	106 77	13 09	15 66	1 92
23	कोठा	146 37	12 20	42 53	3 54
24	बेलकुर	205 9	16 87	50 3	4 12
25	राउतपार	80 1	5 70	52 99	3 77
26	तिलसर	27	7 84	16 35	4 75
27	हाटा बुजुर्ग	81 38	8 75	12 45	1 33
28	सहुआकोल	198 12	10 66	42 87	2 30
29	महिलवार	134 33	8 29	5 52	3 40
	योग	3738 45		801 44	
	%	9 170		1 02	

स्रोत तहसील मुख्यालय से प्राप्त आकडो के आधार पर

न्यायपचायत मलॉव जिसका शुद्ध बोया गया क्षेत्र न्यूनतम (64 47 %) है, इसके अतिरिक्त क्रमश बेलकुर (70 42 %) एव न्याय पचायत कोठा (72 95%) जो विकास खण्ड गगहा के अन्तर्गत है। ये न्यायपचायते अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी एव दक्षिणी–पूर्वी भागो मे स्थित है। इन न्याय पचायतो की पूर्वी सीमा राप्ती नदी द्वारा निर्मित है। यहाँ बाढ का प्रभाव तथा जलमग्न क्षेत्र भी पाये जाते है। वर्षाकाल मे बहुत बडा भाग परती के रूप मे छोड दिया जाता है।

5.2.2 कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि :

कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अन्तर्गत ताल–पोखरे एव सास्कृतिक भू--दृश्यो (आवास सडके अस्पताल इत्यादि) को सम्मिलित किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9 17 % भाग कृषि के लिए अनुपलब्ध है। अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल मे कृषि अयोग्य अनुपलब्ध भूमि सर्वाधिक नयायपचायत बेलकुर (16 87 %) मे पायी जाती है। न्यायपचायत बेलकुर अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी भाग मे राप्ती की तटवर्ती भाग मे स्थित है। तटवर्ती भाग निम्न–भू–भाग होने के कारण वर्षा काल मे जलमग्न रहता है। साथ ही यह न्यायपचायत पिछडा हुआ है। अत यहा भूमि का उचित दोहन नही हो पाता है। कृषि योग्य न्यूनतम भूमि न्याय पचायत लेडुआबारी (3 17 %) मे पायी जाती है।

(अ) न्यायपचायत स्तर पर कृषि योग्य अनुपलब्ध भूमि

कृषि योग्य अनुपलब्ध भूमि का न्यायपचायत स्तर पर वितरण मे पर्याप्त असमानता मिलती है। अधिकाश न्यायपचायते जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मे कृषि योगय अनुपलब्ध भूमि का % अधिक है, अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी–पूर्वी भागो मे राप्ती नदी के तटवर्ती क्षेत्र मे स्थित है, ये न्यायपचायते क्रमश बेलकुर (16 87 %) मलॉव (15 32 %) डॅवरपार (13 47 %) एव उॅचेर (13 17 %) है, अन्य न्यायपचायते जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मे से 10 % से अधिक भूमि कृषि हेतु अनुपलब्ध है, ये न्यायपचायते क्रमश देवडार बाबू (12 65 %) फुलहर खुर्द (10 92 %) कोठा (13 09 %) दरसी (13 09 %) एव सहुआकोल (10 66 %) है। इन न्याय पचायतो मे कृषि योग्य अनुपलब्ध भूमि होने का मुख्य कारण नदी के तटवर्ती भागो का जलमग्न रहना तथा ताल–पोखरे आदि भी भारी सख्या मे पाये जाते है। नदी के समीपवर्ती भागो की भूमि बाढ आदि के प्रभाव के कारण अन्य उपयोग मे नही लायी जाती है। कृषि येाग्य अनुपलबध भूमि सबसे कम न्याय पचायत लेडुआबारी (3 17%) तथा बासगॉव (3 63%) मे पायी जाती है। अन्य

न्याय पचायते जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मे कृषि योगय अनुपलब्ध भूमि का 7% से भी कम है वे न्यायपचायते क्रमश मखटिया (6 7 %) दुबौली (6 54 %) चवंरिया बुजुर्ग (6 35 %) तथा राउतपार (5 7 %) है। ये न्यायपचायते अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी एव दक्षिणी–पश्चिमी भागो मे स्थित है। यहा बागर भूमि के अतिरिक्त समतल उपजाऊ मदा पायी जाती है, तथा ताल पोखरो की सख्याभी कम पायी जाती हे। जनसकुलता अधिक होने के कारण भूमि उपयोग की गहनता, तथा कृषि के उन्नत तकनीको का प्रयोग होना है (सारणी 5 1)।

5.2.3 दो फसली कृषि क्षेत्र :

अध्ययन क्षेत्र के समतल उपजाऊ क्षेत्र मे एक वर्ष मे एक से अधिक फसल उगाई जाती है। एक से अधिक बार बोया गया कृषि क्षेत्र बहुफसली क्षेत्र से स्पष्टत भिन्न है। किसी क्षेत्र मे एक से अधिक बार फसलो का बोया जाना सिचाई सुविधा, मृदा की उर्वरा शक्ति, नयी तकनीकी आदि कृषि निवेश पर निर्भर करता है। इराके अतिरिक्त लघु जोतो के आकार वाले भागो मे वृहद जोतो के आकार वाले भागो की अपेक्षा एक से अधिक बार कृषि क्षेत्र के बोए जाने की राभाव्यता अधिक पायी जाती है। इसी प्रकार शिक्षित युवको द्वारा कृषि कार्य करने पर कृषि क्षेत्र के एक से अधिक बार बोए जाने की सभावना बढ जाती है। अध्ययन क्षेत्र के कुल शुद्ध बोए गए कृषि क्षेत्र के 43 76 % भाग पर एक से अधिक बार कृषि कार्य होता है। विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड गगहा मे द्विफसली क्षेत्र का % अधिक है तथा न्यूनतम विकास खण्ड कौडीराम मे पाया जाता है। न्याय पचायत स्तर पर द्विफसली क्षेत्र न्यायपचायत हाटा बुजुर्ग (60 7 %) मे तथा न्यायपचायत विरस्टौली (20 16 %) न्यूनतम द्विफसली क्षेत्र है जो विकास खण्ड कौडीराम मे है।

(अ) न्याय पचायत स्तर पर द्विफसली कृषि क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र मे न्याय पचायत स्तर पर द्विफसली क्षेत्र के वितरण मे पर्याप्त असमानता मिलती है। अधिकाश न्याय पचायते जिनका शुद्ध कृषि क्षेत्रफल

5.2.2 कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि :

कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अन्तर्गत ताल–पोखरे एव सास्कृतिक भू–दृश्यो (आवास, राडके, अस्पताल इत्यादि) को सम्मिलित किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के कुल भोगोलिक क्षेत्रफल का 9 17 % भाग कृषि के लिए अनुपलब्ध है। अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल मे कृषि अयोग्य अनुपलब्ध भूमि सर्वाधिक नयायपचायत बेलकुर (16 87 %) मे पायी जाती है। न्यायपचायत बेलकुर अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी भाग मे राप्ती की तटवर्ती भाग मे स्थित है। तटवर्ती भाग निम्न–भू–भाग होने के कारण वर्षा काल मे जलमग्न रहता है। साथ ही यह न्यायपचायत पिछडा हुआ है। अत यहा भूमि का उचित दोहन नही हो पाता है। कृषि योग्य न्यूनतम भूमि न्याय पचायत लेडुआबारी (3 17 %) मे पायी जाती है।

(अ) न्यायपचायत स्तर पर कृषि योग्य अनुपलब्ध भूमि

कृषि योग्य अनुपलब्ध भूमि का न्यायपचायत स्तर पर वितरण मे पर्याप्त अरामानता मिलती है। अधिकाश न्यायपचायते जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मे कृषि योगय अनुपलब्ध भूमि का % अधिक है, अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी–पूर्वी भागो मे राप्ती नदी के तटवर्ती क्षेत्र मे स्थित है, ये न्यायपचायते क्रमश बेलकुर (16 87 %) मलॉव (15 32 %) डॅवरपार (13 47 %) एव उॅचेर (13 17 %) है अन्य न्यायपचायते जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मे से 10 % से अधिक भूमि कृषि हेतु अनुपलब्ध है, ये न्यायपचायते क्रमश देवडार बाबू (12 65 %) फुलहर खुर्द (10 92 %) कोठा (13 09 %) दरसी (13 09 %) एव सहुआकोल (10 66 %) है। इन न्याय पचायतो मे कृषि योग्य अनुपलब्ध भूमि होने का मुख्य कारण नदी के तटवर्ती भागो का जलमग्न रहना तथा ताल–पोखरे आदि भी भारी सख्या मे पाये जाते है। नदी के समीपवर्ती भागो की भूमि बाढ आदि के प्रभाव के कारण अन्य उपयोग मे नही लायी जाती है। कृषि येाग्य अनुपलबध भूमि सबसे कम न्याय पचायत लेडुआबारी (3 17%) तथा बासगॉव (3 63%) मे पायी जाती है। अन्य

के आधे से अधिक भू–भाग पर एक बार से अधिक कृषि की जाती है। अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी एव दक्षिणी–पश्चिमी भागो मे स्थित ह। य न्याय पचायते क्रमश बासगाव (53 53 %) दुधोली (53 39 %) फलहर खुर्द (52 05 %) पाली खास (52 %) दरसी (51 28 %) राउतपार (57 07 %) तिलसर (60 60 %) एव कोठा (57 98 %) है। इन न्याय पचायतो मे द्विफसली क्षेत्र अधिक होने का प्रमुख कारण उपजाऊ मृदा सिचाई की सुविधा कृषि के उन्नत तकनीको का प्रयोग (उर्वरक, उन्नतशील बीज, कृषि उपकरण) आदि है। जिन न्याय पचायतो म द्विफसली क्षेत्र कम है, उनमे स अधिकाश विकास खण्ड कौडीराम के अन्तर्गत आती है। द्विफसली क्षेत्र जिन न्याय पचायतो मे सबसे कम हे वे न्याय पचायते क्रमश बिस्टौली (20 16 %) उँचरे (29 88 %), एव सोहगौरा (30 92 %) है जो राप्ती के तटवर्ती भू–भाग मे है। इनका भौगोलिक क्षेत्रफल तथा शुद्ध कृषि क्षेत्र तो अधिक ज्यादा है, परन्तु बाढ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण अधिकाश भागो म वर्ष मे एक ही फसल उगायी जाती है। मध्यम वर्ग मे जहा पर 50 % से कम भू–भाग द्विफसली क्षेत्र है। अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती भागो मे अधिकाश न्याय पचायते सम्मिलित है जिनमे बासूडीहा (36 19 %) हटवा (49 92 %) चवरिया बुजुर्ग (46 68 %) तथा विशुनपुर (46 91 %) आदि प्रमुख है।

सारणी 5.2

तहसील बासगॉव न्याय पचायत स्तर पर द्विफसली क्षेत्र एव बहुफसली क्षेत्र

क्रम स	न्याय पचायत	शुद्ध कृषि क्षेत्र (हे)	द्विफसली	%	बहु फसली क्षेत्र (हे मे)	%
1	देवडार बाबू	1209 09	580 80	47 96	1919	
2	फुलहर खुर्द	718 53	374 06	52 05	1423	
3	मरवटिया	978 77	496 1	50 68	1911	
4	बासगॉव	614 37	328 88	53 53	950	
5	धनौडा खुर्द	1669 35	670 96	40 1	2460	
6	विशुनपुर	1227 31	576 12	46 91	- 1861	

7	पाली खास	1126 39	586 14	52	1529
8	लेड्डुआवारी	902 1	455 26	50 4	1592
9	दुबोली	857 51	475 28	53 39	1292
10	डॅवरपार	1098 35	456 12	41 52	1441
11	भीटी	734 52	234 12	31 87	1467
12	बिस्टोली	1491 36	420 01	20 16	1779
13	मलॉव	1728 04	410 04	23 72	1910
14	कोडीराम	1119 76	480 03	42 86	1612
15	चवरिया बुजुर्ग	685 53	320 01	46 68	1091
16	ऊॅचेर	1298 8	388 16	29 88	1886
17	सोहगोरा	1248 58	386 12	30 92	1501
18	बासूडीहा	1431 62	518 12	36 19	1938
19	जानीपुर	1613 87	522 20	32 35	1932
20	हटवा	2408 4	1202 46	49 92	3054
21	नर्रे बुजुर्ग	889 87	448 89	50 44	1106
22	दरसी	628 33	322 21	51 28	1156
23	कोठा	854 67	495 56	57 98	1746
24	बेलकुर	859 17	445 86	51 89	1699
25	राउतपार	1188 34	678 21	57 07	2078
26	तिलसर	289 2	175 46	60 0	544
27	हाटा बुजुर्ग	764 16	464 51	60 7	1439
28	सहुआकोल	1497 32	697 21	46 56	2079
29	महिलवार	1330 16	601 11	45 19	1865
	योग	32464 7	14209 75	43 76	48254

स्रोत तहसील मुख्यालय से प्राप्त आकडो के आधार पर

5.3 फसल प्रतिरूप

फराल प्रतिरूप क अन्तर्गत फसलो के स्थानिक एवकालिक वितरण का अध्ययन किया जाता ह। अनक फरालो के स्थानिक और कालिक वितरण स बने स्वरूप को फराल प्रतिरूप कहते हे।[12] फसल प्रतिरूप पर भौतिक आर्थिक सामाजिक राजनितिक सस्थागत तथा सगठनात्मक कारको का प्रभाव पडता है। अध्ययन क्षेत्र के फसल वितरण प्रतिरूप के लिए कालिक पक्ष को अपनाया गया है क्योकि इसमे स्थानिक प्रतिरूप का स्वत रामावेश हो जाता हे। अध्ययन क्षेत्र मे रबी एव खरीफ दो मुख्य फसले है। जायद फसल की खेती अतिअल्प क्षेत्र मे होती है जहा ग्रीष्म मे सिचाई की सुविधा सुलभ है। जायद फसल कुछ फलो एव सब्जियो तक ही सीमित है। अध्ययन क्षेत्र के खरीफ, रबी एव जायद फसलो के अन्तर्गत समाहित कृषि क्षेत्र को तालिका 5 3 मे प्रदर्शित किया गया है।

5.3.1 खरीफ फसल :

जून–जुलाई मे मानसून आगमन के समय बोई जाने वाली फसल को खरीफ फराल कहते है। चावल गन्ना ज्वार, बाजरा मक्का, जूट मूगफली, तिल, तम्बाकू, मूग अरहर उडद तथा मोठ आदि खरीफ की फसले है। अध्ययन क्षेत्र मे 22083 हेक्टेयर क्षेत्र पर खरीफ की खेती की जाती है जो सकल बोये गये क्षेत्र का 43 76% तथा शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 68 % है। तहसील मे प्रमुख रूप से भदई धान की कृषि की जाती हे। सकल बोये गये क्षेत्र के सर्वाधिक 61 % भाग पर न्यायपचायत पाली खस म कृषि होती है जो कि अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी भाग मे स्थित है जबकि न्यूनतम कृषि क्षेत्र न्याय पचायत डॅवरपार (36 %) हे जो आमी नदी के समीपवर्ती भाग मे स्थित है। खरीफ फसलो मे धान प्रमुख फसल है जिसकी बुआई जुलाई मे तथा कटाई सितम्बर माह मे होती हे। कुछ क्षेत्रो यथा – आमी, राप्ती के किनारे बारान्तकालिन धान जिरो बोरो कहते है कि बुआई होती हे।

Fig 5 2

सारणी 5.3

तहसील बासगॉव विभिन्न फसलो के अन्तर्गत क्षेत्रफल हेक्टेयर मे (1998)

क्रम स	न्याय पचायत	सकल बोया गया क्षे (हे)	खरीफ फसल क्षे हे	सकल बोये गये क्ष मे खरीफ क्षे का प्रति	रबी फसल क्षे हे	सकल बोय क्ष मे रबी क्षे का प्रति	जायद फसल क्षे हे	%
1	दवडार बाबू	1913	820	42 9	1075	56	18	94
2	फुलहर खुर्द	1423	632	44 4	775	54 5	16	1 12
3	मरवटिया	1911	944	49 4	945	49	22	1 15
4	बासगाव	950	419	44	511	54	20	2 10
5	धनौडा खुर्द	2460	960	39	1475	60	25	1 0
6	विशुनपुर	1861	814	43 7	1030	55	17	91
7	पाली खास	1529	735	61	780	51	14	91
8	लडुआबारी	1592	624	39	954	59 9	14	87
9	दुबोली	1292	510	39 5	771	59 7	11	85
10	डॅवरपार	1441	520	36	901	62 5	20	1 38
11	भीटी	1467	630	42 9	819	56	18	1 22
12	बिस्टौली	1779	720	40	1034	58	25	1 40
13	मलॉव	1910	927	48 5	965	50 5	18	94
14	कोडीराम	1612	673	41 7	925	57	14	86
15	ववरिया बुजुर्ग	1091	515	47 2	560	51	16	1 46
16	ऊचेर	1886	920	48 8	942	50	24	1 27
17	सोहगौरा	1501	735	49	740	49 3	26	1 73
18	बासूडीहा	1938	938	48 4	981	50 6	19	98
19	जानीपुर	1932	912	47	998	51 6	22	1 13
20	हटवा	3054	1384	45	1642	54	28	91

21	नर्रे बुजुग	1106	543	49	563	50 9	22-	1 98
22	दरसी	1156	615	53	515	44 5	26	2 24
23	कोठा	1746	810	46	918	52 5	18	1 03
24	बेलकुर	1699	885	52	788	46	26	1 53
25	राउतपार	2078	1080	52 9	973	47	25	1 2
26	तिलसर	544	248	45	288	53	8	10 47
27	६ाटा बुजुर्ग	1439	629	44	786	55	24	1 66
28	राहुआकाल	2079	1056	50 8	996	48	27	1 29
29	महिलवार	1865	895	48	940	50 4	35	1 60
	योग	48254	22083	45 76	25580	53 01%	591	1 22%

स्रोत जनसख्या हस्तपुस्तिका जिला सुचना केन्द्र से प्राप्त ऑकड़ो के आधार पर।

अध्ययन क्षेत्र मे 18696 हेक्टेयर पर धान की कृषि की जाती है, जो सकल बोये गये कृषि क्षेत्र का 38 74 % तथा शुद्ध बोये गये कृषि क्षेत्र का 57 58 % है। खरीफ फसलो मे धान के अतिरिक्त गन्ने की कृषि 486 हेक्टेयर पर की जाती है जो सकल बोये गये क्षेत्र का 1 % है। मक्के की कृषि 340 हेक्टेयर पर की जाती है, जो सकल बोए गए क्षेत्र का 7 % है (सारणी 5 3)। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र मे खरीफ की मुख्य शस्य धान है जो सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाती है।

(अ) न्याय पंचायत स्तर पर खरीफ कृषि क्षेत्र :

न्याय पचायत स्तर पर खरीफ कृषि क्षेत्र का वितरण समान नही है। सकल बोये गए कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक कृषि भाग पर न्यायपचायत पाली खास (61 %), दरसी (53 %) एव राउतपार (52 9 %) मे खरीफ की कृषि होती है। अन्य न्याय पचायते अवनत क्रम मे बेलकुर (52 %), सहुआकोल (50 8 %), मखटिया (49 4 %), बासूडीहा (48 4 %), नर्रेबुजुर्ग (49 %) आदि है। इनमे से अधिकाश न्याय पचायते अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी भागो मे स्थिति

तहसील बारगॉव विभिन्न फसलो का क्षेत्रीय वितरण
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
(IN HECT)
Food Crains
Pulses
Oil Seeds
Paddy
Wheat
Barley
Gram
Arhar
Potato

हे, जहा बागर भूमि के अतिरिक्त सिचाई की सुविधा कृषि के उन्नत तकनीको का प्रयोग आदि है। सकल बोये गये कृषि क्षेत्र के सबसे पर न्याय पचायत डॅवरपार (36 %) मे खरीफ की कृषि की जाती है। अन्य न्याय पचायते जिनमे खरीफ की कृषि अपेक्षाकृत कम भाग पर होती है क्रमश लेडुआबारी (39 %) बिस्टौली (40 %), धनौडा खुर्द (39 %), दुबाली (39 5 %) है। इनमे से अधिकाश न्याय पचायते आमी तथा राप्ती के समीपवर्ती भागो मे स्थिति हे, जहा बाढ प्रभाव के कारण खरीफ की कृषि नही हो पाती है। राप्ती नदी के तटवर्ती भागो वाले न्याय पचायतो मे जहा खरीफ कृषि क्षेत्र का % अधिक पाया जाता हे वहा पर धान कृषि के अतिरिक्त मक्के की कृषि अधिक भू–भाग पर की जाती हे। मध्यम वर्ग मे जहा पर रबी एव खरीफ की फसले लगभग बराबर पेदा की जाती है, वे न्याय पचायते क्रमश फुलहर खुर्द (44 4 %) बासगाव (44 %) महिलवार (48 %) जानीपुर (47 %) उचेर (48 8 %) आदि है।

सारणी 5.4

खरीफ एव रबी के अन्तर्गत प्रयुक्त भूमि का % विवरण (1998-99)

फसल	क्षेत्रफल हेक्टेयर मे	सकल बोये गये क्षेत्र पर हेक्टेयर %
कुल खाद्यान	47673	98 77
कुल धान्य	42038	87 11
कुल दलहन	5344	11 00
कुल तिलहन	150	00 30
धान	18696	38 74
गेहूँ	23342	48 37
जो	567	1 17
चना	743	1 53
मक्का	340	00 70
अरहर	3659	7 58

गन्ना	486	1 00
आलू	804	1 66
बाजरा	81	16

स्रोत तहसील मुख्यालय से प्राप्त ऑकडो के आधार पर

(ब) रबी फसल :

रबी की फसलो की बुवाई अक्टूबर से दिसम्बर माह तक होती है इन फसलो की कटाई मार्च—अप्रैल माह मे होती है। इन फसलो की उत्पादकता सिचाई पर निर्भर करती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसो, आलू, मसूर, अलसी तथा बरसीम आदि मुख्य रबी की फसले है। अध्ययन क्षेत्र मे खरीफ फसल की अपेक्षा रबी फसलो के अन्तर्गत अधिक क्षेत्र सम्मिलित है। इसका मुख्य कारण आमी, राप्ती तथा तरैना नदियो के समीपवर्ती भागो मे खरीफ मौसम मे बाढ प्रभाव के कारण कृषि नही की जाती है जबकि रबी के मौसम तक बाढ का पानी हट जाने से उन क्षेत्रो मे गेहूँ, सरसो की कृषि की जाती है। रबी फसलो के अन्तर्गत 25580 हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है जो सकल बोये गए कृषि क्षेत्र का 53 01 % है तथा शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 78 79 % है। रबी फसलो मे गेहूँ प्रमुख फसल है। गेहूँ की कृषि 23342 हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है जो सकल बोये गए क्षेत्र का 48 37 % है। जौ की कृषि 567 हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है जो सकल बोये गए क्षेत्र का 1 17 % है। चना तथा आलू 743 एव 804 हेक्टेयर पर बोये जाते है जो सकल बोये गए क्षेत्र का क्रमश 1 17 %, 1 66 % है। सकल बोये गए क्षेत्र का न्याय पचायत वार रबी फसल मे बोए गए क्षेत्र अवनत क्रम मे इस प्रकार है – डॅवरपार (62 %), धनौडा खुर्द (60 %), लेडुआवारी (59 9 %), दुबौली (59 7 %), बिस्टौली (58 %) है। सकल बोए गये क्षेत्र मे रबी फसल का बोया गया क्षेत्र सबसे कम दरसी न्याय पचायत (44 5 %) मे है।

(अ) न्याय पचायत स्तर पर रबी क्षेत्र का वितरण :

न्याय पचायत स्तर पर रबी क्षेत्र के वितरण मे असमानता पायी जाती है। सारणी 5 3 से स्पष्ट है कि डॅवरपार धनौडाखुर्द एव बिरस्टोली आदि न्याय पचायतो मे खरीफ फसल क्षेत्र सकल बोये गए क्षेत्रफल मे से कम है तथा उन्ही न्याय पचायतो मे रबी की कृषि क्षेत्र सकल बोये गये क्षेत्र मे सर्वाधिक हे। इसका प्रमुख कारण ये न्याय पचायते आमी नदी तरैना आदि नदियो के प्रवाह क्षेत्र मे आते है तथा यहा विस्तृत क्षेत्र पर ताल भी पाये जाते है। वर्षा ऋतु मे जलाप्लावन के कारण खरीफ फसल की कृषि तटवर्ती क्षेत्रो मे सभव नही हो पाती है। आमी नदी का तल उथला होने के कारण वर्षा ऋतु मे बडे भू–भाग पर जल फेल जाता है। बाढ का प्रभाव समाप्त होने पर इन क्षेत्रो मे रबी की कृषि की जाती है, सकल बोये गये क्षेत्र का न्यूनतम (44 5 %) भाग न्याय पचायत दरसी मे रबी फसलो की कृषि के अन्तर्गत हे। इस न्याय पचायत मे रबी की अपेक्षा खरीफ फसल क्षेत्र अधिक हे। यहा सिचाई की सुविधा उपजाऊ मृदा, गहन श्रम तथा यहा कृषि यत्रो का प्रयोग आदि सुविधाए है। रबी फसल के अन्तर्गत बोए गए क्षेत्र की न्याय पचायते अवनत क्रम मे क्रमश कौडीराम (57 %), दुबौली (59 7 %), देवडार बाबू (56 %) हाटा बुजुर्ग (55 %) हटवा (54 %) तथा भीटी (56 %) है।

तालिका 5 4 से स्पष्ट है कि खरीफ एव रबी फसलो के अन्तर्गत सम्पूर्ण खाद्यानो, धान्यो, दलहनो तथा तिलहनो की बुवाई क्रमश 47637, 42038, 5344 तथा 150 हेक्टेयर पर की जाती है। सकल बोए गए कृषि क्षेत्र मे खाद्यानो का % 98 77 % है जबकि धान्यो, दलहनो एव तिलहनो की बुवाई क्रमश 87 11%, 11%, 11%, 30% गन्ने की खेती सकल बोये गये क्षेत्र के 1 % भाग पर है। मुद्रादायिनी फसल के रूप मे गन्ना के अन्तर्गत कम क्षेत्र होने का मुख्य कारण यह है कि अध्ययन क्षेत्र मे गन्ना पेराई हेतु कोई भी चीनी मिल नही है। आलू 804 हेक्टेयर क्षेत्र पर उत्पादित किया जाता है जो सकल बोए गए क्षत्र के 1 66 % भाग पर है। इसका उपयोग स्थानीय क्षेत्रो मे सब्जियो के अन्तर्गत होता हे।

5.3.3 जायद फसल :

खरीफ तथा रबी के ग्रीष्मकालीन राक्रमण काल मे जायद की कृषि की जाती है, जिरामे उड़द, मूग, चारा वाली फसले, खरबूज तरबूज, ककडी मक्का तथा सब्जियो का उत्पादन किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र मे सब्जियो के अतिरिक्त खरबूज तरबूज ककडी का भी उत्पादन होता है। इसके अन्तर्गत 591 हेक्टेयर भूमि राम्मिलित ह जो सकल बोये गये कृषि क्षेत्र का 1 22 % है। राप्ती तथा आमी नदियो के कछार क्षेत्र मे तरबूज खरबूज तथा ककडी का उत्पादन होता है।

5.4 फसल प्रतिरूप में परिवर्तन :

सारणी 5 5 मे 1971–72 तथा 1998–99 का फसल प्रतिरूप प्रदर्शित किया गया है, जिरासे स्पष्ट है कि इन वर्षो के अन्तराल मे फसल प्रतिरूप मे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन का प्रमुख कारण शुद्ध बोए गये क्षेत्र मे विस्तार सिचाई सुविधाओ मे वृद्धि तथा अन्य कृषि निष्टियो एव विधियो के विकास तथा कृषको द्वारा उन्हे अपनाए जाने के जागरूकता के कारण सभव हो राका। रार्वाधिक परिवर्तन खाद्यानो मे हुआ।

तालिका 5.5

फसल प्रतिरूप मे परिवर्तन

फसल	सकल बोया गया क्षेत्र (हे मे)	सकल बोये गये क्षेत्र का प्रति		परिवर्तन
		1971–72	1998–99	
धान	14953 9	30 99	38 74	+7 75
गेहूँ	16333 9	33 85	48 37	+14 25
जौ	4014	8 32	1 17	–7 15
मक्का	810 6	1 68	70	– 98
अरहर	4275	8 86	7 58	–1 28

चना	1283 5	2 66	1 53	−1 13
गन्ना	772	1 60	1 00	− 60
तिलहन	130	27	30	+ 3
आलू	439 1	91	1 66	+75

स्रोत तहसील मुख्यालय से प्राप्त आकडो के आधार पर।

अध्ययन क्षेत्र मे गेहूँ प्रमुख फसल है। वर्ष 1998–99 मे भी अध्ययन क्षेत्र के लगभग आधे भाग (48 37 %) पर बोई जाती है। इसका प्रमुख कारण खरीफ मौसम मे राप्ती आमी आदि नदियो के किनारे कृषि योग्य तटवर्ती भाग जलमग्न रहते है, जबकि रबी के मौसम मे उन क्षेत्रो पर कृषि की जाती है। सबसे अधिक गुणात्मक परिवर्तन गेहूँ की फसल मे ही हुआ है। वर्ष 1971–72 मे जौ की कृषि सकल कृषि क्षेत्र के 8 32 % भाग पर बोई जाती थी, परन्तु वर्ष 1998–99 मे इसके अन्तर्गत 1 17 % क्षेत्र है। जो, चना आदि का कृषि क्षेत्र गेहूँ द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। धान, गेहूँ, आलू तथा तिलहन मे धनात्मक परिवर्तन हुआ हे जबकि जौ, मक्का चना, अरहर तथा गन्ना मे ऋणात्मक परिवर्तन हुआ हे जिससे स्पष्ट है कि मोटे अनाजो के अन्तर्गत क्षेत्र मे कमी हो रही है (सारीणी 5 5)।

5.5 फसल संयोजन :

वृहद जनसख्या के पोषण के लिए कृषि मे खाद्यानो की प्रधानता स्वाभाविक है, किन्तु इसके साथ अन्य फसले उगाई जाती है। किसी क्षेत्र की कृषि जटिलताओ को समझने के लिए उस क्षेत्र मे उत्पादित सभी शस्यो का एक साथ अध्ययन आवश्यक होता है। बीवर ने फसल सयोजन के महत्व को बताते हुए कहा है कि – विभिन्न क्षेत्रो मे फसलो के अलग–अलग महत्व को समझने के लिए फसल सयोजन का महत्व आवश्यक है। साथ ही इस प्रकार के अध्ययन जो स्वय (सभी कारको का) समाकलनात्मक सत्यता है से फसल सयोजन प्रदेश का प्रादुर्भाव होता है।[13] जेम्स जोन्स[14] के अनुसार शस्य–समिश्रण सम्बन्धी अध

ययन के अभाव मे कृषि की क्षेत्रीय विशेषताओं को ठीक से समझा नही जा सकता है। किसी भी क्षेत्र का शस्य–सम्मिश्रण स्वरूप अकस्मात नही होता अपितु वहा के भौतिक तथा सास्कृतिक पर्यावरण की देन होता है। किसी ईकाई क्षेत्र म उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख फसलो के समूह को फसल सयोजन कहत है, जो वहा की प्राकृतिक–आर्थिक दशाओ तथा कृषक की सामाजिक एव वैयक्तिक गुणो के अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है।[15]

5.5.1 फसल—कोटि निर्धारण :

फसल कोटि निर्धारण के अन्तर्गत फसलो का सापेक्षिक महत्व निर्धारित किया जाता है। जो सकल बोए गए क्षेत्र के परिप्रक्ष्य मे ज्ञात किय जाता है। प्रस्तुत अध्ययन मे सकल बोये गए क्षेत्र से सभी फसलो के बोये गये क्षेत्र का % ज्ञात किया गया है। इसके पश्चात उसे अवनत क्रम मे रखकर प्रत्येक विकास खण्ड की फसल कोटि निर्धारित की गई है।

सारणी 5.6

तहसील बासगॉव फसल कोटि (%) (1998–99)

क्रम स	न्याय पचायत	धान	गेहूँ	जौ	दाले	मक्का	अरहर	तलहन	आलू	गन्ना
1	देवडार बाबू	39	46	2 53	87	20	8	40	2	1
2	फुलहर खुर्द	40	44	1 86	2	1 2	5 2	90	1 2	1 80
3	मरवटिया	38	49	89	1 4	80	6 3	1 5	1 2	9
4	बासगॉव	40	46	1 2	2 4	40	7 9	8	1 4	4
5	धनोडा खुर्द	36	50	2 4	1 8	1 4	4 5	1 8	1 7	4
6	विशुनपुर	39 6	47 37	1 17	1 86	98	6 5	48	1 86	18
7	पाली खास	41 4	45 6	87	1 32	46	7 5	1 2	85	86
8	लेडुआबारी	38 75	48 37	1 17	1 53	70	5 5	1 30	1 90	78
9	दुबौली	40 8	46 5	85	1 22	80	6 2	1 65	1 8	98

10	डॅवरपार	36 9	48 3	2 17	1 87	1 98	4 2	1 88	98	1 65
11	नीटी	39 8	47 6	3 1	1 68	1 78	4 8	1 68	2	30
12	विरटाली	38 6	49 5	2 2	1 75	1 65	3 21	98	1 88	55
13	मलॉव	37 8	48 15	1 8	2 75	1 85	3 8	1 65	88	22
14	कालीराम	39 6	47 8	1 98	1 48	1 2	5 5	98	1 2	1
15	पपरिया बुजुर्ग	40 1	46	86	1 49	80	6 8	1 2	88	58
16	ऊँचेर	37 8	48 4	2 21	2 18	1 40	4 2	1 8	1 6	1 19
17	सोहगोरा	39 4	47 95	2 1	1 8	98	4 8	1 2	1 5	51
18	गासूडीहा	40 2	46 1	1 7	2 5	1 2	5 5	78	1 2	75
19	जानीपुर	38	46 5	1 5	2 6	75	7 5	1 2	1 2	80
20	इटवा	38 7	47	1 2	1 43	85	8 5	85	1 1	37
21	नरै बुजुर्ग	38 5	47 5	95	1 8	69	7 2	58	1 6	1 18
22	दरसी	39 4	45 2	1 28	2 2	96	6 5	1 17	2 1	1 39
23	कोठा	35 95	47	2 4	3 1	1 8	4 7	1 16	1 9	66
24	बेलकुर	36 2	46 5	2 8	2 9	1 9	5 2	2 2	1 6	70
25	राउतपार	39 9	46 8	1 1	1 4	85	6 8	75	1 40	1 0
26	तिलसर	38 85	49	1 4	2 1	55	5 8	25	1 2	8 5
27	हाटा बुजुर्ग	39	46	2 1	1 8	75	6 5	1 41	1 4	1 4
28	सहुआकोल	38 4	48 5	1 86	2 1	1 2	4 2	1 85	1 2	70
29	महिलवार	39 5	46 8	2 4	2 5	1 2	5 5	75	88	47
	अध्ययन क्षेत्र									

स्रोत तहसील मुख्यालय से प्राप्त आकडो के आधार पर।

अध्ययन क्षेत्र मे फसलो मे जटिलता अधिक मिलती है। कृषि योग्य सुविधाओ के कारण ही प्रत्येक क्षेत्र मे कई प्रकार की फसले उगा ली जाती है, भले ही उनका क्षेत्र कम हो। अर्थात अध्ययन क्षेत्र मे ग्राम्य स्तर पर फसलो मे विविधता देखने को मिलती है। कोटि निर्धारित करते समय अध्ययन क्षेत्र के सभी

न्याय पचायत स्तर पर सकल बोए गये क्षेत्र का सम्बन्धित सभी फसल की स्थिति निर्धारित की गई है जो 1 % से भी कम है उन्हे भी कोटि निर्धारण मे लिया गया है क्योकि अलग–अलग क्षेत्रो म उन फसलो का भी अपना आर्थिक महत्व है। यदि राम्बन्धित बोए गये फराल का क्षेत्रफल न्याय पचायत स्तर पर 1 % से कम है परन्तु विकारा खण्ड रतर पर 1 00 % से अधिक है तो उस कोटि निर्धारण मे सम्मिलित किया गया है।

उपर्युक्त मानदण्डो के आधार पर कोटि निर्धारण के लिए कुल नो फरालो का चयन किया गया है। यद्यपि तहसील स्तर पर प्रथम कोटि गेहूँ (48 37 %), द्वितीय कोटि धान (38 74 %) तृतीय कोटि दलहन (11 %), चतुर्थ कोटि अरहर (7 5 %) पचम कोटि आलू (1 66 %) का है। अध्ययन क्षेत्र के इन सभी वितरण प्रतिरूप पर भौतिक, सामाजिक एव आर्थिक पहलू प्रभावी है। न्याय पचायत स्तर पर इसमे विविधता है। सामान्यतया गेहूँ तथा चावल ही प्रथम तथा द्वितीय कोटि की फसले है, परन्तु अन्य फसलो का क्रम न्याय पचायत स्तर पर बदलता हुआ मिलता है। जेसे न्याय पचायत देवडार बाबू मे चावल, गेहूँ, अरहर के बाद जौ चतुर्थ कोटि की फसल है, जबकि मरवटिया न्याय पचायत मे यह षष्ट्म कोटि की फसल है। अध्ययन क्षेत्र मे चावल, गेहूँ, अरहर फसल के बाद अन्य फसलो का कृषि योग्य अनुकूल सुविधाओ के अनुसार फसलो का महत्व बदलता है। आमी, राप्ती तथा तरैना नदी के तटवर्ती भागो मे गेहूँ, चावल के बाद मक्का महत्वपूर्ण फसल है तथा जौ का भी उत्पादन अधिक होता है, जबकि बागर क्षेत्र जो कि अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती–पूर्वी–दक्षिणी भागो मे स्थित है, वहा अरहर तथा गन्ने की कृषि की जाती है। बागर क्षेत्र होने के कारण अरहर कृषि को हानि नही होती है। राप्ती तथा आमी के बाढ प्रभावित क्षेत्रो मे रबी के मौसम मे गेहूँ के साथ जौ तथा सरसो मिलाकर बोया जाता है और इन क्षेत्रो मे इन्ही फसलो की प्रधानता (सारणी 5 6) है। इरा प्रकार गेहूँ तथा चावल अध्ययन क्षेत्र की मुख्य फराल है जो तहसील के सकल बोये गए क्षेत्र के 87 11 % भाग पर बोयी जाती है। स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे खाद्यान फसलो का वर्चस्व है। सघन जनसख्याके

N
तहसील बांसगॉव
शस्य संयोजन प्रदेश
WRBPM
WRBPOMA
WRBPOMASP
W = Wheat
R = Rice
B = Barle
P = Pulses
M = Maize
O = Oil Seeds
A = Arhar
S = Sugarcane
P = Patato
2
0
2
km

Fig 5 5

भरण–पोषण हेतु सर्वाधिक क्षेत्र पर खाद्यान फसलो (गेहू, चावल) का ही उत्पादन होता है।

5.5.2 फसल संयोजन प्रदेश :

फसल सयोजन प्रदेश का निर्धारण साख्यिकीय विधियो पर आधारित है। जानसन,[16] थॉमस,[17] वीवर,[18] तथा अय्यर[19] आदि विद्वानो द्वारा निर्धारित साख्यिकीय विधिया महत्वपूर्ण है। बीवर ने प्रत्येक शस्य के सयोजन के सैद्धान्तिक % एव उनके वास्तविक % के अन्तर का प्रामाणिक विचलन निकाला और उसी आधार पर क्षेत्र को शस्य सयोजन क्षेत्रो मे विभाजित किया है। कोपेक[20] ने इग्लैण्ड और वेल्स के कृषि मानचित्रावली मे शस्य–सयोजन प्रदेश को दिखलाया है। औद्योगिक सरचना के विश्लेषण मे दोई[21] द्वारा अपनायी गयी विधि तथा नगरो के कार्यात्मक वर्गीकरण मे नेल्सन[22] द्वारा अपनायी गयी साख्यिकीय विधि महत्वपूर्ण है। इनमे वीवर तथा दोई द्वारा अपनायी गयी साख्यिकीय विधिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तथा कुछ सुधारो के साथ अनेक विद्वानो द्वारा अपनायी जा रही है। भारत मे सर्वप्रथम बनर्जी[23] ने पश्चिमी बगाल के लिए बीवर महोदय की सशोधित विधि अपनाया। राय[24] ने पूर्वी गगा, घाघरा दोआब के शस्य साहचर्य प्रदेशो का निर्धारिण किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के शस्य सयोजन क्षेत्र का अध्ययन करते हुए पाण्डेय[25] ने सशोधित विधि प्रस्तुत की है, जिसमे प्रत्येक फसलो के भागो का निर्धारण गणना द्वारा उन्हे क्रमबद्ध करके बाद मे पडने वाले शस्यो के नगण्य होने पर शस्य सयोजन की सज्ञा निर्धारित की जाती है। ज्यो–ज्यो शस्य सयोजन की सख्या बढती जाती है तदनुरूप बाद मे पडने वाली फसल का % अत्यन्त नगण्य हो जाता है।

अध्ययन क्षेत्र मे शस्य विविधता के कारण एक फसल प्रधान, दो फसल प्रधान क्षेत्र उपलब्ध नही है। फसलो की सख्या के आधार पर तथा उनकी उत्पादकता के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को तीन प्रमुख फसल सयोजन क्षेत्रो मे विभक्त किया गया है।

1 पाच सयोजन क्षेत्र,

2 सात सयोजन क्षेत्र

3 नौ सयोजन क्षेत्र।

अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट और उचित फसल सयोजन मे विभक्त करने के किये उपर्युक्त विधि के अतिरिक्त इस विधि को भी सम्मिलित किया गया है। यदि किसी विकास खण्ड मे उसके सकल बोये गये भाग के 50 % से अधिक भाग पर किसी फसल का अकेला भाग है, या अकेला आधिपत्य है तो उसे फसली साहचर्य प्रदेश के अन्तर्गत रखा गयाहै। मानचित्र 5 5 से स्पष्ट है कि राप्ती तथा आमी के तटवर्ती भागो मे पाच फसली साहचर्य है, इसका प्रमुख कारण बाढ का प्रभाव है। अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती—पश्चिमी तथा दक्षिणी—पश्चिमी भागो मे नौ फसली साहचर्य मिलता है इसका कारण बागर भूमि की उपलब्धता तथा कृषि योग्य अन्य सुविधाओ का होना है, जिससे इन क्षेत्रो मे गहन कृषि की जाती है।

5.6 फसल गहनता :

फसल गहनता का अर्थ है – एक ही खेत पर एक वर्ष मे अधिक से अधिक बार फसलो को उगाना। कृषि उत्पादकता की वृद्धि हेतु फसल गहनता बढाना अनिवार्य है। बढती आबादी के भरण—भोषण एव सीमित कृषि क्षेत्र की समस्या का समाधान फसल गहनता से ही सम्भव हे। फ़सल गहनता से भूमि उपयोग की तीव्रता का ज्ञान होता है। किसी क्षेत्र मे फसल गहनता को हरित क्राति से बढायी जा सकती है। प्रस्तुत अध्ययन मे फसल गहनता सूचकाको की गणना निम्न सूत्र माध्यम से की गई है – (सारणी 5 7)
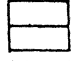
$$\text{फसल गहनता सूचकाक} = \frac{\text{कुल बोया गया क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}} \times 100$$

अध्ययन क्षेत्र मे औसत फसल गहनता सूचकाक 148 63 है किन्तु न्याय पचायत स्तर पर इसमे भिन्नता है। तहसील बारागाव मे सबसे अधिक शस्य गहनता वाला न्याय पचायत कोठा है जिसकी शस्य गहनता 204

Fig 5 6

28 है। 195 से अधिक शस्य गहनता वाली न्याय पचायत क्रमश फुलहर खुर्द 198 04, भीटी 199 72 बेलकुर 197 74 एव मरवटिया 195 24 है। न्यूनतम शस्य गहनता न्याय पचायत मलाव 110 52 मे है। जिन न्याय पचायतो मे फसल गहनता कम है उनमे से अधिकाश न्याय पचायते राप्ती एव आमी के तटवर्ती भागो मे स्थित है। इन न्याय पचायतो मे वर्ष मे एक भूमि पर एक ही बार कृषि का जाती है। आमी, राप्ती तेरना नदियो के किनारे तटबन्ध बनाकर इनके तटवर्ती न्याय पचायतो के गावो की आवगहनता मे अभिवृद्धि की जा सकती है।

सारणी 5.7

तहसील बासगाव फसल गहनता सूचकाक

क्रम स	न्याय पचायत	सकल बोया गया क्षेत्र (हे)	शुद्ध बोया गया क्षेत्र (हे)	फसल गहनता सूचकाक
1	देवडार बाबू	1913	1209 09	158 21
2	फुलहर खुर्द	1423	718 53	198 04
3	मरवटिया	1911	978 77	195 24
4	बासगॉव	950	614 37	154 62
5	धनोडा खुर्द	2460	1669 35	147 36
6	विशुनपुर	1861	1227 31	151 63
7	पाली खास	1529	1126 39	135 74
8	लेडुआबारी	1592	902 1	176 47
9	दुबोली	1292	857 51	150 66
10	डॅवरपार	1441	1098 35	131 19
11	भीटी	1467	734 52	199 72
12	बिस्टौली	1779	1491 36	117 28
13	मलॉव	1910	1728 04	110 52
14	कौडीराम	1612	1119 76	143 95
15	चवरिया बुजुर्ग	1091	685 53	159 14

16	ऊँचेर	1886	1298 8	145 21
17	सोहगारा	1501	1248 5	120 22
18	बासूडीहा	1938	1431 62	135 37
19	जागीपुर	1932	1613 87	119 71
20	हटवा	3054	2408 4	126 80
21	नरै बुजुर्ग	1106	889 87	124 28
22	दररी	1156	628 33	183 97
23	कोठा	1746	854 69	204 28
24	बेलकुर	1699	859 17	197 74
25	राउतपार	2078	1188 34	174 86
26	तिलसर	544	289 2	188 10
27	हाटा बुजुर्ग	1439	764 16	188 31
28	सहुआकोल	2079	1497 32	138 84
29	महिलवार	1865	1330 16	140 20
	योग	48254	3824647	148 63

स्रोत तहसील मुख्यालय एव जिला सूचना केन्द्र से प्राप्त आकडो के आधार पर।

5.7 सिंचाई :

कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम साधनो द्वारा होती है। सिचाई का प्राकृतिक साधन वर्षा है। वर्षा के अभाव तथा अनिश्चितता के कारण कृत्रिम साधनो द्वारा जल उपलब्ध कराना ही सिचाई कहलाता है। मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता, असामायिकता तथा विषमता सिचाई की आवश्यकता को अनिवार्य बना देती है। अध्ययन क्षेत्र मे कभी बाढ तथा अववर्षण के द्वारा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाना एक सामान्य सी दशा है, अत क्षेत्र मे सिचाई तथा सिचाई के साधनो की सर्वत्र सुविधा है। खरीफ फसल मे अधिकाश फसलो की सिचाई वर्ष ऋतु के जल से ही होती है परन्तु शरय रामिश्रण आधुनिक धान की किस्मो, अधिक जल वाली

खरीफ फसलो के कारण कभी–कभी वर्षा मे कमी वर्ष के दिनो मे लम्बे अन्तराल के कारण खरीफ फसल मे सिचाई की आवश्यकता पडती है। रबी एव जायद फसले पूर्णत सिचाई पर ही आधारित है क्योकि रबी, जायद फसलो मे वर्षा या तो होती ही नही, यदि होती भी है तो उसकी मात्रा अत्यल्प होती है।

अध्ययन क्षेत्र मे शुद्ध बोये गए क्षेत्र का 64 66 % भाग शुद्ध सिचित क्षेत्र है। इन सिचित क्षेत्रो मे से 69 67 % भाग पर नलकूप एव विद्युत चालित नलकूपो से सिचाई होती है। 8 74 % भाग पर कूपो से 10 17 % भाग पर तालाबो से एव 11 42 % भाग नदी तथा अन्य स्रोतो से सिचाई होती है। अध्ययन क्षेत्र मे नहरो का अभाव है। अध्ययन क्षेत्र एक मैदानी क्षेत्र है, तथा यहा भूमिगत जल स्तर ऊँचा है। अत यहा नलकूपो से सिचाई अधिक की जाती है। सिचित क्षेत्र का % सर्वाधिक न्याय पचायत हाटा बुजुर्ग (96 58 %) मे है तथा न्यूनतम सिच्चित क्षेत्र न्याय पचायत भलाव का (17 7 %) है। नलकूपो द्वारा सिचित क्षेत्र अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी एव मध्यवर्ती भागो मे अधिक पाये जाते है। इन न्यायपंचायतो मे खरीफ फसल की प्रधानता है, तथा शस्य गहनता भी इन्ही न्याय पचायतो मे अधिक पायी जाती है।

सारणी 5.8

तहसील बासगाव – सिचाई

क्रम स	न्याय पचायत	शुद्ध सिचित क्षे हे (प्रति)	शुद्ध सिचित क्षे (प्रति)	नलकूप	कूप	तालाब	नदी / अन्य स्रोत
1	देवडार बाबू	1209 09	58 94	38 27	9 36	19 25	33 1
2	फुलहर खुर्द	718 53	80 23	79 04	7 26	13 68	
3	मरवटिया	978 77	87 9	63 45	12 6	12 03	10 7
4	बासगॉव	614 37	71 7	75 68	18	4 5	1 71
5	धनौडा खुर्द	1669 35	53 06	75 65	9 2	9 8	5 34
6	विशुनपुर	1227 91	57 1	74 06	3 6	5 07	17 2
7	पाली खास	1126 39	74 2	69 8	10 03	15 44	4 6

8	लडुआबारी	902 1	69 08	61 39	12 92	13 52	12 15
9	दुबौली	857 91	85 65	60 9	11 22	17 42	10 43
10	डॅवरपार	1098 35	61 43	73 36	2 9	7 36	4 56
11	भीटी	734 52	45 1	63 5	12	19 8	20 88
12	बिस्टोली	1491 36	38 97	66 76	2 43	9 82	-
13	मलॉव	1728 04	17 1	97 67	2 32		-
14	कोडीराम	1119 76	93 47	91 8	-	5 69	2 48
15	चवरिया बुजुर्ग	685 53	82 47	74 0	13 59	7 74	4 54
16	ऊँचेर	1298 8	78 11	51 63	18 77	24 97	4 6
17	सोहगारा	1248 58	32 57	74	8 85	15 56	1 49
18	बासूडीहा	1431 62	64 65	80	9 94	8 15	2 37
19	जानीपुर	1613 87	74 64	93 51	2 04	2 76	1 66
20	हटवा	2408 4	69 08	77 83	8 74	5 15	8 26
21	नर्रे बुजुर्ग	889 87	72 9	75 75	18 6	5 6	-
22	दरसी	628 33	75 01	92	2 58	3 0	2 33
23	कोठा	854 69	81 41	67 47	4 56	4 77	23 13
24	बेलकुर	859 17	64 8	71 35	1 52	3 72	23 39
25	राउतपार	1188 34	83 66	69 89	7 56	15 91	6 59
26	तिलसर	289 2	85 78	83 34	1 95	8 39	6 3
27	हाटा बुजुर्ग	764 16	96 58	52 25	14 93	2 02	1 91
28	सहुआकोल	1497 32	30 40	80	6 04	13 95	
29	महिलवार	1330 16	83 65	63 3	12 72	15 58	8 28
	योग	32464 7	64 66	69 67	8 74	10 17	11 42

5.7.1 सिंचन गहनता

अध्ययन क्षेत्र मे सिचन गहनता की गणना न्याय पचायत स्तर पर मध्यमान एव प्रामाणिक विचलन के आधार पर की गयी है। गणना के आधार पर इसे चार श्रेणियो मे विभक्त किया गया है।

सारणी 5.9

तहसील बासगाव – सिचन गहनता

क्रम स	वर्ग अन्तराल	सिचन गहनता	न्याय पचायतो की सख्या
1	> 87 24	> Mean + ISD	3
2	67 88 - 87 24	Mean - meant + ISD	16
3	48 52 - 67 88	Mean - ISD -o mean	6
4	> Mean - ISD	> mean - ISD	4
	योग		29

उच्च श्रेणी मे सम्मिलित 3 न्यायपचायते कौडीराम, मखटिया एव हाटा बुजुर्ग है जिनकी सिचन गहनता 87 24 से अधिक है। इनमे अधिकाश सिचाई के साधन कुएँ एव नलकूप हैं। न्याय पचायत मलॉव जिसका शुद्ध बोए गये क्षेत्र में सिचित क्षेत्र सबसे कम है, शस्य गहनता भी कम पायी जाती है। निम्नतम सिचन गहनता श्रेणी वाली न्याय पचायते आमी एव राप्ती के तटवर्ती भागो मे स्थित है, जिनमे भीटी, बिस्टौली, सहआकोल एव मलॉव न्याय पचायत हैं। वर्षा ऋतु में इन न्याय पचायतो के निम्न तटवर्ती भू–भाग जलमग्न रहते है। अत यहा सिचाई भी कम होती है। इन न्याय पचायतो मे तालाबो द्वारा सिचित क्षेत्र भी अधिक है। (सारणी 5 9) मध्यवर्ती सिचन गहनता वाला न्याय पचायते अधिकाशत अध्ययन क्षेत्र के मध्यवर्ती, दक्षिणी–पश्चिमी भागो मे है। कूपो द्वारा सबसे अधिक सिचाई न्याय पचायत ऊँचेरे मे पायी जाती है। मध्यवर्ती सिचन गहनता वाली न्यायपचायतो मे सिचाई प्रमुखत कूपो एव नलकूपो द्वारा ही की जाती है। इनमे न्याय पचायत बासगाव, महिलवार, दुबौली, पाली, हटवा नर्रे, दरसी तथा कोठा है। अध्ययन क्षेत्र

N
तहसील बासगाँव
सिचन गहनता
> 87 24
67 88 – 87 24
48 52 – 67 88
< 48 52
Mean = 67 88
S D = 19 36
2
0
2
km

Fig 5 7

म तालाबो एव पोखरो की अधिकता होने के कारण उसमे वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है। शुष्क ऋतु मे इसी एकत्रित जल से सिचाई का काम किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र मे शुद्ध सिंचित क्षेत्र कम होने का कारण सिचाई सुविधाओ का अभाव है।

5.8 जोत का आकार :

जोत का आशय उस समग्र भूमि से है, जिसके समग्र या आशिक भाग पर कृषि उत्पादन तकनीकी ईकाई के तहत केवल एक व्यक्ति य कुछ अन्य व्यक्तियो के साथ किया जाता है। तकनीकी इकाई से तात्पर्य उत्पादन के अन्य साधन तथा उनके प्रबन्ध से है।[26] जोतो के आकार से मानव भूमि सम्बन्ध का ज्ञान होता है।

सारणी 5 10

तहसील बासगाव मे क्रियात्मक जोतो की आकार वर्गानुसार सख्या एव क्षेत्रफल (1996–98)

आकार (हेक्टेअर मे)	सख्या	%	क्षेत्रफल	%
1	2	3	4	5
1 सीमान्त (5 से कम)	28657	62 32	4726	14 37
2 लघु (5–1)	8965	19 49	6687	20 33
3 उपमध्यम (1–2)	5034	10 94	9313	22 24
4 मध्यम (2–4)	2547	5 56	9399	28 58
5 वृहद (4–10)	731	1 58	4053	12 35
6 वृहदाकार (10 से अधिक)	46	10	702	2 13
योग	**45980**	**100 00**	**32880**	**100 00**

स्रोत जिला साख्यिकी पत्रिका जनपद गोरखपुर (1996–98) पृष्ठ 62

सारणी 5 10 से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे कुल जोतो की सख्य 45980 है जिसके अन्तर्गत 32880 हेक्टेअर कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। अध्ययन क्षेत्र मे 5 हे से कम सीमान्त जोतो की सख्या सर्वाधिक (62 32 %) है, किन्तु

तहसील बासगॉव

क्रियात्मक जोतो का आकार सख्या एव क्षेत्रफल (1990)

इसके अन्तर्गत 14 37 % भूमि सम्मिलित है। 5 से 1 है वाली लघु जोतो के अन्तर्गत 19 49 % जोते तथा 20 24 % कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। 1 से 2 है वाली उपमध्यम जोते के अन्तर्गत 10 94 % जोत तथा 22 33 % कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। 2 से 4 हे वाली मध्यम जोतो के अन्तर्गत 5 56 % जोतो एव 28 58 % सर्वाधिक कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। 10 हेक्टेअर से अधिक क्षेत्रफल वाली वृहदाकार जोतो की सख्या 10 % है जिसके अन्तर्गत 2 13 % कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे सीमान्त एव लघु जोतो की सख्या की अधिकता है, किन्तु अधिकाश कृषि क्षेत्र मध्यम जोतो के अन्तर्गत है।

5.9 कृषि का यंत्रीकरण :

प्राय अल्प विकसित देशो मे यह समझा जाता है कि आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को एक ही सन्दर्भ मे विचार करना चाहिए। वस्तुत कृषि का पिछडापन आर्थिक तथा औद्योगिक विकास की धीमी गति का ही परिणाम है।[27] वास्तव मे अर्थव्यवस्था के अन्य प्रक्षेत्रो के विकास के लिए कृषि विकास एक आधार है।[28] कृषि विकास के सम्बन्ध मे तैयार एक नीति के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र मे अधिक उपज देने वाली किस्मो के बीजो का उत्पादन सिचाई सुविधाओ का विकास विशेषकर भूमिगत जल स्रोतो का उपभोग उर्वरको के पर्याप्त एव सतुलित उपयोग, आवश्यकता पर आधारित पौध सरक्षण उपायो को अपनाया जाना और कृषि के काम आने वाली वस्तुओ जिसमे सस्थागत एव अन्य वित्तीय सगठनो से प्राप्त होने वाला ऋण भी सम्मिलित है कि सुव्यवस्थित एव नियमित आपूर्ति आते है।[29] भारतीय कृषि का यत्रीकृत करके रूपान्तरित करने का श्रेय हरित क्राति को है। अमरीकी विद्वान विलियम गैड ने सर्वप्रथम हरित क्राति शब्द का प्रयोग करते हुए अधिक उपेज देने वाली किस्मो के प्रयोग का उल्लेख किया था। यह जैव प्राविधिकी के विकास का आरम्भिक चरण था।[30]

अध्ययन क्षेत्र मे एच वाई पी (हाई यील्डीग वेरायटीज) किस्म के बीजो के प्रयोग के आकडे उपलब्ध नही है किन्तु इन बीजो का प्रयोग सीमित स्तर पर

सीमित फसलो मे ही हो रहा है। सम्पूर्ण अध्ययन मे 906 ट्रेक्टर कृषि कार्य हेतु है। लकडी के देशी हलो का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होता है। सम्प्रति 19975 लकडी के देशी हल, 11192 लोहे के हल तथा 3780 उन्नत हैरो एव कल्टीवेटर का प्रयोग हो रहा हे। कुल थ्रेसिग मशीन की सख्या 4307 स्प्रयर की सख्या 340, तथा उन्नत बोआई यत्र की सख्या 4 हे।[11] विकास खण्ड उरूवा तथा गगहा मे उन्नत बोआई यत्र का प्रयोग नही हो रहा है। उपर्युक्त तथ्यो से कृषि मे यत्रीकरण के अभाव की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती हे। कृषि को प्रोन्नति करने मे विभिन्न प्रकार के बैको की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किन्तु अध्ययन क्षेत्र मे बैको की नितान्त कमी है मानचित्र (5 9)। अध्ययन क्षेत्र मे एकमात्र शीत भण्डार विकास खण्ड गगहा मे है। कृषि सेवा केन्द्रो की सख्या 24 हे। कृषि सेवा केन्द्र गगहा विकास खण्ड तथा बासगाव विकास खण्ड के सभी न्याय पचायतो पर पाये जाते है। बीज गोदाम एव उर्वरक, कीटनाशक गोदाम तहसील मे मात्र कौडीराम एव गगहा विकास खण्डो पर स्थित है। ग्रामीण गोदामो की सख्या 30 हे जो कि सभी न्याय पचायतो पर पाये जाते है।

5.10 पशुपालन :

पशुपालन का विकास विविधीकृत कृषि अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अग होता है। पशुधन की सख्या का प्रभाव न केवल कृषि के कुल उत्पादन अपितु खेत पर भी पडता है। पशुओ की विभिन्न नस्लो मे चोपाए ही अधिक प्रमुख है केवल इसलिए नही कि इनकी सख्या अधिक है बल्कि इसलिए भी कि ये पशु कृषि कार्यो और किसान की सम्पन्नता मे अधिक सहयोग देते है। कृषि के लगभग सभी कार्यो के लिए उपलब्ध शक्ति पशु वही है। खेत जोतना, खाद लादना, पानी प्राप्त करना, फसल की मडाई देना और यातायात प्रमुख कृषि कार्य है, जो पशु प्रमुख रूप से करते है। मास, खाल, ऊन बाल और मुर्गीपालन को छोडकर पशुधन के अन्य सभी कामो मे चौपायो का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुओ का गोबर कृषि क्षेत्र की खाद की महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति करता है।

ईधन के अन्य साधन उपलब्ध न होन के फलस्वरूप देश मे उपलब्ध गोबर का दो–तिहाई भाग ईधन के रूप मे जला दिया जाता है। पशुओ से न केवल कृषि उत्पादन मे सहायता मिलती है बल्कि दूध और दूध से बने पदार्थों की सहायता से शारीरिक जरूरत के अनुरूप गुणकारी पदार्थ भी मिल जात है।

तालिका 5 11 से स्पष्ट है कि पशुओ मे सर्वाधिक सख्या गो–जातीय पशुओ की है, जिसकी कुल सख्या 51219 है। महिष जातीय पशुओ की सख्या 29306 है, जिसमे सबसे अधिक विकास खण्ड बासगाव (12258) मे पाये जाते है। बकरा–बकरियो की सख्या (31847) भेडो की सख्या (5419) से 5–6 गुना अधिक है। अध्ययन क्षेत्र मे घोडे एव टट्टुओ की सख्या सबसे कम (172) है। कुल कुक्कुटो की सख्या (36620) है। गो–जातीय पशुओ के बाद कुक्कुटो की सख्या अध्ययन क्षेत्र मे अधिक है। सर्वाधिक कुक्कुट विकास खण्ड गगहा (13113) मे पाले जाते है। अध्ययन क्षेत्र मे मत्स्य पालन का व्यवसायीकरण अभी नही हुआ है। कुछ मछलिया तालाबो पोखरो एव नदियो से पकडी जाती है। तहसील बासगाव मे उरूवा विकास खण्ड की एकमात्र न्याय पचायत महिलवार सम्मिलित है, अत तालिका 5 11 मे उरूवा विकास खण्ड मे महिलवार न्याय पचायत के ही आकडो को सम्मिलित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी–पूर्वी भाग मे स्थिति आमी नदी की तलहटी मे विस्तृत भूमि पर चारागाह की सुविधा विशेषकर मार्च से जून तक उपलब्ध रहती है, यहा पर इन पशुओ को बडे–बडे झण्डो मे रखकर चराया जाता है। इन पशुओ मे गाय एव भैस की प्रमुखता रहती है, जो दुग्ध प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय पशुपालको अर्थात ग्वालो द्वारा लाय जात है, तथा वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के पूर्व पुन अपने अधिवासो की ओर चले जाते है। भेड–बकरियो का पालन अधिकाशत आमी तथा तरेना नदी के तलहटी क्षेत्रो मे अधिक होता है, यही कारण है कि बासगाव तथा कौडीराम विकास खण्डो मे इनका अनुपात अधिक है।

सारणी 5.11

तहसील बासगाव मे पशुओ की सख्या

क्रम स	पशु	कौडी राम विकास खण्ड	बासगाव विकास खण्ड	गगहा विकास खण्ड	उरूवा विकास खण्ड	योग
1	कुल गो जातीय पुश देशी	11962	22617	10788	894	46264
2	कुल गो जातीय पशु दोगली	1562	1920	1374	99	4955
3	कुल महिष जातीय पशु	8038	12258	8550	460	29306
4	कुल भेड	1036	1990	2275	118	5419
5	कुल बकरा–बकरिया	7565	11628	12060	594	31847
6	कुल घोडे एव टट्टू	59	68	41	4	172
7	कुल सुअर	2754	3708	2622	142	9256
8	कुल कुक्कुट	10112	12971	13113	424	36620

स्रोत साख्यिकीय पत्रिका, जनपद गोरखपुर (1996) पृष्ठ 69–73

5.11 कृषि विकास नियोजन :

अध्ययन क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। अत कृषि विकास मे गति प्राप्त किए बिना समग्र विकास को प्राप्त नही किया जा सकता। कृषि के लिए आवश्यक है कि इसके विकास के लिए उत्तरदायी विभिन्न अवयवो को नियोजित ढग से विकसित किया जाय। इस उद्देश्य की प्राप्ति सुसगठित प्रयास से ही सभव है जिसमे प्रशासक और योजना–निर्माता, शोध करने वाले वैज्ञानिको, प्रसार कार्यकर्ताओ वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने वाली एजेसियो, जनसचार माध्यमो तथा कृषको के सहयोग की आवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र की समृद्धि बढाने के लिए समन्वित फसल, पुशधन, मत्स्य पालन, बागवानी जैसे उद्यमो के जरिए कृषि मे विभिन्नता लाकर कृषि आमदनी को अधिक से अधिक बढाना होगा। कृषि के क्षेत्र मे सामान्य वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रो की गरीबी पर सीधे आक्रमण करने की नीति अपनाकर एक सचेष्ट

परिवर्तन लाना होगा क्योकि कृषि विकास के बिना अध्ययन क्षेत्र की गरीबी को दूर करने की कल्पना नही की जा सकती। हमे कृषि विकास को केवल और अधिक अनाज उपजाने के साधन के रूप मे नही लेना है बल्कि गावो मे निवासित जनसख्या की आय बढाने, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के माध्यम के रूप मे भी लेना है। कृषि विकास नियोजन के लिये भूमि सुधार, कृषि यत्रीकरण पशुधन एव डेयरी विकास, दलहन एव तिलहन विकास, औद्योगिक फसलो का विकास मिश्रित खेती शुष्क भूमि कृषि, खरपतवार नियत्रण, सिचाई सुविधाओ का विस्तार तथा कृषि रसायनो एव उर्वरको के प्रयोग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके विपरीत वित्तीय ऋण उपलब्ध कराने बचत को बढावा देने तथा महाजनी ऋण जाल से मुक्ति प्रदान करने के लिए बैकिग सुविधाओ मे वृद्धि करने की आवश्यकता है।

5.11.1 भूमि सुधार :

भूमि ससाधन के अधिकतम उपयोग तथा सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यो के सरक्षण आवश्यकताओ को लेकर कृषि तथा इसके अन्य आनुषगिक माध्यमो से अध्ययन क्षेत्र के लोगो के लिए समृद्धि लायी जा सकती है। भूमि हमारा पवित्र प्राकृतिक ससाधन है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसे केवल अक्षुण्ण रूप मे ही नही बल्कि सुधरे हुए रूप मे आगामी पीढियो के लिये सौपे। इसके लिए कृषि विकास प्रक्रिया मे भूमि ससाधन की वहन क्षमता तथा इसके सामर्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा के पहलुओ की ओर हमे अवश्य ध्यान देना चहिए। भूमि तथा जल चक्रो के बीच तालमेल का सम्बन्ध बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करने की, उपलब्ध भूमि की उत्पादकता बढाने, उत्पादकता फिर से प्राप्त करने भूमि का फिर से सुधार करने और कम उपजाऊ भूमि का विकास करने व ग्रामीण क्षेत्रो मे सुधार लाने की आवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र मैदानी कृषि प्रधान क्षेत्र है। अत कृषि उत्पादकता बढानातथा कृषियोग्य भूमि को कृषि भूमि मे बदलना यही दो विकल्प है।

N
तहसील बासगॉव
बैकिग सुविधाओं का स्थानिक वितरण
भारतीय स्टेट बैंक
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
भूमि विकास बैंक
शीत भण्डार
कृषि सेवा केन्द्र
2 0 2
km

Fig 5 8

अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी उपजाऊ है अत उन्नत किस्म के बीजो का प्रयोग करके कृषि उत्पादकता बढायी जा सकती है।

कृषि उत्पादन के लिए भूमि सुधारो को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चकबन्दी वास्तविक काश्तकारो को भूमि पर कब्जा भूमि की सीमा निर्धारित करना और सीमा से अधिक भूमि को कमजोर वर्गो मे वितरित करना अत्यन्त आवश्यक है दूसरी तरफ ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे भूमि के टुकडे न हो और कृषि–भूमि को गैर कृषि प्रयोजनो मे न लगाया जाए। इन भूमि सुधारो के प्रति किसानो के दृष्टिकोण की समीक्षा होनी चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि उनकी सफलता और असफलता के कारण क्या है, और असफलताओ के निवारण के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि अध्ययन क्षेत्र मे भूमि की स्थिति वर्तमान गरीबी और कृषि की प्रगति दोनो दृष्टियो से अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण है। अत भूमि सुधारो को उच्च प्राथमिकता देने के अतिरिक्त कोई चारा नही है।

5.11.2 सिंचाई :

अध्ययन क्षेत्र मे यद्यपि वर्षा मानसून के तीन माह जुलाई अगस्त सितम्बर मे ही होती है, तथा वर्षा की मासिक एव ऋतुवत विषमता इतनी अधिक है कि कभी–कभी नदियो मे बाढ ही नही अपितु जलाभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अत इस क्षेत्र मे किसी भी प्रकार के आयोजन आधार मे जल प्रबन्ध एव जल प्रवाह सुधार एक प्रमुख अग बन जाता है। अध्ययन क्षेत्र मे वर्षा ऋतु के जल का समुचित प्रबध एव इसके प्रवाह मे सम्यक सुधार लाया जा सके तो वर्ष के अन्य ऋतुओ मे भी सिचाई के लिए अतिरिक्त जल की आवश्यकता नही होगी। अध्ययन क्षेत्र मे भूमिगत जलस्तर ऊँचा है। अत यहा नलकूपो का विकास किया जा सकता है। सहकारी समितियो से किसानो को कम ब्याज पर ऋण देकर पम्पिग सेट दिलवाया जा सकता है। इसके लिये सहकारी सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है। नहरो के निर्माण के लिये व्यापक

सर्वेक्षण की आवश्यकता ह। आमी नदी जो कि अध्ययन क्षेत्र क उत्तरी–पूर्वी भाग मे बहती है, वर्षा ऋतु म बाढ का ताडव दिखाती ह। वर्षा ऋतु क जल को बाध बनाकर रोककर शुष्क ऋतु मे सिचाई के काम मे लाया जा सकता है। आमी तरैना तथा राप्ती नदिया स पम्प द्वारा जल उठाकर नहरो के माध्यम से वर्ष भर सिचाई की जा सकती है। बाधो से तथा तालाबो स खतो तक पानी ले जाने और वितरण के लिए सिचाई इजिनियरो कृषि विशेषज्ञो तथा कृषको से सलाह लेनी चाहिए।

5.11.3 कृषि का वाणिज्यीकरण :

फसल प्रतिरूप के अध्ययन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे चावल गेहूँ की कृषि बडे पैमाने पर होती है। शेष फसलो का उत्पादन घरेलू आपूर्ति तक ही सीमित है। दलहन एव तिलहन फसलो का उत्पादन बढाने की आवश्यकता है। तिलहन फसलो के लिए आरम्भ की गयी ''टेक्नालॉजी मिशन को प्रसारित करने की आवश्यकता है उसी प्रकार दलहन फसलो के उत्पादन पर बल दिया जाना चाहिए। इससे किसानो की आय बढेगी और क्रय शक्ति का विकास होगा। गन्ना की खेती का विकास सिचाई सुविधाओ मे विस्तार करके किया जा सकता है। चावल तथा गेहूँ के लिये उन्नतशील बीजो का प्रयोग कर उर्वरको एव यत्रो का प्रयोग करके इनकी उत्पादकता को बढाया जा सकता है। तालाबो एव पोखरो मे मत्स्य पालन किया जा सकता है। सेवा–केन्द्रा के निकट व्यावसायिक स्तर पर कुक्कुट पालन की पर्याप्त सभावना है। यदि अच्छी नस्ल के पशुओ का पालन करके डेयरी विकास किया जाय तो ग्रामवासियो का गरीबी दुश्चक्र शीघ्र समाप्त हो सकता है। चराई की सुविधा के कारण पशुपालन बेहतर ढग से किया जा सकता है। इस प्रकार कृषि के विविध क्षेत्रो को वाणिज्यीकृत करके विकास प्रक्रिया तेज की जा सकती है।

5.11.4 असिंचित भूमि में कृषि :

अध्ययन क्षेत्र का 35 % भाग असिचित है। सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र म सिचाई व्यवस्था उपलब्ध कराना कठिन कार्य है। अत जब तक असिचित कृषि क्षेत्र का सही उपयोग नही होता तब तक कृषि विकास की कल्पना नही की जा सकती। असिचित क्षेत्रो के रबी मौसम मे नमी की कमी मुख्य समस्या है जिससे रबी फसलो का उत्पादन प्रभावित होता है। अत उक्त ज्वलत समस्या क समाधान के लिए खरीफ फसल मे जल का उचित सरक्षण तथा उसका रबी के लिये दक्षतापूर्ण उपयोग नितान्त आवश्यक है। जल सरक्षण के लिए निम्नविधिया अपनायी जानी चाहिए –

1 खेतो को समतल करके मेडबन्दी करना चाहिए।

2 ढाल के विपरीत समोच्च रेखा पर कृषि कार्य करना चाहिए।

3 जैविक खादो काप्रयोग करनाचाहिए जो न केवल पोषक तत्वो के लिए आवश्यक है वरन जल धारण क्षमता बढाने मे विशेष सहायक है।

4 फसलो को ढाल के विपरीत मेडो पर बोना चाहिए। अतिवृष्टि मे मेडो पर फसले तथा कूडे मे पानी सुरक्षित रहता है।

5 अभी हाल ही मे वैज्ञानिको ने जल शक्ति नामक रसायन का विकास किया है जो अपने भारसे 100 गुनी पानी रोख कर लम्बी अवधि तक रोकने की क्षमता रखता है। अत इसका प्रयोग शीघ्र प्रारम्भ करना चाहिए।

6 वाष्पोत्सर्जन विरोधी पारस रसायन का प्रयोग करके पात्तियो से वाष्पोत्सर्जन का कम करना चाहिए। पत्तियो पर कैओलीन तथा पोधो पर साइकोसिल का छिडकाव करके ऊपरी बढवार को कम करके वाष्पोत्सर्जन को कम करना चाहिए।

असिचित कृषि क्षेत्रो मे गहरी जडो वाली फसल या किस्मे विशेष उपयोगी होती है, जिससे वे सूखे के समय नीचे की तहो से नीम खीच सके।

सूखे की दशा के अनुकूल विभिन्न फसलो की उपयुक्त कुछ प्रमुख प्रजातियो का चयन निम्न प्रकार से करना चाहिए —

धान — कावेरी, झोना—349, साकेत—4, गोविन्द, नरेन्द्र।

गेहूँ — के—65, सी—306 सोना, सोनलिका, के—72।

जौ — आजाद, रत्ना, लखन, मजुला।

मक्का — आजाद उत्तम, कचन श्वेता, तरूण नवीन।

अरहर — बहार, टा 7, टा 17, टा 21 यु पी ए स 120।

चना — अवरोधी के 468, के 250, टा

अध्ययन क्षेत्र मे कृषिगहनता लाने वाली सभी परिस्थितिया का सम्यक एव सर्वांगीण विकास आवश्यक है। इसके लिये कृषि उत्पादन मे सहायक उन सभी तत्वो की ओर ध्यान देना पडता है जो प्रति हेक्टेअर उत्पादन बढाने मे सहायक है। उचित फसलो के चयन के अतिरिक्त सकल कृषि क्षेत्र मे वृद्धि, शस्य प्रतिरूप मे परिवर्तन तथा वैज्ञानिक फसल चक्र भी आवश्यक है। भूमि उपयोग से लेकर उर्वरको का उपयुक्त एव प्रचुर प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिये स्थानीय स्तर पर मृदा परीक्षण एव सतुलित उर्वरक प्रयोग करने के लिए सुझाव दिये जा रहे है। परन्तु इसके भरपूर उपयोग के लिए इस योजना का और भी अधिक प्रसार एव विकेन्द्रीकरण आवश्यक है।

5.11.5 जायद कृषि :

अध्ययन क्षेत्र मे जायद फसलो को विकसित करना चाहिए। जायद कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन वृद्धि हेतु उपलब्ध ससाधनो का समुचित एव सामयिक उपयोग परम् आवश्यक है। सिचाई युक्त क्षेत्रो मे जायद के खेत मे मूग, उर्द, मक्का, हरा चारा तथा साग सब्जी की फसले ली जा सकती है। इससे प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक उपज मिलने के साथ—साथ सिचाई साधनो का भरपूर उपयोग होता है तथा रोजगार के अवसर बढते है। आश्वस्त सिचाई

सुविधा निजी नलकूप एव राजकीय नलकूप पर ही सभव है। अध्ययन क्षेत्र के राप्ती एव आमी नदी के तलहटी क्षेत्रो तरबूज खरबूज एव ककडी का उत्पादन प्रचुर मात्रा मे होता है जो नजदीकी सेवा केन्द्रो पर विक्रय हेतु आता है। इन नदियो के तटवर्ती भागो मे इस प्रकार की कृषि को बढावा देने की आवश्यकता है क्योकि इनकी स्थानीय माग एव खपत अधिक है।

अध्ययन क्षेत्र के अधिकाश कृषक उन्नत बीजो, उर्वरको कीटनाशक दवाओ तथा नवीन कृषि यत्रो का प्रयोग धनाभाव के कारण नही कर पाते है, इसलिए सरकार को चाहिए कि कृषको को रियायती दर पर ऋण सुविधा उपलबध कराए। कृषि विकास नियोजन के लिए निम्न सुविधाओ को उपलबध कराया जाना भी आवश्यक है।

1 कृषको मे शिक्षा व कृषि—शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए जिससे वे सामाजिक कुरीतियो से मुक्त हो अन्धविश्वास व भाग्यवाद के त्यागे तथा खेती के आधुनिक तरीके अपनाए जिससे आर्थिक प्रगति का वातावरण बन सके।

2 कृषि मे उत्पादन बढाने के लिए नवीन यत्रो व तकनीको को ग्रामीणो तक पहुचाना एव उसके सचालन के लिए समयानुसार सलाहकारी सुविधाओ का प्रबन्ध होना चाहिए।

3 साख सुविधाओ यथा ग्रामीण बैको तथा अन्य बैको की शाखाओ द्वारा जाल विछाया जाना चाहिए जिससे कृषको की फसले नष्ट न हो तथा गरीब एव मध्यम वर्गीय कृषको के लिए पर्यप्त साख की व्यवस्था उपलबध हो सके।

4 प्राकृतिक तत्वो यथा सूखा, ओला वृष्टि एव अन्य कारणो से फसल नष्ट हो जाने पर उसकी क्षति पूर्ति के लिए फसल बीमा योजना को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

5 सरकार को कृषि विकास के लिए जिला स्तर पर जिला कृषि केन्द्र की स्थापना करनी चाहिए। औद्योगिक सुविधाओ की तरह कृषि सुविधाओ को भी उपलब्ध कराना चाहिए।

6 कृषि अदाय तत्वो (बीज, खद, नवीन यत्र, कीटनाशक दवाए) को सीमान्त तथा मध्यम वर्गीय कृषको तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

7 कृषको को अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त प्रेरणा देने हेतु गारण्टी न्यूनतम कीमतो के रूप मे उचित आय का आश्वासन दिया जाय।

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र को वाछित प्रगति के स्तर पर लाने के लिए समुचित वैज्ञानिक तथा तकनीकी सेवाओ, सरकारी नीतियो एव शासन तत्र को एक साथ मितव्ययिता के साथ समायोजित करने की सख्त जरूरत है। जब सम्पूर्ण तहसील मे कृषि, ग्रामीण उद्योग तथा ग्रामवासियो की त्रिवेणी का समन्वित विकास किया जायेगा तो निर्माण एव विकास क्रिया का ऐसा स्रोत उत्पन्न होगा जिससे प्रगति, स्वावलम्बन पूर्ण रोजगार तथा समृद्धि की धाराए स्वत निकल पडेग। अत कृषि भूमि की उत्पादकता बढाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी की नयी व्यूह रचना के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नही है। भूमि सीमित है। इस नवीन तकनीकी के द्वारा ही अध्ययन क्षेत्र की अभाव बेरोजगारी तथा पिछडापन जैसी भयकर समस्याओ से उस क्षेत्र की जनता का उद्धार किया जा सकता है।

संदर्भ

1 हुसैन माजिद मानव एव आर्थिक भूगोल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 1986, पृष्ठ 61

2 Vanzetti, C , Landuse and natural vegetation in international Geography, Edited by W Peter adams and Frederick, M Helleiener, Toronto University, 1972, pp 1105-1106

3 Wood, H A , A Classification of Agricultural landuse for development Planning, International Geogr (22, I G U , Canada) Univ of Toronto Press, 1972, pp 1106

4 Fox, K and Tonber, R Spatical Equilibruimmodles of the Livestock feed Economy, American Economic Review, as, 1955, pp 1-13

5 Buchanan, R O Some Reflections of agricultre Geography, Ceog 44, 1959 pp 1-13

6 Mc Carty, H H and Linberg, J B A Preface of Economic Geography, Englewood Cliff, N J Printice Hall, 1966

7 Zimmerman, E W World Resources and Industies, New Yark, Harper and brothers, 1951

8 Sing, Jasbir Aricultral atlas of India, Kurukshetra, Vishal Publication, 1974

9 कुरैशी एम एच भूगोल के सिद्धात, भाग 2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, 1989, पृष्ठ 50

10 Mc, Master, D N 'A subsistance crop geography of Uganda, The world Land use Survey Occasiond papers No 2 Geographical Publication, 1962 pp IX

11 पूर्वोक्त सन्दर्भ सख्या, 4

12 सिह ब्रजभूषण कृषि भूगोल, ज्ञानोदय प्रकाशन गारखपुर, 1988 पृष्ठ 165

13 Weaver, J C Crop Combination Regions in the middle West Geographical Review, 44, 1954, pp 175

14 James, P E and Jones, C G (1954) American Geography Inventory and porspect Syracuse University Press, pp 30

15 कुमार, पी तथा शर्मा, एस के कृषि भूगोल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1985, पृष्ठ 408

16. Jonhson, B L C 'Crop Combination Regions in East Pakistan', Geography, 43, 1958, pp 86-103

17 Thomas, D Agriculture in wales during the neopleanic war', Cradiff, 1963, pp 80-81

18 पूर्वोक्त सन्दर्भ सख्या 13

19 Ayyar, N P Crop Regions of Madhya Pradesh - A Study in Methodology, Geographical Review of India, 31 1, 1969, pp 1-19

20 Coppeck, J T An agricultural atlas of England and Wales, Dfabar & Co 1964, pp 211

21 Doi, K The Indutrial structure of Japanese prefecture, Proceedings of I G U Regional Conference in Japan, 1957-59, pp 310-316

22 Nelson, H J 'A service classificationof American Cities, Economic Geography, 31, 1955, pp 189-200

23 Banerjee, B (1964) Changing cropland of W Bengal Geographical Review of India, Vol 24 No 1

24 Roj, B K (1967) Crop Association and changing pattern of crops in the Ganga Chaghara Doad East Nationla Geographical Jounal of India, Vol XIII, Pt 4 pp 194-207

25 Pandey, J N Crop combnation Regions inEastern utter Pradesh, Utter Bharat Bhoogal Patrica Vol 5 Number 1 June 1969.

26 दत्त, आर0 एव सुन्दरम्, के पी एम भारतीय अर्थव्यवस्था एस चन्द्र एण्ड कम्पनी प्रा लि, नई दिल्ली, 1990, पृष्ठ 587

27 सिह इकबाल 'भारत मे ग्रामीण विकास', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 1986 पृष्ठ 32

28 कुरैशी, एम एच 'भारत ससाधन और आर्थिक विकास', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 1990 पृष्ठ 49

29 'भारत', वार्षिक सदर्भ ग्रथ, 1986, सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ 378–79

30 RAmachandrah, R The Hindu Survey of Indian Agricuture, Madras, 1988

31 साख्यिकीय पत्रिका जनपद गोरखपुर (1996) पृष्ठ 70

औद्योगिक-पृष्ठभूमि एवं विकास नियोजन

उद्योग मानव जीवन का अभिन्न अग है। मानव प्रयासो के जिन–जिन क्षेत्रो की ओर हम दृष्टिगत करते है। हमे औद्योगिक गतिविधियो की अमिट छाप देखने को मिलती है। गत पाच दशको मे हुई औद्योगिक प्रगति भारतीय आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस अवधि मे औद्योगिक उत्पादन मे गुणात्मक, परिमाणात्मक व विविधता की दृष्टि से द्रुत गति से विकास हुआ है, तथा औद्योगिक आधार में काफी विविधताए आयी है।[1] साधारणत आर्थिक भूगोल मे 'उद्योग' शब्द का व्यवहार वस्तु–निर्माण के लिए किया जाता है। शाब्दिक अर्थ मे उद्योग किसी भी व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध कार्य को कहते हैं।[2] कच्ची सामग्री को संशोधित और परिवर्तित करके परिष्कृत सामग्री तैयार करना निर्माण उद्योग कहलाता है।[3] विनिर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत वे सभी कार्य आते है जिनके द्वारा मानव कच्चे माल का स्वरूप परिवर्तित करके उसको अधिक उपयोगी बनाता है। ऐसे परिवर्तन कार्य कारखानो मे होता है, जहा अनेक स्थानो से कच्चा माल लाकर एकत्र किया जाता है।[4]

6.1 औद्योगिक स्वरूप :

वर्तमान युग मे किसी भी समाज की औद्योगीकरण की स्थिति का सीधा सम्बन्ध उसकी अर्थव्यवस्था से है। वास्तव मे औद्योगीकरण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन गया है। यही नहीं, औद्योगीकरण रो कृषि क्षेत्र मे भी वृद्धि हुई है। अत यह आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ करने के लिए और विकास स्तर को बढाने के लिए औद्योगीकरण की ओर सरकार विशेष ध्यान देने के साथ–साथ प्राथमिकता भी दी जाये।[5] औद्योगीकरण के महत्व को सभी स्वीकार करते है किन्तु इसके स्वरूप के बारे मे एक मत नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से औद्योगिक स्वरूप तीन

अवस्थाओ से गुजरा है। प्रथम अवस्था का सम्बन्ध प्राथमिक वस्तुओ से माल तैयार करना है। द्वितीय अवस्था का सम्बन्ध कच्चे माल के रूप परिवर्तन से है। तृतीय मे उन मशीनो तथा पूजी यत्रो का निर्माण होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी तात्कालिक आवश्यकताओ की सतुष्टि नही करती वरन् भावी उत्पादन क्रिया को सुविधाजनक बनाती है।

वास्तव मे किसी भी देश या क्षेत्र का औद्योगिक स्वरूप नियोजको के नियोजन व प्राथमिकता तथा ससाधनो पर आश्रित है। पिछडे क्षेत्रो मे देशो के औद्योगीकरण के स्वरूप मे पूजी अभाव को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। श्रम की अधिकता को देखते हुए श्रम प्रधान औद्योगिक स्वरूप अधिक उपयुक्त होता है। अत्यन्त पिछडे क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से चयनित उद्योग ही लगाना चाहिए जिससे वास्तविक रूप मे क्षेत्र विकास हो सके। इसी प्रकार पिछडे क्षेत्रो मे अपनी आर्थिक परिस्थितियो के अनुसार औद्योगीकरणके विभिनन स्वरूप विकसित किए जा सकते है।

6.2 एतिहासिक पर्यवेक्षण :

पश्चिमी एशिया के इतिहास मे 1000-3000 ई० पू० मे बीच की अवधि मे पहली औद्यौगिक क्राति घटित हुई, क्योकि इसी अवधि मे लोगो ने कृषि का बुनाई का और पशुओ को पालतू बनाना आदि कलाओ का आविष्कार किया।[6] भारत मे उद्योगो की परम्परा सिधु घाटी सभ्यता से चली आ रही है। यहाँ उस समय सूती वस्त्र, मिट्टी के बरतन तथा कासे की वस्तुए बनाई जाती थी। देश धातु विज्ञान मे उन्नत था। अठारहवी शताब्दी तक भारत जलयान निर्माण मे भी आगे था। उत्तम प्रकार के वस्त्र, धातु के बर्तन, मसाले तथा अन्य वस्तुए प्रसिद्ध थी।[7] 19वी शताब्दी से पहले औद्योगिक दृष्टि से भारत वृहद उत्पादक देश था। भारतीय उद्योग न केवल स्थानीय आवश्यकताओ को पूरा करते थे, अपितु औद्योगिक उत्पादो का निर्यात भी किया जाता था। ग्रेट--ब्रिटेन द्वारा भारत को राजनीतिक उपनिवेश बनाने एव औद्योगिक

क्राति के पश्चात् भारतीय हस्तशिल्प उद्योगो का पतन प्रारम्भ हो गया। भारत मे मशीनो से निर्मित वस्तुओ की भरमार हो गई। भारत मे हस्तशिल्प उद्योगो के पतन से जो स्थान रिक्त हुआ उसकी पूर्ति भारत मे आधुनिक ढग से उद्योग स्थापित करके नही की गयी, क्योकि ब्रिटिश सरकार की नीति मशीनो द्वारा निर्मित वस्तुओ का भारत मे आयात तथा भारतीय कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहन देने की थी।

स्वतत्रता आन्दोलन के समय से ही राष्ट्रवादियो ने औद्योगीकरण के महत्व एव उसके स्थापना की वकालत की। प्रो बिपिनचन्द्र *के अनुसार शुरूआती राष्ट्रवादियो मे इस मुद्दे पर पूरी तरह आम राय थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीकी और पूजीवादी उद्योगो पर आधारित अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीकी और पूजीवादी उद्योगो पर आधारित अर्थव्यवस्था मे परिवर्तित करना उसकी सभी प्रमुख आर्थिक नीतियो का पहला लक्ष्य है। प्रथम एव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगो को कुछ सीमा तक विकसित होने का अवसर मिला।

सन् 1948 के नीति प्रस्ताव मे इस बात पर बल दिया गया कि बढते हुए उत्पादन मे निरतर वृद्धि और समान वितरण के लिए औद्योगीकरण का बहुत महत्व है। 1956 की औद्योगिक नीति मे औद्योगीकरण की गति तेज करने, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने तथा निजी क्षेत्र को भी विकास और विस्तार का समुचित अवसर प्रदान करने पर बल दिया।'1956 की औद्योगिक नीति मे समय की माग के साथ 1973 1977 तथा 1980 मे आवश्यक सशोधन किया गया। 1973 की औद्योगिक नीति मे उन बडे उद्योगो का वर्णन किया गया, जिनमे बडे औद्योगिक नीति मे उन बडे उद्योगो का वर्णन किया गया जिनमे बडे औद्योगिक घरानो और विदेशी कम्पनियो के विनियोग को अनुमति दी गई थी। औद्योगिक नीति 1977 मे विकेन्द्रीकरण तथा गृह उद्योगो पर विशेष बल दिया गया जबकि 1980 की औद्योगिक–नीति ने घरेलू–बाजार में प्रतियोगिता को बढावा देने, तकनीकी विकास तथा आधुनिकीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया। पुन औद्योगिक विकास के लिए 1985 और 1986 मे औद्योगिक नीति मे कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जिससे उद्योगो ओर उद्यमियो को अधिकाधिक

स्वतन्त्रता और विदेशी पूजी निवेश एव तकनीकी सहयोग का प्रोत्साहन दिया जा सके। विश्व बाजार मे निरन्तर हो रहे परिवर्तनो ओर आर्थिक स्थिति न इस नीतिया म आमूल–चूल परिवर्तन को अनिवार्य बना दिया था। फलत नवीन ओद्योगिक नीति 1991 का उदय हुआ जिसके द्वारा वर्तमान औद्योगिक नीति म क्रातिकारी परिवर्तन किए गए है। इस नीति मे निजी क्षेत्र को बढावा देने तथा प्रदूषणमुक्त ओद्योगिक विकास पर विशेष बल दिया गया है।

6.3 ग्रामीण औद्योगीकरण :

इन वृहद उद्योगो ने देश के पूजी के अधिकतम भाग का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी को बढावा दिया है तथा ग्रामीण क्षेत्र मे विकास अवरूद्धता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। इस प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया वृहद उद्योगा के विकास के परिणाम स्वरूप प्राप्त नही की जा सकती है, क्योकि ऐसे उद्योग अब तक खरबो रूपयो के विनियोजन के बावजूद देश के केवल एक प्रतिशत लोगो को ही प्रभावी रोजगार प्रदान कर सके है।[10]

ग्रामीण क्षेत्रो की मुख्य समस्याए गरीबी, बेरोजगारी और आय का असमान वितरण है। कृषि का तीव्रतम विकास भी अकेले इनका निराकरण करने मे असमर्थ हे। इन समस्याओ के निराकरण के लिए कृषि के अतिरिक्त अन्य आर्थिक क्रियाकलापो का विकास आवश्यक हे, जो कि ग्रामीण क्षेत्रो की उत्पादकता मे वृद्धि के साथ ही साथ रोजगार अवसरो मे वृद्धि कर सके तथा सम्पूर्ण जनसख्या के लिए उत्पादन के स्थान पर सम्पूर्ण जनसख्या द्वारा उत्पादन सिद्धात का अनुपालन करके उत्पादन प्रक्रिया को ही सम्पत्ति के समान वितरण का माध्यम बना सके। अत ग्रामीण क्षेत्रो के सर्वागीण विकास हेतु वृहद स्तर पर विकेन्द्रीकृत ग्रामीण औद्योगीकरण का पूर्ण विचारित एव प्रभावी कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत स्थानीय ससाधनो की उपलब्धता तथा स्थानीय मागो को ध्यान मे रखकर मध्यम छोटी और परम्परागत घरेलू इकाईयो के स्थापना की योजना बनायी जाय जिसका क्रियान्वयन पूर्ण निष्पक्षता, तथा शुद्ध मन

से न्यूनतम अवधि मे किया जाये। इस प्रकार का कार्यक्रम क्षेत्रीय असमानता को दूर करने तथा विकास प्रक्रिया मे तेजी लाने का निश्चित ही एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा।[10] इसलिये ग्रामीण औद्योगीकरण को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप मे भी स्वीकार किया गया है।[11]

अध्ययन क्षेत्र प्रमुखत ग्रामीण क्षेत्र है। सम्पूर्ण तहसील मे तहसील मुख्यालय बासगाव नगरीय क्षेत्र है। अध्ययन क्षेत्र की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। जैसा कि उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कृषि का तीव्रतम विकास भी अकेले ग्रामीण क्षेत्रे की मुख्य समस्याओ का निराकरण करने मे असमर्थ है। विकेन्द्रीकृत ग्रामीण औद्योगीकरण ही ग्रामीण क्षेत्र तथा उनके निवासियेा का विकास कर सकता है। विकेन्द्रीकृत ग्रामीण औद्योगीकरण के अन्तर्गत मध्यम आकार के केवल उन्ही आधुनिक इकाईयो की स्थापना की अनुमति दी जाय जो अधिकतम रोजगार के अवसरो का सृजन करके स्थानीय निवासियो को कार्य प्रदान करने मे सक्षम हो, और लघु एवकुटीर इकाईयो को प्राथमिकता प्रदान की जाय। इस प्राथमिकता से श्रमिको को उन्हीं के प्राकृतिक वातावरण मे कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे उनमे कार्य के प्रति अभिरूचि मे वृद्धि होगी, एव उनके आन्तरिक गुणो का विकास होगा।[12] इन इकाईयो मे कम विनियोजन से अधिक रोजगार की सुविधाए उपलब्ध होगी।[13] चूकि ग्रामीण क्षेत्रो मे परम्परागत शिलपकार तथा कारीगर सरलता से उपलब्ध हो जाते है, अत उत्पादित पदार्थो की लागत कम आयेगी।[14] इन इकाईयो मे लघु एव सीमान्त कृषक कृषि कार्य से बचे हुए अपने श्रम का उपयोग करके अपनी आय मे वृद्धि करेगे जिससे उनका विनियोजन स्तर बढेगा और कृषि विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।[15]

6.4 महत्व :

विकेन्द्रीकृत ग्रामीण औद्योगीकरण केवल विकास ही नही करता अपितु नगरीय सघनता, गन्दी बस्तियो मे अस्वास्थ्यकर दशाओ मे निवास तथा बडे कारखानो

द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या का निराकरण करके इन समस्याओ पर होने वाले सामाजिक व्यय की मात्रा को पर्याप्त कम कर देता है तथा ग्रामीण रोजगारो को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराके नगरीय उद्योगो के लिए उनके स्थायी प्रवास को रोकता है। श्रमिको के प्रवास की गति अवरूद्ध होने से अनेक नगरीय तथा ग्रामीण समस्याओ के स्वत निराकरण के साथ ही साथ कृषि उत्पादकता मे भी वृद्धि होती है क्योकि ग्रामीण बेरोजगारी का अधिकाश भाग अतिरिक्त श्रम के रूप मे होता है, न कि अतिरिक्त श्रमिको के रूप मे।[16]

6.5 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग :

कुटीर उद्योग एतिहासिक दृष्टि से आधुनिक निर्माण उद्योग का आधार है। इस उद्योग की प्रमुख विशेषता स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग है। इनके उत्पादो की उपादेयता स्थानीय लोगो के लिए अधिक होती है। इन उद्योगो का उत्पादन छोटे स्तर पर होता है तथा बहुत साधारण औजारो एव उपकरणो का प्रयोग किया जाता है।[17] विस्तृत अर्थो मे ग्रामीण एव कुटीर उद्योगो मे उन सभी उद्योगो की सम्मिहित किया जा सकता है, जो ग्रामिणो द्वारा आशिक या पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप मे किए जाते है। ये उद्योग जातिगत अथवा परम्परागत उद्योग के रूप मे हो सकते है।[18]

6.5.1 ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का महत्व :

तेजी से बढती हुई ग्रामीण जनसख्या को कृषि क्षेत्रो मे रोजगार के सीमित अवसर को देखते हुए सबको काम नहीं दिया जा सकता। इस समस्या के समाधान का एकमात्रविकल्प है– ग्रामीण एव कुटीर उद्योगों का विकास। इस उद्योगो का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही है कि प्राकृतिक रूप से श्रमिको को अपने अनुकूल वातावरण मे काम मिल जाता है जिससे आन्तरिक सुख प्राप्त होता है। अध्ययन क्षेत्र मे श्रम का बाहुल्य तथा कुटीर उद्योगो का महत्व निम्न तथ्यो के कारण लगातार बढता जा रहा है।

1. गाव के कच्चे माल पर आधारित ग्रामीण एव कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रो के विकास के लिये उपयुक्त है।

2. ग्रामीण क्षेत्रो मे इन उद्योगो की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्र की जनसख्या को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर अर्द्ध बेरोजगारी अदृश्य बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आय स्तर को सुधारने हेतु क्षेत्रीय, प्राकृतिक और मानवीय ससाधनो का प्रयोग किया जा सकता है।

4. ग्रामीण एव कुटीर उद्योगो की स्थापना से कुछ सीमा तक उद्योगो का विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है।

5. ग्रामीण एव कुटीर उद्योगो से शीघ्रातिशीघ्र उत्पादन किया जा सकता है क्योकि इसमे तकनीकी ज्ञान की कम आवश्यकता होती है और इन्हे यथा शीघ्र प्रारम्भ किया जा सकता है।

विकेन्द्रीकृत उपागम के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि विकेन्द्रीकरण किस सीमा तक हो। ग्रामीण औद्योगीकरण कार्यक्रम को पूर्ण सफल बनाने के लिए सभी स्तरो अर्थात स्थानिक/स्थैतिक सरचनात्मक तकनीकी आदि पर विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिकतम रोजगार सृजित करने वाली तथा प्रति श्रमिक आदर्श उत्पादन करने वाली मध्यम स्तर की तकनीक अपनाकर स्थानीय ससाधनो को कच्चे माल के रूप उपयोग करने वाली अथवा और स्थानीय माग की पूर्ति करने वाली मध्यम तथा छोटे नगरो मे, लघु व परम्परागत कुटीर इकाईयो की स्थापना पिछडे क्षेत्रो मे तथा ग्राम स्तर पर की जाय। विस्तृत औद्यौगिक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए आधारभूत नियोजन इकाई के रूप मे ग्राम पूजो को ही स्वीकार किया जाय[17] तथा नियोजन इकाई मे उपलब्ध ससाधन माग एव मानव शक्ति का उपयोग करके उपयुक्त तकनीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाईयो के द्वारा भिन्न–भिन्न आधुनिक एव परम्परागत उत्पादन किये जाय।

प्रस्तावित योजना क अन्तर्गत इन आधुनिक तथा परम्परागत उद्यागो की विभिन्न इकाईयो मे समन्वय स्थापित करके इन्हे कृषि कार्य तथा देश की सम्पूर्ण औद्योगिक प्रक्रिया से सम्बद्ध किये जान का प्रावधान अत्यन्त आवश्यक ह। इस सम्बद्धता एव एकीकरण के परिणाम स्वरूप अग्रगामी तथा पश्चगामी प्रभावा का सृजन होगा, जिसके द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र मे गत्यात्मकता आयगी। इसक अभाव म आय की असमानता मे वृद्धि होगी तथा कृषि एव उद्योगो के सम्चन्ध एक दूसरे के पूरक न हाकर आश्रित एव आश्रयदाता का होगा जिसमे ग्रामीण क्षेत्र अलाभकर स्थिति मे रहेगे और असमानता मे वृद्धि होगी।[20]

योजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप जैसे—जैसे ग्रामीण निवासियो की आय मे वृद्धि होगी, वैसे—वैसे वे अच्छी और गुणात्मक वस्तुओ का प्रयोग करना पसन्द करेगे। अत शनै शनै उत्पादित वस्तु की गुणात्मकता मे सुधार किया जाना आवश्यक होगा, जिससे नगरो मे उत्पादित वस्तुओ की तुलना मे उनका प्रतियोगात्मक स्तर कायम रह सके, ग्रामीण व नगरीय तकनीकी स्तर की असमानता धीर—धीरे समाप्त हो सके तथा इकाईया अस्तित्व रक्षा की स्थिति से ऊपर उठकर लाभप्रद स्थिति मे पहुच सके। इसके लिए धीरे—धीरे पूजी विनियोजन मे वृद्धि, तकनीकी सुध ार तथा अतिरिक्त पूजी विनियोजन उसी स्तर तक किया जाय, जहा तक रोजगार सृजन होता रहे।

6.6 ग्रामीण औद्योगीकरण का स्वरूप :

भारत मे स्वतत्रता प्राप्ति के समय से ही ग्रामीण क्षेत्रो मे उद्योगो का विकास औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण अग रहा है। यद्यपि समय—समय पर इसके दृष्टिकोण मे परिवर्तन होता रहा है लेकिन इन नीतियो के अर्न्तगत परम्परागत ग्रामीण उद्योगो के सरक्षण तथा पुनर्जीवन पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा है न कि नियेाजित ग्रामीण ओद्योगीकरण प्रक्रिया की व्यापकता पर। परिणाम स्वरूप इन परम्परागत उद्योगो मे लगे हुए लोगो की आय मे न तो अपेक्षित वृद्धि हुई है और न

ही यह प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रो को देश की वर्तमान आद्योगीकरण प्रक्रिया से समन्वित कर सकी है।[21]

ग्रामीण क्षेत्रो के औद्योगीकरण की वृहद सभाव्यताओ का उपयेाग करने के लिए 1977 मे औद्योगिक नीति मे परिवर्तन किया गया, जिसके अन्तर्गत कृषि तथा उद्योग के मध्य निकट का अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया गया।

1978 मे देश के सभी जनपदो मे जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे उद्यमियो को एक ही केन्द्र पर सभी प्रकार की सहायता तथा सुविधाए जैसे लाइसेन्स, वित्त, विपणन, ऊर्जा आदि उपलब्ध कराना है। छठीं पचवर्षीय योजना मे जिला उद्योग केन्द्र के सरचनात्मक ढाचे की और अधिक सुदृढ आधार प्रदान किया गया। सप्तम पचवर्षीय योजना (1985-90) के दस्तावेज मे वृहद मध्यम एव लघु उद्योगो के लिए एक सयुक्त नीति अपनाने पर बल दिया गया है। इस योजना अवधि मे लघु एव ग्रामीण उद्योगो के त्वरित विकास तथा विभिन्न स्तरो पर अवस्थापनात्मक सुविधाओ को प्रदान किए जाने पर बल दिया गया है।[22]

लेकिन इन नीतियो के प्रभावी रहते हुए भी हम आज तक न्याय सगत ग्रामीण औद्योगीकरण के कार्यक्रमो के सफल क्रियान्वयन के लिए निष्कपट एव गम्भीर चिन्तन नही कर सके है। ग्रामीण क्षेत्रो के विकास मे हमारी सबसे बडी कमी ऐसे उद्योगो का विकेन्द्रीकृत प्रतिरूप पर स्थापना न किया जाना रहा है, जो ग्रामीण आर्थिकी को आत्म निर्भरता प्रदान कर सके। इसके विपरीत त्वरित विकास के नाम पर मशीनीकरण को प्रोत्साहित करके ग्रामो के परम्परागत उद्योगो को भी विनष्ट कर दिया गया। यह कहना गलत नही होगा कि हमने किसी ऐसे कृषि पर आधारित औद्योगिक सयत्र की कभी विशद योजना ही नही तैयार की है जो किसी तहसील अथवा तहसीलो के समूह अथवा ग्रामो के समूह की आर्थिकी को सूदृढ आधार प्रदान करने मे सक्षम हो। हमने ग्रामीण औद्योगीकरण खादी एव ग्रामोद्योग तथा कृषि विकास

आदि सभी कार्यक्रमो के अन्तर्गत क्षेतिज नियोजन प्रक्रिया के बजाय लम्बवत उपखण्ड स्तरीय उपागम का अनुसरण किया है।[15] ग्रामीण औद्योगीकरण सरकार हेतु ने कई योजनाए चलायी है, ताकि किसी भी क्षेत्र या प्रदेश का समन्वित सन्तुलित विकास हो। ये योजनाए निम्नवत है—

6.7.1 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम :

चतुर्थ पचवर्षीय योजना के विभिन्न ग्रामीण कार्यक्रमो लघु—कृषक—निवास एजेन्सी औरसीमान्त किसान एव कृषि श्रमिक के दोहरेपन को दूर करने हेतु 1978-79 मे समन्वित ग्रामीण विकास (IRDP) कार्यक्रम लागू किया गया। इस कार्यक्रम को विकास खण्ड स्तर पर लागू किया जाता है। इसकी विशेषताये निम्नवत् है।

1 अत्येादय योजना के अन्तर्गत लघु एव सीमान्त कृषको कृषि मजदूरो, ग्रामीण शिल्पियो व निचली स्तर की जातियो को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु राहायता।

2 प्राथमिकता के आधार पर उपर्युक्त वर्गो के चयनित परिवारो को उत्पादक परिसम्पत्तियो के निर्माण हेतु सहायता।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दो उपयोजनाए भी आरम्भ की गई—

(अ) स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (TRYSEM) इसका उद्देश्य निम्न है

1 गॉवो मे 18-35 आयु वर्ग के युवाओ को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण।

2 आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण।

3 प्रत्येक प्रशिक्षार्थी समन्वित विकास कार्यक्रम मे लाभार्थी।

4 50 प्रतिशत आरक्षण।

5 40 प्रतिशत महिला आरक्षण।

(ब) ग्रामीण महिला एव बाल–विकास–योजना गरीबी रखा के नीच जीवन यापन करने वाली महिलाओ एव बच्चो के विकास से सम्बन्धित याजनाये चलायी जाती है।

6.7.2 राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम :

काम के बदले अनाज येाजना के स्थान पर राष्ट्रीय–ग्रामीण– रोजगार – कार्यक्रम लागू किया गया। इसका उद्देश्य लाभकारी रोजगार अवसरेा मे वृद्धि, स्थाई सामुदायिक सम्पत्तियो का निर्माण आदि था।

6.7.3 जवाहर रोजगार योजना :

1989 मे जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत गरीबी रेख से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोग लक्ष्य समूह हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के मुक्त बधुआ मजदूरो को प्राथमिकता दी जाती है। इसके दो प्रमुख उद्देश्य है–

1 प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो मे लाभकारी रोजगार का सृजन।

2 ग्रामीण आर्थिक ढाचे व परिसम्पत्तियो को मजबूत करना, सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन स्तर मे सुधार लाना है।

6.7.4 महाराष्ट्र की रोजगार गारण्टी योजना :

इस योजना के अन्तर्गत लघु एव सीमान्त किसानो की भूमि पर सरकारी खर्च पर व्यक्तिगत लाभार्थियो हेतु योजनाए प्रारम्भ की गई है।

6.7.5 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना :

1983-84 मे यह येाजना लागू की गई। इसका उद्देश्य 18-35 आयु वर्ग के मैट्रिक या उससे ऊपर शिक्षित लोगो को स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान करना।

6.7.6 रोजगार जमानत योजना :

इस योजना को अति पिछडे विकास खण्डो मे लागू किया गया है। इसमे रोजगार तलाश कर रहे ग्रामीण गरीबो को वर्ष मे 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराना है।

6.7.7 प्रधानमंत्री की रोजगार योजना :

इसके अन्तर्गत लाभार्थी को एक लाख रूपये तक का ऋण स्वरोजगार हेतु आसान शर्तो पर दिया जाता है।[24]

ग्रामीण औद्योगीकरण के सफल होने मे कुछ आशकाए व्यक्त की जाती है।

1. प्रथम कि ग्रामीण निवासियो मे उद्यमिता के आवश्यक गुण उपलब्ध है केवल उसके पोषण करने एव उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।[25] चूकि उनके उद्यमिता का परीक्षण हम इस तथ्य से करत है कि कितनी इकाईया सफलतापूर्वक सचालित हो रही है लेकिन परीक्षण करते समय यह भूल जाते है कि सफल सचालन के लिए उन्हे अनेको व्यक्तियो, सगठनो पर पूजी के लिए बैक अथवा सरकारी वित्तीय सस्थाओ पर तथा कच्चे माल की खरीद और तैयार माल की बिक्री के लिए सरकारी कर्मचारियो पर निर्भर रहना पडता है जहा से उन्हे प्रोत्साहन व सहयोग के बदले हतोत्साहन एव भ्रष्टाचारण मिलता है, जबकि इसके लिए पूर्ण सहयोग की भावना से कार्य करने की आवश्यकता होती है।

2. ग्रामीण औद्योगीकरण के द्वारा केवल कुछ उन्ही लोगो का विकास होगा जो इकाईयो मे कार्य करेग न कि सम्पूर्ण क्षेत्र का। वास्तविकता यह है कि जब किसी भी क्रिया–कलाप द्वारा कुछ प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होते है, तो रोजगार मे लगे हुए लोगो की आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु अनेको अन्य रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से स्वत सृजित हो जाते है। धीरे–धीरे इन कार्यो की

एक श्रृखलात्मक प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो जाती है और उससे क्षत्र के विकास की गत्यात्मकता का मार्ग प्रशस्त होता है।

3 ग्रामीण औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप आय मे वृद्धि से नगरीय वस्तुओ का उपभोग ग्रामो मे भी किया जाने लगता है, और अन्तत इससे नगरीय लोगो के ही समृद्धि मे वृद्धि होती है।[26] क्षेत्र तथा उद्योगो के अग्रिम विकास के लिए पूजी ग्रामो मे एकत्र नही हो पाती है।[27]

4 ग्रामीण क्षेत्र अवस्थापनात्मक सुविधाओ के अभाव के परिणामस्वरूप अच्छे उद्यमियो को इकाई स्थापित करने के लिये आकर्षित नहीं कर पाते है। इस आशका मे पर्याप्त सत्यता है, लेकिन यह असुविधा थोडे से विनियोजन के द्वारा सरलता से बहुत कम समय मे दूर की जा सकती है। इस अवस्थानात्मक सुविधाओ की उपलब्धता हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रे मे स्वत गत्यात्मकता आ जायेगी तथा औद्योगीकरण के साथ ही कृषि तथा अन्य सामाजिक व आर्थिक क्रियाओ के विकास को भी गति प्राप्त होगी।

5 पूजी का अभाव है। इसके निराकरण के लिए सरकार को विभिन्न माध्यमो से पूजी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी पडेगी विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन व अनुदान की भी सुविधा प्रदान करनी पडेगी।

6 घरेलू इकाईया ग्रामीण विकास के लिए लाभकारी प्रभाव सृजित करने मे सक्षम नही होती है। यह आशका पूर्णत आधारहीन नही है, क्योकि घरेलू इकाईया यद्यपि अपने समीपवर्ती क्षेत्रो मे पर्याप्त मात्रा मे अग्रगामी तथा पश्चगामी प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाती है तथापि इन इकाइयेा वाले परिवारो मे बेरोजगारी अथवा सीमान्तिक बेरोजगारी की समस्या नहीं आती है।

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रो का औद्योगीकरण कठिन नही है लेकिन इसके लिए बुनियादी तौर पर भिन्न अर्थनीति एव विकास नीति अपनानी पडेगी। अत आज की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रो मे उपर्युक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए विकेन्द्रीकृत

सिद्धान्त पर मध्यम लघु तथा कुटीर इकाईयो की स्थापना करके उसकी जडता से गत्यात्मकता प्रदान करने की है।*

6.8 वर्तमान उद्योगों की स्थिति :

अध्ययन क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछडा हुआ है। यहा वृहद इकाइयो का पूर्णरूपेण अभाव है। यहा की व्यावसायिक सरचना मे प्राथमिक उपखण्ड मे लगे हुए लोगो का प्रभुत्व है। उद्योगो से सम्बद्ध व्यक्तियो की सख्या बहुत ही कम है, जबकि तृतीयक उपखण्ड मे कार्यशील जनसख्या का 64 प्रतिशत भाग कार्यरत है।

प्रस्तुत अध्ययन के लिए विभिन्न आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु ग्रामीण निवासियो का विभिन्न सेवा–केन्द्रो के चयन के आधार पर ग्राम पूजो का निर्धारण करके स्थानिक सुविधाओ के आधार पर उनका पुनर्गठन किया है। अध्ययन क्षेत्र मे कुल 15 प्रकार की लघु कुटीर एव घरेलू औद्योगिक इकाईया ही है। इनमे अधिकाश आटा चक्की तथा तेल निकालने से सम्बन्धित है। ये इकाइया चावल मिल आटा मिल दाल मिल, तेल मिल, गुड खाडसारी उद्योग, अखाद्य तेल उद्योग, डेयरी उद्योग मधुमक्खी पालन उद्योग, मछली पालनउद्योग, मुर्गी पालन उद्योग आदि है। यदि इनमे मिट्टी बर्तन निर्माण तथा आरा मशीन को भी सम्मिलित कर लिया जाय तो इनकी सख्या और अधिक हो सकती है। इन इकाइयो मे से अधिकाश का केन्द्रीयकरण विकास खण्ड केन्द्र बासगॉव, कौडीराम तथा विकास खण्ड केन्द्र गगहा मे है। इसके अतिरक्त अन्य सेवा केन्द्रो जहा पर जनसख्या कृष्येत्तर कार्यो मे केन्द्रीत है जैसे–गजपुर, बेलीपार, भुलआन दोनखर मझगावा तथा जगदीशपुर आदि कई केन्द्र हे जहॉ पर इन कुटीर उद्योगो का सकेन्द्रण है (मानचित्र 6 1)।

अध्ययन क्षेत्र मे औद्योगीकरण की वृहद सभावनाए है। अत उपर्युक्त ग्राम–पुजो को औद्योगिक नियोजन इकाई के रूप मे स्वीकार करके क्षेत्र के लिए एक विस्तृत औद्योगिक विकास–योजना निम्नलिखित उद्देश्यो की पूर्ति हेतु प्रस्तावित की जा रही है–

Fig 61

1 ग्रामीण क्षेत्रा से शिक्षित एव अशिक्षित बेरोजगारो के पलायन को रोकने के लिए तथा सीमान्तिक एव अदृश्य बेरोजगारी की व्यापकता को कम करने के लिए विकेन्द्रीकरण के सिद्धात तथा अधिक से अधिक रोजगार का सृजन।

2 उपलब्ध स्थानीय ससाधनो के आदर्शतम उपयोग के लिए मध्यन, लघु एव कुटीर इकाईयो की एक उपयुक्त सरचना का निर्माण।

3 समाज के दुर्बल, वर्ग ग्रामीण शिल्पकार एव कारीगर तथा लघु एव सीमान्त कृषको की आय सृजन सभाव्यता मे वृद्धि।

6.9 प्रस्तावित औद्योगिक योजना :

स्थानीय ससाधनों पर आधारित उद्योग :

अध्ययन क्षेत्र एक समस्याग्रस्त क्षेत्र है। यहा औद्योगिक विकास नगण्य है। इसके साथ ही यहॉ कृषि, परिवहन, सचार के साधनो का भी विकास निम्नतम् है। अध्ययन क्षेत्र मे कृषि का परम्परागत स्वरूप है। क्षेत्र मे सम्पूर्ण औद्योगिक विकास हेतु सभावित क्षेत्रीय ससाधनो पर आधारित उद्योगो की स्थापना कर विकास प्रक्रिया को तीव्र किया जा सकता है।

6.10 कृषि संसाधन पर आधारित उद्योग :

अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था मुख्यत कृषि पर आधारित है। कृषि उत्पादो का अधिकाश भाग (85 प्रतिशत) खाद्य पदार्थो के रूप मे उगाया जाता है। इस प्रकार स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि उत्पादनो का उपयोग करते हुए अध्ययन क्षेत्र मे निम्नलिखित उद्योगो को स्थापना किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है—

6.10.1 चावल मिल :

अध्ययन क्षेत्र की वर्तमान मे कुल बोए गये क्षेत्र 38 76 प्रतिशत भाग पर धान उगाया जाता है। वर्ष 1998 मे धान का उत्पादन 18696 टन था। भविष्य मे

तहसील बासगाँव
प्रस्तावित उद्योग
N
आटा
चावल
दाल
डेयरी
बेकरी
आरा मशीन
तेल मिल
रेडीमेडवस्त्र
2
0
2
km

Fig 6.2

अवस्थापनात्मक तत्वो के विकास से इसके उत्पादन और वर्द्धन की सभावना है। वर्तमान मे धानमिले विकासखण्ड बासगाव कौडीराम (पाण्डेपुर कौडीराम) तथा गगहा मे है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण सेवा–केन्द्रो पर भी धानमिले स्थापित है। 1971-92 की अपेक्षा धान क्षेत्र मे 7 75 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई है। अत धान के उत्पादन को देखते हुए विकास–खण्ड कौडीराम तथा विकास खण्ड उरूवा की न्याय पचायत महिलवार एव न्याय पचायत बेलकुर मे धान मिल की स्थापना की जाय।

चावल मिल के उप उत्पादन

(अ) चावल ब्रान एव ब्रान तेल

चावल मिल धान का प्रशोधन करते समय 66 प्रतिशत चावल, 17 प्रतिशत भूसी, 9 प्रतिशत स्क्रीमिग और 8 प्रतिशत ब्रान उत्पादित करती है। इन पदार्थो मे से ब्रान एक महत्वपूर्ण उप उत्पादन है। मिलो से प्राप्त होने वाले ब्रान का 60 प्रतिशत तेल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है और शेष 40 प्रतिशत जानवरो के भोजन मे प्रयुक्त किया जा सकता है।

ब्रान का प्रशोधन आयल साल्वन्ट एक्सट्रेक्शन प्लान्ट से किया जाता है जिससे 15 प्रतिशत तेल, 15 प्रतिशत चीनी व मोम तथा 70 प्रतिशत शुष्क ब्रान प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त तेल का उपयोग बनस्पति तेल उद्योग तथा साबुन निर्माण मे किया जा सकता हैं। शोधित ब्रान तेल खाद्य पदार्थो के निर्माण के उपयोग मे लाया जा सकता है। यह तेल अन्य खाद्य तेलो की अपेक्षा उत्तम होता है, क्योकि इसमे वसा की मात्रा कम होती है। शुष्क ब्रान पौष्टिक तथा पाचन होता है, और इसका उपयोग मनुष्य के भोजन के लिए भी किया जा सकता है। इसमें गेहूँ का आटा मिलकर इससे बिस्कुट, ब्रेड और अन्य खाद्य पदार्थ तैयार किया जा सकता है। मोम का उपयोग पॉलिश तथा अन्य तेल से सम्बन्धित उत्पादनो मे किया जा सकता है। इससे प्राप्त चीनी खाद्य होती है, और इसमे विटामिन 'बी' तथा चीनी व ग्लूकोज की मात्र पर्याप्त होती है जिसका उपयोग दवा उद्योग मे किया जा सकता है। चावल मिल तथा ब्रान

तेल मिल के मध्य अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए, क्योकि ब्रान का उपयोग चावल मिल से निकलने के ही दिन हो जाना चाहिए, अन्यथा उसकी उपयोगिता मे कमी आ जाने की सभावना रहती है। अत यह प्रस्तावित किया जाता है कि विकास खण्ड केन्द्र कौडीराम मे एक लघु ब्रान मिल सन् 2002 तक स्थापित किया जाय तथा 2006 तक इसकी क्षमता मे वृद्धि करके इसे मध्यम इकाई मे परिवर्तित किया जाय। कौडीराम मे यह मिल लगाने का प्रस्ताव इसलिये भी किया जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यही से गुजरता है, साथ ही कई अवस्थापनात्मक सुविधाये (विद्युत, श्रम परिवहन संचार इत्यादि) भी है।

(ब) गत्ता मिल :

चावल मिल से प्राप्त धान की भूसी का उपयोग गत्ता एवं कागज निर्माण मे किया जा सकता है। अत न्याय पचायत उचेर तथा महिलवार मे एक लघु गत्ता मिल की स्थापना की जाय। वर्ष 2005 तक अन्य चावल मिलो की स्थापना हो जाने पर इस उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता मे वृद्धि हो जायेगी, तब इसकी क्षमता बढाकर इसे वृहद मिल का स्वरूप दिये जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

6.10.2 आटा मिल :

अध्ययन क्षेत्र मे सकल बोए गये क्षेत्र के आधे भू भाग पर गेहू की कृषि की जाती है। वर्ष 1998 मे सकल बोए गये क्षेत्र के 48 37 प्रतिशत भाग पर गेहू की कृषि की गयी थी। वर्ष 1971-72 की अपेक्षा बर्ष 1998-99 मे गेहूं की कृषि के क्षेत्रफल में 14 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि गेहू का उत्पादन अधिक बढा है तथा गेहू अध्ययन क्षेत्र मे प्रमुख खाद्यान के रूप मे है। वर्तमान मे गेहू के उत्पादन का कच्चे माल के रूप मे उपयोग करके आटा मिलों के द्वारा मैदा व सूजी का निर्माण किया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र मे आटा मिले प्रत्येक ग्राम तक नहीं तो प्रत्येक ग्रामसभा मे उपलब्ध है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि इन आटा मिलो से मैदा व सूजी का निर्यात किया जाय। 200-500 आबादी वाले गावो मे एक आटा चक्की तथा

1000-2000 आबादी वाले गाव मे 2 आटा चक्की, 2000 से अधिक आबादी वाले गाव मे चार आटा चक्की लगाने का प्रस्ताव किया जाता है। बडे सेवा केन्द्रो पर आटा मिल लगाने का प्रस्ताव किया जाता है।

(ब) बेकरी उद्योग :

अध्ययन क्षेत्र एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है। विभिन्न केन्द्रो जैसे गजपुर, मलुआन कौडीराम बॉसगॉव बेलीपार एव गगहा, विकासखण्ड केन्द्रो पर इन उत्पादित वस्तुओ की माग अधिक है। विकास खण्ड कोडीराम एव बासगाव मे यह उद्योग स्थापित है। अन्य सेवा केन्द्रो पर जहा इसकी स्थानीय माग अधिक है, स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है। गजपुर, बेलीपार हाटा बुजुर्ग एव न्याय पचायत जानीपुर मे वर्ष 2002 तक इसे लघु स्तर पर लगाने का प्रस्ताव किया जाता है।

6.10.3 दाल मिल :

अध्ययन क्षेत्र मे वर्तमान समय मे अरहर, चना, मटर, मसूर आदि दालो का उत्पादन होता है। वर्तमान मे सिर्फ अरहर ही अध्ययन क्षेत्र मे सकल बोए गये क्षेत्र के 7 58 प्रतिशत भाग पर बोयी जाती है। विकास खण्ड केन्द्र गगहा एव बासगॉव मे दाल मिल स्थापित है। न्याय पचायत मलॉव, दुबौली, नर्रे बुजुर्ग एव न्याय पचायत देवडार बाबू मे दाल मिल स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

6.10.4 तेल मिल :

अध्ययन क्षेत्र मे वर्तमान समय मे तिलहन (सरसो, अलसी) का उत्पादन होता है जो सकल बोए गये क्षेत्र के 30 प्रतिशत भाग परपैदा की जाती है। अध्ययन क्षेत्र मे तिलहन के अन्तर्गत क्षेत्रफल बहुत ही कम है। राप्ती तथा आमी के खादर क्षेत्रो मे रबी फसल गेहू के साथ तिलहन का उत्पादन किया जाता है। तेल की मिले सभी बडे सेवा केन्द्रो पर जहा आबादी 5000 से अधिक है, स्थापित है। तेल की मिल न्याय पचायत महिलवार, न्याय पचायत पाली खास, जगदीशपुर, न्याय पचायत

सोहगौरा मे लघु स्तर पर लगाने का प्रस्ताव है। बाद इनकी उत्पादकता मे वृद्धि करते हुए इसे मध्यम स्तर तक बढाया जा सकता है।

6.10.5 गुड/खाड़सारी इकाई :

यद्यपि वर्तमान समय मे गन्ने का उत्पादन बहुत कम हैं, लेकिन व्यापारिक फसल होने के कारण धीरे-धीरे कृषको मे गन्ने की कृषि के लिये रूचि उत्पन्न हो रही है। वर्तमान मे गन्ना कुल बोए गये क्षेत्र के 1 प्रतिशत भाग पर बोया जाता है। न्याय पचायत हाटा बुजुर्ग मे तथा जहा पर गन्ने का उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक होता है, वहा लघु स्तर पर गन्ना पेरने की इकाईया (क्रसर) स्थापित है। अत गन्ने के बढते उत्पादन का अधिकतम उपयोग, क्षेत्र के आर्थिक विकास मे करने के लिए आवश्यक है कि प्रारम्भ मे खाडसारी इकाई बाद मे लघु चीनी मिल स्थापित की जाय। 2005 तक एक सहकारी चीनी मिल तहसील बासगाव मे स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

6.10.6 मक्का प्रशोधन इकाई :

अध्ययन क्षेत्र मक्का कुल बोए गये क्षेत्र के 70 प्रतिशत भाग पर बोया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के पूर्वी, दक्षिणी-पूर्वी भागो तथा आमी के खादर क्षेत्रे मे मक्के का उत्पादन किया जाता है। इस उत्पादन से आदर्श खाद्य समग्री तैयार करने के लिए न्याय पचायत कोठा एव डवरपार मे मक्का प्रशोधन इकाईया स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है। इन क्षेत्रो मे मक्का उत्पादन भी किया जाता है।

6.10.7 अखाद्य तेल उद्योग :

अध्ययन क्षेत्र मे महुआ, नीम के वृक्ष पर्याप्त सख्या मे पाये जाते हैं। इससे प्राप्त फलो के बीज से तेल प्राप्त करके उसका उपयोग साबुन, दवा एव अन्य उद्योगो मे किया जा सकता है। इससे प्राप्त खली का प्रयोग उर्वरक, गत्ता एव ईधन के रूप

म किया जा सकता ह। उर्वरक के रूप म इसका प्रयाग करन से उर्वरता बढने क साथ अनेक प्रकार के हानिकारक कीटाणुओ का विनाश भी हो जाता है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से इस उद्योग के लिए आवश्यक वित्तीय तथा तकनीकी सेवाये उपलब्ध करायी जाती हे। इस प्रकार की इकाईया सभी बडे सेवा कन्द्रो पर स्थापित होनी चाहिए।

6.11 वन पर आधारित उद्योग :

अध्ययन क्षेत्र मे वनो का क्षेत्र अत्यन्त कम है। बिखरे मानसूनी पतझड वाली वनस्पतियाँ अध्ययन क्षेत्र मे सभी जगह पायी जाती ह। राप्ती तथा आमी के तटवर्ती भागो मे अर्द्धशुष्क वनस्पतिया तथा बडी घासे पायी जाती हे। बिखर मानसूनी पतझड वाली वृक्षो मे आम महुआ, नीम, सेमल, शीशम, साल, जामुन, हल्दू आदि के वृक्ष है। इन वन उत्पादो का उपयोग करके तहसील मे अनेको प्रकार के उद्योग धन्धे स्थापित किए जा सकत हे जिनमे निम्नवत हे–

6.11.1 आरा मशीन :

अध्ययन क्षेत्र मे आरा मशीन 12 सेवा–केन्द्रो पर है। उपलब्ध ससाधना तथा क्षेत्रीय माग के आधार पर अध्ययन क्षेत्र मे सभी बडे सेवा केन्द्रो जहा पर आबादी 5000 से अधिक है वह अन्य नागरिक सुविधाये है, मशीन स्थापित किये जाने चाहिए।

6.11.2 माचिस कारखाना :

माचिस उद्योग स्थापित करने के लिये प्रमुख कच्चा माल एव सस्ता श्रम अध्ययन क्षेत्र मे उपलब्ध है। अत तहसील मुख्यालय बासगाव मे एक लघु इकाई की स्थापना की जानी चाहिए।

6.11.3 काष्ठोपकारण इकाइयां :

कृषि उपकरण एव फर्नीचर की सभी गावो मे आवश्यकता पडती है। अत अध्ययन क्षेत्र के सभी न्याय पचायत केन्द्रो पर कोष्ठोपकरण इकाई की स्थापना की जानी चाहिए।

6.12 पशुधन पर आधारित उद्योग :

अध्ययन क्षेत्र मे पशुओ विशेषकर चौपायो की सख्या अधिक है। इस पशुधन का उपयोग करके यहा पर अनेको औद्योगिक इकाईया स्थापित की जा सकती है। इससे क्षेत्र मे विकास के साथ ही साथ कृषको की आय मे भी पर्याप्त वृद्धि होगी। इस प्रकार की प्रमुख प्रस्तावित इकाईया निम्नलिखित है—

6.12.1 डेयरी उद्योग :

कृषि एव ग्रामीण विकास की येाजना मे डेयरी उद्योग की एक महत्वपर्णू भूमिका है। इसमे गावो के निर्धनो विशेषकर छोटे एव सीमान्त कृषको और खेतिहर मजदूरो को लाभान्वित करने की क्षमता विद्यमान है। अत क्षेत्र मे चिकित्सा एवं पशुपालन की अन्य अवस्थापनात्मक सुविधाओ की व्यवस्था करके 2002 तक कौडीराम मे एक मध्यम डेयरी इकाई तथा सभी न्याय पचायत केन्द्रो पर लघु स्तर की डेयरी इकाइया स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

6.12.2 चमडा प्रशोधन एवं चमडे के सामानों का विनिर्माण :

अध्ययन क्षेत्र मे मृत पशुओ से प्राप्त चमडे को अप्रशोधित अवस्था मे ही बाहर भेज दिया जाता है। यदि इस उद्योग से सम्बन्धित कारीगरो को आधुनिक ढग से कच्चे माल प्रशोधन तथा तैयार माल को वर्तमान माग के अनुसार विभिन्न सामग्रियो के निर्माण के लिए समुचित ढग से प्रशिक्षित कर उन्हे आवश्यक वित्तीय एव तकनीकी सहायता प्रदान कर दी जाय तथा उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाय तो यह उद्योग बेरोजगारी दूर करने तथा क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक विकास मे काफी योगदान दे सकता है।

इस उद्योग की एक लघु इकाई बासगाव एव कौडीराम मे कार्यरत् है, जिसमें परम्परागत ढग की सामग्री तैयार की जाती है। अत उपर्युक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते

हुए इस प्रकार की मध्यम इकाई विकास खण्ड गगहा मे लघु इकाई न्याय पचायत जानीपुर सहुआकोल दरसी एव भीटी मे स्थापित किया जाना चाहिए।

6.12.3 हड्डी चूरा इकाई :

पशुओ की हड्डियो को समुचित उपयेाग के अभाव मे बाहर भेज दिया जाता है इससे निर्मित्त उर्वरक का उपयोग क्षेत्र मे करके कृषि उपज मे वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार लघु इकाई न्याय पचायत दरसी के मझगावा सेवा केन्द्र पर स्थापित की जानी चाहिए।

6.12.4 सूअर पालन :

अध्ययन क्षेत्र मे सुअर पालन मुख्य रूप से अनुसूचित जातियो का व्यवसाय है। इनमे मास चर्बी तथा बालो की प्राप्ति होती है। मास से क्षेत्रीय आवश्यकता की पूर्ति एव चर्बी से दवा तथा बालो से ब्रुश व अन्य सामग्रियो का निर्माण किया जा सकता है। इस व्यवसाय को वित्तीय सहायता व तकनीकी ज्ञान प्रदान कर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मे सुधार तथा बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। मुख्यालय बासगाव मे सुअर विकास केन्द्र है। क्षेत्र के उन गावो मे जहा उपर्युक्त जातियो के लोग अधिक पाये जाते है, इस व्यवसाय को वृहद स्तर पर विकसित करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है।

6.12.5 मधुमक्खी पालन :

मधुमक्खी पालन के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं पडती है। इनके पराग निषेचन से क्षेत्र मे दालो, तिलहनो व तरकारियेा का उत्पादन पर्याप्त मात्रा मे बढ जाता है, तथा साथ ही साथ शहद की प्राप्ति भी होती है। अत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से वित्तीय सहायता व तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम सभा मे वृहद पैमाने पर मधुमक्खी पालन किया जा सकता है।

6.12.6 मछली पालन :

अध्ययन क्षेत्र के उत्तरी पूर्वी भाग मे ताल–पाखरे भारी सख्या म पाये जाते है। मछली की माग उत्तरोत्तर बढ रही है। विकास खण्ड कौडीराम मे विभागीय जलाशय है जिसका क्षेत्रफल 9 28 हे।-'अन्य तलाबो म मत्स्य पालन विभाग से सुविधए प्राप्त करके व उनमे अपेक्षित सुधार करके वृहद स्तर पर मछली पालन व्यवसाय किया जा सकता है। न्याय पचायत धनौडा खुर्द, बेलकुर, न्याय पचायत बिस्टौली सोहगौरा एव सहुआकोल मे लघुस्तर पर मछली पालन व्यवसाय किया जा सकता है।

6.12.7 कुक्कुट पालन :

अध्ययन क्षेत्र मे अण्डे के माग उत्तरोत्तर बढती जा रही है। इसकी आवश्यकता की पूर्ति दूसरे क्षेत्रो से भी करना पडता है। अत क्षेत्रीय आवश्यकता को देखते हुए सभी न्याय पचायत केन्द्रो पर मुर्गीपालन एव विकास खण्ड केन्द्रो पर मध्यम स्तर का मुर्गी पालन जिससे अण्डे एव मास की आपूर्ति हो सके, क्रियान्वित करने का सुझाव दिया जाता है।

6.13 मांग पर आधारित उद्योग :

6.13.1 कृषि उपकरणों का निर्माण :

कृषि यहा की निवासियो का मुख्य उद्यम है। कृषि की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के हल, थ्रेसर तथा अन्य आवश्यक कृषि यंत्रो की माग दिन–प्रतिदिन बढती जा रही है। इन आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए 2002 तक विकास खण्ड गगहा मे कृषि उपकरणो के निर्माण की मध्यम इकाई तथा 2005 तक न्याय पचायत जानीपुर एव महिलवार लघु इकाइया स्थापित की जानी चाहिए।

6.13.2 बीज प्रशोधन :

विभिन्न फसलो का आदर्शतम व अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए अन्य आवश्यक तत्वो के प्रयोग के साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि उन्नतशील

तथा प्रशोधित बीजो का प्रयोग किया जाय। अध्ययन क्षेत्र मे न तो बीज के उत्पादन की ओर न ही बीजो के प्रशोधन की कोई इकाई है परिणाम स्वरूप पर्याप्त मात्र मे उन्नतशील बीज उपलब्ध नही हो पाता है। अत तहसील मुख्यालय के समीपवर्ती क्षेत्रो मे उन्नतशील बीजो के उत्पादन तथा सभी विकास खण्ड केन्द्रो पर बीज प्रशोधन इकाई की स्थापना का प्रस्ताव किया जाता है।

6.13.3 हैण्डलूम इकाई :

हैण्डलूम अधिकतम रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है, तथा इसका विकास ग्रामीण क्षेत्रो मे आसानी से किया जा सकता है। हैण्डलूम उद्योग गोरखपुर जनपद मे फैला हुआ है, परन्तु अध्ययन क्षेत्र मे इस उद्योग का अभाव है। हैण्डलूम के कपडे गरीब एव धनी तथा सभी प्रकार मौसम के लिए उपयुक्त होते है। इस प्रकार के इकाइयो की स्थापना के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड आवश्यक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। अत खादी ग्रामोद्योग की सहायता से प्रत्येक न्याय पचायतो मे हैण्डलूम इकाइयो की स्थापना की जानी चाहिए।

6.13.4 रेडीमेड वस्त्र एवं होजरी निर्माण इकाई :

वर्तमान मे रेडीमेड वस्तुओ तथा होजरी की अत्यन्त माग है। इसकी छोटी इकाई कम पूजी के साथ किसी भी केन्द्र पर लगाई जा सकती है अत यह प्रस्तावित किया जाता है कि सरकार द्वारा वित्तीय ससाधन प्रदान करके प्रत्येक विकास खण्डो मे रेडीमेड वस्त्र एव होजरी निर्माण इकाइयो की स्थापना की जाय।

6.13.4 कारपेट, कालीन और ऊनी वस्त्र निर्माण इकाई :

अध्ययन क्षेत्र सघन आबादी वाला क्षेत्र है। अत इन उत्पादनो की अध्ययन क्षेत्र मे पर्याप्त माग है। इन सामग्रियो के निर्माण की इकाई विकास खण्ड कौडीराम मे स्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

6.13.5 प्लास्टिक सामान निर्माण इकाई :

आजकल प्लास्टिक के सामानो की माग उत्तरोत्तर बढती जा रही है। मनुष्य के दैनिक जीवन मे इससे निर्मित वस्तुओ का उपभोग दिनानुदिन बढता जा रहा है। इससे उत्पादित वस्तुये सस्ती होने के कारण गरीब अमीर सभी वर्गो के लिए सुलभ होती है। इस प्रकार के सामानो के निर्माण की इकाई को लघु स्तर पर प्रारम्भ करके अनेक लोगो को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। अत प्रस्ताव किया जाता है कि इस प्रकार की इकाई गजपुर मे तथा दोनखर मे स्थापित की जाय।

6.13 6 बान/टाट पट्टी इकाई :

प्रत्येक समय मे प्रत्येक परिवार एव विद्यालयो तथा अनेक सस्थाओ मे बान/टाट पट्टी एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस उद्योग की स्थापना निरक्षर तथा साक्षर सभी प्रकार के व्यक्तियो के द्वारा उन्हे थोडी सी वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करके सहकारिता के आधार पर करायी जा सकती है। अत उपर्युक्त सुविधाओ को प्रदान करके अध्ययन क्षेत्र के सभी ग्राम–पूजे मे बान/टाट पट्टी इकाइयो की स्थापना की जा सकती है।

6.13.7 लोहारगीरी :

वर्तमान समय मे मनुष्य के दैनिक जीवन यापन तथा कृषि कार्य मे विभिन्न प्रकार की लौह निर्मित सामग्रियो की आवश्यकता पडती है। इस प्रकार की इकाइयो की स्थापना इसलिए भी आवश्यक है क्योकि कृषि उत्पादन मे वृद्धि के लिये कृषि कार्य मे परम्परागत यत्रो के स्थान पर आधुनिक यत्रो के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यदि स्थानीय रूप से इनके मरम्मत की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो कृषको मे इसके प्रयोग की अभिरूचि मे वृद्धि नहीं होगी। अत यह सुझाव दिया जाता है कि लोहारो को सूक्ष्म प्रशिक्षण प्रदान करके तथा उनकी सुधरी हुई तकनीक की भट्ठियो की स्थापना एव सम्बन्धित उपकरणो के क्रम के लिए आवश्यक वित्तीय

सहायता प्रदान करके 2002 तक सभी गावो मे इस प्रकार की इकाइया स्थापित की जाय।

6 13.8 बास निर्मित वस्तुएं :

बास से घरेलू उपयोग की अनेक वस्तुए यथा डलिया, दौरी, पख सूप आदि का निर्माण विशेषत धरकार व डोम जातियो द्वारा किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र मे बास पर्याप्त रूप मे पाया जाता है, किन्तु इससे निर्मित वस्तुओ का सम्बन्ध विशिष्ट जाति से होने के कारण विकास कम हो पाता है। जरूरत है, इसे कुटीर उद्योग के रूप में विकसित करने की। डोम धरकार चलते फिरते निर्माण केन्द्र के रूप मे कार्य करते हैं।

6.13.9 मिट्टी के बर्तन उद्योग :

अध्ययन क्षेत्र कुम्हार जाति द्वारा घडा सुराही, कुल्हड आदि मिट्टी के बर्तन बनाये जाते है। दीपावली के अवसर पर दीपक तथा खिलौने बनाए जाते है। मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग बरसात के दिनो मे नहीं होता है। इस उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान कर सभी ग्राम सभाओ मे कुटीर उद्योग के रूप मे स्थापित किया जा सकता है।

6.14 औद्योगिक समस्यायें :

अध्ययन क्षेत्र मे लघु एव कुटीर उद्योगो मे ससाधनो तथा वित्तीय अनुपलब्धता की समस्या है। जब तक सभी उद्योगो के समस्याओ का समाधान नहीं हो पाता, तब तक समन्वित औद्योगिक विकास नहीं किया जा सकता। अध्ययन क्षेत्र मे विद्युत सुविधा होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रे मे विद्युत आपूर्ति बहुत कम होती है, जिससे लघु उद्योग सबसे अधिक प्रभावी होता है। कुटीर व ग्रामीण उद्योग भी बिजली की अनुपलब्धता से सौर्य प्रकाश पर ही निर्भर करते है, इससे दस्तकारो एव श्रमिको का समय नष्ट होता ही है, समुचित उत्पादन नहीं हो पाता है।

परिवहन क साधना का अभाव लघु एव कुटीर उद्योगो के विकास मे सबसे बडी बाधा हे। इसके अभाव मे इन उद्योगो का बाजार से सम्पर्क नहीं हो पाता है, जिससे उचित मूल्य मिलने मे औद्योगिक उत्पादो के प्रसार मे बाधा पहुचती है। नयी टेक्नालॉजी का अभाव व पूजी का अभाव अध्ययन क्षेत्र के गति को अवरूद्ध कर रहे है। पूजी के अभाव मे अनेक बेरोजगार युवक कुटीर एव लघु उद्योग नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। इसके अभाव मे अध्ययन क्षेत्र मे ससाधनो का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिये स्थानीय ससाधनो पर आधारित जो भी उद्योग प्रस्तावित किए गये है, उनके सफल क्रियान्वयन सम्बन्धी सुझाव निम्नलिखित है--

6.15 क्रियान्वयन सम्बन्धी सुझाव :

अध्ययन क्षेत्र मे ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रस्तावित सफलता के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रो मे विकेन्द्रीकृत सिद्धात पर उद्योगो की स्थापना की जाय तथा उसके सफल सचालन और देखभाल एव रख–रखाव आदि की उचित व्यवस्था की जाय। इसके लिए वृहद स्तर पर निम्नलिखित कदमो को उठाया जाना आवश्यक है।

1 प्रगतिशील उद्यमियो को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमो मे समन्वयन करने के लिए प्रत्येक नियोजन इकाईयो मे समन्वयन समितियो की स्थापना की जाय, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य स्थानीय उद्यमी बनाए जाय।

2 कच्चे माल की पर्याप्त मात्र नियमित रूप से सम्बन्धित इकाइयो को वितरित की जाय।

3 अधिकतम सम्भाव्यता वाले क्षेत्रो जहा कच्चे मालो की अधिकता तथा परम्परागत शिल्पियो की बहुलता है, मे विभिन्न सहायता तथा सलाह कार्यो का पूर्ण–रूपेण विकेन्द्रीकरण किया जाय।

4 ग्रामीण औद्योगीकरण का सरलतम तथा आदर्श सहकारिता है। अत क्षेत्र मे सहकारिता के ढाचे का विस्तार करके उसे सुदृढ आधार प्रदान किया जाय

तथा सहकारिता पर इकाइयो की स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन तथा सुविधा प्रदान की जाये।

5 औद्योगिक इकाइयो की स्थापना के लिए वृहद स्तर पर पूजी की पर्याप्त आवश्यकता पडती है। अत वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु अध्ययन क्षेत्र मे वित्तीय सस्थाओ की सभी सेवा–केन्द्रो पर स्थापना की जाय। चूँकि पिछडे क्षेत्रो मे उद्यमी इकाइयॉ स्थापित करने मे हिचकते हैं, अत उन्हे इसके लिए पर्याप्त अनुदान तथा रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा प्रदान की जाये।

6 सम्पूर्ण ग्रामीण औद्योगीकरण प्रक्रिया विपणन पर आधारित है। यदि कारीगरो द्वारा तैयार माल का समय पर विपणन न हो तो पूजी तथा प्रोत्साहन के अभाव मे कार्य बन्द हो जाने की स्थिति आ सकती है। अत सरकार द्वारा सम्पूर्ण माल के विपणन की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है।

7 व्यवसायोन्मुखी शिक्षा नीति अपनाकर औद्योगिक व्यावसायिक एव तकनीकी पाठ्यक्रम चलाये जाये। छात्रे को उनकी रूचि, अभिवृत्ति के अनुसार विभिन्न व्यावसायिक एव तकनीकी पाठ्यक्रमो मे प्रवेश दिया जाना चाहिए। इन पाठ्यक्रमो मे व्यवसायिक प्रबन्ध तकनीकी ज्ञान, उद्यम प्रवृत्ति आदि से सम्बन्धित विषयो को सम्मिलित करते हुए सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शिक्षा दी जाये।

8 कारीगरो को आधुनिक तकनीक से अवगत कराते रहने के लिए प्रारम्भ मे तथा कार्य प्रारम्भ किए जाने के प्रश्चात् बीच–बीच मे उन्हे प्रशिक्षण प्रदान किया जाय। ग्रामीण औद्योगीकरण से उत्पादित कार्यो के प्रचार के लिए समय–समय पर प्रदर्शनियो का आयोजन किया जाय।

उपर्युक्त तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुए ही किसी प्रदेश विशेष का औद्योगिक विकास किया जा सकता है। अत विकास मे कृषि उत्पादो अनेक प्राकृतिक ससाधनों से सम्बन्धित लघु, कुटीर घरेलू उद्योगो को बढ़ावा देकर समन्वित औद्योगिक विकास किया जा सकता है।

संदर्भ

1 भारत' प्रकशन विभाग नई दिल्ली, 1988-89 पृष्ठ 388

2 सिह काशीनाथ एव सिह जगदीश आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर, 1984 पृष्ठ 296

3 कौशिक, एस डी आर्थिक भूगोल के सरल सिद्धात, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ 1980-81 पृष्ठ 188

4 Richards I The Geography of Economic activity Mc Graw Hill Bollk Co Inc 1962, P 456

5 उत्तर प्रदेश वार्षिक सूचना एव जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश 1990-91 व 1991-92 पृष्ठ 109

6 शर्मा आर एस प्राचीन भारत का इतिहास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एव प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, पृष्ठ 21

7 दास, शिवतोष भारत स्वतत्रता के बाद प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मत्रालय, नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ 115

8 चन्द्र विपिन भारत का स्वतत्रता सघर्ष, हिन्दी माध्यम, कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1990, पृष्ठ 65

9 पूर्वोक्त सन्दर्भ सख्या – 1

10 उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अक 23 स 2, दिसम्बर 1987, पेज स 12

11 Papola I S (1982) Rural Industrilzation (Approaches and Potential) Himalaya Publishing hluse, Bobmay, P 1

12 Tripathi R N , B K Thaphyal A Nagsheshanna, G C Verma and F M Paralhan (1980) Block Plan in the district Frame, N I R D , Hyderabad

13 Bansial, P C (1977) Agricultural Problems of India, Vikas Publishing House, New Delhi, P 486

14 Roy, P and B R Patil (1977) Manual For Block Level Planning macmillan Co , New Delhi, P 68

15 Dandekar H and B Sulbha (1979) Role of Rural Industries in rural development in R P Mishra et al (ed) Rural Area Development - Perspective and Approaches, Sterling New Delhi P 123

16 Papola T s (1982) Op Cit P2

17 कुरैशी एम० एच० भूगोल के सिद्धात, भाग–2 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली 1989, पृष्ठ 78 एव 79

18 सिह इकबाल 'भारत मे ग्रामीण विकास', राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान ओर प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, 1989, पृष्ठ 75

19 Rao, V K R V Industrilization Integrated Rural development man and development, Vol 1 No 2 P-20

20 Siguradson J (1977) Rural Indsutrializtion in China, Harvard University Press Cambridge Mass and London, P 223

21 Papola T S (1982) op cit P V

22 Seventh Five Year Plan, 1985-90 Vol II Planning Commision, Government of India New Delhi P 100 172

23 Nanjun dappa D M (1981) Area planning and Rural development Associated Publishing House New Delhi, P 32-

24 श्रीवास्तव शर्मा एव चौहान प्रादेशिक नियोजन और सतुलित विकास, वसुन्धरा प्रकाशन (2000) पेज 201-203

25 Arora, R C (1979) Integrated Rural Development S Chand and Company, New Delhi, P 219

26 Behari, B (1976) Ri

Delhi P xi

27 Dendekar H et al (1979) op cit P 137

28 Mishra, O P (1983) Gonda Tehsil - A study in Integraed Rural Development Unpublished, Ph D Thesis, Avadh University, Faizabad, P 248

29 जिला साख्यिकीय पत्रिका जनपद गोरखपुर (1996), पृष्ठ 76

अध्याय—7

परिवहन एवं संचार व्यवस्था की पृष्ठभूमि एवं विकास नियोजन

परिवहन एव सचार साधन विकास की शिराये एव धमनियॉ है, जिनके अभाव मे क्षेत्र विशेष का विकास सभव नही है। विश्व की वर्तमान विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था मे परिवहन एव सचार तत्वो का सर्वाधिक महत्व होता है। आर्थिक विशेषीकरण उत्पादन, उत्पादो का विपणन एव सचरण, व्यापारिक विकास तथा सामाजिक—सास्कृतिक समागम, सवादो, समाचारो, नीतियो, योजनाओ, अवाविष्कारो का सचरण परिवहन एव सचार द्वारा सभव होता है।[1] देश के लगभग 6 लाख गावो के लिए एक अच्छी परिवहन प्रणाली का होना आवश्यक है। देश मे कृषीय और औद्योगिक उत्पादन कार्यक्षम परिवहन व्यवस्था के विकास से सम्बद्ध है। परिवहन स्वय उत्पादन की प्रक्रिया का एक चरण है, क्योकि विभिन्न प्रकार के उत्पादो को देश भर मे फैले हुए उपभोक्ताओ तक पहुचाना होता है, जो कि परिवहन के साधनो से सभव है।[2] विकसित परिवहन व्यवस्था से कृषि विकास और औद्यगीकरण मे भी सहायता मिलती है। परिवहन व्यवस्था की एक अन्य पहलू भी है। प्राय परिवहन के साधनो का पर्याप्त विकास होने पर देश के सामाजिक जीवन मे कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, जिनसे आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है।[3] किसी भी देश, प्रदेश या क्षेत्र के सतुलित विकास के लिए एकीकृत परिवहन तत्र की आवश्यकता होती है। परिवहन एव सचार माध्यमो से 'क्षेत्रीय विशिष्टीकरण' का लाभ पिछडे क्षेत्रो को भी मिल जाता है। इस प्रकार परिवहन जाल, पिछडे क्षेत्रो मे भी ससाधनो के उपयोग को बल देकर वृद्धि एव विकारा की रिथति उत्पन्न करेगा।[4] आर्थिक विलगन, राजनैतिक विखण्डन, सामाजिक दूरियो को एकीकृत एव समन्वित

बिन्दुओ मे संयोजन गाव एव शहर से सम्बन्ध स्थापित करने तथा प्राकृतिक आपदा के समय ये बहुत ही सार्थक सिद्ध होते है। परिवहन तत्र न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करता है, वरन स्थानीय बाजारो को राष्ट्रीय बाजार से और राष्ट्रीय बाजार को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से जोडता है।[5] विश्व स्तर पर आर्थिक विकास एव परिवहन साधनो के विकास मे समानता मिलती है।[6]

अध्ययन क्षेत्र बारागाव पिछडी हुई तहसील है, किन्तु विकास के लिए उत्तरदायी अधिकाश ससाधनो की बहुलता है। यहा पर ससाधनो का प्रमुख सयोजक तत्व परिवहन एव सचार का अत्यन्त अभाव है। जल परिवहन की सीमित सभावना है। वायु परिवहन के माध्यम नही है। रेलमार्गो का पूर्णतया अभाव है। राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 29 अध्ययन क्षेत्र के बीच से होकर गुजरती है। इस क्षेत्र मे अव्यवस्थित एव अविकसित सडके परिवहन के साधन है। तहसील मे सचार साधनो का भी विकास अत्यन्त कम हुआ है। अस्तु प्रस्तुत अध्याय मे वर्तमान परिवहन एव सचार माध्यमो का विश्लेषण कर भावी परिवहन व सचार के लिए सतुलित नियोजन प्रस्तुत करना है। अध्ययन की स्पष्टता के लिए प्रस्तुत अध्याय दो खण्डो मे विभजित है। प्रथम भाग मे परिवहन एव द्वितीय भाग मे सचार के वर्तमान स्थिति का विश्लेषण एव भावी सतुलित नियोजन प्रस्तुत किया गया है।

7.1 परिवहन माध्यम का प्रतिरूप :

माध्यम का अर्थ 'मार्ग' जैसे सड़क रेल, समुद्र, नदी, वायुमार्ग माना गया है जबकि साधन का प्रयोग यातायात हेतु विविध वाहनो जैसे — बस, ट्रक, कार मालगाडी, नाव, जलयान, टैकर आदि के लिए किया जाता है। आधुनिक युग मे तीनो मण्डलो (स्थल मण्डल, जल मण्डल व वायु मण्डल) का उपयोग परिवहन के लिए किया जा रहा है। स्थल मण्डल मे रेलमार्ग, सड़के, रज्जुमार्ग तथा भूमिगत नलिकाए (टनेल पाइप लाइन्स) परिवहन के माध्यम है। जलमण्डल

मे समुद्र के साथ नौगम्य नदियो तथा नहरो का प्रयोग परिवहन के माध्यम के रूप मे होता है तो वायुमण्डल मात्र वायुयान परिवहन तक ही सीमित है। स्थानीय यातायात के लिए इन माध्यमो मे रेलमार्गों एव सडको का विशेष महत्व है, जिनके द्वारा क्षेत्र मे सामाजिक सेवाओ के पहुचाने का कार्य सर्वाधिक किया जाता है।[7]

7.1.1 जल परिवहन :

जल परिवहन एक सस्ता परिवहन माध्यम है, जो भारी सामान ढोने के लिए अत्यन्त उपयुक्त है।[8] अध्ययन क्षेत्र मे जल परिवहन का विकास नगण्य है। आमी व तरैना नदिया उथली एव ग्रीष्म ऋतु मे जल अत्यन्त कम हो जाने के कारण जल परिवहन के लिए उपयुक्त नही है। राप्ती नदी विसर्पणाकार प्रवाहित होने के कारण जल परिवहन की सीमित सम्भावना है। बरसात के दिनो मे इस नदी मे स्टीमर चलते है। बाढ के दिनो मे जो गाव स्थानीय मार्ग से कट जाते है, आमी एव राप्ती दोनो नदियो मे नौका द्वारा आवागमन वर्षा काल मे होता है।

7.1.2 सड़क परिवहन :

किसी भी क्षेत्र के विकास लिए प्रथमत सडके बनायी जाती है। ये सडके यातायात की धमनिया कही जाती है। सिन्धु घाटी की सभ्यता, जो नगर सभ्यता कहलाती थी मे लम्बी–चौडी व समकोण पर काटने वाली सडके थी। रामायण व महाभारत काल मे न केवल सड़को का उल्लेख है, वरन् सड़को के बनाने की विधि का भी उल्लेख है। 200 बी सी से 200 ए डी तक जो आर्थिक समुन्नत काल था, विभिन्न व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया गया है। विभिन्न क्षेत्रो मे पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त अवशेषो से पता चलता है कि प्राचीन काल मे शहरो एव कस्बो मे सडको के आश्चर्यजनक ढग से योजनाबद्ध संजाल बने हुए थे।

N
तहसील बासगॉव
परिवहन व संचार सेवाएं
(1998)
To Gorakhpur
To Gorakhpur
NH-29
Bansgoan
To Gola
Kauri Ram
Gajpur
Gagha
To Gola
To Varanasi
डाकघर
तारघर
सा दूर केन्द्र
व्यक्तिगत टेलीफोन
NH-29
राष्ट्रीय राजमार्ग
पक्की सडके
ग्रामीण पक्की सडके
2
0
2
km

Fig. 7.1

प्राचीन काल से अठारहवी शताब्दी तक (मौर्यकाल को छोडकर, सम्पूर्ण भारत के एक शासन तंत्र के नियंत्रण मे न रहने के प्रमुख कारणो मे से एक था, सडको व सचार माध्यमो मे कमी। शेरशाह सूरी ने कई सडको व सरायो का निर्माण करवाया जिससे सभी क्षेत्रो का केन्द्र स्थलो से सीधा सम्बन्ध हो गया। उसके द्वारा निर्माण करायी सडक, सडक–ए–आजम अर्थात् ग्राड ट्रक रोड आज भी अति महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश काल मे भी सडको निर्माण पर विशेष बल दिया गया। भारत सरकार के 1919 के अधिनियम के अन्तर्गत जो सडके प्रान्तो के अधिकार क्षेत्र मे आतल थी, और प्रान्तीय सरकार सड़को के काफी बडे हिस्से की जिम्मेदारी स्थानीय स्वायत्त सस्थओ को सौप देती थी। देश भर के प्रान्तो और बडी रियासतो के मुख्य इजीनियरो का दिसम्बर 1943 मे एक सम्मेलन नागपुर मे बुलाया और सम्पूर्ण भारत के लिए सडक विकास की एक समग्र योजना निर्धारित की गयी, तथा एक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार किया गया। इसी रिपोर्ट को 'नागपुर रिपोर्ट', कहा जाता है इसमे सडको को निम्न श्रेणिया बनायी गयी।

1 राष्ट्रीय राजमार्ग।

2 प्रान्तीय राजमार्ग।

3 जिला सडके।

4 ग्रामीण सडके।

राजमार्गो के इन्जीनियरो की सस्था 'भारतीय सडक काग्रेस परिषद' ने सडक विकास योजना तैयार की है जिसमें 2002 तक देश के सभी गावो तक सडक पहुचाने का लक्ष्य तय किया गया है। योजना मे राष्ट्रीय राजमार्गो, राज्यों के राजमार्गों तथा ग्रामीण सडको सहित सभी सडकों के सन्तुलित विकास के साथ–साथ बेहतर सडको से ईधन की बचत, सडक सरुक्षा, पर्यावरण सरक्षण निर्माण प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण तथा अनुसंधान गतिविधियों जैसे महत्वपूर्ण पहलुओ पर जोर दिया गया है।

7.2 सडक परिवहन का महत्व :

अपेक्षाकृत कम लागत के कारण रेलमार्गों की तुलना मे सडको का अधिक विकास हुआ है। सडक परिवहन रेल परिवहन की तुलना मे प्राचीन है। सडको पर परिवहन साधनो की विविधता तथा मात्रा के कारण सडको के स्वरूप मे पर्याप्त अन्तर मिलता है। रेलमार्गों की तरह सडको की कोई मानक चौडाई के अभाव के कारण विभिन्न न्याय पचायतो व ब्लाको की सडक दूरी का तुलनात्मक अध्ययन कठिन होता है लेकिन न्यूनतम स्तर पर यदि मोटर गाडी चलने योग्य मार्ग को सडक मान लिया जाय तब कही सभी विकास खण्डो मे उपलब्ध मार्ग लम्बाई के आकडो का विश्लेषण किया जा सकता है।

सडको का आधुनिक महत्व इसी शताब्दी के आरम्भिक वर्षों से बढा जब मोटर गाडियो के अत्यधिक प्रचलन से द्रुत सडक परिवहन रेल परिवहन की बराबरी करने मे समर्थ हुआ। अब दोनो ही परिवहन माध्यम (सडक व रेलमार्ग) एक दूसरे के पूरक हो गये है। भारी खनिजो एव औद्योगिक पदार्थों का अपेक्षाकृत दूर तक यातायात रेलगाडियो से होता है, किन्तु कम मात्रा मे स्थानीय माल को गन्तव्य स्थान तक सावधानी पूर्वक पहुचाने मे सडको का विशेष महत्व है। प्रत्येक विकास केन्द्र मे रेलमार्गों से जोडना असम्भव है किन्तु प्रत्येक विकास केन्द्र को सडको से जोडा जा सकता है। रेलमार्गों को सडकों से जोडकर अभिगम्यता और बढायी जा सकती है। इसलिए लोच, विश्वसनीयता एव गति को सडक परिवहन की मुख्य विशेषता बताया गया है। अध्ययन क्षेत्र मुख्यत कृषि प्रधान क्षेत्र है। अत ऐसी अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रो मे सडके विशेष लाभदायक होती है।

सारणी 7.1

तहसील बारसगाव विकास खण्डवार पक्की सडको का विवरण (1998)

क्र स	विकास खण्ड	कौडीराम	बासगाव	गगहा	उरूवा	योग
1	पक्की सडका की ल (कुल किमी)	58	36	49	6	149
2	लो नि वि कुल सडका की ल (किमी)	35	30	20	5	90
3	प्रति लाख जनसख्या पर कुल कुल पक्की सडको की ल	45 5	34 2	38 2	45	40 72
4	प्रति लाख जनसख्या पर लो नि वि द्वारा पक्की सडक	34 5	29 2	15 6	34 2	113 5
5	प्रति 100 किमी पर पक्की सडक	33 78	25 88	30 95	32 32	30 73
6	पक्की सडक ग्राम म	52	53	40	5	150
7	पक्की सडक 1 कमी से कम	24	14	21	2	61
8	पक्की सडक 1–3 किमी	45	32	24	13	114
9	पक्की सडक 3–5 किमी	32	24	25	4	85
10	पक्की सडक 5 किमी से अधिक	59	42	43	6	150

स्रोत जिला साख्यिकी पत्रिका से प्राप्त आकड़ो के आधार पर।

भारत मे सडक निर्माण की दिशा मे सर्वप्रथम प्रयास 1943 मे 'नागपुर याजना' का आधार यह था कि विकसित कृषि क्षेत्रो मे कोई गाव किसी भी मुख्य सडक से 5 मील (8 किमी) से अधिक दूर तथा अन्य प्रकार की सडकों से 2 मील (3 किमी) से अधिक दूर न रहे एव प्रमुख सड़क से औसत दूरी 2 मील से कम ही रहे। इस प्रकार अकृषि क्षेत्रो मे किसी गाव की दूरी क्रमश 2 5 मील तथा 5 मील से अधिक न रहे तथा औसत दूरी 6 7 मील रहे। किन्तु रियासतो के कारण यह उद्देश्य पूरा नही हो सका। इसके बाद 1961–81 तक के लिए सडक निर्माण से सम्बन्धित 20 वर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी, जिसके अनुसार

विकसित कृषि क्षेत्र म कोई गाव किसी पक्की सडक स 6 5 किमी से अधिक दूर न रह तथा किसी सम्पर्क सडक से 2 5 किमी स अधिक दूर न हो। इसके अनुसारप्रति 100 वर्ग किमी मे 32 किमी सडक होनी चाहिए।

अध्ययन क्षेत्र म (20 16 प्रतिशत) 97 गाव पक्की सडको पर ही स्थित है। पक्की सडक स 1 किमी की दूरी पर 11 42 प्रतिशत गाव (62) गाव स्थित हे तथा 1—3 किमी की दूरी पर 21 34 प्रतिशत (114) गाव है। पक्की सडक से 3—5 किमी की दूरी पर 17 प्रतिशत (75) एव 5 किमी से अधिक दूर पर 28 1 प्रतिशत (150) गाव स्थित हे। (सारणी 7 1)

सारणी 7 1 से स्पष्ट है कि अध्यन क्षेत्र मे प्रति 100 वर्ग किमी मे सडको की लम्बाई 30 73 है। राष्ट्रीय मानक के अनुसार कि प्रति 100 वर्ग किमी मे 32 किमी पक्की सडक होनी चाहिए के तुलना मे तहसील बारागाव मे सडको का घनत्व थोडा कम है।

अध्ययन क्षेत्र मे सडको का वितरण समान नही है। तहसील मे कुल पक्की सडको की लम्बाई 149 किमी है। अध्ययन क्षेत्र मे पक्की सडको की सर्वाधिक लम्बाई विकास खण्ड कौडीराम (58 किमी) मे है। विकास खण्ड उरूवा की एकमात्र न्याय पचायत महिलवार के सम्मिलित होने के कारण विकास खण्ड उरूवा मे सडको की लम्बाई को कम प्रदर्शित किया गया है। विकास खण्ड बासगाव मे पक्की सडको की लम्बाई अपेक्षाकृत कम है। यहा जिला एव ग्रामीण सडके ही पायी जाती है। विकास खण्ड कौडीराम की अधिकाश न्याय पचायते राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर ही स्थित है।

सारणी 7 1 मे अध्ययन क्षेत्र की सडको का विवरण प्रस्तुत किया गया है सारणी 7 1 के अध्ययन करने से पता चलता है कि प्रति लाख जनसख्या पर कुल पक्की सडको की लम्बाई विकासखण्ड कौडीराम (45 5) मे ही है। यहा पक्की सडको की लम्बाई अधिक होन का कारण उपर्युक्त ही है।

7.3 सडक घनत्व :

सडक परिवहन का प्रयोग अपेक्षाकृत कम दूरी के यातायात के लिए किया जाता है। पिछडे क्षेत्र के आर्थिक तत्र के प्रादेशिक सन्तुलन के लक्ष्यपूर्ति को रेल की अपेक्षा सडक अधिक उपादेय सिद्ध होती है। किन्तु सडको के उपादयेता के विश्लेषण मे उनकी लम्बाई की अपेक्षा सघनता का प्रये ग अधिक समीचीन प्रतीत होता है। सडको के घनत्व का आर्थिक विकास, क्षेत्रीय विस्तार जनसख्या तथा आर्थिक कार्य–कलापो के वितरण प्रतिरूप एव वैकल्पिक परिवहन साधनो के विकास के जटिल रूप मे अन्तर्सम्बन्धित है। अध्ययन क्षेत्र मे सडक घनत्व औसत है। सापेक्षिक दृष्टि से सडक घनत्व उन्ही भागो मे अधिक है, जहा जनसख्या एव आर्थिक कार्यकलाप की सघनता है।

प्रति लाख जनसख्या पर सडको का औसत घनत्व 40 70 किमी. है। विकास खण्ड स्तर पर सडको की लम्बाई अवरोही क्रम मे विकासखण्ड उरूवा (45 किमी) विकासखण्ड कौडीरा (45 5 किमी) विकास खण्ड गगहा (38 2) बासगाव (34 2)। मानचित्र 7 1 से स्पष्ट है कि तहसील के द पूर्वी भाग मे सडको का घनत्व अधिक एव अध्ययन क्षेत्र के पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी भाग एव उत्तरी पूर्वी भाग मे सडक घनत्व कम है शेष भागो मे सडक घनत्व औसत है।

7.4 सड़क अभिगम्यता :

सडक अभिगम्यता किसी क्षेत्र मे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुच की सुविधा को स्पष्ट करता है। यह अच्छी भूमि, बाजार केन्द्र एव मार्गो के परिप्रेक्ष्य मे महत्वपूर्ण है।[10] सडक अभिगम्यता का तात्पर्य यथा सभव कम समय तथा कम शक्ति के व्यय पर निर्वाध गति से सुगमता पूर्वक किसी सडक या सेवा–केन्द्र पर पहुचने से है। सड़को की अभिगम्यता से सड़कों की सघनता तथा गमनागमन की सुविधा का ज्ञान होता है, साथ ही इसकी तीव्रता से किसी क्षेत्र के विकास का स्तर एव सडक जाल की प्रभावोत्पादकता का मापन होता

है। अभिगम्यता आर्थिक विकारा का प्रमुख कारक है, क्योकि आज के भौतिक युग मे कोई भी व्यक्ति अनभिगम्य क्षेत्रो मे रहना पसन्द नही करता। किसी भी क्षेत्र के विकसित या अविकसित होने का पता वहा की अभिगम्यता से लगाया जाता है। वर्तमान युग मे यातायात के साधनो से 5 किमी दूरी पर स्थित क्षेत्र अनभिगम्य माना जाता है क्योकि इस दूरी को तय करने मे मानव शक्ति एव समय अधिक लगता है।[11] अभिगम्यता का मापदण्ड साधारणतया व्यक्तिनिष्ठ होता है। सडक तत्र विकसित होने पर अगम्य क्षेत्र लुप्तप्राय हो जाता है। भारत मे सडको की अभिगम्यता मान मे नागपुर याजना तथा बम्बई योजना द्वारा निर्धारित मानदण्ड इस प्रकार है –

सारणी 7.2

नागपुर तथा बम्बई द्वारा निर्धारित सडक अभिगम्यता मानदण्ड
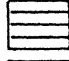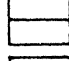
क्र स	क्षेत्र विवरण	किसी भी गॉव की अधिकतम दूरी (किमी)	
		किसी भी सडक से	मुख्य सड़क से
1	नागपुर योजना		
	1 कृषि क्षेत्र	3 22	8 05
	2 कृषितर क्षेत्र	8 05	32 10
2	बम्बई योजना		
	1 विकसित कृषि क्षेत्र	4 83	12 87
	2 अविकसित कृषि क्षेत्र	8 05	19 31
	3 विकसित कृषि क्षेत्र	2 41	6 44

राष्ट्रीय स्तर पर सडक परिवहन के विश्लेषण मे अधिकाशतया उपर्युक्त मानदण्डो को ही अपनाया जाता है। वास्तव मे आज के भौतिक युग मे, जहा विशेषीकरण की प्रधानता हो, तथा दूसरी ओर अध्ययन क्षेत्र के अधिक समतल कृषि प्रधान एव सघन जनसख्या के स्वरूप को देखते हुए उपरोक्त 5 किमी की दूरी बहुत अधिक लगती है। इस सन्दर्भ में इस दूरी को घटा कर 3 किमी. माना गया है। अर्थात् सड़क से 1–3 किमी की दूरी तक स्थित ग्रामो को अभिगम्य

Fig 72

एव उससे अधिक दूरी पर स्थित ग्रामो को अनभिक्य मान कर अध्ययन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र मे न्याय पचायत स्तर पर 1–3 किमी की दूरी स्थित ग्राम को अभिगम्य एव 3 किमी से दूर स्थित गावो को अनभिगम्य मान कर गणना की गयी है। सडको की अभिगम्यता एव अनभिगम्यता आबाद ग्रामो के ही परिप्रेक्ष्य मे की गई है सारणी (7 3)।

सारणी 7-3

तहसील बासगाव · सडक अभिगम्यता (1998)

क्रम स	न्याय पचायत	अभिगम्य गॉवो की सख्या	आबाद ग्राम से प्रतिशत	अनिभिगम्य गावो की सख्या	आबाद गावो से प्रतिशत
1	देवडार बाबू	5	62.5	3	37.5
2	फुलहर खुर्द	10	52 63	9	47 37
3	मरवटिया	9	45	11	55
4	बास गॉव	6	46 15	7	53 85
5	धनौडा खुर्द	6	42 85	8	57 15
6	विशुनपुर	6	75	3	25
7	पाली खास	3	15 38	13	84 62
8	लेड्डुआबारी	4	30 76	9	62 23
9	दुबौली	6	54 54	5	45 45
10	डॅवरपार	5	38 46	10	61 53
11	भीटी	10	76 92	3	23 07
12	बिस्टौली	8	61 53	6	38 46
13	मलॉव	3	30	7	70
14	कौडीराम	14	82 35	3	17 64
15	चवरिया बुजुर्ग	5	55 55	4	44 44
16	ऊॅचेर	6	33 33	10	66 67
17	सोहगौरा	8	61 53	5	38 46

18	बासूडीहा	9	52 94	9	47 05
19	जानीपुर	13	50 00	13	, 50
20	हटवा	30	54 54	25	45 45
21	नर्रे बुजुर्ग	6	54 54	5	45 45
22	दरगी	11	64 7	6	35 29
23	कोठा	9	81 8	2	18 18
24	बेलकूर	8	50	8	50
25	राउतपार	5	41 6	12	58 33
26	तिलसर	3	75	1	25
27	टाटा बुजुर्ग	3	42 85	4	57 14
28	सहुआकोल	5	44 44	5	55 55
29	महिलवार	14	56	11	44
	योग	231	52 38	210	47 62

अध्ययन क्षेत्र मे कुल आबाद ग्रामो का 52 38 प्रतिशत ग्राम सडक से अभिगम्य है। न्याय पचायत स्तर पर इसमे भिन्नता है। न्याय पंचायत कौडीराम मे सर्वाधिक ग्राम (82 35 प्रतिशत) अभिगम्य है। द्वितीय एव तृतीय स्तर पर क्रमश न्याय पचायत कोठा (81 80 प्रतिशत) एव भीटी (76 92 प्रतिशत) है। मध्यम स्तरीय अभिगम्य न्याय पचायतो मे देवड़ारबाबू (65 54 प्रतिशत) जानीपुर (50 प्रतिशत) एव चवरिया बुजुर्ग (55 55 प्रतिशत) है। न्यूनतम अभिगम्यता न्याय पचायत पाली (15 38 प्रतिशत) मे है। अन्य न्याय पचायते भी निम्न स्तर की अभिगम्यता श्रेणी मे आती है जिनमे मलॉव (30 प्रतिशत) उँचेर (33 33 प्रतिशत) एव न्याय पचायत लेडुआबारी (30 76 प्रतिशत) है। अध्ययन क्षेत्र मे 210 गाव (47 62 प्रतिशत) अनिभिगम्य है (मानचित्र 7 2 एव सारणी 7.3)।

7.6 सड़क सम्बद्धता :

सडको की आपस मे सम्बद्धता, सडक परिवहन के विश्लेषण का एक

स्तर तथा सघनता का बोध सडक सम्बद्धता से ही स्पष्ट होता है। जिन क्षेत्रो मे सम्बद्धता अधिक होती है, उन क्षेत्रो मे सडको की सघनता तथा गम्यता अधिक होती है। पिछडी अर्थव्यवस्था के सडक जाल प्राय सुसम्बद्ध नही होते है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रो मे सडक सम्बद्धता अधिक पायी जाती है। जहा सडके इस प्रकार वितरित हो, कि कोई भी सडक किसी आन्तरिक बिन्दु पर जाकर अकस्मात समाप्त नही होती है, वरन् उसके दोनो छोर अन्य सडको से सम्बन्धित हो तो उसे सुसम्बद्ध सडक जाल कहा गया है। दूसरी ओर, जहा प्रमुख सडको से आबद्ध क्षेत्र के मध्य अन्य सडके, अकस्मात किसी बिन्दु पर समाप्त हो जाती है, अर्थात उनके द्वारा हर दिशा मे यात्रा बिना वापस लौटे नही की जा सकती है, तो उसे असम्बद्ध सडक जाल कहा गया है इन दोनो के बीच की स्थिति को सामान्य सम्बद्धता की दशा मानी गयी है जो सडक जाल जितना ही सुसम्बद्ध होगा, उसमे परिक्रमता उतनी ही कम होगी।[12] अध्ययन क्षेत्र मे यह सम्बद्धता दो माध्यमो से ज्ञात की गयी है, एक प्रमुख सेवा केन्द्र के सन्दर्भ मे तथा दूसरा सडक जाल सरचना के परिप्रेक्ष्य मे।

7.5.1 सेवा—केन्द्रों की सम्बद्धता :

सेवा केन्द्रो की सम्बद्धता द्वारा इस तथ्य को ज्ञात करने का प्रयास किया है कि अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख सेवा केन्द्र आपस मे कितने सेवा केन्द्रो से जुडे हुए है। इसका प्रदर्शन मानचित्र 7 1 मे किया गया है। इस सडक सम्बद्धता को ज्ञान करने मे केवल पक्की सडको को ही आधार माना गया है। यद्यपि कच्ची सडको द्वारा भी सडक सम्बद्धता पायी जाती है, किन्तु बरसात के दिनो मे तथा नालो पर पुल न होने के कारण सडक सम्बद्धता भग हो जाती है। अस्तु सेवा केन्द्रो मे सम्बद्धता विश्लेषण मे समरूपता लोने के लिए कच्ची सडक एवं खडजा मार्गों को छोड दिया गया है।

सारणी 7.4

तहसील बासगाव सभी ऋतु योग्य सडको से जुडे गावो का विवरण (जनसख्यावार) 1998

क्र स	विकास खण्ड	कौडीराम	बासगाव	गगहा	उरूवा	योग
1	1000 से कम वाले ग्राम	68	75	85	15	233
2	1000–1499 जनसख्या वाले ग्राम	8	6	10	3	27
3	1500 से अधिक वाले ग्राम	16	10	12	3	41
	योग					301

7.5.2 मार्ग—जाल की सम्बद्धता :

मार्ग जालो के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के लिए कई मापको का उपयोग किया जाता है। इस विश्लेषण विधि मे किसी मार्ग जाल को एक ग्राफ के रूप मे माना जाता है, जिसमे बिन्दु तथा बाहु (एजेज) दो मुख्य तत्व होते है। किसी भी परिवहन माध्यम के मार्ग जाल मे जितने भी उद्गम, सगम तथा अतिम या प्रमुख विकास केन्द्र होते है, उन्हे बिन्दु तथा इनको सम्बन्धित करने वाले मार्गो को बाहु के रूप मे माना जाता है। इससे दो बिन्दुओ के बीच की दूरी अर्थात् बाहुओ की लम्बाई पर ध्यान नही दिया जाता है। अध्ययन क्षेत्र मे पक्की सडको के जाल के सन्दर्भ मे प्रमुख बिन्दुओ की सख्या 30 है। इन बिन्दुओ एव बाहुओ के माध्यम से सडक जाल सम्बद्धता को प्रदर्शित करने वाले अल्फा (α), बीटा (β) तथा गामा (γ) निर्देशाको की गणना की गयी है। प्रस्तुत अध्यन मे अल्फा (α) निर्देशाक द्वारा गणना विधि को प्रस्तुत किया गया है। बीटा (β) तथा गामा (γ) का सक्षिप्त विवरण दिया गया है।

'अल्फा निर्देशाक' से मार्ग जाल के सम्बद्धता स्तर का बोध होता है। इस निर्देशाक का मान 0–1 00 के मध्य होता है। पूर्णत असम्बद्ध जाल का मान 0 होता है। पूर्णत सुसम्बद्ध मार्ग जाल का निर्देशाक 1 00 होता है। इस निर्देशाक की गणना निम्नलिखित सूत्र से की गयी है।[13]

$$\alpha = \frac{e - v + g}{2v - 5}$$

जहा α = अल्फा निर्देशाक

e = बाहुओ की सख्या

v = बिन्दुओ की सख्या तथा

g = असम्बद्ध ग्राफो की सख्या

अध्ययन क्षेत्र के सडक जाल का यह निर्देशाक 0.4 है। इससे स्पष्ट होता है कि सडक जाल न तो पूर्णत सुसम्बद्ध है, और न ही पूर्णत असम्बद्ध है। इस निर्देशाक मे 100 से गुणा करके सम्बद्धता को प्रतिशत मे भी अभिव्यक्त किया जा सकता है।

बीटा निर्देशाक से किसी मार्ग–जाल के बाहुओ एव बिन्दुओं के अनुपात का बोध होता है इस निर्देशाक के अनुसार असम्बद्ध मार्ग जालो का मान 1.00 से कम होता है। एक ही चक्र मे विभिन्न केन्द्र बिन्दुओ को मिलाने वाले मार्ग जाल का मान 1.00 तथा केन्द्र बिन्दुओ के मध्य कई विकल्प वाले मार्ग जाल का मान 1.00 से अधिक होता है इस निर्देशाक की गणन निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है[14] – $\beta = \frac{e}{v}$

'गामा निर्देशाक' से किसी मार्ग जाल के बाहुओ और बिन्दुओ के अनुपात का बोध होता है, किन्तु यह बीटा निर्देशाक से भिन्न है। यह निर्देशाक विद्यमान बाहुओ का अधिकतम बाहुओ के गुणाक का द्योतक है। इस निर्देशाक की गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है।[15]

$$\gamma = \frac{e}{3(v - 2)}$$

7.6 यातायात प्रवाह :

किसी भी क्षेत्र के विकास को प्रगतिशील बनाने के लिए वहा की यातायात प्रकृति एव प्रवाह का अध्यन आवश्यक है। भू–वैन्यासिक विनिमय एव क्षेत्रो के मध्य सम्बन्ध स्थापित करते समय यातायात के प्रवाह का मापन, उनकी गति एव परिमाण सहित मानचित्रण तथा उत्पत्ति एव लक्ष्य को ज्ञात करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है।[16] वस्तुत पृथ्वी पर गतिशील पदार्थों की सरलता या दुरूहता, यातायात का परिमाण तथा निर्धारित की गई दूरी, प्रत्येक प्रकार की आर्थिक क्रियाओ की प्रकृति एव व्यवस्था को गम्भीर रूप से प्रभावित करती है।[17] यातायात प्रवाह से न केवल परिवहन की कार्यात्मक विशिष्टिताए स्पष्ट होती है, अपितु क्षेत्रीय, आर्थिक कार्यकलाप, आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध प्रतिरूप एव आर्थिक विकास का स्तर भी ज्ञात होता है। साधारणत यातायात प्रवाह के अन्तर्गत वस्तुओ एव यात्रियो के आवागमन प्रतिरूप का अध्यन किय जात। है। इस विश्लेषण के अन्तर्गत तीन बातो का अध्ययन किया जा सकता है, प्रथम, वस्तुओ के उद्गम गन्तव्य स्थलो पर आने जाने से व्यापारिक स्वरूप का बोध होता है। द्वितीय, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रतिमाह परिवहन मार्ग पर कुल यातायात घनत्व का पता चलता है तथा तृतीय, परिवहन के साधनो तथा परिवहित वस्तुओ के सरचना मे परिवर्तन का प्रभाव परिवहन साधनो पर पडता है।

यातायात प्रवाह के उपर्युक्त तथ्यो के विश्लेषण से इस क्षेत्र के वर्तमान यातायात प्रवाह के स्वरूप की व्याख्या की जा सकती है। किन्तु किसी निर्धारित मापदण्ड के अथाव मे यह निश्चित कर पाना कठिन है कि विद्यमान यातायात प्रवाह घनत्व की स्थिति पिछडी अर्थव्यवस्था का द्योतक है, या विकसित अर्थव्यवस्था का, दूसरे ससाधनो की कमी तथा समय के अभाव मे इनके प्रवाह के आकडो का सग्रहण सभव नही हो सका।

अध्ययन क्षेत्र मे केवल सडक यातायात द्वारा यात्री आवगमन एवं माल परिवहन का कार्य सम्पन्न होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग सख्या 29 जो कि अध्ययन

N
तहसील बासगॉव
यातायात प्रवाह
To Gorakhpur
To Gorakhpur
Bansgaon
To Gola
Kauri Ram
Gagha
To Gola
1 मि मी = 10 बसें
To Varanasi
2 0 2
km

Fig 7.3

क्षेत्र के बीच से होकर गुजरती है इस राजमार्ग पर गोरखपुर से इलाहाबाद, वाराणसी आजमगढ गाजीपुर जौनपुर, बलिया मऊ एव बड़हलगज के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन की बसे चलती है। इसके अतिरिक्त समीपवर्ती तहसील एव विकासखण्डो के लिये जैसे, गोला, खजनी तहसील एव गगहा, उरूवा विकास खण्ड के लिए भी उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसे चलती है। अध्ययन क्षेत्र मे जनसख्या का बसाव अत्यन्त सघन है। इसलिये राजकीय बसो के अतिरिक्त लगभग सभी मार्गों पर व्यक्तिगत बसो, जीपों आदि साधनो द्वारा भी परिवहन कार्य सम्पन्न होता है। अध्ययन क्षेत्र मे विकासखण्ड कौडीराम परिवहन केन्द्र के रूप मे विकसित है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अतिरिक्त यहा जिला सडके कौडीराम–बासगाव जो कि खजनी तहसील होते हुए पुन गोरखपुर–लखनऊ राजमार्ग से मिल जाती हैं। कौड़ीराम–गजपुर, कौड़ीराम–गोला है। तहसील बासगाव मुख्यालय होने के कारण लोगो का आवगमन अधिक रहता है। इस मार्ग पर राजकीय बसो की सख्या अत्यन्त कम है। ,इसलिये व्यक्तिगत बसो एव जीपो द्वारा यात्रियो का आवागमन होता है। इसके अतिरिक्त कौडीराम–गोला, गोरखपुर–गोला, गोरखपुर–बडहलगज, वाराणसी, दोहरीघाट कौडीराम आदि पर व्यक्तिगत बसे चलती है। व्यक्तिगत बसो, जीपो आदि के चलने के कारण अध्ययन क्षेत्र का उत्तरी–पूर्वी भाग एव दक्षिणी–पश्चिमी भाग जहा राजकीय बसे नही के बराबर चलती है, अभिगम्य हो गया है।

उपर्युक्त साधनो के अतिरिक्त विभिन्न मार्गों पर टैक्सी, मिनी–बसों आदि साधनो द्वारा यात्रियो का आवगमन होता है। वर्ष मे शादी आदि उत्सवो के समय आवागमन बढ जाताहै। यात्रियो के आवागमन के अलावा कुल माल परिवहन का कार्य भी इन साधनो द्वारा सम्पन्न होता है। कृषि क्षेत्र होने के कारण ट्रैक्टरो की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा माल परिवहन एवं शादी आदि के समय यात्रियो का आवागमन भी होता है।

अध्ययन क्षेत्र मे यातायात प्रवाह के उपर्युक्त आकडो का एकत्रीकरण

अधिक होता है। वास्तव मे यातायात प्रवाह अनेक परिवर्त्यों पर निर्भर करता है, इसलिए यात्रियो के आवागमन के आधारपर यातायात प्रवाह का विश्लेषण किया गया है। यात्रियो का यह प्रवाह सडको पर चलने वाले व्यक्तिगत तथा सरकारी बसो के माध्यम से मापने का प्रयास किया गया है। सडको पर चलने वाली बसो की गणना व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर की गयी है। बसो की सम्पूर्ण सङ्ख्याओ का योग उनके (बसो के) आने व जाने के सन्दर्भ मे किया गया हे (मानचित्र 7 3)।

गोरखपुर से कौडीराम तक प्रतिदिन लगभग 120 यात्री बसे व जीपो का आवागमन होता है। वाराणसी, इलाहाबाद, जौनपुर, आजमगढ तक जाने वाले बसे एव गोला, जानीपुर, गजपुर एव बासगाव जाने के लिये भी कौडीराम होकर जाना पडता है। गोरखपुर से हाटा बुजुर्ग तक 80 बसो का परिवहन होता है। सर्वाधिक यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही होता है। कौडीराम से गोला लगभग 20 बसो व टैक्सी का आवागमन होता है। कौडीराम से गजपुर लगभग 40 बसो व टैक्सी का आवागमन होता है। कौडीराम से बासगाव मुख्यालय समीप होने के कारण इस सडक पर टैम्पो अधिक चलते है, 10 बसे व जीप भी चलती है तथा बासगावँ गोला 10 बसे व जीप चलती है।

सारणी 7-5

तहसील बासगाव प्रमुख सेवा केन्द्र से निकटतम कस्बे व जनपद की दूरी

1	देवडार बाबू	गोला 26 किमी
2	फुलहर खुर्द	गोला 23 किमी
3	मरवटिया	गोला 25 किमी
4	दोनखर	गोरखपुर 35 किमी
5	बास गॉव	गोरखपुर 35 किमी
6	धनौडा खुर्द	गोला 20 किमी
7	विशुनपुर	गोला 18 किमी
8	पाली खास	गोला 14 किमी
9	लेड्डुआबारी	गोला 15 किमी

10	दुबौली	गोला 17 किमी
11	डॅवरपार	गोरखपुर 20 किमी
12	भीटी	गोरखपुर 24 किमी
13	बिस्टाली	गोरखपुर 20 किमी
14	बलीपार	गोरखपुर 20 किमी
15	मलॉव	गोरखपुर 26 किमी
16	कोडीराम	गोरखपुर 28 किमी
17	पाण्डेयपार	गोला 9 किमी
18	चवरिया बुजुर्ग	गोला 21 किमी
19	ऊँचेर	गोला 21 किमी
20	साहगौरा	गोला 22 किमी
21	बासूडीहा	गोला 16 किमी
22	जानीपुर	गोला 14 किमी
23	हटवा	बडहलगज 14 किमी
24	नर्रे बुजुर्ग	गोला 9 किमी
25	दरसी	बडहलगज 11 किमी
26	मझगावा	बडहलगज 12 किमी
27	कोठा	गोला 16 किमी
28	गजपुर	गोला 16 किमी
29	बेलकूर	बडहलगज 12 किमी
30	राउतपार	बडहलगज 13 किमी
31	तिलसर	बडहलगज 6 किमी
32	हाटा बुजुर्ग	बडहलगज 44 किमी
33	सहुआकोल	बडहलगज 15 किमी
34	महिलवार	गोला 20 किमी
35	जानीपुर	गोला 14 किमी

स्रोत जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के आधार पर।

7.7 परिवहन तंत्र का नियोजन :

अध्ययन क्षेत्र मे सडको का विस्तार हुआ है, फिर भी जनसख्या के सघन स्वरूप, ग्रामो के स्थिति एव क्षेत्र के आर्थिक विकास के सन्दर्भ मे सडको के विस्तार की आवश्यकता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे जल परिवहन, वायुपरिवहन एव रेल परिवहन नगण्य है। अध्ययन क्षेत्र मे अनेक सेवा केन्द्र है। जो पक्की सडको से जुडे हुए नही है। तहसील के समाकलित विकास के लिए परिवहन सुविधाओ को बढाया जाना आवश्यक है। बडे व प्रमुख सेवा केन्द्रो को मुख्य सडको से जोड दिया गया है। परिवहन के विकास के लिये आवश्यक है कि एक समन्वित कार्य योजना तैयार किया जाए। अध्ययन क्षेत्र के लिए 10 वर्षीय परिवहन नियोजन प्रस्तुत है।

7.7.1 रेलमार्ग :

अध्ययन क्षेत्र मे रेलमार्ग का अभाव देखते हुए रेल मार्ग की आवश्यकता है। अध्ययन क्षेत्र ही नही वरन जनपद के सम्पूर्ण दक्षिणी भाग मे रेल मार्ग नही है, परन्तु जनसख्या का सघन स्वरूप तथा परिवहन व्यवस्था के समुचित विकास हेतु रेल मार्ग बनाये जाय। घाघरा नदी एव राप्ती नदी पर पुल बनाकर एक रेलवे लाइन दोहरीघाट से गोरखपुर तक बनायी जाय। रेलवे सुविधा न होने के कारण यहा के निवासियो को बम्बई, कलकत्ता या दिल्ली आदि बडे शहरो मे जाने के लिए जनपद मुख्यालय आकर रेलगाडी की सवारी पाते हैं, इसके लिए उन्हे काफी असुविधा होती है। प्रस्तावित रेलमार्ग का सम्पूर्ण क्षेत्र समतल तथा कृषि प्रधान क्षेत्र है। अत निर्माण मे अधिक आर्थिक विनियोग की भी आवश्यकता नही है। अत इस ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु रेल मार्ग प्रस्तावित है।

7.7.2 सड़क मार्ग :

अध्ययन क्षेत्र मे सडक मार्ग परिवहन तत्र का आधार है। सर्वप्रथम

को और चौडा करने की आवश्यकता है। टैक्सी, टैम्पो बस के अतिरिक्त इस पर ट्रैक्टर ट्राली ट्रको का प्रवाह दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है। तहसील मुख्यालय होने के कारण इस सडक पर यातायात प्रवाह भी अधिक होता है। कौडीराम—गजपुर सडक मार्ग को दो गुना चौडा करने की जरूरत है। पूर्वी दक्षिणी—पूर्वी क्षेत्रो मे जाने के लिए एकमात्र कौडीराम गजपुर मार्ग है, अत इस सडक पर भी यातायात प्रवाह अधिक है। अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी—पश्चिमी तथा उत्तरी—पश्चिमी भागो मे सडको की अभिगम्यता अत्यन्त न्यून है। बासगाव मुख्यालय से बेलीपार तक आमी नदी पर एक—पुल बनाकर सडक मार्ग बनाया जाय जिससे उस क्षेत्र मे सडको की अभिगमयता बढ जायेगी। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी—पश्चिमी भागो मे सडको का विकास करने के लिए कौडीराम से गोला मार्ग तथा बासगॉव से गोला मार्ग वाली सडक को जोड दिया जाय जो कि न्याय पचायत जानीपुर होते हुए दुबोली, पाली तथा न्याय पचायत मखटिया से होकर जाती हुयी फुलहर खुर्द मे मिल जाय। अध्ययन क्षेत्र के दक्षिणी—पूर्वी भाग मे सडको का विकास कम हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग से सहुआकोल तक सडक बनाने की आवश्यकता है, इसी प्रकार बेलीपार से पूर्व की ओर न्याय पचायत मलॉव के आन्तरिक भागो मे सडक बनाने की आवश्यकता है। कौडीराम—गजपुर मार्ग न्याय पचायत उँचेर की मखलिया ग्राम तक एक पक्की सडक बनायी जाय जिससे उस क्षेत्र मे सडको का विकास हो। इस प्रकार इन प्रस्तावित सडको के निर्माण से सेवा केन्द्र आपस मे सम्बद्ध हो सकेगे।

7.8 ग्रामीण सड़क मार्ग :

ग्रामीण सडक ग्रामीण विकास का आधार है। अध्ययन क्षेत्र की ग्रामीण जनसख्या को नगर विकास केन्द्रो तथा मुख्य सडको से जोडने के लिए सडको का जाल होना आवश्यक है। कृषि उपज तथा कुटीर उद्योगो के उत्पादो की विपणनीय सुविधाए, ग्रामीण सडको पर बहुत निर्भर करती है। गावों को सडको

ग्रामीण सडको से सम्बन्धित सुझाव निम्न है –

1 गावो को मुख्य सडक से जोडने वाली सहायक खडजा सडको को पक्की सडको मे बदला जाय।

2 ग्रामीण यातायात के प्रमुख साधन बैलगाडी मे तकनीकी दृष्टि से सुधार करना चाहिए, जिससे ग्रामीण सडको को क्षति न पहुचे।

3 ग्रामीण क्षेत्रो मे यू तो कच्ची सडको को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए किन्तु पक्की सडको से जुडने वाले सम्पर्क मार्ग पक्की होने चाहिए।

4 अध्ययन क्षेत्र के ऐसे ग्रामो को जिनका सम्पर्क वर्षा ऋतु मे मुख्य सडक से टूट जाता है, उन चकरोडो पर मिट्टी डालकर सडक को ऊचा करके खडजा बनाने का प्रस्ताव है।

5 वर्तमान मे सभी कच्ची सडको को पक्की बनाने का प्रस्ताव है, जिससे क्षेत्र के विकास मे अभिवृद्धी होगी।

6 ग्रामीण क्षेत्रो मे सडको का विकास करने के लिए एच्छिक श्रम अर्थात श्रमदान को प्रोत्साहित करना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा योजना आदि के द्वारा भी ग्रामीण सडको का निर्माण सरलतापूर्वक किया जा सकता है।

7 सडक जाल इस प्रकार होना चाहिए कि सभी गावो का सम्पर्क सेवा केन्द्रो से हो जाय।

8 राज्य सरकार को ग्रामीण सडको के निर्माण मे स्वैच्छिक सस्थाओ से सहयोग लेना चाहिए। सडको के नियमित भाग के रख–रखाव की जिम्मेदारी बाटी जा सकती है। ग्राम पचायतो एव सहकारी सस्थाओ का इसमे व्यापक सहयोग लिया जा सकता है। साथ ही पर्यावरणीय दृष्टि से कच्ची एव पक्की सडको के किनारे छायादार वृा प्रस्तावित है ताकि क्षेत्र का पारिस्थैतिकी सतुलन भी बना रहे।

तहसील बासगाँव
प्रस्तावित परिवहन व सचार सेवाए
N
Bansgaon
Kauri Ram
Gagha
रेलवे लाइन
सडक मार्ग
सा दूर केन्द्र
डाकघर
तारघर
व्यक्तिगत टेलीफोन
2
0
2
km

Fig 74

7.9 संचार व्यवस्था :

समन्वित प्रादेशिक विकास के सन्दर्भ मे सचार सुविधाओ का स्थान महत्वपूर्ण है। जब तक ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र अध्यापक और छात्र, चिकित्सक और बीमार व्यक्ति, कृषि विशेषज्ञ और कृषक, ग्रामीणो और सरकारी अभिकरणो तथा लाभार्थियो और विकास मे सलग्न विशिष्ट सस्थाओ के मध्य सचार सवाद की व्यवस्था दोषपूर्ण और अनिश्चित रहेगी तब तक ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रमो को सफल बनाने के लए ग्रामवासियो को जागरूक बनाना प्रस्तावित सुविधाओ से परिचित कराना और विकास की प्रक्रिया मे भाग लेने को तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है। इन सब कार्यों को एक सुदृढ और प्रभावी सचार व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है।[18] राजनैतिक जीवन, सरकारी–प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यावसायिक प्रबन्ध, कृषि तथा अन्य विस्तार सेवाए, उन्नत शैक्षिक प्रविधिया, विज्ञापन, उद्योग, मनोरजन क्रियाए, समाचार पत्र और व्यक्तिगत मामलो का सचालन आदि सभी सचार साधनो की माग करते है।[19] विकसित सचार सेवाए आधुनिक समय की अनिवार्य आवश्यकता है। विकास सचरण का अर्थ लोगो को यह बताना नही है कि सरकार क्या कर रही है, अपितु इसका उद्देश्य अन्य उन्नतशील मानव समूहो के कार्यो की जानकारी को लागो के साथ वितरित करना है।[20]

सदेश विचार एव सूचनाओ इत्यादि के आदान–प्रदान को सचार कहते है। विकास के लिए परिवहन जैसा सचार भी आवश्यक है। सचार माध्यमो को दो वर्गों मे वर्गीकृत किया जा सकता है, प्रथम सार्वजनिक संचार माध्यम तथा द्वितीय जनसचार माध्यम। सार्वजनिक सचार माध्यम के अन्तर्गत, डाक तार तथा दूरभाष आदि आते है ये सार्वजनिक सेवाए प्रदान करने के साथ उद्योगो को बढावा देते है। रेडियो, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाओ तथा सिनेमा आदि जनसचार के माध्यम हे, जो सूचना, ज्ञान, विचारो, भावनाओ तथा शिल्प आदि का सकेत चिन्हो, शब्दो, चित्रो तथा आरेखो द्वारा प्रभावशाली प्रसारण करते है।[21]

7.8.1 सार्वजनिक संचार :

अध्ययन क्षेत्र मे 52 डाकघर, 4 तारघर 24 पी सी ओ तथा 39 दूरभाष सेवा सम्पर्क है।

सारणी 7.6

तहसील बासगाव विकास खण्डवार यातायात एवं संचार सेवाए

क्र स	विकास खण्ड	कौडीराम	बासगाव	गगहा	उरूवा	योग
1	डाकघर	18	12	19	3	52
2	तारघर	1	1	1	1	4
3	पी सी ओ	9	5	8	3	24
4	दूरभाष	24	26	18	2	69

स्रोत जिला साख्यिकी पत्रिका (1996) से प्राप्त सूचना के आधार पर

(अ) डाक सेवा :

भारत मे आधुनिक डाक प्रणाली सर्वप्रथम 1837 मे प्रारम्भ हुई। 1854 मे डाक विभाग तथा 1880 मे मनीआर्डर प्रणाली प्रारम्भ हुयी। रेलवे डाक सेवा 1907 तथा हवाई डाक सेवा 1911 मे प्रारमभ हुई। फलस्वरूप द्रुतडाक सेवा अकित डाक सेवा, रिकार्डेड डिलीवरी और द्रुतगामी डाक सेवा (स्पीड पोस्ट) जैसे कार्यक्रम शुरू किये गये है।

डाकघर खोलने के लिए गावो के एक समूह को चुना जाता है, और इस समूह मे से डाकघर की स्थापना के लिए एक उपयुक्त गाव का चयन किया जाता है। गावो के समूह की कुल आबादी, पहाडी, पिछडे हुए औ जनजातीय क्षेत्रो मे 1500 या इससे अधिक तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रो मे 3000 या इससे अधिक होनी चाहिए। अध्यन क्षेत्र मे इस मानक के अन्तर्गत औसत गाव आते है।

1981–82 मे अध्ययन क्षेत्र मे कुल डाकघर की सख्या 42 थी जो 1997–98 मे बढकर 52 हो गयी है। डाकघर की सर्वाधिक सख्या विकास

खण्ड गगहा (19) मे है पुन अवरोही क्रम मे कौडीराम (18) विकाराखण्ड बासगाव (12) है। अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक न्याय पचायतो मे डाकसेवा उपलब्ध है। कुछ न्याय पचायतो मे कुछ बडे गाव है जिनकी आबादी 3000 स अधिक है, वहा डाकघर स्थापित है, इस प्रकार कुछ न्याय पचायतो जैसे मलॉव, दरसी कौडीराम न्याय पचायत–बासूडीहा जानीपुर बासगाव, हाटाबुजुर्ग आदि मे दो–तीन अदद डाक सेवाये उपलब्ध है।

औद्योगीककरण, जनसख्या और साक्षरता दर मे वृद्धि के कारण डाक आवागमन मे भी अत्यधिक बढोत्तरी हुई है। देश मे डाक स्थल और वायु दोनो मार्गों से ले जायी जाती है।

(ब) तार सेवा :

अध्ययन क्षेत्र मे कुल 4 तारघर है जिनमे 3 विकास खण्ड केन्द्रो पर तथा एक गजपुर मे है। अध्ययन क्षेत्र के अधिकाश गाव तार घरो की सुविधा से 5 किमी की दूर पर स्थित है। विकास खण्ड केन्द्रो के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रो मे एक भी तारघरउपलब्ध नही है, जिससे इस क्षेत्र मे तार सेवा की अभावाग्रस्तता एव पिछडेपन का ज्ञान होता है, सारणी 7 5।

(स) दूरभाष सेवा :

वर्तमान समय मे दूरभाष सेवा को आदिवासी क्षेत्र राहित ग्रामीण क्षेत्र तक बढाया जा रहा है। सरकार की नीति का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक गाव से 5 किमी की दूरी के अन्दर एक दूरभाष सेवा दी जाय। अध्ययन क्षेत्र मे 9 दूरभाष सेवा केन्द्र उपलब्धहै। सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के दूरभाष सेवा सम्पर्क का 36 17 प्रतिशत (34) विकास खण्ड कौडीराम मे है। अवरोही क्रम मे विकारा खण्ड बासगाव व गगहा (26) आते है। अध्ययन क्षेत्र से पी सी ओ की कुल सख्या 24 है, जिनमे से 9 विकास खण्ड कौडीराम मे है। विकारा खण्ड गगहा मे पी सी.ओ की सख्या 8 एव बासगाव मे 5 है।

7.9 संचार—सेवाओं की अभिगम्यता :

अध्ययन क्षेत्र मे विकास खण्ड स्तर पर सचार सुविधाओ की अभिगम्यता 39 53 प्रतिशत है। सारणी 7 7 मे सचार सेवाओ की अभिगम्यता को दर्शाया गया है। जैसा कि उपर्युक्त विश्लेषण से ही स्पष्ट है कि वर्तमान समय मे समतल कृषि मैदान क्षेत्र मे 5 किमी की दूरी भी अधिक प्रतीत होती है। अत सचार सेवाओ की अभिगम्यता को 1–3 किमी के अन्तर्गत ही दिखाया गया है। 3–5 किमी या 5 किमी दूर के अन्तर्गत आने वाली सेवाओ को अनभिगम्य के अन्तर्गत माना गया है। सारणी 7 7 मे ग्राम स्तर परइन सेवाओ की उपलब्धता को प्रदर्शित किया गया हैं। सारणी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सचार सेवाओ की सर्वाधिक सुलभता विकास खण्ड कौडीराम मे है। विकास खण्ड कौडीराम की अधिकाश न्याय पचायते राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनो तरफ स्थित है। अत गमनागमन की सुविधा, बाजार की समीपता आदि के कारण यहा सचार सुविधाओ का अधिक विकास हुआ है।

सारणी 7.7

तहसील बासगाव विकास खण्डवार जनसचार सेवाओ की अभिगम्यता (1998)

क्र स	विकास खण्ड	कौडीराम	बासगाव	गगहा	उरखा	योग	अभिगम्यता (प्रति)
अ	डाकघर						
	1 ग्राम मे	18	12	19	3	52	9 7
	2 1 किमी से कम	13	11	1	10	35	6 52
	3 1–3 किमी	87	84	116	15	302	56.34
ब	तारघर						
	1 ग्राम मे	1	1	1	1	4	74
	2 1 किमी से कम	3	2	1	2	8	1 49
	3 1–3 किमी	9	33	15	36	93	17 35
स	सार्वजनिक टेलीफोन						
	1 ग्राम मे	6	3	7	1	17	3 17
	2 1 किमी से कम	5	2	3	–	10	1.86
	3 1–3 किमी	20	22	2	56	100	18 65

स्रोत जिला साख्यिकी पत्रिका (1996) से प्राप्त सूचनाओ के आधार पर

7.10 जनसंचार :

इलेक्ट्रानिक तथा मुद्रण जनसचार का प्रमुख माध्यम है। इलेक्ट्रानिक्स के अन्तर्गत रेडियो, दूरदर्शन तथा चलचित्र प्रमुख है। सगीत, मनोरजन, शिक्षा समाचार, विज्ञापन, सवाद–सूचना आदि के प्रसारण के लिए रेडियो एक सशक्त माध्यम है। रेडियो एव दूरदर्शन वर्तमान युग का सबसे सशक्त सचार माध्यम है। इसके द्वारा कृषको को कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत उपयोगी ज्ञान प्राप्त होता है। बम्बई और कलकत्ता के दो निजी स्वामित्व वाले ट्रासमीटरो की सहायता से सर्वप्रथम 1927 मे रेडियो प्रसारण प्रारम्भ हुआ। 1930 मेसरकार ने इसे अपने हाथ मे लेकर "भारतीय प्रसारण सेवा" प्रारम्भ किया। 1936 मे इसका नाम बदल कर 'आल इण्डिया रेडियो" रखा गया और 1957 के बाद से इसे आकाशवाणी कहा जाता है। अध्ययन क्षेत्र के सभी भागो मे रेडियो प्रसारण पहुचता है।

दूरदर्शन दृश्य श्रव्य माध्यम है। भारत मे दूरदर्शन की शुरूआत सितम्बर 1959 मे हुई, जब एक प्रायोगिक परियोजनाके रूप मे दिल्ली मे दूरदर्शन केन्द्र खोला गया। दूरदर्शन रिले स्टेशन जनपद मुख्यालय मे स्थित होने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र दूरदर्शन प्रसारण के अन्तर्गत आता है। आर्थिक विपन्नता व विद्युतीकरण के अभाव के कारण कुछ सम्पन्न वर्ग ही इस सुविधा का उपयोग कर रहे है।

चलचित्र भी जनसचार का सशक्त माध्यम है। अध्ययन क्षेत्र मे एक चलचित्र गृह विकास खण्ड केन्द्र कौडीराम मे स्थित है। कई विड़ियोहाल अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख सेवा केन्द्रों पर चल रहे हैं।

जनसचार का एक प्रमुख माध्यम मुद्रण भी है। अध्ययन क्षेत्र मे दैनिक जागरण, आज, नवभारत टाइम्स, राष्ट्रीय सहारा, समाचार पत्र प्रमुख विकास केन्द्रो पर प्राप्त किए जा सकते है। साक्षरता प्रतिशत कम होने के कारण गावो मे इनका उपयोग अत्यन्त कम है। दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दूस्तान एव आज के दैनिक समाचारो मे तहसील के बारे मे समाचार छपता है।

7.11 संचार नियोजन :

अध्ययन क्षेत्र मे सचार सुविधओ की अभिगम्यता से स्पष्ट है कि व्यापक प्रसार के बावजूद इनकी काफी कमी है। जहा डाकघर की सख्या 10

है। दूरभाष केन्द्र की सख्या 4 है। दूरदर्शन की सुविधा का लाभ ग्रामीण आर्थिक विपन्नता के कारण नही उठा पा रहे है। अध्ययन क्षेत्र मे दूरदर्शन सेटो की सख्या जनसख्या के परिप्रेक्ष्य मे नगण्य है। सचार सुविधाओ के विकास सन्दर्भ मे निम्न प्रस्ताव उल्लेखनीय है –

1 अध्ययन क्षेत्र मे डाकघर की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है। अधिकाश ग्रामो के लोगो को इसकी सुविधा हेतु एक किमी से अधिक दूरी तय करनी पडती है। इस दिशा मे कुछ नये डाकघर खोलने की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीणो को अपने निवास स्थान से एक किमी के अन्दर डाकघर की सुविधा उपलब्धहो सके। इसके अलावा जनसख्या की अवसीमा का भी ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। 1500 से अधिक जनसख्या वाले गाव मे डाकघरकी सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण से तहसील मे अतिरिक्त डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

2 क्षेत्र के सभी डाकघरो को दूरभाष से जोडने का प्रस्ताव है। ,

3 प्रत्येक गाव मे एक पत्र पेटिका अवश्य लगानी चाहिए, तथा प्रत्येक न्याय पचायत केन्द्र पर एक टेलीफोन केन्द्र अवश्य होना चाहिए।

4 सभी डाकघरो को पक्की सडको से जोडा जाना चाहिए।

5 आधुनिक तकनीक ने दूरदर्शन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो मे व्यापक परिवर्तन किए है। इनसेट के माध्यम से दूरदर्शन की पहुच दूर–दराज के भागो मे है। दूरदर्शन सेट से ग्रामो मे पढना लिखना न जानने वाले अधिकाश लोगो के लिए स्वास्थ्य पशु चिकित्सा कृषि औरपरिवार कल्याणके बारे मे क्षेत्रीय भाषाओ मे कार्यक्रम प्रसारित करते है। अध्ययन क्षेत्र मे ग्रामीणो की आर्थिक स्थिति ठीक न हाने के कारण निजी स्तर पर इसकी बहुत कमी है। बहुसख्यक ग्रामीणो के पास इसको खरीदने की क्षमता नही है। इस दिशा मे सरकार को चाहिए कि वह इस सुविधा को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। न्याय पचायत एव ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सर्वप्रथम गाव मे विद्युत उपलब्ध करानी चाहिए, तत्पश्चात् सरकार की ओर से प्रत्येक ग्राम सभा मे दो टेलीविजन सेट उपलब्ध कराना चाहिए। इस दिशा मे स्वयसेवी सस्थाओ का भी सहयोग अपेक्षित है। ग्रामो मे नवयुवक मगल दल की स्थापना करके सरकारी योजना के अन्तर्गत यह सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

अध्ययन क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसख्या ग्रामीण है लेकिन अखबारी क्षेत्रो मे ग्प्रमीण रिर्पोटिग को खास महत्व नही दिया जाता है। कुछपत्रकार नियमित रूप से समाचार लेने के लिए गावो मे जाते भी है। किन्तु सामान्य तौर पर पत्रकारिता की प्राथमिकता सूची मे ग्रामीण रिपोर्टिंग का स्थान बहुत नीचे है। पत्रकारो का ग्रामीण रिर्पोटिग का मुख्य उद्देश्य गावो के लोगो विशेषकर वहा के कमजोर वर्गों की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक, समस्याओ की ओर ध्यान दिलाना तथा उन उपायो का मूल्याकन करना होना चाहिए, जो इन समस्याओ को हल करने और कमजोर वर्गों की सामाजिक, आर्थिक दशा सुधारने के लिए किए जा रहे है।

सचार आयोजना के लिए जरूरी है कि हमे अपनी सास्कृतिक विरासत, विशिष्टता और प्रभुसता का भान सदैव होना चाहिए। इसमे आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन को ग्रहण करने के साथ–साथ परम्परा की निरन्तरता को जीवन्त बनाये रखना चाहिए। प्रेस की वास्तविक शक्ति जिला या मण्डल स्तर पर उस क्षेत्र की भाषा मे प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिकाओ के विकास मे निहित है। यह भी महत्वपूर्ण है कि, प्रकाशित सामग्री को पढने के लिए क्षमता और रूचि का विकास करना। इसके लिये आवश्यक है कि हमारी स्थानीय आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए समुचित विकास हेतु साक्षरता का आधार व्यापक बनाया जाए। जनसम्पर्क माध्यम और सप्रेषण प्रौद्योगिकी लचीली तथा गैर विशिष्टवर्गीय और सहभागिता के दृष्टिकोण वाली होनी चाहिए। पिछडे क्षेत्र के लोगो का सहभागी लोकतत्र के लिए सक्षम बनाने तथा विकासोन्मुखी समाज की शुरूआत करने के लिए सचार नियोजन और जनसम्पर्क माध्यमो की नीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

संदर्भ

1 वर्मा शिवशकर शाही सुनील अवस्थापना तत्व एव प्रादेशिक विकास एक सैद्धान्तिक अध्यन'' उत्तर भारत भूगोल पत्रिका दिसम्बर 1987 Vol 23, No 2 पेज – 39

2 कुरैशी, एम एच भारत का भूगोल, ससाधन तथा प्रादेशिक विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, 1978 पृ 100

3 मिश्र, एस के वपूरी वी के भारतीय अर्थव्यवस्था, 1991 पृ 867

4 कुरैशी, एम एच भारत ससाधन तथा प्रादेशिक विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान एव प्रशिक्षण परिष, 1990 पृ 102

5 वही, पृ 101

6 सिह, जगदीश, परिवहन तथा व्यापार भूगोल, 1977 पृ 4

7 Thomas, R L ."Transportation and development of Malya, A A A G Vol 65, No 2 P 67

8. पूर्वोक्त सन्दर्भ सख्या 4, पृ 67

9 Op Cit fn 3 P 66

10 क्रेसी, जे बी ''एशियाज लैण्ड एण्ड पीपुल'', न्यूयार्क 1944, पृ 29

11 Singh, J , Transport Geography of South Bihar, B H U Varanasi 1964, P 89

12 Op Cit , Fn 10, 149

13 Babu, R Micro Level Planning - A case study of Chhibramau Tahsil, unpublished Ph D Thesis, Geograaphy Deptt , Allahabad University 1981, P 244

14 Ibid P 245

15 Ibid

16 उलमान, ई एल एवं मेयर एम एच ट्रान्सपोर्टेशन ज्याग्रफी अमेरिकन जाग्रफी इन्वेन्टरी एण्ड प्रास्पेक्ट्स, पी ई जोन्स एव री एफ जोन्स (इडीटर्स) सीरेकस प्रेस, 1954 पृ 316

17 वही पृ 312

18 मिश्रा पी एल एव मिश्रा, एम 'ग्रामीण सचार का महत्व' (ग्रामीण विकास सकल्पना उपागम एव मूल्याकन–सम्पादक–सिह, प्रमोद एव तिवारी, अमिताभ) पृ 225–226

19 गिल, के एस भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, पृष्ठ 204

20 कोकाटे, के डी एव दूबे, बी के 'सचार और ग्रामीण विकास', कुरुक्षेत्र, वर्ष 28 अक 11, सितम्बर 1983, पृ 16–17

21 Parakh, Bhalchandra Sadashive India Economic Geography, N C E R T, New Delhi, P 151

अध्याय–8

सामाजिक–सुविधाओं की पृष्ठभूमि एवं विकास–नियोजन

समन्वित प्रदेशिक विकास के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य मे सामाजिक सुविधओ को न्यूनतम स्तर तक माना जाता है, परन्तु बिना सामाजिक विकास के किसी क्षेत्र का पूर्ण विकास नही हो सकता। मानव का भौतिक एव सास्कृतिक विकास प्रत्यक्षत शिक्षा एव स्वास्थ्य सम्बन्धित सुविधाओ से जुडा हुआ है। किसी भी प्रदेश विशेष के चारो प्रत्ययो यथा कृषि उद्योग परिवहन एव सचार तथा सामाजिक सुविधाओ (स्वास्थ्य, शिक्षा) के विकास से ही उस प्रदेश विशेष का समन्वित विकास हो सकता है, इसलिये सामाजिक सुविधाओ का नियोजन को सम्पूर्ण विकास के नियोजन का एक महत्वपूर्ण अग माना जाता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए सविधान निर्माताओ ने शिक्षा एव स्वास्थ्य से सम्बन्धित तथ्यो को मौलिक अधिकारो एव राज्य के नीति निर्देशक तत्वो के अन्तर्गत समाहित किया गया है।[1] जिसकी प्राप्ति हेतु सरकार ने छठी पचवर्षीय योजना मे सशोधित न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम को अपनाने पर बल दिया है।[2] सामाजिक सेवाओ की अवस्थिति एव क्षेत्रीय वितरण तथा कुशलता ही सामाजिक आर्थिक वृद्धि का एक मापक मानी जा सकती है।[3]

मनुष्य की आवश्यक आवश्यकताओ मे स्वास्थ्य एव शिक्षा का प्रमुख स्थान है। एक उक्ति है – "स्वस्थ शरीर मे ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है।" उत्तम स्वास्थ्य व शिक्षा से ही ससाधनो का अधिकतम उपयोग कर विकास किया जा सकता है। सीमित ससाधनो को विकसित किया जा सकता है तथा नये ससाधनो को खोजा जा सकता है। प्रस्तुत अध्याय मे शिक्षा एव स्वास्थ्य के नियोजन तथा पर्यावरण नियोजन को प्रस्तुत किया गया है। हालाकि अध्ययन

क्षेत्र का शैक्षिक विवरण (साक्षरता विद्यालयो की सख्या) अध्याय तीन मे दिया गया है, परन्तु इनके विकास हेतु आयोजन नही प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन मे सक्षिप्त शैक्षिक विवरण तथा भावी विकास हेतु नियोजन को प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा एव स्वास्थ्य के नियोजन हेतु अध्ययन क्षेत्र मे उसके वर्तमान प्रतिरूप का योजना आयोग के लक्ष्ये से सहसम्बन्धित कर विश्लेषित किया गया है।

8.1 शिक्षा :

शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो समाज के बनाए रखने तथा उसके विकास के लिए अति आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकाश जनसख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है जिसका प्रमुख कारण अशिक्षा है।[4] अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक नवीन आर्थिक क्रियाओ मे आधुनिक विधियो तथा तकनीकी का प्रयोग शिक्षा के माध्यम से ही सभव है।[5] शिक्षा वह सबल है जिसके सहयोग से मानव विकास प्रक्रिया मे अपनी सही भूमिका का चयन और निर्वहन करता है तथा समाज व राष्ट्र के विकास मे अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। शिक्षा को देश की विकास प्रक्रिया का अभिन्न अग होने के कारण, नियोजन की प्राथमिकताओ मे उच्च प्राथमिका दी गई है।[6] किसी भी प्रदेश विशेष के विकास हेतु भावी नियोजन के लिये स्थानीय शिक्षा का स्तर एव आवश्यकता, छात्र शिक्षक अनुपात, विभिन्न स्तर के शिक्षण सस्थाओ की स्थिति तथा प्रौढ शिक्षा प्रसार व निरक्षरता उन्मूलन पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। प्रस्तुत अध्यन मे इन्ही तथ्यो को लेकर विवेचना की गयी है।

8.2 साक्षरता :

''सयुक्त राष्ट्र सघ जनसख्या आयोग'' ने किसी भी भाषा मे साधारण सदेश को समझ के साथ पढने और लिखने की योग्यता को साक्षरता निर्धारण का आधार माना है।[7] भारतीय जनगणना मे लगभग इसी परिभाषा के स्वीकारोक्ति

के साथ कहा गया है कि वह व्यक्ति जो केवल पढ सकता है लेकिन लिख नही सकता साक्षर नही है। साक्षर होने के लिए आवश्यक नही कि सम्बन्धित व्यक्ति ने औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त की है, या निम्नतम स्तर पर कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है। 1981 की जनगणना की परिभाषा के अनुसार 0–4 आयु समूह के बच्चो को निरक्षर माना गया था, किन्तु 1991 की जनगणना के अनुसार 0–6 आयु समूह के बच्चो को निरक्षर माना गया है।

अध्ययन क्षेत्र की सम्पूर्ण साक्षरता प्रतिशत 33 24 है। अध्ययन क्षेत्र की साक्षरता का विवरण न्याय पचायत वार अध्याय 3 (जनसख्या) मे दिया गया है अध्ययन क्षेत्र के कुल जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक, हाई स्कूल तथा कालेजो की कुल सख्या एव इनमे पढने वाले कुल विद्यार्थियो की सख्या भी उपर्युक्त अध्ययन मे विश्लेषित किया गया है। ससाधनो का अभाव, आकडो के अभाव तथा समयाभाव के कारण अध्ययन क्षेत्र मे न्याय पचायत वार विद्यालयो मे पढने वाले विद्यार्थियो की सख्या, तथा शिक्षको की सख्या ज्ञात नही की जा सकी है। प्रस्तुत अध्ययन मे विकास खण्डवार इन सूचनाओ को प्रस्तुत किया गया है।

8.3 औपचारिक शिक्षा का प्रतिरूप :

औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत केवल स्कूल शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है। इसके अन्तर्गत स्कूल के बाहर दी जने वाली शिक्षा पद्धति नही आती है औपचारिक शिक्षा मे जूनियर बेसिक स्कूल, सीनियर बेसिक स्कूल, हायर सेकेन्ड्री विद्यालय तथा महाविद्यालय आते है।

8.3.1 जूनियर बेसिक विद्यालय :

देश प्रदेश के जनमानस मे शैक्षिक प्रचार–प्रसार की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा, जगत की मूल श्रृखला एव आधारशिला है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर मे प्रत्याशित अभिवृत्ति, सुधार, परिवर्द्धन के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विविध प्रयास किये जा रहे है, जिसका एक अश शिक्षा नीति मे परिवर्तन भी है।[7] अध्ययन क्षेत्र

मे कुल जूनियर बेसिक विद्यालयो की सख्या 188 है तथा इनमे पढने वाले विद्यार्थियो की सख्या 53130 है।

सारणी 8.1

तहसील बासगाव विकास खण्ड वार मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्थाओ की सख्या एव विद्यार्थी

(1998)

क्र स	विकास खण्ड	कौडीराम	बासगाव	गगहा	उरखा	योग
1	जूनियर बेसिक विद्यालय	69	50	60	9	188
	(अ) विद्यार्थी कुल छात्र (1–5 तक)	10585	9593	12645	1037	33802
	(ब) कुल छात्राए (1–5 तक)	6654	4902	7223	549	19328
2	सीनियर बेसिक स्कूल	25	14	15	2	56
	(अ) कुल छात्र (6–8 तक)	4407	3590	7074	344	15415
	(ब) कुल छात्राए (6–8 तक)	1848	1553	1496	108	5005
3	हायर सेकेण्ड्री	6	2	5	1	14
	(अ) कुल छात्र (9–12 तक)	3732	3515	3418	442	10665
	(ब) कुल छात्राए (9–12 तक)	481	612	415	45	1553
3	महा विद्यालय	1	–	–	–	1
	(अ) कुल छात्र	57	430	44	–	531
	(ब) कुल छात्राए	40	56	5	–	101

स्रोत जिला साख्यिकी पत्रिका (गोरखपुर) से प्राप्त आकडो के आधार पर (1996)

जो कुल साक्षर जनसख्यसा का 48 52 प्रतिशत है। अभी हाल ही मे उत्तर प्रदेश सरकारने शिक्षा नीति मे यह घोषणा की हे कि 1 किमी परिधि के भीतर प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए। सारणी 8 1 से ज्ञात होता है कि जूनियर बेसिक विद्यालयो की सर्वाधिक सख्या विकास खण्ड कौडीराम मे हे अवनत क्रम मे क्रमश विकास खण्ड गगहा एव विकास खण्ड बासगाव है। इन प्राथमिक विद्यालयो मे पढने वाले छात्रो की सख्या सर्वाधिक विकास खण्ड गगहा मे है, जबकि छात्राओ की सर्वाधिक सख्या भी इसी विकास खण्ड मे है। जूनियर बेसिक विद्यालय की दूरी एव गावो की सख्या को सारणी 8 2 मे प्रदर्शित किया गया है। विद्यालय से 1 किमी की दूरी तक ले अध्ययन क्षेत्र के 260 गाव (58 5 प्रतिशत) आते है। 1–3 किमी की दूरी पर 205 गाव (46 17 प्रतिशत) सम्मिलित है।

8.3.2 सीनियर बेसिक विद्यालय :

अध्ययन क्षेत्र मे वर्ष 1996–97 तक कुल 56 सीनियर बेसिक विद्यालय (सारणी 8 1) थे। इन विद्यालयो मे पजीकृत विद्यार्थियो की सख्या 20420 है जिनमे छात्रो की सख्या 14 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र मे सीनियर बेसिक स्कूल मे छात्राओ की सख्या 5005 है जो कुल शिक्षित जनसख्या का 4 6 प्रतिशत है। सीनियर बेसिक विद्यालय के शिक्षार्थियो की सख्या जनपद स्तर की तुलना मे अत्यन्त कम है। अध्ययन क्षेत्र मे सीनियर बेसिक विद्यालयो का वितरण असमान है। सीनियर बेसिक स्कूलो की सर्वाधिक सख्या विकास खण्ड कौडीराम मे है।

सारणी 8.2

तहसील बासगाव विकास खण्ड स्तर पर विद्यालय से बस्तियो की दूरी (1998)

क्र स	विकास खण्ड	कौडीराम	बासगाव	गगहा	उरूवा	योग
(अ)	जूनियर बेसिक विद्यालय					
	1 ग्राम मे	69	50	60	9	188
	2 1 किमी	27	35	31	3	96
	3 1–3 किमी	60	54	11	9	134

(ब)	सीनियर बसिक स्कूल				
	1 ग्राम मे	25	14	15	2	56
	2 1 किमी	11	7	16	2	3
	3 1–3 किमी	76	58	98	19	261
(स)	हायर सेकेण्ड्री				
	1 ग्राम मे	5	3	5	2	13
	2 1 किमी	4	4	4	1	13

स्रोत जिला साख्यिकी पत्रिका (गोरखपुर) से प्राप्त आकडो के आधार पर (1996)

अध्ययन क्षेत्र मे सीनियर बेसिक स्कूलो की सख्या (59) 1 किमी के अन्दर कम पायी जाती है। सामान्यतया कोई भी सीनियर बेसिक विद्यालय 3 किमी से दूर नही होना चहिए।

8.3.3 हायर सेकेन्ड्री विद्यालय :

हायर सेकेन्ड्री विद्यालय के अन्तर्गत हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट दोनो प्रकार के विद्यालयो को सम्मिलित किया गया है। 1996–97 मे हायर सेकेन्ड्री विद्यालयो की सख्या 14 है, जिसमेकुल विद्यार्थियो की सख्या 12218 है जो कि कुल शिक्षित जनसख्या का 11 16 प्रतिशत है। अध्ययन क्षेत्र की जनसख्या के अनुपात मे इसका प्रतिशत अत्यन्त न्यून है, जो कि तहसील के पिछडेपन को अवगत कराता है। अध्ययन क्षेत्र मे हायर सेकेन्ड्री विद्यालयो की सख्या सर्वाधिक विकास खण्ड कौडीराम मे है। क्षेत्र मे प्रति लाख जनसख्या पर हायर सेकेन्ड्री विद्यालयो की सख्या 3 8 है जो जनपद के औसत से (4 2) से थोडा कम है। विद्यालयो मे शिक्षार्थियो की सख्या कम होने का कारण लोगो का शिक्षा के प्रति अभिरूचि कम है।

अध्ययन क्षेत्र मे एक महाविद्यालय कौडीराम मे है तहसील मुख्यालय के निकट एक महाविद्यालय विकास खण्ड बासगाव मे है, परन्तु प्रशासनिक दृष्टि से तहसील मुख्यालय के अन्तर्गत नही आता है, किन्तु इस महाविद्यालय

मे तहसील के शिक्षार्थी भी शिक्षा प्राप्त करते है, अध्ययन क्षेत्र मे स्थित महाविद्यालय मे विद्यार्थियो की सख्या अत्यन्त कम (632) है। इसका प्रमुख कारण महाविद्यालय मे शिक्षको की कमी तथा प्रयोगात्मक विषयो का अभाव है। जनपद मुख्यालय समीप होने के कारण (30 किमी) तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध होने के कारण अधिकाश विद्यार्थी जनपद मुख्यालय तथा समीपवर्ती करबो यथा बडहलगज गोला तथा सिकरीगज के महाविद्यालयो मे उच्चशिक्षा प्राप्त करने जाते है।

४.4 अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु छठी पचवर्षीय योजना मे भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश मे वर्ष 1979–80 मे अनौपचारिक शिक्षा योजना, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के रूप मे पेश की गयी। इस योजना के अन्तर्गत 9–14 आयु वर्ग के ऐसे बालक–बालिकाओ को शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी है, जो सामाजिक आर्थिक तथा अन्य किन्ही कारणो से विद्यालयी शिक्षा नही प्राप्त कर सकते है अथवा किन्ही परिरिथतियो के कारण प्राइमरी अथवा मिडिल स्तर की शिक्षा पूरी किये बिना ही पढाई छोड़ने के लिए विवश हो गये है। ऐसे बालक बालिका शिक्षा से सदैव वचित न रह जाए इसके लिए उन्हे उनके स्थान एवसमय की सुविधानुसार शिक्षा देने की व्यवस्था इस योजना के अन्तर्गत की गई है। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अशकालिक शिक्षण की भी व्यवस्था की गयी है। अनुदेशको की नियुक्ति के लिए एक मापदण्ड निर्धारित है जिसके अन्तर्गत स्थानीय महिलाओ को प्राथमिकता प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो मे नामाकित छात्रो को नि शुल्क पाठ्यपुस्तको, अभ्यास पुस्तिकाये, स्लेट, पेन्सिल आदि प्रदान की जाती है। केन्द्र का सचालन करने के लिए प्रत्येक केन्द्र को टाट–पट्टी, चार कुर्सी फोल्डिग एक, उपस्थित रजिस्टर दो स्टॉक रजिस्टर दो, शिक्षक डायरी दो, पटरी दो ताला एक

मानचित्र (प्राकृतिक एव राजनीतिक)उत्तर प्रदेश भारत तथा विश्व का एक मानचित्र चाक का डिब्बा एक तथा एक डस्टर दिया जाता है।[9] अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा द्वारा राष्ट्र के सभी नागरिको को राष्ट्रीय विकास मे समान रूप से सहभागी बनाने के लिए सचालित किया गया है। इसका उद्देश्य साक्षरता दक्षता तथा सामाजिक चेतना को बढाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशो के अनुसार और एक्शन प्लान मे बताए गए कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने प्रौढ शिक्षा का एक विशद प्रारूप तैयार किया है जिसका नाम है – राष्ट्रीय साक्षरता मिशन,[10] इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15–35 आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियो को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। अध्ययन क्षेत्र मे अनौपचारिक शिक्षा का प्रसार बहुत कम हुआ है।

8.5 शिक्षा नियोजन की प्रमुख बाधाएं :

अध्ययन क्षेत्र मे पिछडा पक्ष शिक्षा है तहसील के लघुकृत होने पर भी सुविधाओ को प्रदान करने के नाम पर शिक्षण सस्थाओ मे मात्रात्मक व गुणात्मक स्तर पर कोई परिवर्तन ही हुआ है। इसके कई कारण है, जिन्हे दृढता एव सूझ–बूझ से दूर किया जाना चाहिए।

1 विभिन्न स्तरो पर शिक्षा की सुविधाओ के विस्तार से सबधित समस्याएँ और शिक्षा की विषय–वस्तु का गुणात्मक सुधार समाज के उद्देश्यो और उनकी प्राप्ति के लिए निर्धारित प्राथमिकताओ पर निर्भर करता है। शिक्षा सम्पूर्ण समाज के लिए आवश्यक है। अत राज्य और केन्द्र सरकारे इसके विकास एव परिवर्तन मे महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर सकते है। साधनो का बटवारा राज्य सरकारो द्वारा निर्धारित सामाजिक प्राथमिकताओ पर निर्भर करता है किन्तु अब तक शिक्षा को उच्च प्राथमिकता नही दी गयी है।

2 एक अन्य बाधा शिंक्षा प्रणाली मे रूढ सकीर्णवादिता है जो सस्थाओ और उनके प्रबन्धको मे निहित स्वार्थ और कट्टर मान्यताओ को जन्म

N
तहसील धामगाँव
वर्तमान एव प्रस्तावित शिक्षा केन्द्र
प्रस्तावित
वर्तमान
जूनियर बेसिक विद्यालय
सीनियर बेसिक विद्यालय
हायर सेकेन्ड्री विद्यालय
2 0 2
km

Fig 8 2

देती है। अब समय है आयाजन की बेहतर व्यवस्था की जाय। प्रशिक्षण सुविधाओ का विस्तार किया जाए और उनमे सुधार किया जाए। इन सबसे बढकर सभी सम्बन्धित पक्षो को सम्मिलित करके कार्यक्रमो के व्यवस्थित ढग से तेजी से लागू करने तथा विकेन्द्रीकरण और स्थानीय पहल के माध्यम से सामाजिक ससाधनो का गतिशील इस्तेमाल करने की व्यवस्था की जाय।

3 शिक्षा की प्रक्रिया मे शिक्षको की प्रमुख भूमिका को स्वीकार करना सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मे गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए सुयोग्य शिक्षक अपरिहार्य है। समाज मे सार्थक परिवर्तन तब तक सभव नही है, जब तक शिक्षक उनके लिए तैयार न हो। यह तभी सभव है जब अध्यापको को सभी स्तरो पर योजना तैयार करने और निर्णय करने मे सम्मिलित किया जाय

4 सरकार द्वारा शिक्षा पर व्यय का पिरामिड उल्टा है अर्थात प्राथमिक शिक्षा पर व्यय बहुत कम किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र मे सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 40 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक विद्यालयो मे ब्लैक बोर्ड की कमी, टाट–पट्टियो की कमी, पर्याप्त स्थान, पीने का पानी आदि प्राथमिक आवश्यकताओ की कमी है।

5 अध्ययन क्षेत्र मे तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित एक भी विद्यालय नही है।

8.6 विद्यालयों का शैक्षिक स्तर :

किसी भी क्षेत्र मे छात्र–शिक्षक छात्र–विद्यालय तथा विद्यालय–क्षेत्र अनुपात का विशिष्ट मान्य स्तर क्या है, यह अभी तक तय नही हो पाया है। भारतीय शिक्षाविदो ने भारतीय सन्दर्भ मे शिक्षक–छात्र अनुपात कम से कम 1 25 तथा अधिक से अधिक 1:50 बताया है। इसी प्रकार हायर सेकेन्ड्री विद्यालयो मे शिक्षक छात्र अनुपात कम से कम 1 20 तथा अधिक से अधिक 1 30 उचित बताया है।[11] इसी प्रकार राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्राथमिक

विद्यालय मिडिल तथा हाईस्कूल क्रमश 1 5 किमी 5 किमी तथा 8 किमी से अधिक दूर नही होना चाहिए।[12] अभी हाल ही मे उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक 1 किमी के अन्दर प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। इसके लिए सरकार ने 22 करोड रूपये खर्च करने का अनुमोदन किया है।

किसी भी क्षेत्र का नियेाजन प्रस्तुत करते समय राज्य व राष्ट्रीय मानको को न तो पूर्णत आधार बनाया जा सकता है, और न ही अवहेलना की जा सकती है, क्योकि यह मानक स्तर उस क्षेत्र विशेष के सामाजिक, आर्थिक व सास्कृतिक परिप्रेक्ष्य मे होना चाहिए। फलत राष्ट्रीय और राज्य के मानको के सीमाओ को ध्यान मे रखते हुए वर्तमान शैक्षिक सुविधाओ के सन्दर्भ मे तालिका 8 3 मे निर्धारित शैक्षणिक मानदण्डो को दिया गया है।

सारणी 8.3

तहसील बारागाव के लिए शैक्षिक मानदण्ड

क्रम सख्या	विद्यालयो का स्तर	शिक्षक–छात्र अनुपात	स्कूल–छात्र अनुपात
1	जूनियर बेसिक विद्यालय	1 35	1 150
2	सीनियर बेसिक विद्यालय	1 30	1 120
3	हायर सेकेन्ड्री विद्यालय	1 25	1 500

अध्ययन क्षेत्र मे यह अवस्थितिक मानदण्ड भौतिक स्वरूप, परिवहन के साधन व माध्यमो की प्रकृति एव प्रकार बस्तियो की सख्या, जनसख्या, शैक्षणिक इकाइयो की कार्यात्मक रिक्तता तथा उसके विशिष्ट जनसख्या धार के सन्दर्भ मे निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन क्षेत्र समतल मैदानी क्षेत्र होने के कारण 5 किमी की दूरी अधिक होती है। अत सीनियर बेसिक विद्यालयो की दूर 1–3 किमी के बीच होनी चाहिए तथा हायर सेकेन्ड्री के सन्दर्भ 3–5 किमी के बीच होनी चाहिए।

8.7 शैक्षणिक नियोजन :

शिक्षा की समस्या को स्वय एक समस्या के रूप मे न देखकर सकल सामाजिक आर्थिक विकास के एक अभिन्न पहलू के रूप मे ही देखा जाना चाहिए। विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास ही नही है, बल्कि इसके और भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जैसे शिक्षा का प्रसार जिससे जनसख्या नियत्रण के लिए सही दृष्टिकोण विकसित होने मे सहायता मिलती है।[13] नियोजन का मूल आधार मानवशाक्ति नियोजन होना चाहिए। अगर सम्भव हो तो युवा शक्ति नियोजन को अधिक महत्व दी जानी चाहिए। आधुनिक शिक्षा पद्धति ही बेराजगारी की समस्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण रहा है। शिक्षा के लिए नियोजन प्रस्तुत करने के लिए निम्न तथ्यो पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

1 शिक्षा व साक्षरता का जनपद स्तर पर देखा जाय।

2 केन्द्र व राज्य सरकार दोनो को अपना अनिवार्य कर्तव्य मानकर सहायता करनी चाहिए।

3 अशिक्षा व निरक्षरता गरीबी का ही अग है।

4 अशिक्षा व्यक्तिगत चिता ही नही, सामाजिक और राजनीतिक चिता का विषय है।

5 सदी के अन्त तक निरक्षरता व अशिक्षा को मिटाने का प्रयास जनपद स्तर पर शुरू होनी चाहिए।

8.8 अध्ययन क्षेत्र में शिक्षण की भावी योजना :

1 वर्तमान समय मे अध्ययन क्षेत्र मे 188 जूनियर बेसिक विद्यालय है, भावी जनसख्या मे वृद्धि के साथ छात्रो की उचित प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए 2010 तक 125 नये प्राथमिक विद्यालय खोले जाये। विकास खण्ड बासगाव जनसख्या के अनुपात मे प्राथमिक विद्यालयो की कमी है, प्रत्येक गाव नही तो प्रत्येक ग्राम सभा मे एक जूनियर बेसिक स्कूल होना चाहिए।

2 अध्ययन मे दिये गये मानदण्डो के सन्दर्भ मे विद्यार्थियो मे भावी वृद्धि तथा उनकी वर्तमान कमी को देखते हुए सन् 2010 तक 50 नये सीनियर बेसिक विद्यालयो की स्थापना होनी चाहिए।

3 छात्रो की भावी सख्या तथा अध्ययन क्षेत्र मे अपनाए गए मानदण्डो के अनुसार 2010 तक अतिरिक्त 25 नये हायर सेकेन्ड्री विद्यालय (बालक बालिका) की स्थापना का प्रस्ताव है, ताकि अध्ययन क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसख्या लाभान्वित हो सके। हायर सेकेन्ड्री स्कूल की अवस्थिति का प्रस्ताव कार्यात्मक रिक्तता को ध्यान मे रखकर किया गया है।

4 अध्ययन क्षेत्र मे 3 नये महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव किया जाता है, ताकि क्षेत्र के विद्यार्थी दूरस्थ भागो मे न जाये। इससे उनका श्रम व समय की बचत होगी, जिसका उपयेाग वह अपने भविष्य निर्माण के लिये कर सकते है। अध्ययन क्षेत्र मे 1 पॉलिटेक्निक कालेज व 3 औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान तीनो विकास खण्ड केन्द्रो पर खोलने का प्रस्ताव किया जाता है। पॉलिटेक्निक कालेज विकास खण्ड केन्द्र कौडीराम मे खोलने का प्रस्ताव किया जाता है। इन तकनीकी सस्थान के खुल जाने से अध्ययन क्षेत्र के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेगे व इससे प्रशिक्षण लेकर लघु उद्यमो की स्थापना कर सकते है।

5 नवीनतम आकडो के आधार पर अध्ययन क्षेत्र की 66 76 प्रतिशत जनसख्या निरक्षर है। अध्ययन क्षेत्र मे निरक्षरो की बहुतायात सख्या को देखते हुए अनौपचारिक शिक्षा की महती आवश्यकता है। इसके लिए विश्व स्तर पर 1990 को साक्षरता वर्ष के रूपमे मनाया गया है, किन्तु तहसील स्तर पर इसका प्रभाव दृष्टिगत नही होता है। अत इसके लिए तहसील व विकास खण्ड स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा मे प्रौढ शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए तथा उनकी शिक्षा व्यवसायपरक होनी चाहिए। प्रौढो को अक्षर ज्ञान के साथ–साथ कृषि कार्य पद्धति तथा प्रयुक्त होने वाले उर्वरको, कीटनाशक दवाओ, बीजो, का प्रयोग तथा लघु एव कुटीर आदि से सम्बन्धित व्यावसायिक शिक्षा भी देनी चाहिए।

8.9 स्वास्थ्य :

कहा गया है कि स्वस्थ शरीर मे ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। स्वस्थ मनुष्य ही विकास प्रक्रिया मे सम्मिलित होकर उसे सफल बना सकता है। ससाधनो का अधिकतम उपयोग स्वस्थ मनुष्य ही कर सकता है। स्वस्थ जनसख्या किसी भी देश का महत्वपूर्ण ससाधन है। नागरिको के जीवन को स्वस्थ एव सुखी बनाने के राष्ट्रीय प्रयास को 'केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्रालय' महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सातवी पचवर्षीय योजना मे चिकित्सा, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण सेवाओ के प्रसार हेतु सकल्प लिया गया है।[14] सितम्बर 1978 की 'आल्मा आटा' घोषणा के अनुसार सन् 2000 तक सबके लिये स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने का राष्ट्रीय सकल्प लिय गया है।[15] पचवर्षीय योजनाओ के तहत स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओ पर पूरा ध्यान दिया गया है। हमारे देश के सविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि अपने लोगो के पोषाहार के स्तर तथा जीवन स्तर को ऊचा उठाए और जन स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। इसके अन्तर्गत बच्चो, गर्भवती महिलाओ, दूध पिलाने वाली माताओ और गरीब वर्गों के लिए परिवार कल्याण और पोषाहार के न्यूनतम जन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधाए प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मिको के शिक्षण और प्रशिक्षण की बेहतर व्यवस्था करने पर अधिक बल दिया गया है।[17]

8.10 स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाएं :

अध्ययन क्षेत्र मे स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओ का विश्लेषण दो प्रकार से किया जा सकाता है। प्रथम – अध्ययन क्षेत्र वासी सामान्य बीमारियो के अतिरिक्त विशिष्ट बीमारियो से ग्रस्त है तथा उनका कारण क्या है ? द्वितीय – उन बीमारियो को दूर करने मे पर्याप्त मात्रा मे अस्पताल, शैया, डॉक्टर है या नही। इन सुविधाओ की अवस्थिति समुचित है या नहीं। प्रस्तुत अध्ययन मैं इनका कारण और निवारण की विवेचना की गयी है।

अध्ययन क्षेत्र मे तराई मे स्थित होने के कारण यहा मलेरिया, फाइलेरिया मस्तिष्क ज्वर, नेत्र रोग, गैस्ट्रो उदर रोग तथा पानी मे आयोडीन की कमी के कारण गलगड (घेघा) रोगो का वर्चस्व है। अनुसूचित एव पिछडी जातियो के लोग औद्योगिक नगरो मे धन कमाने जाते है और वहा से तपेदिक, खासी टाइफाइड आदि रोगो से ग्रस्त होकर आते है। ये मजदूर अपनी गाढी कमाई 'झोला छाप डॉक्टरो'' से इलाज कराकर आर अधिक बेनाम बीमारिया को पैदाकर ऋणग्रस्तता के जाल मे फस जाते है।

इस तरह स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन से समस्याओ की एक श्रृखला नजर आती है। इसके मूल मे है – पौष्टिक आहार की कमी, प्रदूषित वातावरण तथा पेयजल की समस्या। भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल–आपूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से गावो मे पीने का पानी उपलब्ध कराने की उच्च प्राथमिकता दी है। राज्य सरकारे अपनी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमो के माध्यम से इस काम मे सहयेाग कर रही है। अध्ययन क्षेत्र के सभी गावो मे पेयजल का स्रोत हैण्डपम्प है। सरकार द्वारा स्थापित किया गया इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प भी अधिकाश गावो मे है परन्तु जनसख्या के अनुपात मे यह सुविधा अत्यन्त न्यून है। साधारण हैण्डपम्प से जो पानी मिलता है वह पूर्णतया शुद्ध नही होता है। ग्रामीणो द्वारा पानी को असुरक्षित एव पूर्णतया सफाई से न प्रयोग करने के कारण पेयजल से सम्बन्धित कई बीमारिया घेरे रहती है। अत शिक्षा जागरूकता तथा अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ग्रामीणो मे शुद्ध जल का प्रयोग करना सीखाना चाहिए ताकि प्रदूषित पेयजल के प्रयोग से होने वाली बीमारियो से प्राकृतिक रूप से बचा जा सके।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रत्येक 5000 आबादी के पीछे एक उपकेन्द्र तथा एक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र 30,000 आबादी के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 100000 की आबादी के पीछे एक सामुदायिक केन्द्र खोला जाना है।[17] पहाडी क्षेत्रो, रेगिस्तानी व आदिवासी क्षेत्रो

मे प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए 20,000 की तथा उपकेन्द्र के लिए 3000 की जनसख्या होना ही पर्याप्त है।[18]

अध्ययन क्षेत्र मे स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ प्रमुख समस्याए निम्न है –

1 नगरो मे पढे हुए डॉक्टरो का, उच्च वेतनमान की प्राप्ति के बावजूद ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर न रहना प्रमुख समस्या है।

2 चिकित्सालयो मे दवाओ का अभाव तथा उनके रख–रखाव का उचित प्रबन्ध न होना प्रमुख समस्या है।

3 गर्भवती महिलाओ मे पौष्टिक आहार की कमी रहती है, इसका कारण गरीबी है।

4 ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रसव के लिए नर्सों का अभाव है। अप्रशिक्षित दाइयो से जच्चा–बच्चा विशेष रूप से प्रभावित रहते है।

5 शौचालयो का अभाव एव सफाई व्यवस्था न होने से अनेक रोगों का अपने आप जनन होता है, जिससे सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित होती है।

6 मद्यपान व नशीले पदार्थो के सेवन से आर्थिक व शारीरिक क्षीणता बढती जा रही है।

8.11 चिकित्सा सुविधाओं की वर्तमान स्थिति :

अध्ययन क्षेत्र मे स्वास्थ्य सुविधाओ की स्थिति सतोषजनक नही है। रोगियो के अनुसार सुविधाओ का नितान्त अभाव है। अध्ययन क्षेत्र मे 2 अस्पताल, 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 6 आयुर्वेदिक एव युनानी चिकित्सालय तथा 63 मातृ–शिशु कल्याण केन्द्र उपकेन्द्र है।

सारणी 8.2

तहसील बासगाव विकास खण्ड वार स्वास्थ्य सुविधाए (1998)

क्र स	विकास खण्ड	कौडीराम	बासगॉव	गगहा	उरूवा	योग
1	अस्पताल	1	1	–	–	2
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3	2	2	1	8
3	आयुर्वेदिक चिकित्सालय	1	1	1	–	3
4	युनानी चिकित्सालय	1	1	1	–	3
5	होम्योपैथिक चिकित्यालय	2	1	1	–	4
6	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	5	5	5	1	16
7	मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र	8	12	15	2	47
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध शैयाओ की स	12	6	12	–	30
9	डॉक्टरो की सख्या	5	1	5	–	11
10	आयुर्वेदिक चिकित्सालयो मे उपलब्ध शैयाओ की सख्या	12	4	8	–	24
11	डॉक्टरो की सख्या	4	1	2	–	7
12	प्रतिलाख जनसख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की सख्या	2 4	2 8	2 3	2 3	2 4
13	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्राम मे)	3	1	3	1	8
14	1–3 किमी के अन्तर्गत	19	44	47	12	122
15	मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र (ग्राम मे)	22	18	20	3	63
16	1–3 किमी के अन्दर	87	81	79	45	292

स्रोत जिला साख्यिकी पत्रिका (गोरखपुर) से प्राप्त आकडो के आधार पर (1996)

सारणी 8 2 के अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे स्वास्थ्य सुविधाओ की कमी है। अध्ययन क्षेत्र मे मात्र दो अस्पताल है तथा 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, जो क्षेत्र की जनसख्या की तुलना मे अत्यन्त कम है। फलत ग्रामीण जनता को समीपवर्ती क्षेत्रो मे चिकित्सा के लिये जाना पडता है। अध्ययन क्षेत्र मे होम्योपैथिक एव युनानी चिकित्सालयो की सख्या भी अत्यन्त कम है। युनानी एव आयुर्वेदिक चिकित्सालय मे उपलब्ध शैयाओ की सख्या मात्र 24 है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के निवासी अपने जनसख्या के अनुपात मे अल्प चिकित्सकीय सुविधा को प्राप्त किए है।

8.12 स्वास्थ्य सुविधाओं का नियोजन :

स्वास्थ्य सुविधाओ का नियोजन, उनकी वर्तमान मात्रा एव अवस्थिति का निश्चित मानदण्डो से तुलना करके भविष्य की आवश्यकताओ तथा वर्तमान समस्याओ के परिप्रेक्ष्य मे किया गया है। नियोजन को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त ससाधनो की आवश्यकता पडती है। ससाधनो का अनुमान तथा उसके निवेश के प्राथमिकता का निर्धारण सरकार करती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार 30,000 आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होना चाहिए परन्तु अध्ययन क्षेत्र मे 41354 जनसख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है अर्थात अध्ययन क्षेत्र मे 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए। इसी तरह अस्पताल की सख्या मात्र दो है। अस्पतालो की सख्या बढानी चाहिए तथा डॉक्टरो की सख्या मे भी वृद्धि आवश्यक है। प्रत्येक अस्पताल पर चिकित्साधिकारियो की नियुक्ति होनी चाहिए। अध्ययन क्षेत्र मे आयुर्वदिक एव युनानी चिकित्सालयो मे वृद्धि करके प्रमुख सेवा केन्द्रो पर स्थापित किया जाना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र मे आज वाहन नामक घास बहुतायत होता है जिसका प्रयोग आयुर्वैदिक दवा बनाने मे किया जा सकता है।

सभी स्वास्थ्य केन्द्रो एव उपकेन्द्रो पर चिकित्साधिकारियो एव कर्मचारियो की अनिवार्य उपस्थिति तथा चिकित्सा ससाधनो की उपलब्धता की समुचित

तहसाल बासगॉव
वर्तमान एव प्रस्तावित स्वास्थ्य केन्द्र
N
Bansgaon
Kauri Ram
Gagha
प्रस्तावित
वर्तमान
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, उपकेन्द्र
आयु , युनानी चिकित्सालय
होम्योपैथिक चिकित्सालय
अस्पताल
2
0
2
km

Fig 82

व्यवस्था होनी चाहिए। दवा से स्वस्थता का घनिष्ठ सम्बन्ध नही है। इसके लिए पौष्टिक आहार, शुद्ध वायु उचित सफाई व्यवस्था शुद्ध वातावरण तथा शुद्ध पेयजल की आवश्कयता होती है। इनमे से अधिकाश की प्राप्ति स्वविवेक तथा जागरूकता से की जा सकती है।

पेयजल की सुविधा बढने से सर्वाधिक लाभ महिलाओ को होता है, इसलिए पानी का स्रोत चुनते समय उनसे विचार–विमर्श अवश्य लिया जाना चाहिए। पानी की समस्या का समाधान सरकार स्वैच्छिक क्षेत्र मे उपलब्ध विशेष व्यावसायिक और तकनीकी जानकारी प्राप्त करके कर सकती है। इसके अलावा निम्न उपबन्धो का सहारा लिया जा सकता है –

1 जल की गुणवत्ता की जॉच के लिए आधारभूत सुविधाए उपलब्ध कराकर जल की गुणवत्ता पर बल देना।

2 सुरक्षित जल की पूर्ति करके गिनीकृमि का उन्मूलन करने, डिफ्लोराइडेशन सयत्र लगाकर अतिरिक्त फ्लोराइड हटाने, लौह तत्वो को हटाने के लिए सयत्र स्थापित करके अतिरिक्त लौह दूर करने, जीवाण्विक दूषण समाप्ति के कार्यो को करने के लिए विशेष अभियान चलाना।

3 भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बनाए गए नियमो के माध्यम से ग्रामीण जलापूर्ति गतिविधियो/आदाने का मानकीकरण करना।

4 जलापूर्तिक निवेश को सामुदायिक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य स्तर प्रदान करने वाले माध्यम के रूप मे परिवर्तित करने वाले प्रेरक तत्वो के रूप मे महिलाओ की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देकर जलापूर्ति प्रबन्ध मे महिलाओ की भूमिका का विस्तार करने का प्रयास करना।

सुरक्षित पेयजल की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जल के शुद्धिकरण और जल सरक्षण की ससाधन प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा।

किसी भी राष्ट्र के कृषि, उद्योग, व्यापार को विकसित करने तथा समन्वित विकास की आधारशिला प्रस्तुत करने वाले तत्व अवस्थापनात्मक तत्व

कहे जाते है। प्रो ग्रीनवाल्ड[19] ने इन्हे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की नीव कहा है जिस पर आर्थिक क्रिया–कलाप यथा कृषि, उद्योग, व्यापार आदि की स्थिति उत्पादित तथा उत्पादित पदार्थ का सचरण आदि निर्भर करता है। इन तत्वो मे परिवहन सचार उर्जा आपूर्ति, पेयजल सिचाई, पूजी एव ऋण सुविधा, शिक्षण प्रशिक्षण सस्थाओ, स्वास्थ्य सेवा सस्थाओ, सामाजिक आचार–व्यवहार, मानवीय दक्षता, पारिस्थैतिकी सतुलन के उपाय एव सैनिक गतिविधियो हेतु आवश्यक सुविधाओ आदि को समाहित किया जाता है।[20] उपर्युक्त तथ्यो की पिछले अध्यायो मे व्याख्या की गयी है, किन्तु इनकी व्याख्या अपर्याप्त है। यदि उपर्युक्त तथ्यो का विकास कर लिया जाय, स्वास्थ्य सेवाओ मे वृद्धि कर ली जाय, परन्तु यदि वातावरण प्रदूषण युक्त है तो इस विकास को वातावरण ह्रास के रूप मे कीमत चुकानी पड सकती है, साथ इन सब कारको को नियोजित करने वाले प्रशासन तत्र तथा नागरिक सुरक्षा मे वृद्धि भी अत्यन्त आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्ययन मे नागरिक सुरक्षा तत्र (पुलिस थाना, पुलिस चौकी) की वर्तमान अवस्था, तथा भावी योजना एव पर्यावररण सतुलन की आख्या प्रस्तुत की गयी है। समन्वित ग्रामीण/प्रादेशिक विकास के लिये सरकार द्वारा क्या–क्या योजनाए क्रियान्वित की गयी है। उनका सक्षिप्त विवरण भी दिया गया है।

8.13 नागरिक सुरक्षा :

अध्ययन क्षेत्र मे चार पुलिस चौकी (गजपुर, कौडीराम, बांसगाव, हाटा बुजुर्ग) तथा चार थाना (बास गाव, गगहा, बेलीपार तथा उरूवा) है। उरूवा ब्लाक आशिक रूप मे तहसील बासगाव मे पडता है। अध्ययन क्षेत्र का विस्तार तथा जनसख्या अनुपात को देखते हुए क्षेत्र मे और पुलिस चौकियो की आवश्यकता है। अध्यन क्षेत्र के उन क्षेत्रों मे जो तहसील मुख्यालय तथा विकास खण्ड केन्द्रो से दूरस्थ भागो मे पडते है, पुलिस चौकियो की स्थापना की जाय।

8.14 उर्जा एवं उर्जा नीति :

समन्वित विकास नियोजन उर्जा नीति एव उर्जा उत्पादन केन्द्रो का प्रमुख आधार है, क्योकि उर्जा ही किसी भी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास का आधार है। अध्ययन क्षेत्र मे ग्रामीण विद्युतीकरण मे जल विद्युत उर्जा ईधन के रूप मे लकडियो उपलो एव रसोई गैस प्रयोग मे लायी जा रही है। क्षेत्रीय सम्भाव्यताओ पर वैकल्पिक उर्जा का विकास आवश्यक है। इसमे सौर उर्जा, पवन उर्जा तथा घरेलू प्रयोग हेतु पारम्परिक उर्जा का विकास आवश्यक है।

8.15 प्रादेशिक विकास एवं पर्यावरण :

विकास के सदर्भ मे प्राकृतिक वातावरण ससाधनो के रूप मे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमे कई सास्कृतिक तत्वो तथा मनुष्य का भी समावेश पाया जाता है। इस प्रकार वातावरण एक परिवेश का परिचायक है जो स्थानिक परिप्रेक्ष्य मे विकास प्रक्रम का मूलाधार होता है, तथा विकास की अवस्थाओ एव प्रकृति के अनुरूप निरूपित और परिष्कृत होता रहता है।

किसी प्रदेश विशेष की सीमा मे विकासोन्मुख परिवर्तनो के प्रभावो को अनुकूलतम स्तर पर व्यवस्थित या सतुलित करना ही प्रादेशिक नियोजन माना जा सकता है। प्रादेशिक नियोजन मूलत विकास से जुडी सकल्पना है। नियोजन प्रक्रम का मूल सम्बन्ध विकास से जुडा है। विकास आवश्यक रूप से पर्यावरण से सम्बन्धित रहा है। विकास प्रक्रम मे पर्यावरण के साथ–साथ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का भी विशेष महत्व पाया गया है। पर्यावारण अगर विकास के लिए ससाधन आधार का निर्माण है, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के बढते आयाम पर्यावरणीय आधार की उपयोग दक्षता को तीव्रतर करते है। विकास की प्रारम्भिक परम्परा समकालीन सामाजिक–आर्थिक परिवेश मे विज्ञान एव प्रौद्योगिकी के बढते आयाम के ही माध्यम से आगे बढती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा विकास प्रक्रम के बीच का अन्तर्क्रियात्मक सम्बन्ध पर्यावरण पर सकारात्मक एव

नकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रादेशिक नियोजन के सन्दर्भ मे पर्यावरण एव विकास के सम्बन्धो को दो दृष्टिकोणो से देखा जा सकता है –

1 पर्यावरण विकास असगति।

2 पर्यावरण विकास परिपूरकता।

विकास की उस दशा को जब पर्यावरणीय तत्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभाव मे अवरोध उत्पन्न करते है या मानव द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अव्यावहारिक प्रयोग से पर्यावरणीय तत्वो को प्रदूषित एव क्षयित करने का कार्य करता है तो उस स्थिति मे पर्यावरण–विकास असगत माना जायेगा। इसके विपरीत यदि विकास की वह दशा जिसमे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युक्तिमूलक प्रयोग होता है। तब विकास ससाधनीय प्रासगिकता को अधिकाधिक सकारात्मक बनाता है। विकास प्रक्रमो का पर्यावरण प्रदूषण और क्षय सम्बन्धी न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है तो उसे पर्यावरण–विकास की परिपूरकता कहेगे।

प्रादेशिक नियोजन सन्दर्भ मे पर्यावरणीय समस्याओ के विकास का प्रधान कारण ससाधनो के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण पर बढता दबाव है। इसके दो प्रमुख आयाम है –

1 ससाधन पर्यावरण तथा 2 जैव निवास्य पर्यावरण (चित्र 8 3)

प्रादेशिक नियोजन एव पर्यावरण समस्याए
(अ)
अतिदोहन
ससाधन पर्यावरण
ससाधन अवनयन एव क्षय
अपव्ययी उपयोग
(ब)
अपशिष्ट उत्सर्जन
निवास्य पर्यावरण
पर्यावरण प्रदूषण अपशिष्ट दूर्व्यवस्था
अपशिष्ट सचयन
(स)
भूम्योपयोग द्वन्द्व
सास्कृतिक पर्यावरण
निवास्य सकट
ग्राम नगरीय द्विविभाजन
(द)
अजैव
प्राकृतिक पर्यावरण
पारिस्थतिकी असन्तुलन
जैव

चित्र 83

मानव ससाधन विज्ञान और प्रौद्योगिकी सतुलन रामीकरण के अभाव मे ससाधन सर्वाधिक दबाव महसूस करता है, इसके परिणाम स्वरूप इसका अवनयन एव क्षय शुरू होता है। ससाधन अवनयन एव क्षय की निरन्तरता निवास्य पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इससे वायु, जल तथा थल प्रदूषित होते है। पर्यावरण प्रदूषण से मानव ससाधन की गुणवत्ता मे प्रत्यक्ष ह्रास होता है। मानवीय परिप्रेक्ष्य मे आधारी भौतिक तत्वो की गुणवत्ता मे अवक्रमण के फलस्वरूप मानव स्वास्थ्य, मानवीय कार्य दक्षता, प्रजनन क्षमता, जीवन अवधि तथा वश वृद्धि कुप्रभावित होते है। मानवीय क्रियाकलापो के प्रभाव मे पौध–घर उप्रभाव मे परिवर्तन या ओजोन गैस क्षय, भृदा प्रदूषण जल प्रदूषण एव वायु प्रदूषण मानवीय ससाधन की परिचालन क्षमता को कुण्ठित करता है।

ज्ञात है कि पर्यावरण से जुडी समस्याओ की अनुभूति तथा इनका कुप्राभाव प्रसार प्राय सीमा रहित है। स्वभावत अधिकाश पर्यावरणीय रामस्याए अर्न्तप्रादेशिक के साथ–साथ अर्न्तप्रादेशिक होती है। पर्यावरणयी समस्याये प्रादेशिक परिसीमा मे विकास की प्रकृति एव अनुमाप की अभिव्यक्ति मानी जा सकती है। इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध पदार्थ तथा मानव विकास ससाधन की उपयोग प्रकृति एव उपभोग प्रवृत्ति से होता है।

प्राकृतिक एव मानवीय अन्तर्सम्बन्ध के कारण सस्कृति का विकास होता है। अध्ययन क्षेत्र मे अज्ञानता एव तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण ससाधनो का समुचित उपभोग न होने के कारण मानवीय सस्ककृति का विकास पूर्ण रूपेण नही हुआ है। शहरीकरण एव औद्योगिक की अन्धी दौड मे सम्मलिलत हम स्वच्छ पर्यावरण एव जनस्वास्थ्य की चिन्ता एकदम छोड चुके हैं निश्चय ही पर्यावरण को जनसख्या मे होने वाली विस्फोटक वृद्धि एव उपभोक्तावादी सस्कृति ने बहुत नुकसान पहुचाया है।

यह विडम्बना है कि विकास की प्राथमिकताये निर्धारण करते समय हमारे नीति–नियोजक पर्यावरणीय पहलुओ एव कुप्रथाओ का आकलन नहीं

करते। परिणामस्वरूप विकास एव पर्यावरण के बीच सम्बन्ध बिगड जाता है। मानक स्थापित करते समय नीति नियोजको को वयक्तिनिष्ट एव वस्तुनिष्ट दोनो पहलुओ पर पर्यावरण को समझना चाहिए। सामाजिक मूल्य ही पर्यावरण उपभोग को निश्चित कर सकते है कि किन क्षेत्रो मे समाज औद्योगिक उन्नति कर सकता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना करना जीवन मूल्यो पर निर्भर करता है। जहा जनसख्या वृद्धि की समस्या को परिवार कल्याण अथवा धन एव ससाधनो के पुन वितरण द्वारा सुलझाया जा रहा है। सभी सामाजिक मूल्यो पर निर्भर है। सामाजिक बन्धन को नगरीकरण द्वारा तोडा जा रहा है। इसप्रकार पर्यावरण प्रबन्धन हेतु अनेक सामाजिक मूल्यो की समस्याये विद्यमान है।[21]

8.16 पर्यावरण नियोजन :

प्रादेशिक नियाजन मे पर्यावरणीय तत्र की समस्याओ के समाधान हेतु यह आवश्यक है कि सामाजिक एव भौतिक पर्यावरणीय तत्वो का समेकित विकास किया जाय जिसके लिये निम्नलिखित आधार हो सकते है –

1 पर्यावरण प्रबन्धन योजनाओ का आधार क्षेत्रीय कार्य होना चाहिए। इसकी भूमिका प्राथमिक स्कूल से शुरू कर उच्च स्तर के कक्षाओ तक होनी चाहिए जिससे बच्चे बडे होकर पर्यावारण के प्रति सवेदनशील हो सके। पर्यावरण की विषय मे प्रकाशन, दृश्य चित्रों, प्रदर्शनियों एवं सामाजिक सर्वेक्षण स्कमल के अध्यापक द्वारा किया जाना चाहिए।

2 आस–पास के क्षेत्रो मे युवा सगठनो का निर्माण करना चाहिए जो समय–समय पर सफाई, वृक्षारोपण, गोबर गैस जैसे सयत्रो के विषय मे जनता को अवगत कराते रहे।

3 प्रतिमाह प्रौढ एव पडोसी युवा सगठनो की सामूहिक मीटिग बुलानी चाहिए, जिससे पर्यावरण के विषय मे नैतिक आचरण को बढावा मिल सके।

4 नीति नियेाजको, क्षेत्रीय निवासियो एव योजना निर्णायको की सावधानी एव भागीदारी द्वारा इस क्षेत्र के पर्यावरण अवनयन को रोका जा सकता है। आधुनिक युग मे स्वच्छ पर्यावरण की हर स्तर पर आवश्यकता है।

इस प्रकार से पर्यावरण प्रबन्धन की विचाराधारा समाज मे ही जागृत होती है। इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यक्ति समाज तथा व्यापक मानव समूह से है। प्रादेशिक नियोजन मे पर्यावरण प्रबन्धन का सम्बन्ध अनिवार्य प्रबन्धन की निम्नलिखित विधाओ से जान्ना जा सकता है –

1 राष्ट्रीय पयार्वरण सूचना तत्र की स्थापना तथा इसकी परिचालनीय दक्षता का सम्पोषण।

2 पर्यावरणीय प्रबन्धन लक्ष्यो तथा नीतियो का निरूपण।

3 पर्यावरणीय प्रबन्धन योजनाओ का प्रादेशिक अनुमाप परिसीमा विशेष मे क्रियान्वयन।

4 पर्यावरणीय योजनाओ के क्रियान्वयन के उपरात पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन।

5 पर्यावरणीय प्रबन्धन मे सरकारी एव गैर–सरकारी अभिकरणो तथा सामान्य जन की सहभागिता को सुनिश्चित करना।

पर्यावरण तत्व जो विकास प्रक्रम के आधार है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की तीव्रता के कारण सकट मे है इसलिये प्रादेशिक विकास–नियेाजन मे पर्यावरण प्रबन्धन समकालिक अनिवार्यता बन गये है।[22]

8.17 ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाए :

देश की विद्यमान आर्थिक सामाजिक एव राजनैतिक स्थिति में ग्रामीण विकास की अनिवार्यता निर्विवाद है। प्रथम पचवर्षीय योजना से ही देश मे ग्रामीण विकास के अनेक पृथक कार्यक्रम चलाये गये, हालाकि इनमे से कुछ योजनाओ का विवरण पिछले अध्यायो मे किया गया है, किन्तु समन्वित ग्रामीण विकास के प्ररिप्रेक्ष्य मे ये योजनाए निम्नवत है –

8.17.1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम :

भारतीय अर्थतत्र मे अपेक्षित बडे ग्रामीण अर्थतत्र को विकसित करने के लिए ही प्रथम पचवर्षीय योजना मे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारम्भ किया गया इसमे यह लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया था कि इसक द्वारा सीमान्त एव भूमिहीन कृषि मजदूरो की दशा मे अपेक्षित सुधार होगा और निर्धनता मे क्रमश कमी होते रहने पर समग्र विकास सुनिश्चित होगा। प्रथम पचवर्षीय योजना मे इसका समावेश प्राथमिकता निर्धारण के क्रम मे किया गया था।

2 द्वितीय एव तृतीय पचवर्षीय योजनाओ मे औद्योगिक वृद्धि पर जोर दिया गया था, और यह माना गया थाकि इससे रोजगार के अवसरो मे वृद्धि करके ग्रामीण बेरोजगारी को दूर किया जा सकेगा।

3 लघु कृषक विकास एजेन्सी (S F D A)

4 सीमान्त किसान एव कृषि श्रमिक एजेन्सी (M F A L A)

5 सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (D P D A)

6 ग्रामीण रोजगार हेतु पुरजोर स्कीम (C S R E)

उपर्युक्त सभी कज्ञर्यक्रम चौथी पचवर्षीय योजना मे प्रारम्भ किये गये थे। इनमे ग्रामीण ऋण सुविधा लघु एव सीमान्त किसानो हेतु बीज, उर्वरक, एव कृषि यत्रो के लिए सहायता, भूमिहीन जनसख्या हेतु रोजगार की सुविधा आदि कार्यक्रम मुख्य थे। इस तरह के कार्यक्रमो का उद्देश्य ग्रामीण विकास को निचले स्तर तक लाकर सम्पूर्ण विकास की अवधारणा को चरितार्थ करना था।

8.17.2 न्यूनतक आवश्यकता कार्यक्रम :

चतुर्थ योजना काल से ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी ग्रामीण क्षेत्र मे अनिवार्य आवश्यकताओ की पूति हेतु प्रारम्भ किया गया। प्राय प्राथमिकता चयन के आधार पर सब्सिडी अथवा नि शुल्क सुविधाये ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रस्तावित की गई। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है –

1 प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्यत सर्व सुलभ करना।

2 प्रौढ शिक्षा

3 ग्रामीण स्वास्थ्य अवस्थापना तत्वो का विस्तार।

4 ग्रामीण पेय जलापूर्ति

5 ग्रामीण सडक सम्पर्क मार्गो का निर्माण

6 ग्रामीण विद्युतीकरण।

7 ग्रामीण आवास एव पोषण स्तर को उच्चीकृत करना। इस तरह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी ग्रामीण अर्थतत्र एव समज मे प्रत्यावर्तन लाने हेतु एक उपयुक्त कार्यक्रम है, जो अब भी चल रहा है। अन्य कार्यक्रम जो बेरोजगारी दूर करने हेतु चलाये गये है उनका विवरण अध्याय छ मे दिया गया है।

उपर्युक्त ग्रामीण विकास कार्यान्वयन विभिन्न पचवर्षीय योजनाओ के पूरक के रूप मे किया गया है। विशेषकर सम्पूर्ण भारतीय अर्थतत्र मे ग्रामीण अर्थतत्र की प्रधानता के कारण ग्रामीण क्षेत्रो के समन्वित विकास के लिए विशेष बल दिया गया। जिससे विकास के लक्ष्य तो प्राप्त अवश्य किये गये, परन्तु ग्रामीण विकास प्रतिरूप असतुलित आर्थिक विकास प्रतिरूप तथा क्षेत्रीय और वर्गीय असमानता मे वृद्धि के रूव मे उभरकर आया। इसके लिये सुझाव है कि विकास योजनाओ का निर्माण और क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि वे स्थानीय ससाधनो और पर्यावरण के अनुसार विशिष्ट होते हुए भी क्षेत्रीय और जनपदीय स्तर की योजनाओ से समन्वय बनाये रख सके।

8.19 समन्वित प्रादेशिक विकास के अन्य अवयव :

समन्वित प्रादेशिक विकास की सकल्पना एक व्यापक सकंल्पना है किसी प्रदेश के विकास का तात्पर्य केवल कुछ सुविधाओ मे वृद्धि करना नही है, वरन् समग्र विकास करना है। पिछले अध्यायो मे अध्ययन क्षेत्र के उद्योग, कृषि परिवहन, सचार शिक्षा तथास्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रतिरूपो एव समस्याओ को

विश्लेषित कर विकास हेतु आयोजना प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे कारक है यथा – आवास, सफाई मनोरजन के साधन खेलकूद के साधन वर्ग द्वेष का अभाव सामुदायिक भावना तथा चरित्र निर्माण आदि जिनके बिना समग्र–विकास की कल्पना ही नही की जा सकती। किन्तु एक शोध प्रबन्ध मे समग्र–विकास के लिए आवश्यक सम्पूर्ण भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक तथा राजनीतिक कारको का अध्ययन नही किया जा सकता। इसके लिए शोध श्रृखला की आवश्यकता है। एक शोधकर्त्री के लिए समय, ससाधनो तथा विशेषज्ञता के अभाव मे समग्र अध्ययन करना सभव नही है।

अध्ययन क्षेत्र के समन्वित विकास के के लिए यह आवश्यक है कि ''वृद्धि रोग'' से बचा जाय। इसके जगह निर्वाह योग्य विकास की नयी सकल्पना स्थापित करनी होगी। निर्वाह योग्य विकास वह विकास है जो सबकी मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति करना है, खासकर बहुसख्यक गरीबो की रोजगार, भोजन, उर्जा, पानी, और आवास की जरूरते पूरी करने के लिए, कृषि निर्माण, उर्जा और सेवाओ की प्रगति सुनिश्चित करता है। इसमे पर्यावरण और अर्थशास्त्र के सिद्धातो का विलय होता है।

पशुओ की पर्याप्त सख्या देखते हुए इनके समुचित विकास की आवश्यकता है। ये पशु ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अग है। इन पशुओ की उत्पादकता कम है। नस्ल सुधार के लिए अब तक जो कार्य हुआ है, वह विदेशी जाति के सकर नस्ल के पशु पैदा करने तक सीमित है। अध्ययन क्षेत्र मे 6 पशुचिकित्सालय, 11 पशुधन विकास केन्द्र तथा 1 कृत्रिम गर्भाधान (कौडीराम) केन्द्र एव 5 कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र है। भेड विकास केन्द्र विकास खण्ड केन्द्र कौडीराम मे है। पशुओ की सख्या तथा उनकी नस्ल सुधार हेतु और पशु चिकित्सालय तथा कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलने की आवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र मे जो बस्तिया कच्ची एव झोपडी के रूप मे है, इन्दिरा आवास के तहत इनके लिए पक्का मकान बनाने की आवश्यकता नही हे

सरकार को इनके द्वारा पुराने मकान की मरम्मत एव सुधरा स्वरूप प्रदान करना चाहिए। इरासे उनके पुश्तैनी मकान का मोह भग नही होता है तथा नया (सुधरा मकान) मकान किसी के द्वारा अधिग्रहित नही किया जा सकता है। सामुदायिक भावना मे वृद्धि करके भी सफाई नाली तथा सडक अव्यवरथा से मुक्ति पायी जा सकती है। गबोर के खाद के गड्ढे को गाव से बाहर बनाना चाहिए, पशुओ को निवास स्थान से दूर तथा खेतो के पास गौशाला मे बाधना चाहिए। ग्रामीणो तथा ग्रामीण क्षेत्रो के समन्वित विकारा के लिए गाधी जी के विचारो के कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र मे खेलकूद, मनोरजन के साधनो की कमी है। विकास खण्ड स्तर पर, न्याय पचायत स्तर पर खेलो की प्रतियोगिताए होनी चाहिए। इससे चारित्रिक विकास एव मनोरजन के उद्देश्य की पूर्ति होगी। वस्तुत सामुदायिक भावना उच्च चरित्र के लोग तथा वर्ग द्वेष की भावना का अभाव भी समन्वित क्षेत्र विकास की सकल्पना को पूर्ण करते है।

अध्ययन क्षेत्र का समन्वित विकास उरा क्षेत्र मे उपलब्ध साधनो, वहा के निवासियो की आवश्यकताओ, महत्वाकाक्षाओ और उनकी तकनीकी कौशल पर निर्भर है। अनेक ऐसे उदाहरण है, जहा सभाव्य साधन विशाल मात्रा मे उपलब्ध है, किन्तु उपयोगिता के ज्ञान के अभाव तथा आर्थिक कारणो से उनका विकास नही हो पाया है।

किसी क्षेत्र की जनसख्या को उराका सभाव्य ससाधन माना जाता है, इसमे इनकी सख्या और गुणवत्ता दोनो ही सम्मिलित है। लोगो की गुणवत्ता मे उनकी कार्य क्षमता या उत्पादकता उनका वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकारा उनके सास्कृतिक मूल्य और उनके सामाजिक एव राजनीतिक सगठन सम्मिलित है। अध्ययन क्षेत्र मे 32 49 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के हैं। इन पिछडे एव शोषित लोगो के कल्याण के लिए विशेष नीति तैयार करने की आवश्यकता है। विकास प्रक्रिया एव विकास लाभ मे इन्हे सम्मिलित किए बिना समन्वित प्रदेश

विकास की परिकल्पना अधूरी रह जायेगी। अत अध्ययन क्षेत्र के मानव और उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकासबहुत आवश्यक है।

समन्वित प्रादेशिक विकास के लिए कुछ लक्ष्य ऐसे है जिन्हे प्राप्त करना अनिवार्य है। ये लक्ष्य है — सबको साक्षर बनाना, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाए जुटाना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा। इसके अतिरिक्त कार्य के प्रति निष्ठा पैदा करना, स्त्रियो को बराबरी का दर्जा देकर उनकी क्षमताओ का विकास करना, आदि है। इन लक्ष्यो को किस प्रकार प्राप्त किया जाय। यह शोध का विषय है।

समन्वित प्रादेशिक विकास एक अविछिन्न प्रक्रिया है, जिसे अल्प अवधि मे प्राप्त नही किया जा सकता है इसके लिये व्यापक शोध एव शोध श्रृखला की आवश्यकता है जिसमे अर्थशास्त्रियो, मनोवैज्ञानिको भूगोलविदो समाजशास्त्रियो तथा वैज्ञानिको से सहयोग लेने की आवश्यकता है। इस विकास को पूर्ण तभी कहा जा सकता है, जब अध्ययन क्षेत्र के लोगो द्वारा अपने ही ससाधनो द्वारा विकास किया जाय। यहा के लोगो की रूढिवादिता तोडने व नवीनताओ के प्रसरण के लिए व्यवहारिक नीति अपनाने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1 Thapaliyal, B K and Ramanna, D V Planning for Social Facilities 10th Course on DRD, NKD, Hyderabad 1977, Sept - Oct , P 1 (Unpublished paper)

2 Draft Five year Plan, 1978 (1978-83), Planning Commission, Govt of India, New Delhi P 106

3 श्रीवास्तव, शर्मा एव चौहान प्रादेशिक नियोजन और सतुलित विकास, 2000 पृष्ठ 195

4 योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1991 पृष्ठ 14

5 भारत, प्रकाशन विभाग, सूचना एव प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार पटियाला हाउस, नई दिल्ली, 1988—89, पृष्ठ 62

6 वही पृष्ठ — 62

7 चॉदना, आर सी जनसख्या भूगोल, कल्याणी पब्लिसर्स, नई दिल्ली 1987, पृष्ठ 179

8 वार्षिकी, उत्तर प्रदेश, 1990—91 व 191—92, पृष्ठ 121

9 वही पृष्ठ 123

10 Report of Education Commission, 1966, P 234

11 Report of Education Commission, 1966, P 234

12 Pathak, R K Enviornmental Planning Resources and Development, Chough Publication, Allahabad, 1990, P 153

13 दत्त, भवतोष योजना, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1990, पृष्ठ 2

14 पूर्वोक्त सन्दर्भ सख्या 8, पृष्ठ 330

15 पूर्वोक्त सन्दर्भ सख्या 5 पृष्ठ 155

16 योजना 26 जनवरी, 1992, पृष्ठ 51

17 Gibbs, J P (ed) Urban Reserch Method, 1966, P 107

18 योजना, 26 जनवरी, 1992, पृष्ठ 15

19 Greenwold, D , (1973) Dictionary of Modern Economics, Mc Graw Hill IInd (ed) P 297

20 वर्मा शिवशकर शाही सुनील अवस्थापनात्मक तत्त्व एव प्रादेशिक विकास एक सैद्धान्तिक अध्ययन, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, दिसम्बर 1987, सख्या 2, अक 23, पृष्ठ 35

21 पाण्डेय आई पी उतराचल के नगरीय एव ग्रामीण क्षेत्रो मे पर्यावरणीय समस्याये एव प्रबन्धन, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका जून–दिसम्बर, 1994, अक 30, पृष्ठ 46

22 श्रीवास्तव शर्मा, चौहान प्रादेशिक नियोजन एव सतुलित विकास 2000, पृष्ठ 216

परिशिष्ट –1

अर्थव्यवस्था — Economy

अध्ययन क्षेत्र — Study Area

अपरदन — Erosion

आकारकीय — Morphological

आदान — Inputs

आर्थिक समृद्धि — Economic Growth

आधारभूत कार्य — Basic Functions

उपभोक्ता उद्योग — Consumer Industry

औद्योगिक क्रान्ति — Industrial Revolution

कार्यात्मक आकार — Functional Size

कार्यात्मक अक — Functional Score

कार्यात्मक सूचकाक — Functional Index

कार्याधार जनसख्या — Threshold Population

कुटीर उद्योग — Chotage Industry

केन्द्र स्थल — Central Place

केन्द्रीयता — Centrality

केन्द्रीयता अक — Centrality Score

केन्द्रीयता सूचकाक — Centrality Index

कृषि योग्य भूमि — Cultural Land

कृषित — Cropped

कृषि सम्पदा — Agricultural Resources

खनिज अयस्क — Mineral Ore

खरीफ — Kharif

खुली खदान	—	Open Mine
गहन कृषि	—	Intensive Agriculture
गैर आबाद	—	Uninhabited
गृह उद्योग	—	House Hold Industry
चकबन्दी	—	Consolidation of Holding
जलग्रहण क्षेत्र	—	Catchment Area
जल विद्युत	—	Hyotroelectricity
जल स्तर	—	Water Label
जोत	—	Holding
डेयरी उद्योग	—	Dairy Industry
ढलान	—	Gradient
ताप विद्युत	—	Thermal Electricity
तृतीयक उद्योग	—	Tertiory Industry
नलकूप	—	Tube Well
नौका परिवहन	—	Navigation
पदानुक्रम	—	Hierarchy
प्रवेशी जनसख्या	—	Threshold Population
फसल—कोटि	—	Crop-rank
फसल—सयोजन	—	Crop-Combination
बस्ती—अन्तरालन	—	Settlement Spacing
वृहद—उद्योग	—	Large-Scale Industry
वृहद—स्तरीय	—	Macro-level
भौम जल	—	Ground water
मध्यम—स्तरीय	—	Meso-level
मुख्य कर्मी	—	Main worker
विकास—ध्रुव	—	Growth Pole

विदेशज	—	Exyotic
विनिर्माण	—	Manufacturing
सतृप्त/सपृक्त जनसख्या	—	Saturation Point Population
शस्य गहनता	—	Crop-Intensity
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	—	Net Show Area
सडक जाल	—	Road Network
सडक सम्बद्धता	—	Road Connectivity
समन्वित	—	Integrated
सर्वणत/सार्वात्रिक	—	Ubiqutous Compact Index
सहत	—	Compact
सूचकाक	—	Index
सूक्ष्म—स्तरीय	—	Micro-level
सेवा—केन्द्र	—	Service Centre
सेवित जनसख्या	—	Served Population
शुष्क कृषि	—	Dry Farming
हृदय क्षेत्र	—	Heart-Land

परिशिष्ट — 2

FURTHER READINGS

Books and Articales :

1- Agarwal, S N Indian population problems, Tat Mcgraw Hill, Bombay, 1972

2- Ahmad, Y L , 1975, Adminstration of Integrated Rural Development A Note on Methodology int Labour Review, P. 119

3- Ahmed, E "Geomorphic Regions of Peninsular India", Journal of Ranchi University, 1/9 1962 P 1-29

4- Alexander, K.C , 1982 Agricultural Development and Social Tranformation A study in Ganga nagar, Rajasthan, Juoumal of Rural Development, Vol 1, P 1-71

5- Alagh, Y (1972) Regional Aspects of Indian Industrilization, University of Bombay, Economic Series No 21

6- Arora, R C , 1079 Integrated Rural develoment (new Delhi S Chand & Co Ltd) P 462

7- Atkinson B W Percipitation in man and enviromental Process edited by K J, Gregory and D E , Walling Butercuorths, P 23, 37

8- Azad R N 1977 Earlier stratigies of Rural Development, in S K Sharma (ed) Dynamics of develoment, P 143

9- Bannet, H H "Adjustment of Agriculture to its environment, AAAG, Vo. 33 No 4 Dec , 1943 P 169-198

10- Berry, L and Perov, G "Economic Planning in the Sovietunion in planning of manpower in the soviet union Translated by shcherbovich, S B , Progress Publisher, Moscow, 1975, P 24-36

11- Bhalla, C S Changing Agrarian structure in India, A study of the impact of Green Revolution in Haryana, Meenakshi Prakashan, Meerut (1972)

12- Bhatt, L S "Regional planning in India", Statistical Publishing Society, Calcutta, 1972

13- Bhatnagar, L P Transport in Modern India, 5th ed Kishore Publication house, Kanpur (1970)

14- Bracey, H E Towns as Rural Services Centres An Index of Centrality with special reference to somerset, Transatction of Papers, Institute of British Geographers, No 19 (1953), P 85-105

15- Buggi, Chandrashekher and Ramanna, R , 1978 Regional planning for Rural development, in R P Mishra et al. (eds) Regional Planning and national development (New Delhi Vikas) P. 407

16- Carter, H Urban Grades and sphere of Influence in South West Wales, Scotish Geographical Magazine, Vol 71 (1955) P 43-58

17- Chi, Yuen Wu, 1977 The nature of Modern development in S.K Sharma (ed), op cit. P 2-6

18- Chauhan, D S Studies in the utilisation of Agricultural Land, Shiv Lal and Co. Agra (1966)

19- Chandana, R.C and S manjit Introduction of Population Geography, Concept Publishing company, New Delhi (1980)

20- Chaudhury, M. R . Indian Industries development and location, Oxford, Calcuta, 1970

21- C I D A (1976) Rural development and Renewable resoureces, Sectoral Guidelines, April P 1-2

22- Dubey, B and M Singh Integrated rural development Jeevan Dhara Publication, Varanasi, (1985)

23- Dutta, A K Two Decades of Planning India An Anotomy of Approach, National Geographical Journal of India, Vol XVIII (3-4) (1972) P 187-205

24- Friedman, J Cities in Social Transformation, Reprinted in J. Frienman, et al (ed) 1964, Regional Development Planning A Reader (1961), P 343-60

25- F A O Politics and Institution for Integrated Rural development, Joint report of the expert consulations Colambo Nairobi Sessions, Vol I Rome, P 36

26- Gadgil, D R District Development Planning, Gokhale Insitute of Politics and Economics Poona, 1967, P 1-38

27- Glasson, J An Introducation of regional planning concept, theory and practice, London, 1978, P 24-31

28- Gould, PR The developm,ent of the Transporation Pattern in GHANA, Iillionis, 1960, P 132

29- Government of India · Irrigation and power projects ministry of Irrigation and power, New Delhi, 1970

30- Grossman, L Man-Environment Relationship in Anthropology and Geogrphy, Annals of the Assoc Amer Geographers, Vol 67, P 126-44

31- Haggerstrand, T Innovation Deffusion as aspatial porcess, Chicago (1970)

32- Haggett, P Location Analysis in Human Geography Arnold, London (1967)

33- Harvey, D Social Justice and the city, Edward Arnold, Londo (1973)

34- Hermansen, T, 1969 Development Poles and development Centres in national and Regional development Elements of a theoretical Frame work for a synthetic approach, mimeographed (Geneva the United nations Institute of social developmet) Also edited by a Kulinski (Paris Mouton, 1972)

35- ICSSAR A survey of Reserch in Geography, Popular Prakashan, Bombay, 1972, P 122

36- Jain, N G (1980) Integrated Rural Development A geographical approach in Recent Trands and concepts in Geography Vol 3(Ecs.) Mandal B. B. and Sinha V N P Concept Publishing Company New Delhi P, 214

37- Kayastha, S L et al Geographical Environmental approach for integrated Rural development, Proceedings of 65th Session of ISCA (Gealogy & Geography Section) 1978, P 3

38- Kulkinski, A K Some Basic Issues in Regional Planning, in Regional Planning and national development by Mishra, R P. et al (eds) VP, New Delhi, 1978 P 3-21

39- Kuznetsov, V I Economic Integration Two approaches progress publishers, moscow, 1975, P 13-25

40- Lasouen, J R , 1969 On Growth Poles, Urban Studies, Vol 1 No 2 P 137-161

41- Law, B C (ed) Mountain and Reivers of India, Calcutta National Committee for geography, Calcutta, 1968

42- Mishra, B N . Spatial pattern of Service Centres in Mirzapur Dist, U P Unpublished thesis, Geography, 1980

43- Mishra, R R. 1971 Growth Polesand growth centres in Urban and regional planning in India; development studies No 2 (University of Mysore Institute of development studies)

44- Misrh R P atal "Regional development in India", Vikas New Delhi, P 2

45- Majid Hasan, . Crop combination in India, Concept publishing company, New Delhi, 1982

46- Morre, L B , 1973 The concept of IRD in the report on govt. of Pakistan, international seminar on integrated rural development (Lohore) P 55

47- Nicholson, M The Environmental Revolution, penguin, Harmonds worth, 1972

48- NSSO Report on the status of estimation of agricultural production in India (1974-75) 8, Govt. of India, New Delhi, 1977, P. 191-198

49- Patel, A R , 1984 Rural development Experence is the best teacher Kurukshetra, Vo 32 No 4 P 19-24

50- Paul Streetèn, 1979 From Grawth to Basic needs, Finance and development, P 29

51- Ramanna, D V and Thophiyual, B K Planning for agricultural infra-structure, 10th course on IRD, Hyderabad, Sept.-Oct. 1977, P. 1-2 (Cyclostyled Paper)

52- Rao, V L S P Reginal Planning Asia Publihsing House, Bombay 1963

53- Rao, V K R V, 1977 Integrated rural development, paper presented at association of development reserch and traning insts of Asia and the pacific, Goa

54- Rondinalli, D A and Ruddle, K. (1976) Urban functions in rural develpment An analysis of integrated spatial development policy, office of urban development USAID/Washingtion, P 181

55- Regier, H A and Cowell, E B Application of ecosystem theory, succession, diversity, stability stress and conservation, biological conservation, Vol 4, 1972, P 83-88

56- Sharma, S K. and Malhotra, S L, 1977 Integrated Rural developoment approach, strategy and perspectives (New Delhi)

57- Singh, B · Land use its efficiency stage and optimum use, National geogrphical journal of India, Vol 23, Nos 1-2 March - June 1977, 61-72

58- Singh, H P Development pole theory review and appraisal, national geographer, Vol 13, No 2 Dec 198 P 155-162

59- Singh, J Transport Geography in South Bihar, NGSI, Varanasi, 1964

60- Singh, L R, Savindra, Tiwari, R C and Srivastava, R P Environmental Management (ed) Allababad, Geographical society, geo dptt. Allahabad Unviersity, 1983

61- Singh, J 1979 Central Places and spatical organisation in a Backward Region - Grokhpur region (Gorakhpur Uttar Bhart Bhoogol Parishad) P 13

62- Singh, L 1979 Integrated Rural development A case study of Patana district (Bihar) nationala geographer, vol 14 no 2 P 193-203

63- Singh R N 1985 Integrated Rural develpment Concept and Framework, national geographer, vol xx, No 1 June P 31-38

64- Singh R N and Pathak, R K., 1980 Integrated area development planning Concept and Background nationla Geograper, Vol 15, No 2 P 157-171

65- Singh R L (ed) India - A Rigional geogrphy - NGSI Varanasi, 1971 P 189-196

66- Singh, R N , and Sahab Deen Occupational structure of Urban Centres of Eastern U P A case study of trade and commerce, Indian geogrphical Journal Vol, 56 No P 81 P 55-62

67- Smith, D D , and Wischmeir, W H Rainfall erosion, advances in agronomy, Vol. 14, 1962, P 109-48

68- Spate, O H K and Lear Month, A T A Indian and Pakistan A Gneral and regional geography 3rh ed Methun, London, 1967

69- Stamp L D "The Determination of planning regions, Nationla Geogrpher, Vol 5, 1962 P 1-6

70- Sixth Five Year Plan 1980-85 (New Delhi - Planning Commission, Government of India)

71- Sundram, K V Regional Planning in India, in symposium on Regional Planning (21st I G C) Calcutta, 1971, P 109-123

72- Tiwari, R C , and Yadav, H H , 1985 Integrated rural development : Concept and Background, National geographer Vol 20, No 1 (June 1985) P 1-11

73- Thapliyal, B K and Ramann D V Planning for social facilities, 10th course on IRD, NICD, Hyderabad, Sept -Oct. 1977, P 1-3 (Unpublished paper)

74- Uma Lale, (1974) The Designal Rural development An Analysis of Programmes and projects in Africa, John Hopkins University Press, Baltimore (1974) P 20

75- Verma, Shiv Shnkar, Shahi Sunil Infrastructural elements and Regional development A theoratical study Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Dec 1987, Vol 23 No 2 P 35-41

76- Wadia, D N Geology of India (Economic minerals) 5th ed , Mcmillan, London, 1965

77- Wadia, M D N Minerals of India, N.B.T., India New Delhi, 1966

78- Wanmali, S Central Places and Their Tributary Popluation - Some observations, Behavioural Sciences and community Deveopment, Vol 6, No 1 March 1972, P 11-39

79- Waterstone A 1974 and 1975 A viable model of rural developoment, Finance and development (Dec 1974) P 22-25 (March, 1975) P 52

80- Willian, R C and Morill, R L 'Diflusion theroy and planning', Economic geography, Vol 51, No 3 July 1975 P 290

81- Weitz, Raanan, 1978 Integrated Rural development, publication of regional development 28 (rehovot settlement study centre) Also see the conclusions adopted at the workshop on integrated Rural develpment held at Univ of Gissan 25-29 Sept. 1978

82- Zaman, M A (1978) Some Aspects of Integrated Rural developoment report on the FAO/SIDA/DSE inter regional symposium on integrated rural devel-opment, part I Fao, Rome, P 18